एकादश माला खंड 15, अंक 8

शुक्रवार, 1 अगस्त, 1997

10 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

233

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 57
Date 16-7-98

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 1 अगस्त, 1997/10 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
45	2	श्री टी॰ गोबिन्दन	श्री टी॰ गोविन्दन
101	15	सन्य	समय
168	6	श्री अजमीर चन्दूलाल	श्री अजमीरा चन्दूलाल
282	नीचे से पहली	प्रवाभी	प्रभावी
283	नीचे से पहली	धर्मातिरण	धर्मान्तिरण

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

[एकादश माला, खंड-15 पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 8, शुक्रवार, 1 अगस्त, 1997 / 10 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 142 से 144	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 145 से 160	21-40
अतारांकित प्रश्न संख्या 1546 से 1775	40-222
सभा पटल पर रखे गए पत्र	222-232
सभा का कार्य	232
कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	240
विधेयक पुरःस्थापित	
आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक	241-242
श्री श्याम बिहारी मिश्र	241
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	242
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पटना में गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित करने में सेना की सहायता लेने का मुद्दा	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	252-254
सभा कक्ष में नए कैमरे लगाये जाने के बारे में टिप्पणी	261
महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किये गये अत्याचार के संबंध में प्रस्ताव	262-274
श्री नारायण आठवले	262-265
श्री प्रमथेस मुखर्जी	266-270
श्री जी॰ एम॰ बनातवाला	270-274
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	275

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अवैध आप्रवासियों के संबंध में संकल्प	275-302
श्री गिरधारी लाल भार्गव	275-278
श्री सत्यदेव सिंह	279-286
डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा	286-291
श्री भगवान शंकर रावत	291-293
श्री सुरेश प्रभु	293-296
श्री मोहम्मद मकबूल डार	296-297
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	297-302
भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कार्यवाही	302-316
श्री श्रीराम चौहान	302-308
श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण	308-314
प्रो॰ रासासिंह रावत	314-316

लोक सभा

शुक्रवार, 1 अगस्त, 1997/10 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में चाय की खेती

*142. **श्री केशव महन्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में कुल कितने क्षेत्र में चाय की खेती होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में चाय की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में चाय की खेती के अंतर्गत कुल 2,34,789 हेक्टेयर क्षेत्र है।

(ख) और (ग) चाय की खेती के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र शामिल करने की दृष्टि से चाय बोर्ड अनेक विकासात्मक योजनाएं चला रहा है जिनमें उत्पादकों को अन्य सहायता देने के अलावा, दीर्घकालीन ऋण के रूप में वित्तीय सहायता, पूंजीगत इमदाद, बैंक ऋणों पर ब्याज इमदाद और सहायता अनुदान दी जाती है। अन्य विकासात्मक योजनाओं में एक योजना अर्थात न्यू टी यूनिट फाइनानसिंग स्कीम भी चल रही है जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लिए है। इस योजना में इस क्षेत्र में चाय उपजकर्त्ताओं को अन्य सहायता के साथ-साथ ऋण और इमदाद प्रदान की जाती है।

आगामी 9वीं योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। इस बारे में, चाय बोर्ड का झूम खेती के नियंत्रण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चाय विकास योजना नामक एक नई योजना कुल 75.80 करोड़ रुपये की परिव्यय राशि से चलाने का प्रस्ताव है। 9वीं योजना अवधि के दौरान, चाय के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय के 25 प्रतिशत से अधिक की राशि पूर्वोत्तर राज्यों की चाय विकास योजनाओं के लिए चाय बोर्ड ने आबंटित करने का प्रस्ताव रखा है।

श्री केशव महन्त : उपाध्यक्ष महोदय, असम की अर्थव्यवस्था में चाय और कच्चे तेल की अहम् भूमिका है, यद्यपि असम को प्राकृतिक संसाधनों का वरदान मिला हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र का आर्थिक रूप से वांछनीय विकास नहीं हुआ है।

मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में चाय की खेती के अंतर्गत कुल 2,34,789 हेक्टेयर क्षेत्र है। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस कुल क्षेत्र अर्थात 2,34,789 हेक्टेयर का अलग-अलग राज्यों, विशेषकर असम का राज्यवार ब्यौरा क्या है।

मैं चाय की खेती के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रों को लाने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपायों का स्वागत करता हूं; विशेषकर असम के गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लिए इनमें से कुछ उपायों पर कार्य चल रहा है, मैं मंत्री महोदय से विशेषकर लघु चाय उत्पादकों, जो हरी पत्ती का उत्पादन करते हैं, हेतु इन योजनाओं का ब्यौरा जानना चाहूंगा।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों में चाय की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का अलग-अलग ब्यौरा चाहते हैं।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि असम चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादन वाले 2,34,789 हेक्टेयर क्षेत्र में से, असम के अंतर्गत 2,27,120 हेक्टेयर, त्रिपुरा में 5,928 हेक्टेयर, मणिपुर में 343 हेक्टेयर, अरूणाचल प्रदेश में 1151 हेक्टेयर और नागालैंड में 237 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। इस प्रकार कुल क्षेत्र 2,34,789 हेक्टेयर बनता है।

अब मैं इनके अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग पर आता हूं। इनका सुझाव है कि हम पूर्वोत्तर राज्यों पर अधिक ध्यान दें। वास्तव में, हम इस क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु लगभग 55.8 करोड़ रुपये की राज-सहायता देने और 20 करोड़ रुपये तक के वित्तीय परिव्यय हेतु ऋण देने की योजना तैयार कर रहे हैं।

श्री केशव महन्त : महोदय, मैं झूम खेती के नियंत्रण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में एक नई चाय विकास योजना आरंभ करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं जिसका कुल प्रस्तावित परिव्यय 75.80 करोड़ रुपये है। इसमें से 25 प्रतिशत व्यय नौंवी योजनावधि के दौरान किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या असम जो देश में पचास प्रतिशत चाय का उत्पादन करता है, को 50 प्रतिशत धनराशि का आबंटन किया जाएगा। ऑल असम छात्र संघ के लोग चाय से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुवहाटी में धरने पर बैठे हैं, मैं सरकार से इस पर अनुकूल रवैया अपनाने का आग्रह करूंगा।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम को पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराने के माननीय सदस्य के प्रस्ताव की जांच करूंगा। इसके साथ-साथ हमें इस बात को ध्यान में रखना हो.

कि हमें अन्य राज्यों का विकास भी करना है। मैंने जो आंकड़े आप को दिये हैं, उन्हें आप देखिए। उन्हें देखने से आपको पता चलेगा कि असम में सबसे बड़ा विकसित क्षेत्र है। अन्य राज्यों में भी विकास आवश्यक है लेकिन हम निश्चित ही माननीय सदस्य के प्रस्ताव की जांच करेंगे।

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेशों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में चाय की खेती की पर्याप्त संभावनाएं है। इन राज्यों में चाय की खेती का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

दक्षिण असम में कई रूग्ण और निर्बल चाय बाग़ान हैं जिनमें से कुछ का पहले ही परित्याग किया जा चुका है। भारतीय चाय व्यापार निगम के अंतर्गत आने वाले चाय बागान कुप्रबंधन से ग्रस्त है। ऐसे बागानों के चाय श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। सरकार ऐसे रुग्ण और निर्बल चाय बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कर रही है। सरकार ऐसे रुग्ण और निर्बल चाय बागानों के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए क्या उपाय कर रही है?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये हैं। उन्हें हर प्रकार की मदद चाहे वह ऋण हो अथवा तकनीकी सहायता, दी जाएगी। इन्हें अधिकतम सहायता देने के प्रयोजन से हमने सम्पूर्ण चाय बोर्ड को काम पर लगा रखा है।

श्रमिकों की समस्या के साथ-साथ इन क्षेत्रों में विद्रोह आदि की भी समस्याएं है, पर सुरक्षा के प्रबन्ध किये गये हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र को चाय बोर्ड एवं सरकार का सर्वाधिक समर्थन मिलेगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मेरे माननीय मित्र स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाये....*(व्यवधान)* जैसा कि आप जानते होंगे भारत सरकार ने इन चाय बागानों को खरीदा था। ये सुचारु रूप से चल रहे थे। फिर किसी कारणवश वे पीछे हट गये। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आज श्रमिक भूख से मर रहे हैं। निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और पार्टियों का चयन किया गया था। कोई न्यायालय में गया। अब न्यायालय में भी मामले का निपटान हो गया ।

श्री पी॰ चिदम्बरम : इसका निपटान कब हुआ?

श्री संतोष मोहन देव : लगभग दो माह पूर्व।

मुझे आपसे उत्तर नहीं चाहिए, परन्तु चिदम्बरम जी, कृपया आपके पूर्व सहयोगी द्वारा लिये गये निर्णय पर कार्रवाई कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न के रूप में क्यों नहीं पूछते?

श्री संतोष मोहन देव : अत: मैं जानना चाहूंगा कि यदि सभी बाधाएं हटा दी जाएं तो क्या सरकार पूर्व वाणिज्य मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तैयार है।

दूसरे चाय अनुसंधान एसोसिएशन देश के सबसे पुराने चाय अनुसंधान केन्द्रों में से एक है जो चाय बोर्ड तथा अन्यों से प्राप्त दान से चलाया जाता है। इसको बंद करने की बात चल रही है। क्या मुझे सरकार से यह आश्वासन मिलेगा कि चाय अनुसंधान एसोसिएशन जो चाय उद्योग को बेहतर चाय का उत्पादन करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता करता है, को बंद नहीं किया जाएगा? आपने पत्र में लिखा है कि आप इस पर विचार कर रहे हैं। कृपया हमें यह आश्वासन दे दीजिए कि इस एसोसिएशन को बंद नहीं किया जाएगा।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : मैं मंत्री महोदय के आग्रह पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : यह अस्पष्ट उत्तर है। माननीय सदस्य ने स्पष्ट प्रश्न पूछा है।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : उन्होंने पूछा है कि क्या मैं पूर्व सरकार द्वारा लिए गये निर्णय को कार्यान्वित कर सकूंगा...*(व्यवधान)*

श्री द्वारका नाथ दास : सरकार गत दस वर्षों से इस पर विचार करती आ रही है....*(व्यवधान)*

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : हम आज की बैठक में इसकी जांच करेंगे.....*(व्यवधान)*..... हम माननीय सदस्य को भी आमंत्रित करेंगे। हम संपूर्ण मुद्दे का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बैठक अभी जारी है और हम इसे अंतिम रूप देंगे।

श्री उद्धव बर्मन : चाय की खेती दो लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में की जाती है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि गत तीन वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया गया और उस क्षेत्र में उत्पादकता कितनी रही? मुझे बताया गया है कि उस क्षेत्र में उत्पादकता का ह्रास हो रहा है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में चाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या सरकार उस क्षेत्र में स्थित टोक्लाई अनुसंधान केन्द्र को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है? बताया गया है कि जोरहाट स्थित टोक्लाई अनुसंधान केन्द्र को बन्द किया जा रहा है और श्रमिक लम्बे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय टोक्लाई अनुसंधान केन्द्र को बंद न किये जाने अपितु इसमें और सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे ताकि इस अनुसंधान केन्द्र जिसने चाय की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, का रख रखाव किया जाए और इसे बेहतर बनाया जाए?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : माननीय सदस्य उस क्षेत्र की उत्पादकता के बारे में जानना चाहते हैं। असम की उत्पादकता बहुत अच्छी है परन्तु अन्य राज्यों में अभी सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए, हमारे अनुसंधानकर्ता उस क्षेत्र की जांच कर रहे हैं और हम उसमें पूरी सहायता करेंगे।

अनुसंधान केन्द्र के संबंध में हमने हाल ही में टोक्लाई अनुसंधान केन्द्र पुनर्गठन समिति नियुक्त की है। समिति इन संभावनाओं की जांच कर रही है कि इसे किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है और सरकार से किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम इसकी जांच करेंगे और कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

डा॰ अरुण कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, असम में देश के कुल चाय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक चाय उत्पादित की जाती है और असम में उत्पादित चाय की गुणवत्ता सर्वोत्तम है तथा निर्यात बाजार मे असम की चाय की बहुत मांग है। असम राज्य में निर्यात

संवर्धन के लिए अपेक्षित सभी अवसंरचनात्म सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक असम में उत्पादित अधिकांश चाय की राज्य से बाहर नीलामी की जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से उनके मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी से निर्यात की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आरंभ की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहता हूँ।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : असम चाय का पर्याप्त मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। इस वर्ष चाय के मूल्यों में भी काफी वृद्धि हुई है। इसकी नीलामी जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, कलकत्ता, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और अन्य स्थानों पर की जाती है। विभिन्न स्थानों पर नीलामी केन्द्र हैं और यदि अन्य स्थानों पर और नीलामी केन्द्र खोलने की आवश्यकता हुई तो हम कुछ और स्थानों पर नीलामी केन्द्र खोल देंगे।

डा॰ अरुण कुमार शर्मा : परन्तु असम में चाय की नीलामी करने हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। चाय को नीलामी के लिए अन्य स्थानों पर क्यों ले जाया जाता है ? मेरा प्रश्न यह है।

डा॰ बोल्ला बोल्ली रमैया : नहीं, नहीं, हम इसे चाय इसकी उपलब्धता और लोगों की भागीदारी के आधार पर करते हैं। कोचीन, कुन्नूर और कोयम्बटूर में भी नीलामी केन्द्र हैं। वह हमारे उत्पादन और उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति को पूरा करता है। यदि अधिक मांग होगी तो हम अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

डा॰ अरुण कुमार शर्मा : ऐसा इसलिए है कि चाय बागानों के मुख्यालय राज्य से बाहर स्थित है और वे उन्हें स्थानान्तरित करना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि नीलामी राज्य से बाहर की जाती है। अधिकांश महत्वपूर्ण भूमि चाय बागानों के पास है। इस कारण से राज्य अपने वैध राजस्व से वंचित रहता है।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : गुवाहाटी में भी नीलामी केन्द्र है। सिलीगुडी में भी एक केन्द्र है जहां पर सुविधाएं उपलन्ध हैं शायद उन्हें इसका उपयोग करना पड़ेगा, यदि सुविधाएं होंगी तो हम इसे पुन: करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि देश की चाय की अधिकांश खेती देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में होती है और चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। लेकिन मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां जो चाय बागानों के मालिक हैं, पिछले दिनों आसाम या उत्तरी पूर्वी राज्यों मे निरंतर बढ़ती जा रही आतंकवादी घटनाओं के कारण, उनके मालिकों के अपहरण के कारण, चाय के खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को धमकाने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाने के कारण चाय के उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप हमारे निर्यात को भी थोड़ा आघात पहुंच रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चाय बागानों की सुरक्षा के लिए, चाय की खेती में जुटे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए और उनके लिए फाइनेंस करने वाले लोगों की सुरक्षा की तरफ भी सरकार का ध्यान गया है या नहीं?

[अनुवाद]

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : जहां तक सुरक्षा प्रबन्धों का संबंध है जो कुछ हम से हो सकता है हम सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। हमने राज्य सरकार से भी इस क्षेत्र के विकास में हमें कुछ और सहायता देने के लिए भी अनुरोध किया है, हम अधिक धन निवेश करने के लिए तैयार हैं हम उस क्षेत्र के विकास के लिए तैयार हैं। किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार को भी हमें सहायता देने के लिए आगे आना चाहिए।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह उत्पादन में बाधाएं पैदा कर रहा है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, नि:संदेह पूर्वोत्तर राज्यों में चाय की खेती के अंतर्गत भूमि बढ़ाये जाने की तत्काल आवश्यकता है। किन्तु एक विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूर्वोत्तर भारत में रबड़ और चाय उत्पादकों में भूमि के लिए होड़ लगी हुई है। चाय और रबड़ दोनों के लिए ही एक जैसी ऊँची भूमि और कतिपय वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए कुछ अधिक वर्षा चाहिए और रबड़ के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है।

नि:संदेह चाय अधिक लाभप्रद बागान फसल है। चाय की खेती रबड़ की खेती से कहीं अधिक लाभप्रद है। पूर्वोत्तर क्षेत्र चाय की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। चाय बोर्ड और रबड़ बोर्ड दोनों ही वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि कोई होड़ न लगे और इन दो बागान फसलों की भूमि के मामले में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मैं मंत्री महोदय मे जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में चाय बोर्ड और रबड़ बोर्ड के बीच भूमि को लेकर कोई समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की नीति है क्योंकि अन्य चीजें समान हैं लेकिन प्राथमिकता चाय की खेती को देनी होगी। चाय बागानों के लिए रबड़ बागानों की अपेक्षा काफी अधिक भूमि आबंटित करनी होगी। इसलिए समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना चाय की खेती के लिए उपयुक्त भूमि रबड़ की खेती के लिए जा सकती है। यह न केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हानिकारक होगा अपितु संपूर्ण देश के लिए भी हानिकारक होगा।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या दोनों बोर्डों के बीच समन्वय है क्या पूर्वोत्तर राज्यों में चाय के लिए अलग से उपयुक्त भूमि और रबड़ के लिए अलग से उपयुक्त भूमि का कोई सीमांकन है? पूर्वोत्तर राज्यों में समन्वित विधि से इन दोनों फसलों के अंतर्गत भूमि को किस प्रकार से बढ़ाने का प्रस्ताव है?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिया है। जहां तक चाय की बात है और जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है इसके निर्यात की काफी गुंजाईश है। लगभग 2,35,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती होती है। हम अभी भी चाय के अधिक से अधिक निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु इस समय लगभग 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र में रबड़ बागान है।

मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि में कॉफी बागान भी हैं, मैं चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड में समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वे संयुक्त रूप से काम कर सकें और इस बात को ध्यान में रखें कि कौन सा क्षेत्र किस फसल की खेती के लिए अधिक अनुकूल है और उत्पादकता कहां अधिक हो सकती है और कहाँ ऊँची उत्पादकता हो सकती है और यह पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में इन तीन फसलों में से किस फसल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : इस समय इन बोर्डों में कोई समन्वय नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, असम में टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ के तीन बागान हैं और एक बागान पश्चिम बंगाल के डुआरस क्षेत्र में है। इन चाय बागानों के कामगारों और टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ के मुख्यालय के कर्मचारियों को मई 1997 से वेतन नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन कामगारों और कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर वेतन दिलाने के लिए कदम उठाएंगे।

उन्हें मई, 1997 से वेतन नहीं मिला है, मजदूरी संदाय अधिनियम के अनुसार भारत सरकार अपने कर्मचारियों और कामगारों को एक माह के भीतर वेतन का संदाय करने के लिए बाध्य है। किन्तु टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ के कामगारों को वेतन नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कदम उठायेंगे या नहीं।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : महोदय, माननीय सदस्य और मैंने आज सुबह अपने कार्यालय में इस विषय पर विचार विमर्श किया था, हम इन सब बातों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम फिर विचार विमर्श करेंगे और मैं समझता हूं कि यह मुद्दा हल हो जाएगा।

आटोमोबाइल के क्षेत्र में विदेशी सहयोग

+

*143. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :**

श्री वी॰ वी॰ राघवन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऑटो कंपनियां, जिन्हें विदेशी सहयोग से भारत में मोटर कारों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, अपना निर्यात दायित्व पूरा करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा कुल कितनी मोटर कारों का निर्माण किया गया;

(घ) भारत में बेची गई और विदेशों को निर्यात की गई मोटर कारों की संख्या क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन कंपनियों द्वारा अपने दायित्वों को निभाने के लिये बाध्य करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने सी के डी/एस के डी किट के आयात के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर कर संयुक्त उद्यम ऑटोमोबाइल उद्योगों के बारे में कोई औपचारिक निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं किया है। तथापि, छः कार विनिर्माता कंपनियों ने डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰ के साथ हस्ताक्षरित अपने एम॰ ओ॰ यू॰ में पांच वर्षों के अपने निर्यात को प्रदर्शित किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान उनके अनुमानित निर्यात और वास्तविक निर्यात नीचे दिये गये हैं :

(मूल्य में)

	1995-96		1996-97	
	अनुमानित निर्यात	वास्तविक	अनुमानित निर्यात	वास्तविक
1. डीसीएम डेवू	14 (अमरीकी मिलियन डालर में)	शून्य	19 अम.मि.डा.	शून्य
2. पाल-पेगोट	11 (अमरीकी मिलियन डालर में)	शून्य	33 अम.मि.डा.	शून्य
3. मर्सीडीज बेंज	शून्य	शून्य	शून्य	1.20 मि.डी.एम. (कारों का निर्यात)
4. पी ए एल (यूनो)	शून्य	शून्य	5.50 अ.मि.डा.	शून्य
5. जनरल मोटर्स	28.64	28.64 अ.मि.डा.	17.50 अ.मि.डा.	शून्य
6. महेन्द्रा फोर्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा विनिर्मित मोटर कारों की कुल सख्या :-

		1994-95	1995-96	1996-97
1.	डीसीएम डेवू मोटर्स	शून्य	9155	17514
2.	पाल-पेगोट	शून्य	10306	8887
2.	मर्सीडीज बेंज	शून्य	1051	1649
4.	पी ए एल (यूनो)	शून्य	शून्य	1531
5.	महेन्द्रा फोर्ड	शून्य	शून्य	3606
6.	जनरल मोटर्स	शून्य	शून्य	7482

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में बेची गई तथा निर्यात की गई कारों की संख्या नीचे दी गई हैं :-

	नाम	घरेलू बिक्री			निर्यात		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1.	डी सी एम डेवू	-	9045	16866	-	-	-
2.	पाल-पेगोट	-	10287	7646	-	-	-
3.	मर्सीडीज बेंज	-	387	1885	-	-	30
4.	पी ए एल (यूनो)	-	-	1458	-	-	-
5.	जनरल मोटर	-	-	7482	-	-	-
6.	महेन्द्रा फोर्ड	-	-	3606	-	-	-

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन संयुक्त उद्यम कंपनियों पर कोई औपचारिक निर्यात दायित्व का भार नहीं है। तथापि, इन कंपनियों द्वारा स्वयं पूरा किए गए निर्यात दायित्व इन फर्मों को आगे के लिए लाइसेंस जारी करते समय विचार करने योग्य कारक हैं इन फर्मों का आगे के लिए लाइसेंस उनके द्वारा पूरा किए गए निर्यात दायित्व समेत पांच पैरामीटर के आधार पर उनके निष्पादन की समीक्षा करने के बाद जारी किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : माननीय मंत्री द्वारा भाग (क) और (ख) में दिये गये उत्तर में यह बताया गया है कि संयुक्त उद्यम ऑटोमोबाइल उद्योगों के बारे मे औपचारिक निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है। इसी उत्तर के भाग (ङ) में यह उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस देने के लिए उनके कुछ पैरामीटर हैं और लाइसेंस देते समय निर्यात उन पैरामीटरों में से एक है।

वर्ष 1995-96 और 1996-97 में ऐसी सूचना है जहां इन कंपनियों ने स्वयं घोषणा की है कि विनिर्मित कारों का कुछ प्रतिशत निर्यात किया जायेगा किन्तु निर्यात के बारे में उत्तर में सभी शीर्षों में 'शून्य' है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उन कंपनियों से जो अपने निर्धारित व वचनबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही है, स्पष्टीकरण मांगेंगे।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : महोदय, हमने हाल ही में उनके साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पहले तीन वर्षों में वे 50 प्रतिशत तक देश में ही बेचेंगे। बाद में वे इसे 70 प्रतिशत तक कर देंगे। निर्यात दायित्व औपचारिकता मात्र है क्योंकि उन्होंने किसी रियायत के बिना आयात किए गये संघटकों के लिए पूरे शुल्क का भुगतान किया है।

यदि आप देखें कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हम इन कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इस देश में कुशल श्रमिकों का उपयोग करके अधिक से अधिक निर्यात दायित्वों को पूरा करने में समर्थ होना चाहिये और अधिक उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि देश का विकास हो सके और रोजगार की संभावनायें भी बढ़ सकें।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा है या नहीं! लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं जिसका कि उन्होंने स्वयं वायदा किया था? क्या कारण है कि वे निर्यात नहीं कर रहे हैं? विफलता के क्या कारण हैं? क्या इसका कारण मूल्य में प्रतिस्पर्धा है? अथवा, क्या यह उनकी गुणवत्ता के कारण हैं? उनके निर्यात न कर पाने के क्या कारण हैं जिसका कि उन्होंने स्वयं वायदा किया था?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : हम इन लोगों के लिए एक समन्वय बैठक बुला रहे हैं। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और यह पता करना चाहते हैं कि यह मामला अन्तिम रूप से कैसे निपटाया जा सकता है।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : इसका मतलब यह है कि आपने उनसे लक्ष्य प्राप्त न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : हम बातचीत के लिए उन्हें बुला रहे हैं।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : हम मंत्रालय से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं कर रहे हैं। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि वे निर्यात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने केवल यह कहा कि वह निर्यात नहीं कर रहे हैं। किन्तु इसका कारण क्या है? मैं उनकी विफलता का कारण जानना चाहता हूं और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि किए गये वायदे के मुताबिक निर्यात किया जायेगा या नहीं। आप उन्हें केवल इस बहाने से लाइसेंस दे रहे हैं कि वे किसी चीज का निर्यात कर रहे हैं। आप उनके प्रस्तावों से प्रसन्न है और इसलिए आप उन्हें लाइसेंस दे रहे हैं। किन्तु अन्ततः वे निर्यात नहीं कर रहे हैं और आप इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। क्या कार्य करने का यही तरीका है?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : इसमें काफी विलम्ब हुआ है क्योंकि संघटकों तथा विनिर्माण हेतु कुशल श्रमिकों आदि को प्राप्त करने में कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने हमें अभ्यावेदन किया है जिसमें कहा गया है कि वे इस मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। हम उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं और तभी हम अपनाये जाने वाली प्रक्रिया को अन्तिम रूप देंगे।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न के बारे में बतायेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि यह आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न है।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : हमारी आम शिकायत यह है कि हमें कभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : कार विनिर्माताओं को लाइसेंस देने से पहले क्या विभाग ने जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय से विचार-विमर्श किया था क्योंकि एक वर्ष में सड़क पर 40,000 कारें आ रही हैं। आप उस अनुपात में राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा शहरों में सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए लाइसेंस जारी करते समय क्या आप संबंधित विभागों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हैं?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : यह एक ऐसी मद है जो हमारे पास उद्योग मंत्रालय के माध्यम से आती है। एक बार जब वे नामों की सिफारिश करते हैं, तो तब हम उनसे विचार-विमर्श करते हैं। आप देख सकते हैं कि मारुति के मामले में क्या हुआ। अब हम कई कारों का निर्यात करने में सक्षम हुए हैं। हमारे देश में संघटकों का विकास किया जा रहा है। अतः वे कारों का निर्माण न केवल देश में खपत के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी कर रहे हैं।

निस्संदेह, दूसरी मद आधारभूत ढांचे का विकास है, जिसे हम ले रहे हैं यह इसका दूसरा भाग है। हमारी मांगे दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में दक्षता उपलब्ध है। इसलिए हम निर्यात के प्रयोजन के लिए अपनी दक्षता का उपयोग कर रहे हैं।

श्री वी॰ वी॰ राघवन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के संबंध में हमारा देश कहाँ है। मैं माननीय वित्त और उद्योग मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि इस उत्तर पर विचार करें। यह काफी अधिक जानकारी देने वाला उत्तर है। यह सच है कि जब हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया तब कोई दायित्व नहीं था। यह आवश्यक नहीं था। आप विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित की जा रही कारों के आंकड़े देख सकते हैं। निस्संदेह, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कारों का पूर्णतः स्वदेश में ही निर्माण किया जा रहा है। अधिकांशतः सभी पुरजों का आयात किया जा रहा है और आयात पर व्यय बहुत अधिक है। वर्ष 1995-96 में डी सी एम डेवू मोटर्स ने अकेले 9155 मोटर कारों का निर्माण किया और वर्ष 1996-97 में यह आंकड़ा 17,540 तक पहुंच गया। इन पुरजों का आयात करना बाध्यकारी हैं। वाणिज्य विभाग में यह अनिवार्य व्यवस्था है कि जब हम एक विशेष राशि की वस्तुओं का आयात किया जाए तो उतनी ही राशि की वस्तुओं का निर्यात भी किया जाना चाहिये। यह अनिवार्यता पूरी नहीं की गयी है। हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थिति अब ठीक नहीं है, संयुक्त उद्यम वाली कंपनियां पुरजों का आयात करके हमारे देश में कारों का निर्माण कर रही है। इन कारों को यहां बेचा जा रहा है और निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया जाता है। मैं नहीं जानता कि वाणिज्य मंत्रालय इन दोषी कंपनियों को बचाने का प्रयास क्यों करती है। इसमें स्पष्टतः चूक हुई है जिसका कि आपको यह दस्तावेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन दोषी कंपनियों से कैसे निपटने जा रहे हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया : हम उनके साथ चर्चा करेंगे और इन वाहनों के लिए आगे लाइसेंस देना उनके द्वारा पूरा किये जाने वाले दायित्व पर निर्भर करेगा, यह केवल प्रारंभिक चरण है.....*(व्यवधान)*।

श्री वी॰ वी॰ राघवन : आप पहले तो 17,000 कारें बेच चुके हैं।

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : आप मारुति कारों का मामला ले सकते हैं मारुति के मामले में 85-90 प्रतिशत पुरजों का निर्माण हमारे देश में किया जा रहा है। डी सी एम ने देश से 35,000 से भी अधिक वाहनों का निर्यात किया है। प्रारंभ में इसमें कई समस्याएं थी। हम इसकी समीक्षा के लिए उनके साथ चर्चा हेतु एक बैठक बुला रहे हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की श्रेष्ठ ट्रैक्टर निर्माण कंपनी "आईशर" ने भी छोटी कार बनाकर संयुक्त उद्यम के माध्यम से देने का तय किया था। तीन साल हो गए लेकिन आज परसों उसी कंपनी ने घोषणा की है कि हम छोटी कार नहीं बनाएंगे। मेरा निवेदन है कि आज सारे विश्व में छोटी कार की ज्यादा डिमांड है। लेकिन भारत में तो छोटी कारें बहुत आवश्यक हैं। चूंकि बड़ी-बड़ी टाटा सूमो, टाटा सिएरा जो बहुत अधिक जगह रोकती हैं, भारत की सड़कों के लिए भी किसी भी हालत में उपयुक्त नहीं हैं और इस कारण से दिन-प्रतिदिन भारत में एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती चली जा रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि "आईशर" कंपनी ने लाइसेंस प्राप्त करने के बावजूद भी छोटी कार का निर्माण न करने का निर्णय क्यों लिया? क्या मंत्री महोदय ने उनके द्वारा मांगी गई सुविधाओं को न देने का तय किया था? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण

रहे जिनके कारण लाइसेंस मिलने के बावजूद भी "आईशर" कंपनी ने छोटी कार क्यों नहीं प्रोवाइड की?

[अनुवाद]

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : महोदय, देश में कार उद्योग में काफी प्रतिस्पर्धा आ रही है। हम चाहते हैं कि ग्राहकों को उचित मूल्य पर बेहतर परिणाम देने वाली तथा बढ़िया कार मिले। वे विनिर्माता जो अन्य विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते हैं अधिक उत्पादन कर सकते हैं और जो विनिर्माता प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते हैं वे उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मारुति प्रतियोगी मूल्यों पर अपनी कारों को बेचने के साथ ही अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सक्षम है, जबकि कुछ अन्य विनिर्माता संभवत: यह महसूस कर सकते हैं कि वे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। हम अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। यदि आप टू व्हीलर उद्योग पर दृष्टि डालेंगे तो आप पायेंगे कि वहां कितनी कंपनियों का प्रादुर्भाव हुआ है और आज कितनी अधिक प्रतिस्पर्धा है।

श्री संतोष मोहन देव : संसद सदस्यों को कार के लिए 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। क्या आप मुझे बतायेंगे कि मैं इस ऋण से कौन-सी कार खरीद सकता हूं?.....*(व्यवधान)*

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : वस्तुत: 'आईशर' ने हमें कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। यदि उनका प्रस्ताव आया तो हम उसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : प्रस्ताव आया है। उन्होंने परसों रिफ्यूज किया है। .....*(व्यवधान)* मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने 'आईशर' कंपनी को लाइसेंस दिया था और वह कार प्रोवाइड करने वाली थी लेकिन तीन साल हो गए हैं, उसने किसी प्रकार की कार नहीं बनाई। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। कहीं लाइसेंस आपने रद्द तो नहीं कर दिया? .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर न देकर भी उत्तर दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के॰ एस॰ आर॰ मूर्ति : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वहां औपचारिक निर्यात दायित्व नहीं था परन्तु यह अनुमानित निर्यात था किन्तु, उस अनुमान का प्रभाव लाइसेंस जारी करने पर पड़ना चाहिये था हालांकि वर्ष 1995-96 और 1996-97 में यह अनुमानित निर्यात 'डेवू' के लिए 33 मिलियन डॉलर और 'पाल पेगोट' के लिए 44 मिलियन डॉलर का था, किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने आगे कहा है कि नए लाइसेंस जारी करते समय उनके कार्य-निष्पादन पर विचार किया जायेगा, 1996-97 में, सभी छ: मॉडलों की कुल 42000 कारों का निर्माण किया गया और माननीय मंत्री ने भी कहा है कि इनमें 85 प्रतिशत स्वदेशी पुरजे लगे थे, किन्तु मैंने पाया है कि इन सभी छ: मॉडलों के लिए सभी सी के डी और एस के डी किट्स देश में आयात किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इनमें कितने प्रतिशत स्वदेशी पुरजे लगे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें काफी क्षमता उपलब्ध है। इन छ: मॉडलों के लिए लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है और इनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और अभी कितने प्रतिशत क्षमता अधिष्ठापित की जानी है?

माननीय मंत्री ने उत्तर में पांच पैरामीटरों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे आगे लाइसेंस नीति का प्रश्न प्रभावित होगा। वे पाँच पैरामीटर क्या हैं?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : महोदय, ये पांच पैरामीटर हैं इक्विटी भागीदारी, उत्पादन क्षमता, स्वदेशीकरण का स्तर, आयात संघटक और निर्यात दायित्व। ये पांच दायित्व हैं जिनके आधार पर हम निर्णय लेने जा रहे हैं। जहां तक स्वदेशीकरण का प्रश्न है, पहले तीन वर्षों के मामले में, जैसा कि मैंने कहा, यह 50 प्रतिशत होगा और इसके बाद पांचवें वर्ष तक 70 प्रतिशत संघटकों का देश में निर्माण किया जायेगा। इस योजना के आधार पर वे यह कार्य कर सकेंगे। फिर भी ह्युन्डई हमारे समक्ष एक प्रस्ताव लाये हैं कि वह पहले वर्ष 70 प्रतिशत संघटकों का देश में निर्माण करेंगे। और अगले वर्ष शत प्रतिशत संघटकों का निर्माण देश में करने लगेंगे। यह एक नया प्रस्ताव आया है। हम उन कम्पनियों को वरीयता दे रहे हैं जो अधिकतम स्वदेशीकरण करना चाहते हैं। हम इस प्रकार यह कार्य कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पिछले शुक्रवार को ही हमने पूछा था कि हम निर्यात हेतु उत्पादन के लिए कितनी मात्रा में कल-पुर्जों का आयात करते है। उन्होंने बड़े गर्व के साथ इलैक्ट्रोनिक्स के मामले का उल्लेख किया था। यहां एक मामला है जो माननीय मंत्री के वक्तव्य और उनकी शुभ इच्छाओं को अमान्य करता है। मेरा साधारण सा प्रश्न है। इन क्षेत्रों के लिए कितने मूल्य का आयात किया जाता है? निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आयात का अंश कितना है? क्या विदेशी मुद्रा के रूप में लाभ बाहर जाता है? कितने मूल्य की मुद्रा बाहर जाती है? क्या इससे संयुक्त क्षेत्र प्रचलन समाप्त नहीं हो जाएगा? क्या ये विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां नहीं बनती जा रही है? ये कम्पनियां संयुक्त क्षेत्र के रूप में शुरू होकर कहाँ तक सहायक कम्पनियां बन गयी हैं? अब उनका वक्तव्य डी सी एम-डेवू के बारे में है। उनके उत्तर में केवल डेवू का उल्लेख है। क्योंकि अब यह पूर्णत: डेवू के स्वामित्व में आ गयी है।

तीन बातें हैं, अर्थात् स्वामित्व के स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहा है; लाभ की राशि का निर्यात- मैं 'निर्यात' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं-यह राशि कितनी है; अब तक की उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में आयात का अंश कितना है?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : गत वर्ष हमने कुल उत्पादन में से लगभग 60,700 वाहनों का निर्यात किया। हमने लगभग 7,500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के बराबर मूल्य के विभिन्न संघटकों और वाहनों का निर्यात किया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं मारुति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इन छ: कम्पनियों के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने कितना आयात किया? आपने कहा कि उन्होंने निर्यात नहीं किया है। इन छ: कम्पनियों में दिए गए उत्पादन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई? लाभ के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई?

डा० बोल्ला बुल्ली रमैया : मेरे पास निर्यात और आयात किये जा रहे वाहनों के बारे में समग्र जानकारी है। यदि माननीय सदस्य अलग-अलग कम्पनियों के बारे में ब्यौरा चाहते हैं तो वह ब्यौरा मुझे प्राप्त करना पड़ेगा और प्राप्त होने पर मैं उसे उन्हें भेज दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आपने स्वामित्व की संरचना में परिवर्तन कर दिया है?

डा० बोल्ला बुल्ली रमैया : लाभ और वह सब जो कुछ आपने कहा है वह हमारी वर्तमान कराधान नीति का आधार है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह राशि कितनी है?

डा० बोल्ला बुल्ली रमैया : मुझे सही आंकड़ा मालूम नहीं है। उन्हें लाभ के सही आंकड़े घोषित करने हैं। तभी हमें आंकड़ों का पता चलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां के बजाए अब वे सहायक कंपनियां बन गई हैं।

डा० बोल्ला बुल्ली रमैया : कुछ कम्पनियां स्वयं उत्पादन करने में सक्षम है और कुछ अन्य कम्पनियां संयुक्त क्षेत्र में हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर से यह स्पष्ट है कि कम्पनियों का इस तरह का कोई स्पष्ट निर्यात दायित्व नहीं था। इसलिये वह विफलता के लिए उन्हें दंडित नहीं कर सकते हैं। आप अब कई अन्य कम्पनियों के अन्य आवेदन पत्रों पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व भर के कार विनिर्माता कारों के निर्माण के लिए भारत में आ रहे हैं। क्या सरकार इस तरह की कोई स्पष्ट नीति बना रही है जिससे नए कार निर्माताओं के लिए निर्यात दायित्व पूरा करना आवश्यक हो ताकि ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा न हो? किन-किन संघटकों का आयात किया जाता है? अगर कोई निर्यात दायित्व नहीं है तो एस के डी और सी के डी कारों के लिए आयात के कारण कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई है?

इसका दूसरा कारण भी है। महाराष्ट्र में एक कार निर्माता कम्पनी है। वहां जिन श्रमिकों को रोजगार पर रखा है वे समझौता ज्ञापन में एक पक्ष नहीं हैं और अब उन्हें परेशानी हो रही है। सम्भवत: उन्हें बेरोजगार होने का भय है क्योंकि कम्पनी के पास एस के डी और सी के डी किट्स उपलब्ध नहीं हैं। एक ओर सरकार कह रही है कि कोई वचनबद्धता नहीं है और दूसरी ओर उत्पादन न होने के कारण श्रमिकों के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्या सरकार इस संबंध में श्रमिकों के हितों की रक्षा पर विचार कर रही है?

डा० बोल्ला बुल्ली रमैया : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उन लोगों का क्या दायित्व है जो परियोजना चला रहे हैं। यह हयून्डाई के मामले में स्पष्ट है, जैसा कि मैंने कहा है कि उन्होंने अपने लिए 70 प्रतिशत स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखा है। यदि आप आयात शुल्क में कोई रियायत दे रहे हैं तो निस्संदेह उसमें स्वत: निर्यात दायित्व है क्योंकि उनमें से किसी को भी आयात पर आयात रियायत नहीं मिल रही है। वे पूरे शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। इसलिए यह एक दायित्व है जो केवल औपचारिकता है और यह अनिवार्य नहीं हैं। यदि वे शुल्क में रियायत के लिए कहते हैं तो उनके लिए यह अनिवार्य होगा। उनमें से किन्हीं भी *लोगों ने शुल्क में रियायत नहीं ली है। वे जो कुछ भी आयात कर रहे हैं उसके लिए पूरे शुल्क का भुगतान कर रहे है। यह औपचारिकता मात्र* है जिसे हम कर रहे हैं किन्तु हम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 50 प्रतिशत या 70 प्रतिशत स्वदेशीकरण पर बल दे रहे हैं ताकि भारतीय उद्योग का विकास हो सके, भारत का उत्पादन बढ़े और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि हो। यह हमारा उद्देश्य है। हम इसी मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, उत्तर से यह स्पष्ट है कि ये सभी कम्पनियां भारतीय बाजार का दोहन करने के लिए भारत में आ रही हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार इन कम्पनियों द्वारा इन संघटकों के आयात के कारण जितनी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उतनी मात्रा में निर्यात दायित्व को औपचारिक रूप देने में क्यों विफल रही। अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई औपचारिक निर्यात दायित्व नहीं है। अब आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं और उनसे निर्यात के लिए कह सकते हैं? यह निश्चित तौर पर सरकार की विफलता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप इन कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं कि वे अपनी अनुमानित वचनबद्धता के अनुसार निर्यात न करके अपने आयात के बराबर निर्यात करे। मात्रा तक निर्यात न करना बल्कि उनके आयात की मात्रा तक निर्यात करना मैं जानता हूं उन्होंने अपनी वचनबद्धता क्यों दर्शायी है। यह केवल आपके कार्यालय में फाइलों को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। आप उनकी अनुमानित वचनबद्धता पर विचार नहीं करते। कम से कम आप यह लागू करे कि वे जितना आयात करते हैं उतनी मात्रा में उन्हें निर्यात भी करना चाहिये ताकि कुल मिलाकर इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बाहर न जाये। उद्योग मंत्री यहां है, वह इस प्रश्न का बेहतर उत्तर दे सकते हैं।

डा० बोल्ला बुल्ली रमैया : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात बहुत प्रांसगिक है। वस्तुत: इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम संघटकों के और आयात तथा इन बातों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक पुनरीक्षा बैठक बुला रहे हैं। हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे तभी इसे अन्तिम रूप देंगे और लागू करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इसे सरकार के आश्वासन के रूप में लिया जाना चाहिये।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यदि आपने भाग (ङ) के उत्तर की पंक्तियों को सावधानी पूर्वक पढ़ा है, तो उसमें यह कहा गया है :

> "प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन संयुक्त उद्यम कंपनियों पर कोई औपचारिक निर्यात दायित्व का भार नहीं है।"

इसलिए यह समझौता ज्ञापन के पैरामीटरों के भीतर नहीं था। हम नहीं जानते कि सारा समझौता ज्ञापन क्या था। इस माननीय सभा में पाँच पैरामीटरों पर चर्चा की गई है। तथापि, भविष्य में लाइसेंस देते समय इन फर्मों द्वारा किए गए निर्यात वायदों की पूर्ति पर विचार किया जाएगा। अत: समझौता ज्ञापन में उनके द्वारा किया गया वायदा क्या था; क्या

उन्होंने वह वायदा पूरा किया है या नहीं; यदि नहीं किया है तो सरकार गुमराह करने वाला उत्तर कैसे दे सकती है?

डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया : महोदय, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि यह निर्यात दायित्व हमारे द्वारा दी जा रही रियायतों पर निर्भर है, जबकि इन सबके लिए हम इन कंपनियों से पूरा शुल्क वसूल कर रहे हैं। एक बार वे पूरे शुल्क का भुगतान कर देते हैं तो उनका दायित्व भी कम हो जाता है। इसके बावजूद हम एक और पुनरीक्षा बैठक बुला रहे हैं जिसमें हम आगे की नीति को अन्तिम रूप देना चाहते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाये।

श्री मधुकर सरपोतदार : यहां पर इसका उल्लेख ऐसे नहीं किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की बकाया धनराशि

*144. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवादित बिलों के निपटान तथा विद्युत क्षेत्र पर कोल इंडिया लि॰ की बकाया धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु कोयला उद्योग की "समेकित कोयला नीति" के बारे में गठित के॰ एस॰ चारी समिति के सुझाव क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा चारी समिति के सुझावों के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) विद्युत क्षेत्र पर कोल इंडिया लि॰ की बकाया धनराशि की वसूली तथा दोनों पक्षों के बीच विवाद के बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ख) एकीकृत कोयला नीति पर समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों में विवादित बिलों का निपटारा किए जाने अथवा कोल इंडिया लि॰ (को॰इं॰लि॰) की कोयले की देय बकाया राशि की वसूली किए जाने को सुनिश्चित करने संबंधी सुझाव शामिल नहीं हैं।

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों की ओर देय बकाया राशि की वसूली किए जाने हेतु सरकार/को॰इं॰लि॰ द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

1. को॰ इं॰ लि॰ को विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम अदायगी अथवा साख-पत्र के एवज में ही किए जाने का परामर्श दिया गया है। 1.1.97 में "कैश एंड कैरी" योजना को अधिक उत्साहित रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।
2. को॰ इं॰ लि॰ तथा इसकी सहायक कोयला कंपनियां देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।
3. कुछ विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में ऊर्जा बिलों के एवज में समायोजन के माध्यम से देय बकाया राशि की वसूली भी की जा रही है। राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को यथाशीघ्र देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने हेतु प्रोत्साहित करें/उक्त का निपटारा कराए जाने में सहायता प्रदान करें।
4. कोयला कंपनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के बीच विवादित देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने हेतु अधिनिर्णायकों की नियुक्ति कर दी गई है।
5. सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार विद्युत/ रेलवे/ कोयला/ परमाणु ऊर्जा मंत्रालयों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से देय बकाया राशि की कटौती इस आशय से की जाए कि संबद्ध राज्य के लिए केन्द्रीय योजनागत सहायता के विनियोजन की राशि को वार्षिक रूप में अधिकतम 15 प्रतिशत तक प्रतिबंधित कर दिया जाए, चाहे इस कार्रवाई में देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने के मामले में कितने भी वर्ष लग जाएं।

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित पूरक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। क्या आप प्रश्न संख्या "क" और "ख" के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि 31.1.97 की स्थिति के अनुसार पावर सैक्टर पर कुल 2804.72 करोड़ रुपया बकाया है।

जिसमें 1404.23 करोड़ रुपये विवादित है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ कोल-इंडिया विदेश से पूंजी मंगवा रहा हूं। एक अरब डालर का कर्ज मंजूर हुआ था। जो चारी कमेटी बनी थी उसमें विदेश से पूंजी मंगवाने के लिए और जो पावर प्लांट में या स्टील में बकाया पैसा है उसको भी मंगवा करके उस काम को किया जा सकता था। बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ जो कोल-इंडिया की इकाई है उसमें 2200 करोड़ रुपये का वाटर-मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चला। दो वर्ष पहले जो गजली खान का हादसा हुआ था, उस विषय पर और उसके पैसे का टोटल बंदरबांट हुआ था। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या "क" और "ख" के बारे में मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं।

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका "क" से "ग" तक का जवाब सभा पटल पर रख दिया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य हमसे जानना क्या चाहते हैं। वह क्या प्रश्न कर रहे हैं यह मुझे समझ नहीं आ रहा है।

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : उपाध्यक्ष जी, अन्य माध्यमों की यह रिपोर्ट है जिसके एक लिखित उत्तर में आया है कि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने सेल पर 170 करोड़ रुपये का बकाया दिखलाया है। हम यह जानना चाहते हैं कि पावर सेक्टर में जो बकाया है उसको कोल-इंडिया कैसे और कब तक वसूली करवाएगी, कब तक उसका भुगतान होगा, जिससे कोल-इंडिया को विदेश से जो कर्ज लेना पड़ रहा है और विदेश से कोयला मंगवाना पड़ रहा है उसमें उसे सहूलियत हो। मंत्री महोदया, मैं चारी कमेटी में विवादित बिलों के निपटारे के संबंध में उल्लेख की बात कर रहा हूं, लेकिन आप समझती नहीं, तो मैं क्या करूं।

श्रीमती कांति सिंह : हमारे यहाँ जो विवादित डयूज हैं, उस राशि को वसूलने के लिए हमने विभिन्न कदम उठाए हैं। जैसा कि सचिवों की *एक कमेटी द्वारा 17.3.94 के फैसले के तहत सी॰ आई॰ एल॰ ने विभिन्न विद्युत बोर्डों को यह सुझाव दिया है कि अगर उन्हें कोयला लेना है तो या तो वे आई॰ आर॰ एल॰ सी॰ खोलें या 1.6.95 के बाद से* अग्रिम भुगतान करें। इस आदेश का लगभग सभी विद्युत बोर्डों ने पालन किया। दिनांक 1.1.97 से कैश और कैरी सिस्टम सख्ती से लागू किया गया है और साथ ही केन्द्रीय सहायता में से भी कटौती करने का हमने पहल किया है। भारत सरकार के निर्देश के तहत 21.5.90 की जितनी भी अविवादित बकाया राशि थी वह केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता से कटौती करेंगे। इस आदेश के तहत 1093.44 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है। सी॰ सी॰ ई॰ ए॰ की 7.2.97 में यह फैसला किया गया है कि ऊर्जा,-रेलवे, कोल, परमाणु, ऊर्जा मंत्रालय को 21.12.96 तक की देय बकाया राशि का केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में से कटौती करके वसूला जाएगा। लेकिन इसमें यह भी अंकुश लगाया गया है कि वसूलने वाली राशि केन्द्र द्वारा एक साल में दी जाने वाली सहायता की 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। विवादित राशि के लिए सरकार द्वारा एम्पायरों का गठन किया गया है जो दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाएंगे। उम्मीद की जाती है कि फैसला आने पर करीब 635.300 करोड़ रुपये की विवादित राशि का कोई हल निकल आएगा। हमने जो एम्पायर बनाए हैं उनमें श्री आर॰ के॰ टिक्कू, श्री वी॰ कृष्णन, श्री विजय राघवन, श्री आर॰ श्रीनिवासन है।..... *(व्यवधान)* आप हम पर दवाब दे रहे हैं। इसमें जिनकी सुनवाई पूरी हुई है वे हैं, बी॰ टी॰ पी॰ एस॰, आर॰ एस॰ ई॰ बी॰, के॰ पी॰ सी॰ एल॰, एम॰ एस॰ ई॰ बी॰। इसमें से बहुत सारी हियरिंग कम्पलीट हो गयी हैं और बहुत सारी हीयरिंग्स प्रोग्रेस में हैं। फेस टू बी एच॰ एस॰ ई॰ बी॰ में रैफ्रड है। भविष्य में कोयला खानों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की प्रफॉरमैंस देखते समय यह देखा जाएगा कि इन्होंने कितनी बकाया राशि की वसूली की है? इसकी वसूली जल्द से जल्द करने के लिए अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक हर हफ्ते मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही कैश ऐंड कैरी सिस्टम लागू करने के बाद से सबसे ज्यादा 1.1.97 से 30.6.97 तक क्षेत्रवार देय राशि की वसूली हुई है जिस में विद्युत की 214.56..... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जितना पूछा है, उससे ज्यादा बता दिया गया है।

श्रीमती कांति सिंह : विद्युत विभाग की ओर से देय राशि की वसूली में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कैश एंड कैरी सिस्टम के माध्यम से ...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : वर्तमान में 2804.72 करोड़ रुपया बकाया है। चारी कमेटी की दस वर्ष पूर्व यह सैटलमेंट थी। वर्तमान समय में इसका निर्धारण नहीं किया गया है। यह कैसे क्लीयर होगा जबकि पावर प्लांट, स्टील प्लांट में रद्दी कोयला दिया जाता है। ..... *(व्यवधान)* 2804.72 और 1404.23 करोड़ में से कितनी वसूली हो गई है और बकाया राशि की वसूली कब तक होगी?

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि हमने विभिन्न तरीके से ये-ये कार्यक्रम बनाए। हमने सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट और विद्युत विभाग से अपने डयूज लेने के प्रयास किए हैं....*(व्यवधान)* कोयले की क्वालिटी के बारे में हमें बहुत शिकायतें सुनने को मिलती हैं। इसका निवारण करने के लिए लॉडिंग एंड कोल कंट्रोल संस्था के माध्यम से जॉइन्ट कंपनी की स्थापना की गई है। समय-समय पर इसके सैम्पल लेकर उसकी चैकिंग करने के लिए कोल कंपनी एवं संबंधित विद्युत बोर्ड के बराबर की संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह फैसला ऊर्जा विभाग के सचिव ने 24.4.96 की बैठक में किया। इस आदेश के तहत .....*(व्यवधान)*

श्री दिलीप सिंह भूरिया : जैसा कि मंत्री जी ने प्रश्न के सी-भाग में यह कहा कि कोयल कंपनी तथा राज्य विद्युत बोर्ड के बीच विवादित देय राशि का निपटारा किए जाने हेतु अधिकारी की नियुक्ति की गई है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्य विद्युत बोर्डों का कितना पैसा बकाया है? किस लेवल पर कमेटी बनायी गई है और कब तक इन मामलों का निपटारा हो जाएगा?

श्रीमती कांति सिंह : बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का 31.12.96 को 80.99 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें से डिस्प्यूटिड राशि 30.7 करोड़ रुपए और अनडिसप्यूटिड 50.29 करोड़ रुपये की है। 30.6.97 तक टोटल 133.26 करोड़ रुपए का बकाया था। उत्तर प्रदेश का 390.76 करोड़ रुपए का बकाया है। पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का 59.68 करोड़ रुपए का अनडिस्प्यूटिड बकाया है। तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड पर 70.83 करोड़ रुपया, हरियाणा विद्युत बोर्ड का 47.06 करोड़ रुपया, राजस्थान स्टेट बिजली बोर्ड का 14.55 करोड़ रुपया, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड का 116.76 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का 80.92 करोड़ रुपया, गुजरात का 244.49 करोड़ रुपया, पश्चिम बंगाल का 7.9 करोड़ रुपया, आन्ध्र प्रदेश का -02प्रतिशत, पश्चिम बंगाल पॉवर डेवलेपमेंट कारपोरेशन पर 117.19 करोड़ रुपया अनडिस्प्यूटिड बकाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : बस, इतना ही काफी है।

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : उपाध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने विभिन्न राज्यों पर बकाया राशि का बताते हुये मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बकाया राशि ऐसी विवादित है जिसके लिये अधिनिर्णायक नियुक्त किया गया है वह इसको निपटाने में असमर्थ रहा है? क्या यह सही है कि यह राशि इसलिये बकाया है क्योंकि सी॰ आई॰ एल॰ ने जो कोयला सप्लाई किया था, जो ग्रेड चाहिये था, वह नहीं था और निम्न ग्रेड का था। ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जिसके द्वारा विवादित कोयले की सप्लाई की गई?

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे 31.12.96 तक जो टोटल डयूज हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है.....

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कई एम्पायर बनाए है जिससे 603.00 करोड़ रुपये का निर्णय लेने के लिये गठन किया गया है और विवादित डयूज के बारे में जल्दी ही निपटारा कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो पूछा है कि जो कोयला सप्लाई किया गया, क्या वह घटिया था?

श्रीमती कांति सिंह : इसके लिए हमने जांइट सैम्पलिंग हेतु राज्यों को लिखा है जिनमें बहुत सारे स्टेट इस पर सहमति नहीं कर पाये हैं। जाइंट सैम्पलिंग के बारे में कई स्टेट कोर्ट में गये हैं तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि सी॰ आई॰ एल॰ के लोडिंग पाइंट पर जाइंट सैम्पलिंग होना चाहिये जिस पर कई राज्य तैयार नहीं हो पाये हैं। जहां तक घटिया कोयला भेजे जाने की बात है, उसमें सुधार लाने के लिये विभिन्न तरीकों से प्रयास किये हैं। यह बात सही है कि गलत तरीके से उसके साईज, क्वालिटी और वजन में जो विवाद है, उस पर हमारे आफिसर्स जांच कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू : महोदय, तालचेर उड़ीसा में और इसके आसपास स्थित विद्युत संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति की जाती है। 'घटिया' बड़ा कठोर शब्द है। यह कोल इंडिया का गैर-विनिर्दिष्ट कोयला है। क्योंकि विनिर्दिष्ट कोयले की पूर्ति की गई है इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ये विवाद इन विद्युत संयंत्रों ने उठाये हैं जिसके परिणामस्वरूप बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है। यदि ऐसा है, तो इन विवादों के निपटारे के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो स्टैप्स लिये है, वे पहले ही बता दिये हैं।

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक घटिया कोयले की समस्या है, उसका निवारण करने के लिये कोल कंपनीज कोल हैंडलिंग प्लांट्स बना रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

ताकि भेजे जाने वाले कोयले का आकार सामान हो। 1995-96 में सी॰ एच॰ पी॰ की कुल क्षमता 223.5 मिलियन टन थी जो कि 1996-97 में बढ़कर 240.74 मिलियन टन हो गई है। हम आगे भी इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। साथ ही वजन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए हमारे रेल लोडिंग पाइंट पर करीब 124 विद्युत और मेकेनिकल कांटा घर हैं जिसमें इलेक्ट्रोनिक प्रिंट आउट की भी सुविधा है। जैसा कि स्पेसेफिक पॉवर प्लांट के बारे में पूछा गया है, उसकी मैं जांच करा लूंगी।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू : महोदय, यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का अवैध लेन-देन

***141. श्री राम कृपाल यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत छः महीने के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के किन्ही मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बरामद की गई विदेशी मुद्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच हेतु लिए गए मामलों के क्षेत्रवार आंकड़े और गत 6 मास के दौरान वसूल की गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार है :-

क्षेत्र	जनवरी से जून, 1997 के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या	वसूल की गई विदेशी मुद्रा की राशि (लाख रुपयों में)
दिल्ली	432	31.05
मुम्बई	506	78.70
कलकत्ता	384	4.36
चेन्नई	629	51.29
जालंधर	222	29.59
अहमदाबाद	327	49.27
बंगलौर	18	0.00
योग	2518	244.26

राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

उपर्युक्त अभिग्रहणों के अलावा सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना निदेशालय (डी॰ आर॰ आई॰) द्वारा भी जब्त की गई 33.39 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की तस्करी के प्रयास के 1035 मामलों का पता लगाया था। अभिग्रहण की राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	विदेशी मुद्रा का मूल्य (लाख रुपये में) (आंकड़े अनन्तिम हैं)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	15.56
असम	5.60
दिल्ली	307.40
गुजरात	65.14
कर्नाटक	19.55
केरल	114.20
महाराष्ट्र	1486.53
मेघालय	5.19

1	2
मिजोरम	1.70
पंजाब	51.48
राजस्थान	0.15
तमिलनाडु	1044.98
त्रिपुरा	11.51
पं॰ बंगाल	210.86
योग	3339.85

(घ) सरकार विदेशी मुद्रा के गैर कानूनी लेन-देन को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखती है। जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है विधि के अन्तर्गत परिकल्पित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी

*145. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दर में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपाय से देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है; और

(घ) ब्याज दर में कमी होने से बैंकों की लाभार्जकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) बैंक दर को बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जून, 1997 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर को एक प्रतिशत बिन्दु कम करके 11 प्रतिशत वार्षिक से 10 प्रतिशत वार्षिक कर दिया। रिजर्व बैंक से लिए गए निर्यात ऋण पुनर्वित्त और बैंकों को सामान्य पुनर्वित्त जैसे अग्रिमों की सभी ब्याज दरों को भी संशोधित करके कम कर दिया गया था।

(ग) और (घ) औद्योगिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी कई कारकों में से एक कारक ब्याज दर है। ऋण की लागत, परिचालनों की कुल लागत का एक भाग होती है और इसलिए ब्याज दरों को कम करने से निवेश का वातावरण प्रभावित होगा और उसके द्वारा औद्योगिक गतिविधि प्रभावित होगी। तथापि, आधारभूत सहायता, कच्चे माल की उपलब्धता और लागत, समग्र मांग में तेजी और गैर-बैंकिंग, स्रोतों से निधियों का प्रवाह जैसे अन्य कारक भी हैं, जो समग्र रूप से औद्योगिक गतिविधि के स्तर को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।

बैंकों की लाभप्रदता, अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर, प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं और परिचालनों की लागत जैसे अन्य कारकों के अतिरिक्त मुख्य रूप से निधियों की औसत लागत तथा उनके अभिनियोजन से होने वाली औसत आय के बीच उन्हें उपलब्ध कीमत लागत अन्तर पर निर्भर होती है। उधार दरों में कमी के अनुरूप जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दरों को कम करके लागत और लाभ के बीच अन्तर बनाए रखने पर, बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उच्च शिक्षा हेतु बैंक-ऋण

*146. **श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :**

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छात्रों को देश तथा विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देने हेतु योजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों की शर्तों आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में और विदेशों में अध्ययन के लिए दिए गए ऋणों का वर्षवार और बैंकवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त ऋणों की वसूली का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारत में और भारत से बाहर उच्च अध्ययन के लिए जरूरतमंद छात्रों को शैक्षिक ऋण प्रदान करने की योजनाएं तैयार की हैं। जबकि बैंकों के विभिन्न मानदंड हैं, तथापि, सामान्यतया 25,000/- रुपए तक के ऐसे ऋणों के लिए कोई मार्जिन राशि अपेक्षित नहीं है, लेकिन 25,000/- रुपए से अधिक के ऋणों के लिए 15-25 प्रतिशत के बीच मार्जिन राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जा सकती है। इसके अलावा, बैंक सामान्यतया वापसी अदायगी की मासिक किस्तें निर्धारित करते हैं, जो पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या छात्र द्वारा रोजगार शुरू करने के एक महीने बाद, जो भी पहले हो, आरंभ होती है।

वर्तमान में, इन ऋणों की ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :-

25,000/- रुपए तक के ऋण	12 % वार्षिक
25,000/- रुपए से अधिक और 2,00,000/- रुपए तक के ऋण	13.50 % वार्षिक
2,00,000/- रुपए से अधिक ऋणों के लिए	ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।

यद्यपि शैक्षिक ऋण निर्बंध आधार पर मंजूर किए जाते हैं, तथापि गारंटी/ संपार्श्विक प्रतिभूति प्रत्येक मामलें में गुण-दोषों के आधार पर ली जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मार्च 1994 से मार्च 1996 को समाप्त अवधि के लिए बकाया शैक्षिक ऋणों के आंकड़ों को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋणों की वसूली की प्रतिशतता एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग-अलग है, जो 22% से 89% के बीच है।

विवरण

मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 को समाप्त अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षा के लिए दिए गए बकाया ऋणों का विवरण

(रुपए हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	मार्च 1994		मार्च 1995		मार्च 1996 (अनंतिम)	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	117	34362	106	6495	101	7188
2.	आन्ध्र बैंक	906	63040	725	51435	887	55100
3.	बैंक आफ बड़ौदा	3531	117213	3157	126000	3329	83760
4.	बैंक आफ इंडिया	3573	86057	3915	96086	3940	112842
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	641	12630	1056	26346	1077	21756
6.	केनरा बैंक	21692	549407	22996	651571	25498	857763
7.	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	2697	25232	2694	31534	3257	71911
8.	कार्पोरेशन बैंक	596	12885	708	17233	676	18238
9.	देना बैंक	1020	11028	1005	14382	922	15544
10.	इंडियन बैंक	360	5820	531	34310	1157	71616
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1051	16080	1221	36533	1189	30163
12.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	88	3108	88	3196	284	4491
13.	पंजाब नेशनल बैंक	769	20915	763	20278	586	25489
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	51	727	27	1710	27	1645
15.	सिंडिकेट बैंक	8186	129098	7573	125018	6313	110945
16.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	819	8825	734	9008	763	9526
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	990	21960	1073	30737	1221	45848
18.	यूको बैंक	461	10958	687	9576	687	9576
19.	विजया बैंक	835	12180	892	21608	946	33554
	कुल	48563	1141525	49951	1313056	52860	1586955

[हिन्दी]

सैंट्रल कोल फील्ड्स लि० (सी० सी० एल०) द्वारा कोयले की आपूर्ति

*147. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री पवन दीवान :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल कोल फील्ड्स लि० द्वारा विद्युत संयंत्रों/औद्योगिक इकाइयों को कोयले की बिक्री से बड़े पैमाने पर बरती गई अनियमितताओं के बारे में सरकार को हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त हुई मुख्य शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा कितनी शिकायतों की जांच का काम आसूचना विभाग/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतों की जांच की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी अनियमितताओं का पता चला है तथा उसमें कितनी राशि अर्न्तग्रस्त है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कारगर विपणन, प्रीमियम समाप्त करने तथा मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन के कारण होने वाली काला बाजारी को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय को जनवरी, 1997 में कुछ समाचार-पत्रों

की इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि रांची तथा अन्य स्थानों पर दिनांक 17.1.97 को आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के दौरान, *सैंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सें॰ को॰ लि॰) के कुछ अधिकारी कोयले के एक संदिग्ध व्यापारी के साथ कोक तथा अकोकर कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में अनियमितताएं बरते जाने के मामले में अन्तर्ग्रस्त पाए गए थे। कोल इंडिया लिमिटेड को एक विस्तृत रूप में* जांच किए जाने के लिए कहा गया है ताकि इस मामले के तथ्य सामने लाए जा सकें। मंत्रालय को विद्युत संयंत्रों तथा औद्योगिक एककों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कंपनी के विरुद्ध हाल ही में कोई अन्य बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस प्रयोजन से राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम, जिसमें सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड शामिल है, नीचे दर्शाए गए हैं :-

(i) विभिन्न बिक्री केन्द्रों तथा लदान स्थलों पर प्राय: अचानक छापे मारा जाना।

(ii) सामरिक से गैर-सामरिक स्थलों पर बिक्री से संबंधित कर्मचारियों को बारी-बारी से स्थानांतरित किया जाना।

(iii) "स्व-भार छेदन तंत्र" के साथ इलैक्ट्रानिक वे-ब्रिजों की स्थापना किया जाना।

(iv) कोयले के दुरुपयोग और कालाबाजारी के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर कोयला उपभोग औद्योगिक यूनिटों का निरीक्षण किया जाना।

(v) कोयले की बिक्री तथा विपणन के संबंध में पद्धति तथा प्रक्रिया की समीक्षा किया जाना।

किसानों को ऋण

*148. **श्री एम॰ जे॰ राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, विशेषकर गुजरात राज्य के आदिवासी; ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान आज तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नलकूप लगाने के लिए कितने छोटे किसानों को ऋण दिया गया है;

(ख) उनमें से कितने छोटे किसान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऋण वितरण में हुई कठिनाईयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि नलकूप लगाने के लिए ऋण सामान्यत: उन किसानों द्वारा लिया जाता है जिनके पास बड़ी जोत भूमि है, जबकि छोटे और सीमित किसान सामान्यत: कुए खोदने और पम्पसेट लगाने जैसे अन्य लघु सिंचाई कार्यकलापों के लिए ऋण लेते हैं।

नाबार्ड अपने लक्ष्यगत ग्राहक समूह के लिए छोटे और सीमांत किसानों के हित में ट्यूबवेल्स लगाने, कुआं खोदने और अन्य लघु सिंचाई कार्यकलापों सहित लघु सिंचाई प्रयोजनों हेतु अपने उधारों के बदले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देता है। लघु सिंचाई के अंतर्गत, गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पक्ष में नाबार्ड द्वारा संवितरित पुनर्वित्त की राज्य वार राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी के अंतर्गत विशेषतया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हिताधिकारियों के बारे में, पूछे गए ढंग में भिन्न-भिन्न किस्म के आंकड़े, उसके पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, कुल बकाया ऋण के राज्यवार विवरणों सहित मार्च 1994, 1995 और 1996 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार लघु सिंचाई सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हिताधिकारियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। इसके अलावा, नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात में किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कोई ट्यूबवेल लगाने के लिए वित्तपोषण करने की सूचना नहीं दी है;

(ग) और (घ) नलकूपों (ट्यूबवैल) के वित्तपोषण में पाए गए कुछ प्रमुख अवरोध और ऐसे अवरोधों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए है:-

(i) छोटे किसानों की जोत भूमि नलकूपों की सिंचाई क्षमता (कमांड) की तुलना में काफी कम है। अत: छोटे किसानों की जोत भूमि में इस सिंचाई जल का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(ii) नलकूपों की निवेश लागत बहुत अधिक है और लघु तथा सीमांत किसानों की वापसी अदायगी क्षमता से बाहर है।

(iii) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पम्पसेटों को विद्युत आपूर्ति (एनरनाईजेशन) में देरी की जा रही है। किसानों द्वारा लगाए गए पम्पसेटों को त्वरित विद्युत आपूर्ति हेतु, नाबार्ड ने मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

(iv) बड़ी संख्या में ब्लाकों को 'डार्क और ग्रे क्षेत्रों' में वर्गीकृत किया है और इस प्रकार नलकूपों के वित्तपोषण को प्रतिबंधित किया गया है। गुजरात में 45 ब्लाकों को भूमिगत जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र (डार्क) के रूप में तथा 35 को उपर्युक्त की तुलना में भूमिगत जल का थोड़ी कम कमी वाले क्षेत्र (ग्रे) के रूप में (1994 में वर्गीकृत किए गए अनुसार) वर्गीकृत किया गया है। नाबार्ड ने राज्य सरकारों से उन क्षेत्रों (पाकेटों) की पहचान करने के लिए मैक्रो स्तरीय अध्ययन कराने का अनुरोध किया है जहां लघु सिंचाई ढांचों की स्थापना संभव है।

(v) कानूनी उपबंधों के न होने के कारण लघु सिंचाई ढांचों का अविनियमित साइटिंग के कारण कतिपय पाकेटों में भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग हुआ है। गुजरात में राज्य के छ: जिलों में फैले 29 तालुकाओं में भूमिगत जल का उपयोग

वार्षिक रिचार्ज के 100 प्रतिशत को पार कर गया है और इस प्रकार, इन जिलों में लघु सिंचाई योजनाओं के वित्तपोषण की गुंजाईश बहुत हद तक अवरुद्ध हो गई है।

(vi) गुजरात में तटीय क्षेत्रों के बड़े भू-भागों में समुद्री जल के प्रवेश और खारेपन की समस्या है।

(vii) अनुपयोगी कूप प्रतिपूर्ति योजना (एफ डब्ल्यू सी एस) गुजरात सहित कुछ राज्यों में लागू नहीं है जिसके परिणामस्वरूप छोटे किसान के लिए कूपों की असफलता के जोखिम को उठा पाना कठिन है। नाबार्ड एफ० डब्ल्यू० सी० एस० को लागू किए जाने हेतु राज्य सरकार से बातचीत करता रहा है।

विवरण-I

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान लघु सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त का राज्यवार संवितरण

लाख रु० में

	1994-95	1995-96	1996-97
आन्ध्र प्रदेश	398	332	389
असम	4	2	5
बिहार	358	356	348
गुजरात	113	125	136
हरियाणा	7	17	19
हिमाचल प्रदेश	-	-	5
जम्मू व कश्मीर	10	6	2
कर्नाटक	971	733	850
केरल	195	297	435
मध्य प्रदेश	328	312	390
महाराष्ट्र	64	206	300
उड़ीसा	157	173	300
पंजाब	43	60	-
राजस्थान	192	220	854
तमिलनाडु	6	5	13
उत्तर प्रदेश	1535	1648	1409
पश्चिम बंगाल	44	52	27
जोड़	4425	4577	5282

विवरण-II

मार्च 1994, 1995 और 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार बकाया ऋण/अग्रिम

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	31.03.94 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण और अग्रिम		31.03.95		31.03.96	
		खातों की सं०	राशि	खातों की सं०	राशि	खातों की सं०	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	366014	13243.98	265856	10057.04	266495	11232.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	4585	171.10	5757	204.04	-	-
3.	असम	74544	2594.84	77052	2936.49	81262	3823.99
4.	बिहार	279179	6284.00	507874	12068.31	617720	17196.28
5.	गुजरात	77270	2564.91	77060	3104.26	94323	4336.34
6.	हरियाणा	26793	1331.60	46722	2109.00	47665	2393.27
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	13315	669.83
8.	जम्मू एवं कश्मीर	7489	288.10	-	-	7047	371.00
9.	कर्नाटक	151659	4965.23	145038	5574.23	171374	7242.46
10.	केरल	41264	894.00	42155	1029.00	37097	1809.60
11.	मध्य प्रदेश	424542	11870.09	512416	14031.94	432316	14901.85
12.	महाराष्ट्र	99308	3542.58	104634	4022.01	106456	3912.63

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मणिपुर	-	-	686	30.32	-	-
14.	मेघालय	18299	805.20	-	-	20734	1172.12
15.	मिजोरम	-	-	-	-	10393	1009.25
16.	नागालैण्ड	1170	70.51	1187	72.15	1188	84.98
17.	उड़ीसा	188626	3738.47	348588	7990.09	391590	9326.32
18.	पंजाब	47360	2267.25	28922	1639.50	35901	1838.00
19.	राजस्थान	206748	6655.94	207988	7708.82	193040	8517.65
20.	तमिलनाडु	28369	1105.74	17459	875.97	42756	2209.98
21.	त्रिपुरा	101610	2649.22	105367	3075.09	106531	3478.76
22.	उत्तर प्रदेश	434349	16188.03	659310	28118.30	687482	33595.53
23.	पश्चिम बंगाल	97327	2414.28	322259	9063.42	399998	12547.52
	योग	2676505	83645.13	3476330	113709.98	3764683	141670.30

[अनुवाद]

बैंकों पर निगरानी रखने हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ

*149. **श्री मृत्युन्जय नायक :***

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बैंकों पर निगरानी रखने हेतु एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ को गठित करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा प्रस्तावित प्रकोष्ठ के कार्य और इसकी संरचना क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की निगरानी के लिए सतर्कता कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नवरत्नों को स्वायत्तता

*150. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :***

श्री संदीपान थोरात :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से नौ नवरत्नों को प्रचालन सम्बन्धी पूर्ण स्वायत्तता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धन के किन-किन क्षेत्रों में यह स्वायत्तता दी जायेगी;

(ग) क्या उक्त नवरत्नों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के मामले में वर्तमान नीति से भिन्न कोई नीति अपनाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या उक्त उद्यमों को सरकार की सतर्कता, लेखापरीक्षा और जांच एजेंसियों की परिधि से बाहर रखने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (नवरत्नों) को कतिपय शर्तों एवं दिशानिर्देशों के अध्याधीन अधिकाधिक स्वायत्तता तथा प्रचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान की है। पूंजीगत व्यय, प्रौद्योगिकी से संबंधित संयुक्त उद्यमों की स्थापना अथवा रणनीतिक करार निष्पादन, प्रौद्योगिकी एवं तकनीक अधिप्राप्ति, संगठनात्मक पुनर्गठन, निदेशक मंडल स्तर तक के सभी पदों का सृजन एवं समापन, कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबन्धन सम्बन्धी योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से पूंजी संग्रहण, कतिपय वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत वित्तीय संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों की स्थापना आदि के मामले में अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) पूर्णकालिक निदेशकों तथा अंशकालिक सरकारी निदेशकों का चयन एवं उनकी नियुक्ति की वर्तमान पद्धति को ही जारी रखा जाएगा बहरहाल, इन नवरत्नों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों का चयन सरकार द्वारा गठित एक खोज समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि अनिन्द्य छवि एवं उपयुक्त पृष्ठभूमि वाले व्यावसायिक अंशकालिक सरकारी निदेशकों के समावेश का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(ङ) और (च) वर्तमानत: उक्त उद्यमों को सतर्कता, लेखा परीक्षण एवं अन्वेषण सम्बन्धी सरकारी संस्थाओं के विचार-क्षेत्र से बाहर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति

*151. **श्री बाजू बन रिबान :***

डा॰ अरुण कुमार शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई पृथक औद्योगिक नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) इस नई नीति से क्या लाभ होने की आशा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अलग औद्योगिक नीति बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस बारे में अंतिम निर्णय शीघ्र लेने की आशा है। उक्त नीति पैकेज से पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित औद्योगिक विकास होगा।

स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

*152. **डा॰ एम॰ जगन्नाथ** :

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात नीति योजना 1996-97 के अन्तर्गत एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ द्वारा निर्यातकों को स्वर्ण आभूषण तैयार किए जाने हेतु सोने को ऋण पर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आभूषण तैयार करने हेतु जुलाई, 1997 तक कुल कितनी मात्रा में सोना दिया गया है;

(ग) क्या दुबई को निर्यात किए गए आभूषण नकली थे तथा इन्हें एक वर्ष पश्चात् वापस भेज दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी फर्मों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। एक्जिम नीति 1992-97 के अन्तर्गत एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ एक नामित एजेंसी के रूप में विशेषीकृत बैंक गारंटी पर स्वर्ण आभूषण के निर्माण और निर्यात के लिए ई.पी.जेड./ई.ओ.यू. और डी.टी.ए. में निर्यातकों को ऋण आधार पर सोना जारी कर रही थी और 1996-97 में उसने ऐसा करना जारी रखा। एम.एम.टी.सी. द्वारा 1997 में निर्यातकों को स्वर्ण आभूषण निर्माण करके निर्यात करने के लिए सप्लाई किया गया कुल सोना 15.7.1997 तक 5091 कि॰ग्रा॰ है।

(ग) से (ङ) फरवरी, 1996 में दो पार्टियों के पांच निर्यात पार्सल जांच के लिए दुबई से भारत मंगवाए गए थे। इन पार्सलों को राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई) तथा सीमाशुल्क विभाग के केन्द्रीय आसूचना एकक के अधिकारियों की उपस्थिति में खोला गया। इन पार्सलों में अनियमितता पाई गई। इन पार्टियों के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग और डी. आर. आई. ने जांच शुरू कर दी है।

बैंक घोटाले

*153. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने घोटाले हुए हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या तरीका अपनाया गया;

(ग) इन घोटालों में संलिप्त बैंक अधिकारियों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) प्रत्येक घोटाले के संबंध में जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा जनता को एक त्रुटि-रहित बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (च) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त राशि और धोखाधड़ियों में संलिप्तता के लिए चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :-

	1994	1995	1996
धोखाधड़ियों की संख्या	2266	1890	1954
अन्तर्ग्रस्त राशि	20007.88	11551.12	31937.63
(लाख रू॰ में)	यू.शि. 9844000		
अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई			
(क) दोषी ठहराए गए कर्मचारियों की सं॰	50	33	46
(ख) बड़े/छोटे दंड दिए गए कर्मचारियों की सं॰	1248	1160	1207
(ग) बर्खास्त/उन्मुक्त/हटा दिए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	331

धोखाधड़ी के लिए प्रयोग में लाए गए कुछ तरीके ये हैं- जाली लिखतों के माध्यम से जमा खातों से निकासी, फर्जी नामों से खाते खोलकर परक्राम्य लिखतों की धोखाधड़ीपूर्ण भुनाई, लेखा बहियों में हेरफेर के माध्यम से दुर्विनियोजन, लेनदेनों की निकासी में धोखाधड़ी/उधार देने के/विवेकाधीन अधिकारों का दुरुपयोग/अतिक्रमण और जाली आयात बिल प्रस्तुत करके विदेशी मुद्रा में धोखाधड़ी आदि।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में ये शामिल हैं: बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर बी आई द्वारा व्यापक दिशानिर्देश जारी करना, आर बी आई द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की पुनरीक्षा करना,

बैंकों को विशिष्ट मामलों में कार्य प्रणाली से अवगत कराना और साथ ही उनकी पुनरावृति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षोपाय करना, परिचालनात्मक कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण, बड़ी धोखाधड़ियों के सूचित किए गए मामलों की जांच और संवीक्षा तथा साथ ही आर बी आई द्वारा धोखा-धड़ी की बहुलता वाले क्षेत्रों में प्रणालियों और प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण।

वित्तीय घाटा

*154. **श्री अशोक प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के वित्तीय घाटे में वर्ष-वार कितनी कमी की गई है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सूत्रों ने यह कहा है कि भारत का वित्तीय घाटा अधिक रहने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारत सरकार का राजकोषीय घाटा, जो कि 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.4 प्रतिशत था, वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (सं.अ.) में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.1 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत हो गया।

(ख) जुलाई, 1997 में भारत से परामर्श के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह मत व्यक्त किया है कि यद्यपि भारत का समग्र आर्थिक निष्पादन व्यापक रूप से अनुकूल रहा है, फिर भी यदि प्रत्याशित राजस्व प्राप्तियों को हासिल नहीं किया जा सका तो 1997-98 के राजकोषीय घाटे में लक्षित कमी को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

(ग) 1997-98 (ब.अ.) में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार प्राप्तियां बढ़ाकर एवं व्यय को नियंत्रित करके राजकोषीय घाटे में कमी लाने का प्रयास करेगी।

एन्टी-डम्पिंग शुल्क

*155. **लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :**

श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आयोग ने पाकिस्तान से आयातित माल पर 8.2 प्रतिशत आयात शुल्क की दर की तुलना में भारत से कॉटन टाइप बैड 'लिनेन' और अनब्लीच्ड कॉटन ग्रे फैब्रिक्स के आयात पर 27.3 प्रतिशत की अधिकतम दर पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसका उक्त उत्पाद के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस मामले को यूरोपीय आयोग के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) यूरोपीय आयोग (ई० सी०) ने भारत से आने वाली सूती टाइप की बिछावन की चादर के आयात पर 3.9 प्रतिशत से 27.3 प्रतिशत तथा पाकिस्तान से आने वाली उक्त चादर पर 6.5 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत तक की दरों पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क 13 जून, 1997 से छह महीनों की अवधि के लिए लागू हुए हैं। इन उपायों से भारतीय निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि बिछावन की चादर यूरोपीय संघ के बाजारों में हमारे वस्त्र निर्यात का महत्वपूर्ण भाग है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारतीय दूतावास के माध्यम से यूरोपीय संघ के साथ इस मामले को उठाया है लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

फालतू अपशिष्ट पदार्थों को भारत भेजना

*156. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश अपने विषैले अपशिष्ट पदार्थ, इलैक्ट्रानिक ग्रेफाइट इत्यादि को हमारे देश में भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पाटन के आरोपों की जांच करते हैं। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को राजपत्र अधिसूचना के द्वारा घोषित किया जाता है और इसकी अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को विषैले अपशिष्ट पदार्थ और इलैक्ट्रानिक ग्रेफाइट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। किन्तु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यू.एस.ए, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोप से ग्रेफाइट इलैक्ट्राड के पाटन के आरोप के बारे में एक याचिका प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है। प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जांच परिणामों की घोषणा की है, जिसमें अनन्तिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद का उद्गम देश या जहां से निर्यात किया गया	निर्यातक का नाम	ग्रेफाइट इलेक्ट्राड का आकार	शुल्क की राशि (रु० प्रति एम टी)
1	2	3	4
जर्मनी	(क) एस जी एल कार्बन ए जी	28"-30"	शून्य
		22"-26"	9021
		अन्य सभी आकार	20933
	(ख) उपर्युक्त को छोड़कर कोई और निर्यातक	सभी आकार	20933
फ्रांस	कोई निर्यातक	सभी आकार	29695

1	2	3	4
इटली	कोई निर्यातक	सभी आकार	21645
आस्ट्रिया	कोई निर्यातक	सभी आकार	27347
स्पेन	कोई निर्यातक	सभी आकार	17125
बेल्जियम	कोई निर्यातक	सभी आकार	16918

न्यायाधीशों की नियुक्ति

*157. **श्री प्रमोद महाजन :**

श्री बृज भूषण तिवारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 1993 के उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय का आम जनता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) और (ख) सरकार ने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के स्थानांतरण की विद्यमान पद्धति में परिवर्तन करने के लिए, एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पुर:स्थापित करने का विनिश्चिय किया। सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि इसे किसी विरोधाभास की सीमा से बाहर रखने की दृष्टि से, संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्टत: और असंदिग्ध रूप से दोहराने और व्याख्या करने के लिए संविधान का संशोधन किया जाए। तदनुसार, संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 मार्च, 1997 में लोक सभा के सदस्यों को परिचालित किया गया था।

(ग) प्रारूप विधेयक के उपबंधों के बारे में, संसद सदस्यों, विधिक और संवैधानिक विशेषज्ञों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिक्रियाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

संप्रति, 1993 से न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में यथास्थिति बनाए रखी गई है।

क्षेत्रीय असंतुलन

*158. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण से देश में क्षेत्रीय असंतुलन ही बढ़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो यह दर्शाने के लिए क्या मानदण्ड हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन कम हुए हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सूचकों संबंधी सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जा रही है। तथापि, उदारीकरण अवधि (1990-91) से पूर्व तथा 1993-94 के दौरान प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े देश भर के राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस मुक्त की प्रक्रिया के तहत अवस्थिति संबंधी निवेशकर्ता के वाणिज्यिक दृष्टिकोण पर छोड़ दिए गए हैं।

ग्रेनाइट का निर्यात

*159. **श्री के॰ पी॰ सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों को ग्रेनाइट का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रेनाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) घरेलू ग्रेनाइट प्रसंस्करण इकाइयों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जिन देशों को विभिन्न रूपों में ग्रेनाइट का निर्यात किया जाता है, वे हैं : इटली, चीन जनवादी गणराज्य, जापान, बेल्जियम, ताइवान, संयुक्त राज्य अमरीका, थाइलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यू.के., संयुक्त अरब अमीरात तथा नीदरलैंड।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

*160. **जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिये गये हैं कि उनके द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का 40 प्रतिशत वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं और उक्त निदेश बैंकों को कब दिए गए थे;

(ग) क्या बदलती हुई वर्तमान परिस्थितियों में उद्योग और कृषि के विकास के लिए उन्हें प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया है तथा इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बारे में बैंकों को ये निदेश जारी करने का है कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अपने ऋणों के प्रतिशत में वृद्धि करें;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लाभार्मिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शुद्ध बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता-क्षेत्र को दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एंव 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्य पद्धति संबंधी कार्यदल' की रिपोर्ट के अनुसरण में, अक्तूबर 1980 में बैंकों से कहा गया था कि वे मार्च 1985 तक शुद्ध बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लें। प्राथमिकता क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खंडों के तहत कमजोर वर्गों और छोटे ऋणकर्ताओं को सहायता देना है। 40 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में मार्च 1995, मार्च 1996 और मार्च 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण निम्नलिखित हैं :

अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का प्रतिशत
मार्च 1995	36.56
मार्च 1996	37.75
मार्च 1997	41.72

(ग) और (घ) प्राथमिकता क्षेत्र के तहत, बैंकों से कहा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए कृषि के लिए 18 प्रतिशत का उप-लक्ष्य प्राप्त करें। लघु क्षेत्र को ऋण भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का एक भाग है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए लक्ष्य को पर्याप्त समझा गया है। इस समय शुद्ध बैंक ऋण के 40 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रारंभ में लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण शिल्पियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों वाले लक्ष्य समूह को ही ऋण देने की अनुमति दी गई थी। तदुपरांत, उन्हें वर्ष के दौरान अपने वृद्धिशील ऋण के 60 प्रतिशत तक गैर-लक्ष्य समूह के ऋणकर्ताओं को देने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1997 में पुनरीक्षा के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि 1 अप्रैल, 1997 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अग्रिम राशियां उनकी बकाया राशियों का 40% होना चाहिए जैसाकि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में होता है। दिनांक 26 अगस्त, 1996 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ब्याज दरें अविनियमित कर दी गई हैं। घाटे वाली शाखाओं को दूसरे स्थान पर खोलना, शाखा लाइसेंसिंग नीति को और अधिक उदार बनाना, व्यवसाय (निधि एवं गैर निधि) के लिए बेहतर सुविधा, अधिशेष निधियों का निवेश तथा लेन-देन लागतों में कमी सहित इन उपायों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभप्रदता बढ़ने की आशा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि

1546. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान माह-वार कुल कितनी धनराशि जमा की गई;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान प्रति माह कुल कितना ऋण पेशगी के रूप में दिया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है परन्तु वे बढ़ती जमाराशियों के लिए लाभकर क्षेत्र खोलने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बढ़ती जमाराशियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य बीमा योजना कंपनियों के लिए मार्गनिर्देश

1547. श्री भक्त चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए कुछ मार्गनिर्देश निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मार्गनिर्देश कब से लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) विद्यमान बीमा कानूनों के अंतर्गत साधारण बीमा कारोबार पर साधारण बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी कंपनियों का एकाधिकार है। सरकार के बजट भाषण में साधारण बीमा उद्योग को संयुक्त उद्यमों के संचालन में समर्थ बनाने और साथ ही स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में चुनिंदा भारतीय कंपनियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने की मंशा घोषित हुई है। बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सभी स्वास्थ्य बीमा सेवा संभरकों के लिए व्यापक विनियम बनाए और लागू किए जाएंगे।

घरेलू बचतों के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्ययन

1548. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घरेलू बचत संबंधी भारतीय उद्योग परिसंघ

ने भारत में कम बचत अनुपात को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन में यह कहा गया है कि अधिक घरेलू बचत काफी हद तक बाह्य जिम्मेदारी पर प्रतिबंध लगाती है तथा विदेशी बचत की परतंत्रता कम करती है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन संबंधी रिपोर्ट में अन्य क्या सुझाव दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनकी जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) देश में बचतों के संग्रहण को बढ़ाने के लिए अध्ययन रिपोर्ट में किए गए अन्य प्रमुख सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ बचतों को जुटाने के लिए वित्तीय संस्थानों की प्रभावकारिता और कार्य कुशलता को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बचत संभावनाओं का इस्तेमाल, ऋण और उधार दरों पर से नियन्त्रण हटाना, सरकार द्वारा बचत न करने की बढ़ती हुई प्रवृति पर रोक लगाना और राजकोषीय व राजस्व घाटे में कमी करना शामिल है।

(घ) और (ङ) 1997-98 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में विभिन्न उपाय/नीतिगत परिवर्तन शामिल हैं जिनसे बचतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। नीतिगत परिवर्तन करते समय विभिन्न संस्थानों/व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों पर उभरती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर विचार किया जाता है।

कानून मंत्रियों के सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश द्वारा दिया गया सुझाव

1549. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए कानून मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ गठित करने तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव क्या हैं;

(ख) इन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने न्यायिक सुधारों में धीमी प्रगति के संबंध में कटु आलोचना की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक छः सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों, जिसमें आन्ध्र प्रदेश भी है, में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए विभिन्न विधिज्ञ संगमों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से समय-समय पर, अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियत करें। अतः मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, इस संबंध में, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अनुध्यात नहीं की जाती है।

सभी उच्च न्यायालयों, जिसमें आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भी है, के न्यायाधीशों का पुनरीक्षण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1995 में किया गया था। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, तदनुसार, 36 स्थायी/अपर न्यायाधीशों से बढ़ाकर 39 स्थायी/अपर न्यायाधीश कर दी गई थी। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का अगला पुनरीक्षण 1998 में होना है।

(ग) राज्य सरकार ने, न्यायालयों में मामलों के निस्तारण में विलंब पर चिंता व्यक्त की है और यह सुझाव दिया है कि अपनी न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, छह राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और राजस्थान के विधि मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी।

[हिन्दी]

राजस्थान को विश्व बैंक से सहायता

1550. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति सहित परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ राज्य की लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और यह कब से लंबित है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर)

परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	राशि	31.5.97 की स्थिति के अनुसार उपयोग
1. राजस्थान ए डी पी	आई डी ए	113.41	55.904

इस राज्य क्षेत्र परियोजना के अलावा, विभिन्न बहुराज्यीय तथा केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं हैं, जिनमें राजस्थान राज्य लाभभोगियों में से एक है। इनमें एकीकृत जलसंभर विकास (मैदानी), बांध सुरक्षा, आर्थिक विकास, जनसंख्या-IX, मोतियाबिंद अंधता नियंत्रण, राष्ट्रीय कोढ़ उन्मूलन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) कई परियोजनाएं, जिनमें राजस्थान राज्य लाभभोगियों में से एक है, विश्व बैंक को संभाव्य सहायता हेतु प्रस्तुत की गई हैं। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान राज्य राजमार्ग, राजस्थान जल संसाधन समेकन, राजस्थान जल मल व्यवस्था, जयपुर जल मल निकासी तथा सफाई और राजस्थान विद्युत क्षेत्र का सुधार तथा पुनर्संरचना से संबंधित है। ये परियोजनाएं विभिन्न प्रक्रियात्मक चरणों पर हैं तथा इन परियोजनाओं के संबंध में संभाव्य राशि तथा समय सहित ब्यौरे सरकार और विश्व बैंक के बीच विभिन्न शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तथा करार के निष्पन्न होने पर निर्भर करेंगे।

[अनुवाद]

नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

1551. श्री सुरेश प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेजर रेजीडुबरी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के कार्यकरण के बारे में मार्च, 1997 से संसद सदस्यों के कितने पत्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) क्या सरकार ने उन पत्रों में उठाए गए मामले पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) इस प्रश्न का संबंध "एक मुख्य अवशिष्ट गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" से है। चूंकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह प्रश्न किस आर० एन० बी० सी० से संबंधित है, इसका उपयुक्त उत्तर तैयार करना संभव नहीं है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमि का अधिग्रहण

1552. श्री अनिल बसु : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) लीज होल्ड लैंड (2) भू-स्वामियों से प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई भूमि (3) भूमि अधिग्रहण अधिनियमों (केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों) के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि (4) सी० बी० ए० अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि (5) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त वेस्टिड भूमि (6) संबंधित राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना सहायक कंपनी-वार अपने कब्जे में रखी गई वेस्टिड भूमि के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के अधिकार में कुल कितनी भूमि है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों की वर्ष-वार और सहायक कंपनीवार संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से अब तक कितने परिवारों को पुनर्वास प्रदान किया गया है;

(घ) अभी पुर्नवास प्रदान किए जाने हेतु दावेदारों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन्हें पुनर्वास प्रदान करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; तथा सभी परिवारों को कब तक पुनर्वास किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में धोखाधड़ी

1553. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त** मंत्री "बिहार में धोखाधड़ी" के बारे में 14 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3273 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 6.11.1996 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार में बिहार राज्य सहकारी बैंक (बीएससीबी) द्वारा अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते डाली गई 257 करोड़ रुपये की राशि का हवाला दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बीएससीबी ने अशोध्य ऋण के रूप में किसी ऋण को बट्टे खाते नहीं डाला है। तथापि, वर्ष 1993-94 के लिए बैंक की विभागीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, जो मार्च, 1996 में प्राप्त हुई थी, से पता चला है कि 1986-87 और 1987-88 में चार क्षेत्रीय बुनकर संघों को 1.45 करोड़ रुपये की राशि के ऋणों की मंजूरी प्रदान करते समय कतिपय अनियमितताएं हुई हैं। बी एस सी बी ने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर और सत्यापनों के आधार पर, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने का निर्णय लिया है। सूचना मिली है कि इस मामले पर बिहार राज्य सरकार के सहकारी विभाग के सतर्कता कक्ष द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है।

रबड़ प्रसंस्करण एकक

1554. श्री टी० गोविन्दन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक रबड़ प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार, रबड़ आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसी अनुमति अथवा औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सरकार केरल में रबड़ प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

1555. श्री हाराधन राय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 49.50 करोड़ रुपये की प्रति गारंटी जैसा कि दिनांक 9.5.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5498 के उत्तर में दर्शाया गया था, वित्तीय संस्थाओं से कंपनी द्वारा पहले लिए गए ऋण से संबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को बैंकों से इस प्रति गारंटी के बदले में आगे और कोई कार्य पूंजी प्राप्त नहीं हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 1990 से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया से 49.50 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही है। तथापि, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर सरकार ने उक्त राशि की काउंटर गारंटी दी है। बैंक द्वारा उपर्युक्त के अलावा किसी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की स्वीकृति नहीं दी गई है।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

1556. श्री जी० ए० चरण रेड्डी :

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस सहायता का कितना उपयोग किया गया;

(ख) क्या मई, 1997 के दौरान विश्व बैंक के एक दल ने कोई चर्चा की थी और राज्यों को दी गई सहायता के उपयोग की विधियों की भी चर्चा की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने विश्व बैंक ऋण जारी करने के लिये धन के उपयोग और राज्य में स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन मशीनरी के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा दिये गये प्रमुख सुझाव क्या हैं और इन्हें अमल में लाने के लिए राज्य सरकार कहां तक सहमत हुई है;

(ङ) विश्व बैंक कुल कितना ऋण देने पर सहमत हुई है; और

(च) इस ऋण का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य ने विश्व बैंक की सहायता से चल रही चालू राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(मिलियन अमरीकी डालर)

	परियोजना का नाम	राशि	93-94	94-95	95-96
1.	आंध्र प्रदेश प्रथम परामर्शी स्वास्थ्य व्यवस्था	125.68	1.50	0.49	6.12
2.	आंध्र प्रदेश वानिकी	77.64	5.46	2.60	14.08
3.	हैदराबाद जलापूर्ति	89.36	2.60	8.22	16.47
4.	आंध्र प्रदेश सिंचाई III	325.00	ऋण दिनांक 3.7.97 से घोषित किया गया है।		
5.	आंध्र प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण आपातकालीन चक्रवात	150.00	यह ऋण अभी प्रभावी नहीं है।		

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कई परियोजनाओं को जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य लाभभोगी हो सकता है, संभाव्य सहायता हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना, आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार, हैदराबाद जलापूर्ति II और जिला गरीबी उपक्रमण परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं विभिन्न प्रक्रियात्मक चरणों में है तथा इन परियोजनाओं के संबंध में संभाव्य राशि तथा समय सहित ब्यौरे सरकार तथा विश्व बैंक के बीच विभिन्न शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तथा करार निष्पन्न होने पर निर्भर करेंगे।

विदेश व्यापार संबंधी अवरोध

1557. श्री विजय गोयल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल,1997 के "इकोनामिक टाइम्स" में विदेश व्यापार संबंधी अवरोध पर अमरीकी सरकार के रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि अमरीका को किए जाने वाला निर्यात प्रभावित न हो तथा भारत कुशलतापूर्वक अपने हितों की रक्षा कर पाए तथा विश्व व्यापार संगठन द्विपक्षीय परामर्श में सफलतापूर्वक वार्ता कर सके, क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार प्रतिनिधि (यू॰ एस॰ टी॰ आर॰) द्वारा विदेशी व्यापार अवरोधों पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसकी सरकार में जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए संभव कदम उठाए जा सकें कि एकतरफा कार्रवाई से बचा जाए तथा भारत-अमरीकी द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को जारी रखा जा सके।

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाती है कि संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले निर्यात में कोई बाधा नहीं पहुंचे और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपने विश्लेषणों के आधार पर की गई कोई भी कार्यवाही डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ करार के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, सरकार यू॰ एस॰ ए॰ सहित भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों द्वारा लगाए जाने वाले गैर-टैरिफ अवरोधों की भी स्वत: ही पहचान करती है। इन अवरोधों को तब हमारे व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है कि भारतीय निर्यातकों की बाजार पहुंच में अकारण रुकावट न हो। किसी विसंगति अथवा भेदभाव के मामले में, भारत को समाधान हेतु डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ विवाद निपटान तंत्र में जाने का अधिकार है।

[हिन्दी]

दिल्ली और कर्नाटक में निर्यातोन्मुखी इकाइयां

1558. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री विजय संकेश्वर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और कर्नाटक में गठित की गई निर्यातोन्मुखी इकाइयों की संख्या क्या है और उनकी निर्यात वचनबद्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) अपनी निर्यात वचनबद्धता पूरी करने में जो इकाइयां समर्थ हुई हैं उनका ब्यौरा क्या है और निर्यात के माध्यम से उनको होने वाली आय क्या है;

(ग) अपनी निर्यात वचनबद्धता पूरी कर पाने वाली इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन निर्यातोन्मुखी इकाइयों के कार्य की निगरानी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार, 28 निर्यात अभिमुख एकक दिल्ली में उत्पादन कर रहे थे और 152 निर्यात अभिमुख एकक कर्नाटक में उत्पादन कर रहे थे। इस योजना के लिए अनुमोदन मांगते समय निर्यात अभिमुख एकक अपने 5 वर्षों की अवधि के निर्यात अनुमानों का ब्यौरा देते हैं जो विभिन्न इकाइयों का भिन्न-भिन्न होता है। तथापि, एक्जिम नीति के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ई॰ ओ॰ यू॰ से अपेक्षा की जाती है कि वह नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए अनुसार 5 वर्षों के दौरान अपने उत्पादन के पांत पर्यान्त नि:शुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्धारित मात्रा का निर्यात करेंगे।

(ख) निर्यात अभिमुख एककों के पास निर्यात अनुमानों को पूरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि होती है। तथापि, उनके कार्य निष्पादन की मॉनीटरी वर्षानुवर्ष आधार पर की जाती है बशर्ते कि उन्होंने अपने उत्पादन का एक वर्ष या उससे अधिक पूरा कर लिया हो। तदनुसार दिल्ली और कर्नाटक में कुल 180 इकाइयों में से 126 इकाइयों के निर्यात निष्पादन की 1995-96 की अवधि में की गई मॉनीटरी से पता चलता है कि 69 इकाईयों ने अपने निर्यात लक्ष्य 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक प्राप्त किए हैं। इस अवधि के दौरान इन इकाईयों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य दिल्ली में स्थित ई ओ यू इकाइयों का 102.79 करोड़ रु॰ था और कर्नाटक में स्थित इकाइयों के संबंध में 807.84 मिलि॰ अमरीकी डालर था।

(ग) 57 इकाइयों ने अपने निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में 50 प्रतिशत से अधिक कमी दर्शाई है। इनका मुख्य कारण पर्याप्त बाजारों का अभाव और प्रबंधकीय/वित्तीय समस्याओं का होना था।

(घ) सरकार द्वारा निर्यात अभिमुख इकाइयों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास आयुक्तों की मॉनीटरी रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक तौर पर की जाती है। चूंकि इकाइयों के पास अपने निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कम से कम 5 वर्ष की अवधि होती है इसलिए उपलब्धि में नाममात्र की कमी वाले मामलों की निगरानी विकास आयुक्तों द्वारा की जाती है जबकि गंभीर चूक वाले मामले विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत विदेश व्यापार महानिदेशक को दण्डात्मक कार्रवाई के लिए भेज दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में ऋण वसूली

1559. श्री सुरेश आर॰ जाधव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विशेष रूप से जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली का ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में ऋणों की वसूली कितनी कम या अधिक है; और

(ग) सरकार ने राज्य के जनजातीय लोगों को और अधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम (केरल) में भारतीय स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्य कार्यालय

1560. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से त्रिवेन्द्रम में भारतीय स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्य कार्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) हालांकि केरल सरकार ने केरल के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) के लिए एक अलग सर्किल स्थापित करने का अनुरोध किया है, तथापि फिलहाल, एस बी आई का केरल के लिए अलग सर्किल स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, अंचलीय कार्यालयों के प्रभारी उपमहाप्रबंधकों के विवेकाधिकारों में पर्याप्त वृद्धि की गई है और कुछ शाखाएं स्थानीय प्रधान कार्यालय (केरल राज्य में स्थित शाखाएं चेन्नई सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है) के अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कर दी गई है। इस व्यवस्था से ऋण और सामान्य दोनों प्रकार के विषयों के निर्णयों को गति मिलेगी।

एण्ड्रयू यूल कंपनी समूह

1561. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एण्ड्रयू यूल कंपनी समूह के कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध विरोध जताने के लिए पहली बार हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय अनियमितताओं के ब्यौरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त कार्रवाई समिति की अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है और एण्ड्रयू यूल कंपनी के क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध विरोध जताने के लिए एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (ए॰ वाई॰ सी॰ एल॰) को हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त कार्रवाई समिति (जे॰ ए॰ सी॰) की अन्य मांगें मुख्य रूप से कंपनी के इंजीनियरी प्रभाग को अलग करने और इसे संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने से संबंधित हैं। संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि उक्त प्रस्ताव पर पुन: विचार किया जाए और इंजीनियरी प्रभाग के प्रचालनों को जैव्य बनाने के लिए अर्थोपायों का पता लगाया जाए। कंपनी के प्रबंधन ने यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया और वित्तीय तथा व्यवसायिक पुनर्संरचना की अत्यावश्यकता को स्पष्ट करते हुए उनसे सक्रिय सहयोग की मांग की। यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मामले का अध्ययन करने और अगली बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय मांगा।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंदौर की बंद कपड़ा मिलें

1562. श्री सुशील चन्द्र : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर में बंद पड़ी कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं तथा किन-किन मिलों के मामले बी आईएफआर के विचाराधीन हैं और इन मिलों के मामले कब से विचारार्थ हैं;

(ख) कितनी मिलों को फिर से चालू करने के संबंध में निर्णय लिया गया है और क्या उन्हें पुन: चालू करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु प्रबंध किए गए हैं; और

(ग) रूग्ण मिलों में से इंदौर की वे कितनी कपड़ा मिलें हैं जिनके कामगारों के वेतन और वित्तीय देयता पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी भूमि बेचने की इजाजत दी गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा): (क) और (ख) इस समय इंदौर में दो मिलें अर्थात मै॰ होप टेक्सटाइल्स तथा मै॰ हुकुमचन्द मिल्स हैं तो क्रमश: 6.6.86 तथा 9.12.91 से बंद बतलाई गई हैं। ये मिलें 1987 से औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास भी पंजीकृत हैं। बी आई एफ आर ने मै॰ होप टेक्सटाइल्स के संबंध में एक मसौदा योजना की सिफारिश की है तथा हुकुमचन्द मिल को बंद करने की सिफारिश की है।

(ग) आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

केरल बोर्ड का राजस्व उन्मूलन विधेयक, 1996

1563. श्री एन॰ एन॰ कृष्णा दास : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अर्थात् "द केरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू अबोलिशन बिल, 1996" प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) जी, हां।

(ख) विधेयक के उपबंधों की केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

सीआरबी घोटाले की जांच

1564. श्री चित्त बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) *क्या सीआरबी कैपिटल लि॰ का जांच कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है;*

(ख) *यदि हां, तो सरकार को इसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की* संभावना है;

(ग) क्या जांच पर निगरानी रखी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस एजेंसी/एजेंसियों के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ) सी आर बी कैपिटल मार्केट्स लि॰ (सीआरबीसीएमएल) के मुख्य कार्य थे- किराया-खरीद, पट्टा, वित्त और मर्चेंट बैंकिंग। सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि॰ द्वारा जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक के बारे में भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि॰ से भारतीय रिजर्व बैंक को दिसम्बर, 96 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि॰ ने भी एक ग्रुप कंपनी द्वारा खोले गए साख पत्र की सुपुर्दगी के बारे में मार्च, 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है। इसके अतिरिक्त, सीआरबीसीएमएल ने धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से 58 करोड़ रू॰ की राशि से अधिक के ब्याज वारंट व जमाराशि वापसी और ब्रोकरेज वारंटों के भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई मुख्य शाखा में अपने खाते से जमाराशि से अधिक आहरित किया था। नवम्बर, 1996 से जनवरी, 1997 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों और बाद के परिणामों, खासकर भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े परिणामों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिनियम की धारा 45 एमबी (1) और (2) के अन्तर्गत अप्रैल, 1997 में निषेधात्मक आदेश जारी किए जिसमें कंपनी को किसी प्रकार की अन्य जमाराशियां स्वीकार करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना किन्ही आस्तियों का स्वत्वाधिकार अंतरण करने से रोक दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21.5.1997 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एमसी के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक परिसमापन याचिका दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनन्तिम परिसमापक नियुक्त किया है। परिसमापक ने कंपनी की आस्तियों और देयताओं के निर्धारण की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इन गतिविधियों पर विचार करते हुए, सरकार ने नियंत्रकों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा है कि वे इन कंपनियों के संबंध में नियंत्रक कार्रवाईयों की पूर्ण आन्तरिक पुनरीक्षा यह देखने के लिए करें कि सीआरबी कंपनी समूह पर विनियमों को लागू करने अथवा चेतावनी संकेतों को लागू करने में कोई चूक हुई है, जिससे कि इन कमियों को दूर किया जा सके। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक से यह भी कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि क्या सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि॰ के साथ हुई भुगतान व्यवस्था में चूक से उत्पन्न हुई पहली चेतावनी पर कार्रवाई करने में आन्तरिक असफलता थी। परिचालन स्तर पर एक अन्तर-विभागीय समूह जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, का गठन समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनमें कंपनियों को "सममूल्य पर" भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराते समय किए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी सुरक्षापायों को निर्धारित किया गया है।

जहां तक आपराधिक जांच और अन्य कानूनी कार्यवाहियों का संबंध है, इस समय उनकी पूर्ति हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएं

1565. डा॰ राम विलास वेदान्ती :

डा॰ सोहनवीर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में विकलांग कर्मचारियों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन कितने विकलांग युवकों की नियुक्ति की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेशम का उत्पादन

1566. श्री सोहनवीर सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने रेशम का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने रेशम उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) 8वीं योजना अवधि के लिए प्रतिवर्ष 21,400 टन अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान 14,093 टन (अनंतिम) अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन हुआ था।

(ग) और (घ) राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी) रेशम की सभी चारों किस्मों के विकास का संवर्द्धन करने के लिए अनेक योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। इनमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के नेटवर्क के माध्यम से इस क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास के विस्तार, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा विस्तार सहायता योजनाएं और गुणवत्ता की रेशम के उत्पादन के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन की तकनीकें अपनाने

को प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित विकासात्मक/प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्यों के साथ/सहयोग से विश्व बैंक सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (17 राज्य शामिल हैं), पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों के लिए कार्य योजना आदि जैसी रेशम उत्पादन परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

भारतीय पटसन निगम के क्रय केन्द्र

1567. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से संसद के निरंतर अनुरोध के बावजूद भारतीय पटसन निगम ने अब तक पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों, असम और मेघालय में पटसन खरीद केन्द्र नहीं खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में किस निर्धारित तिथि तक ये केंन्द्र खोले जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा उन बिचौलियों के हाथों से जूट उत्पादकों को बचाने, जो उनका पटसन बहुत कम दामों पर खरीदते हैं और उसी को पटसन निगम के खरीद केन्द्रों को ऊंची कीमतों पर बेच कर पैसा कमाते हैं, के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) भारतीय पटसन निगम के पटसन क्रय केन्द्रों ने 25.7.97 से उत्तर बंगाल तथा असम में मूल्य समर्थन प्रचालनों के अंतर्गत पहले से ही खरीद करना शुरू कर दिया है। मेघालय के संबंध में जनशक्ति तथा भंडारण व्यवस्था को पूरी तरह से मुस्तैद बना दिया गया है तथा मूल्य समर्थन प्रचालन के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था भी कर दी गई है। मेघालय के बाजार में कच्चे पटसन की आवक होते ही खरीदारी शुरू हो जाएगी।

(ग) सरकार ने मूल्य समर्थन प्रचालन शुरू करने के लिए जे सी आई को आवश्यक निधियाँ रिलीज कर दी गई हैं। जे सी आई ने सीधे उपजकर्ताओं से पटसन की खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश करने की कार्य योजना बनाई है।

आजाद हिन्द बैंक कलकत्ता

1568. **श्री राजा रंगप्पा नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द बैंक, बर्मा में जमा धनराशि आजाद हिन्द बैंक, कलकत्ता में अंतरित कर दी गई है;

(ख) क्या आजाद हिन्द बैंक, कलकत्ता शाखा का इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया (वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक) में विलय किया गया है;

(ग) कुल कितनी धनराशि जमा की गई और आजाद हिन्द बैंक, कलकत्ता शाखा को कितनी धनराशि अन्तरित की गई;

(घ) शेष राशि का किन-किन व्यक्तियों को भुगतान किया जाना है; और

(ड.) इनकी धनराशि के भुगतान में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आरबीआई, मुम्बई में तत्कालीन आजाद हिन्द राष्ट्रीय बैंक, रंगून के नाम से कोई नकदी जवाहरात या आभूषण जमा नहीं है। आरबीआई ने आगे सूचित किया है भारतीय स्टेट बैंक से की गई पूछताछ से यह ज्ञात हुआ है कि आजाद हिन्द बैंक के इम्पीरियल बैंक में विलय के बारे में कोई रिकार्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है।

चुनाव आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन

1569. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** :

श्री काशी राम राणा:

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री हरिन पाठक :

श्री पी॰ एस॰ गढ़वी :

श्री बी॰ के॰ गढ़वी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूचियों और मतदाता पहचान पत्रों में संशोधन करने के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों का एक सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ग) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न राजनैतिक दलों के विचार सुनिश्चित करने के लिए, उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिससे कि आयोग इस निमित्त प्रस्ताव तैयार करने में समर्थ हो सके। बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्वाचक नामावालियों के और मतदाता पहचान-पत्रों के पुनरीक्षण के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कोई औपचारिक विनिश्चय नहीं किए गए थे। आयोग ने अब 1.1.1998 को अर्हता तारीख मानकर उसके प्रति निर्देश से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में (असम को छोड़कर) निर्वाचक नामावालियों का सार पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। असम में, निर्वाचक नामावालियों का गहन पुनरीक्षण प्रगति पर है।

[हिन्दी]

सॉफ्ट कोक की बिक्री

1570. **श्री ब्रज मोहन राम** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

माध्यम से बिहार सरकार को आबंटित सॉफ्ट कोक को बेचने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार को सप्लाई किए गए सॉफ्ट कोक संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब सॉफ्ट कोक के वितरण को विनियंत्रित कर दिया गया है और तदुनसार अब कोयला मंत्रालय द्वारा राज्यवार आबंटन नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विभिन्न बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों के रिक्त पद

1571. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक आफ पटियाला, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, केनरा बैंक और बैंक आफ बड़ौदा की दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं में काफी लम्बे अरसे से, अनु॰ जा॰, अनु॰ ज॰ जा॰ और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित श्रेणियों में काफी पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बकाए की स्थिति निम्नानुसार है :

	इन श्रेणियों में बकाया		
	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	अ॰पि॰व॰
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3	4	5
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2	-	9
केनरा बैंक	2	4	20
बैंक आफ बड़ौदा	-	-	3

ओरियंटल बैंक आफ कामर्स तथा स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा इन श्रेणियों में बकाया रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। अन्य दो बैंकों ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान इन रिक्तियों को भरने के लिए वे भी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय के चैम्बरों के निर्माण के लिए धनराशि

1572. **श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकीलों के कल्याण तथा कानूनी व्यवसाय में सुधार करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि को उच्चतम न्यायालय में वकीलों के लिए अतिरिक्त चैम्बरों का निर्माण कराने में उपयोग में लाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के विरुद्ध मामले

1573. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस हजारी न्यायालय में ऐसे कितने मामले चल रहे हैं जिनमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वयं लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी स्थिति, जब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उसी न्यायालय में कार्यरत हो, तो न्याय के हित में अधीनस्थ सिविल न्यायाधीश से उससे वरिष्ठ न्यायाधीश के बारे में निर्णय सुनाने की अपेक्षा करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गंगाजल का व्यावसायीकरण

1574. **श्री कचरू भाउ राउत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा जल का व्यावसायीकरण किया जा रहा है, और क्या अनेक कंपनियाँ गंगा जल की बिक्री और निर्यात के लिए बोतलें भरने के काम में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंगाजल की बिक्री परम्परागत रूप से की जा रही है। प्रेस में खबर छपी है कि वाणिज्यिक कंपनियों के जरिए इसे बोतलबंद करके निर्यात किया जा रहा

है। चालू आयात-निर्यात नीति के तहत मिनरल वाटर और वाहित जल (आई टी सी एच एस कोड : 22011000) तथा अन्य जल (प्राकृतिक जल सहित– आई टी सी एच एस कोड : 22019009) के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

[अनुवाद]

विशुद्ध पॉलीमर्स का आयात

1575. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कांदला पत्तन पर अवशिष्ट अथवा पुन: तैयार प्लास्टिक की घोषणा के अंतर्गत विशुद्ध पॉलीमर्स का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कांदला पत्तन पर स्क्रेप अथवा पुन: तैयार प्लास्टिक के रूप में घोषित विशुद्ध पालिमर्स के आयात का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

भारतीय पटसन निगम

1576. डा॰ असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के पटसन मौसम अर्थात जुलाई/जून के लिए असम में उपजाए जाने वाले टी डी 5 ग्रेड के कच्चे पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत 570 रुपये क्विंटल निर्धारित करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसरण में पटसन उपजाने वाले विभिन्न राज्यों के विभिन्न देहाती बाजारों में सभी ग्रेड के पटसन की तदनुरूपी न्यूनतम समर्थन कीमतों का निर्धारण पटसन आयुक्त द्वारा सामान्य बाजार कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) सरकार ने मूल्य समर्थन प्रचालन शुरू करने के लिए जे सी आई को आवश्यक निधियां रिलीज की हैं। जे सी आई ने कच्चे पटसन की कीमतों में गिरावट को कारगर ढंग से रोकने के लिए बाजार में प्रवेश करने की कार्य योजना बनाई है।

निर्देशक मंडल में अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति

1577. श्री एन. डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के निर्देशक मंडल में अपंग व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड के लिए निदेशक मनोनीत करने का कार्य ऐसे नामांकन करने के लिए विद्यमान संगत कानूनों के अनुसार किया जाता है। इन कानूनों में बैंकों के बोर्डों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति करने के बारे में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को निदेश

1578. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को अधिक ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निदेशों के परिणामस्वरूप कितने किसान लाभान्वित हुये हैं/होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा जारी अद्यतन अनुदेशों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋणों का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देना होता है। मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार, अनंतिम आधार पर सभी सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को दिया गया कुल अग्रिम 31,012 करोड़ रुपए (अनुबंधित 18 प्रतिशत की तुलना में निवल बैंक ऋण का 16.35 प्रतिशत), जो वर्ष 1995-96 के लिए 26,351 करोड़ रुपए पर लगभग 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, विशेष कृषि ऋण योजना एस एसी पी के अंतर्गत आर बी आई ने सभी अनुसूचित बैंकों को पिछले वर्ष किए गए संवितरणों पर 25 प्रतिशत वृद्धि दर रखने की सलाह दी है और वर्ष 1995-96 के दौरान 10,172 करोड़ रुपए की अनुमानित उपलब्धि की तुलना में चालू वर्ष में एस एसी पी के लिए 16,097 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधारिक कृषि ऋण के प्रवाह में अपेक्षित वृद्धि करने का परामर्श भी दिया है।

कृषि को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : नाबार्ड की शेयर पूंजी को अगले पाँच वर्षों में बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करना, आधारभूत परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि की स्थापना करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए चालू वर्ष के दौरान 270 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन, वाणिज्यिक और उच्च तकनीक वाली कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा

देने के लिए राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्त निगम की स्थापना और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना।

(ग) इस समय, प्रस्तावित उपायों के परिणामस्वरूप लाभान्वित हुए/लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन होगा।

[अनुवाद]

औद्योगिक लागत और मूल्य संबंधी ब्यूरो द्वारा शीतल पेय के बारे में अध्ययन

1579. श्री प्रताप सिंह सैनी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने शीतल पेय उद्योग संबंधी औद्योगिक लागत और मूल्य संबंधी ब्यूरो चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निदेश पद क्या है;

(ग) क्या बी आई सी पी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या है;

(ङ) वी आई सी पी द्वारा किन-किन भराई (बाटलर) करने वालों से जानकारी मंगाई गई है; और

(च) इस संबंध में क्या जानकारी मांगी गई और इन भराई करने वालों द्वारा क्या जानकारी उपलब्ध करायी गई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालतें

1580. डा० ए० के० पटेल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चल लोक अदालतें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में, कोई दिशा निर्देश तैयार किए गए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी नहीं। किन्तु, तिस पर भी, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों आदि के द्वारा, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में, लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। भूतपूर्व विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का और साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का (जिसके द्वारा समिति प्रतिस्थापित की गई है) यह सदैव प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालतें और अन्य विधिक सहायता कार्यक्रम चलाने में तीव्रता लाई जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा, समय-समय पर, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों आदि के लिए इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। अपनी स्व-प्रकृति के कारण ये अदालतें सचल लोक अदालतें नहीं हो सकती हैं।

हाल ही में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में 15 अगस्त, 1997 से 15 अगस्त, 1998 तक अधिकाधिक लोक अदालतें चलाने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों के निर्यात पर प्रतिबंध

1581. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1997 के "जनसत्ता" में "जड़ी-बूटियों से बनने वाली दवाओं के निर्यात पर रोक" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में उगने वाली जड़ी बूटियों और अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है जिनका उपयोग दवाओं के निर्यात में होता है;

(ग) यदि हां, तो निर्यात के लिये किन-किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(घ) दवाइयों के निर्माण में प्रयोग के लिये इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा इनके वास्तविक आवश्यकता के संबंध में क्या प्रतिवेदन है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1997-2002 की एक्जिम नीति के अंतर्गत पौधों की कुछ प्रजातियों, पौधे के भाग एवं उसके कृत्रिम रूप में एवं जंगल से प्राप्त निस्सारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। किन्तु, रेड सैंडर्स को छोड़कर उनके कृत्रिम रूपों और निस्सारणों (मूल्य वर्धित जड़ी-बूटी प्रतिपादन सहित) इन प्रजातियों के उपजाए गए प्रकार के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति प्राधिकृत अधिकारियों से प्राप्त किया हुआ उपजाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है। पौधों की ऐसी प्रजातियों की सूची "निर्यात और आयात मदों की आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 1997-2002" नामक किताब के परिशिष्ट-2 की सूची-2 में उपलब्ध है जो कि प्रकाशित दस्तावेज है।

इन पौधों की उपलब्धता एवं उनके उत्पाद तथा इनकी वास्तविक आवश्यकता के बारे में सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। किन्तु, इन प्रजातियों को निर्यात की प्रतिबंधित सूची में इस आधार पर शामिल किया गया है कि प्रकृति में उनकी उपलब्धता में भारी गिरावट आई है।

[अनुवाद]

अफीम उत्पादकों से प्राप्त अभ्यावेदन

1582. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादकों से अफीम की फसल को बीमारी लग जाने से अफीम का कम उत्पादन होने के कारण छूट देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादकों से पोस्त की फसल को कथित रूप से क्षति पहुंचने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) किसानों से 1000 से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें पोस्त की फसल को क्षति पहुंचने की सूचना दी गई थी। तथापि, विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल किए जाने पर, इन फसलों को क्षति पहुंचने की बात सत्य नहीं पायी गई। विभागीय देख-रेख में चिराई न की गई एवं क्षतिग्रस्त पोस्त की फसल को उखड़वाने के लिए किसानों से अनेकों आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन पर विचार किया गया था और किसानों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर फसल उखड़वाने का काम किया गया।

(ग) सरकार को ऐसे किसी विशेष फसल रोग की जानकारी नहीं है जिसके कारण मध्य प्रदेश में अफीम के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा हो। इसके विपरीत, फसल वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर औसत उपज अब तक सबसे अधिक अर्थात् प्रति हैक्टेयर 555 कि०ग्रा० रही है।

फोटो पहचान पत्र

1583. श्री हरिन पाठक : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा फोटो पहचान पत्रों पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से अधिकांश पहचान पत्र दोषपूर्ण हैं;

(ग) असंतोषजनक कार्य के लिए जिम्मेदार फोटो पहचान-पत्र एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इन पहचान पत्रों का इस्तेमाल आने वाले चुनावों में किया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इस निष्फल व्यय के लिए किन-किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(च) सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) संघ सरकार द्वारा, अब तक फोटो पहचान पत्रों की स्कीम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई कुल रकम की जानकारी उनसे एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, केवल 2.37 प्रतिशत पहचान-पत्र त्रुटिपूर्ण पाए गए थे।

(ग) त्रुटिपूर्ण पहचान-पत्रों के लिए, अभिकरणों को कोई संदाय नहीं किए गए हैं।

(घ) से (च) मतदान के पूर्व, पहचान-पत्रों के जारी किए जाने की पूर्वपीक्षा पर जोर दिए जाने के संबंध में, निर्वाचन आयोग के प्राधिकार का प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

विवरण

फोटो पहचान पत्रों की स्कीम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई कुल रकम दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई कुल रकम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35,10,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,28,75,120
3.	असम	12,47,23,000
4.	बिहार	35,53,92,000
5.	गोवा	55,76,000
6.	गुजरात	22,51,20,508
7.	हरियाणा	7,60,85,000
8.	हिमाचल प्रदेश	3,77,77,000
9.	कर्नाटक	22,09,53,000
10.	केरल	7,50,00,000
11.	मध्य प्रदेश	25,00,06,000
12.	महाराष्ट्र	47,98,79,884
13.	मणिपुर	2,79,10,244
14.	मेघालय	2,49,34,000
15.	मिजोरम	1,10,35,000
16.	नागालैंड	2,50,00,000
17.	उड़ीसा	17,75,00,244
18.	पंजाब	10,73,52,000
19.	राजस्थान	18,00,00,000
20.	सिक्किम	45,64,000
21.	तमिलनाडु	34,44,55,000
22.	त्रिपुरा	1,15,50,000
23.	उत्तर प्रदेश	73,68,03,000
24.	पश्चिमी बंगाल	29,91,76,000

टिप्पणी : जम्मू-कश्मीर राज्य में स्कीम को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

पूंजी लेखा परिवर्तनीयता संबंधी समिति

1584. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :**
श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री सन्तोष मोहन देव :
डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी लेखा परिवर्तनीयता संबंधी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों का ब्यौरा क्या है और समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ग) समिति की रिपोर्ट कब तक सभा पटल पर रख दिए जाने की संभावना है; और

(घ) देश की लघुतम और बृहततम आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डा॰ सी॰ रंगराजन ने 28 फरवरी, 1997 को पूंजी लेखा परिवर्तनीयता के संबंध में एक समिति नियुक्त की जिसमें (1) श्री एस॰ एस॰ तारापोर अध्यक्ष, (2) डा॰ सुरजीत एस॰ भल्ला, सदस्य, (3) श्री एम॰ जी॰ भिंड़े सदस्य, (4) डा॰ कीरिट पारीख, सदस्य और (5) श्री ए॰ वी॰ राजवाड़े, सदस्य शामिल थे। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :

(क) पूंजी लेखा परिवर्तनीयता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की समीक्षा करना तथा पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता को शुरू करने हेतु पूर्ण शर्तों का उल्लेख करना, (ख) उन उपायों की सिफारिश करना जिनको पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता को हासिल करने हेतु किया जाना चाहिए (ग) वह क्रम तथा समय सीमा विनिर्दिष्ट करना जिनमें ऐसे उपाय किये जाने हैं (घ) विनिर्दिष्ट अनुक्रमण सहित घरेलू नीतिगत उपायों और संस्थागत ढांचे में परिवर्तनों का सुझाव देना और (ङ) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिन्हें समिति विषय से संबंधित समझती हो। समिति से अपनी रिपोर्ट 30 मई, 1997 तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं।

(घ) पूंजी लेखा उदारीकरण से घरेलू संसाधनों में अनुपूरक वृद्धि हेतु पूंजी भंडार की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है जिससे कि उच्चतर वृद्धि हासिल होगी, पूंजी की लागत में कमी आएगी तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा। निवासी भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विविधीकृत पोर्टफोलियों को धारण करने की अनुमति भी मिलने की संभावना है। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से अधिक कार्यकुशल वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार तथा वित्तीय सेवाओं में विशिष्टीकरण आने की भी संभावना है।

चावल के निर्यात में नौवहन कंपनी द्वारा धोखाधड़ी

1585. **श्री के॰ पी॰ नायडू :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री एल॰ रमना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम से हाल ही में निजी नौवहन कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की गई है जो चावल की एक निर्यात खेप के साथ चम्पत हो गई;

(ख) यदि हां, तो चावल की कीमत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) एस टी सी का खाद्य मंत्रालय, बंगलादेश की सरकार के साथ दिनांक 19.7.95 को हुए 50000 मी॰ टन गैर-बासमती उसना चावल की आपूर्ति के निर्यात करार में से 11025 मी॰ टन चावल की मात्रा मैसर्स दून वैली चावल लिमि॰, करनाल द्वारा सहयोगी सप्लायर के जरिए आपूर्ति की व्यवस्था के अंतर्गत बांग्लादेश को जलयान से भेजा गया था। पार्टी द्वारा किराए पर लिया गया जलयान "एम वी यानमीत" जो लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य का 6500 मी॰ टन चावल को लाद कर गया था, बांग्लादेश की सरकार को बिना माल सौंपे चित्तगोंग पत्तन से गायब हो गया। इसी बीच में, मै॰ दून वैली चावल लिमि॰, करनाल ने मै॰ जनता बैंक, बांग्लादेश से चालाकी से एल/सी आबंटन अनुबंध का घोर उल्लघंन कर भुगतान प्राप्त कर लिया। खाद्य मंत्रालय, बंगलादेश ने संविदा के अंतर्गत एस टी सी को देय भुगतानों से मै॰ दून वैली लिमि॰ को उनके द्वारा पहले ही भुगतान किए माल की कीमत की वसूली कर ली। चूंकि मै॰ दून वैली राइस लिमि॰ माल को बांग्लादेश की सरकार को सौंपने में असफल रहा। जिसके फलस्वरूप उनकी ओर से निर्यात दायित्व को पूरा करने में गलती हुई है, इसलिए पार्टी माल के निर्यात से प्राप्त धन को एस टी सी को वापस करने के लिए जिम्मेदार है जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(ग) ऐसे जोखिम को कम करने के लिए पोतलदान के मामले में एस॰ टी॰ सी॰ की सहायता के लिए पोतलदान परामर्शदाता की नियुक्ति के अलावा एस॰ टी॰ सी॰ द्वारा, खासकर बीमा कवर के स्वरूप और पोतलदान कंपनियों की श्रेणी इत्यादि पर भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

भूकंप से क्षतिग्रस्त उद्योग

1586. **श्री दादा साहूराव परांजपे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1997 को मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में आए भूकंप से इंडस्ट्रीयल एस्टेट्स के कुछ उद्योग और छिट-पुट रूप से स्थापित लघु उद्योग क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार क्षतिग्रस्त उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस प्रकार की क्षति पहुंची है;

(ग) क्या भूकंप से भयभीत होकर उद्यमी अपने उद्योगों को वहां से हटा रहे हैं और किन-किन उद्योग को हटा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त क्षेत्र औद्योगिक विकास की दौड़ में 20 वर्ष पीछे हो गया है;

(च) क्या इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय और विभाग के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र का दौरा किया गया था और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले;

(ज) क्या उपर्युक्त क्षेत्र के ब्लाकों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा 107 औद्योगिक एककों की इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गयी है।

(ख) सूचित की गई क्षति मुख्य रूप से इमारतों की संरचना में है। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त औद्योगिक एककों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का बैंकों से अनुरोध किया है।

(ग) अब तक इस प्रकार की स्थिति पैदा होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओरियंटल फाइनेंस और एक्सचेंज कंपनी

1587. डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन जमाकर्ताओं को अब तक किसी मुआवजे का भुगतान किया गया है जिनके साथ ओरियंटल फाइनेंस और एक्सचेंज कंपनी (मु॰ का॰ मद्रास) द्वारा 1987 में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) कंपनी के निर्देशकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि उनके रिकार्डों के अनुसार, ओरियंटल फाइनेंस एंड एक्सचेंज कंपनी के दुखी ऋणदाताओं (जमाकर्त्ताओं) द्वारा विभिन्न न्यायालयों में कई मामले दायर किए गए थे जिसमें उक्त फर्म के प्रबंधक भागीदार श्री साजन वर्गीज को शामिल करने वाली एक दिवालियापन संबंधी याचिका भी है। एक न्यायालय आदेश के माध्यम से इस फर्म के कार्य रिसीवर को सौंप दिए गए थे। जमाकर्ताओं को किये गये क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के भुगतान के बारे में आर बी आई के पास कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

भारत और अमरीका के बीच बैंक ड्राफ्ट की सुविधा

1588. श्री आनंद रत्न मौर्य :

श्री पंकज चौधरी :

श्री नंद कुमार साय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच बैंकों द्वारा ड्राफ्ट जारी करने संबंधी करार को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस करार को कब से प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बैंकों द्वारा ड्राफ्ट जारी करने के बारे में संगत संबंध बैंकों का आपसी मामला है, न कि देशों का।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) भाग के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आभूषणों के लिए प्रयुक्त सोना

1589. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चितयन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आभूषण बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सोना पूरी तरह से विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं होता;

(ख) क्या व्यापारियों द्वारा ग्राहकों के साथ कुछ धोखा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देशभर में व्यापारियों द्वारा की जा रही धोखा-धड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना

1590. श्री मुरलीधर जेना : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1997-98 के दौरान देश में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान आयोग द्वारा राज्यों को राज्यवार कितनी राशि मंजूर की गई है,

(ग) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ऋण मंजूर करने संबंधी मानदंडों में छूट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग वर्ष 1997-98 के दौरान अपनी विभिन्न विशिष्ट योजनाओं (ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम) को जारी रखे हुए हैं जिनमें जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजनाएं, 125 ब्लाक विकास कार्यक्रम, पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) ऋण स्वीकृत करने हेतु शर्तों में कोई छूट नहीं है। तथापि, वर्ष 1996-97 के दौरान के० वी० आई० सी० द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेन्सियों को वितरित किये गये राज्यवार अलग-अलग ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान के० वी० आई० सी० द्वारा जारी किए गए ऋण तथा राज सहायता (अनुदान) की निधियां दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्षेत्रीय बोर्ड	ऋण	अनुदान	कुल अनुदान
1	2	3	4
केन्द्रीय			
1. उ०प्र०	3112.49	70.76	8183.25
2. म०प्र०	455.49	41.11	496.60
पूर्वी			
3. उड़ीसा	247.34	2.22	249.56
4. बिहार	277.43	33.63	311.06
5. सिक्किम	-	-	-
6. पं० बंगाल	2167.32	113.79	2281.11
7. अंडमान तथा निकोबार	6.19	-	6.19
पश्चिमी			
8. गुजरात	852.30	11.34	863.64
9. महाराष्ट्र	901.53	1678.69	2580.22
10. गोवा दमन तथा द्वीव	63.97	5.47	69.44
उत्तरी			
11. जम्मू तथा कश्मीर	349.99	-	349.99
12. पंजाब	1276.44	147.44	1423.83
13. संघ राज्य चंडीगढ	-	-	-
14. हरियाणा	956.30	-	956.30
15. हिमाचल प्रदेश	204.93	45.11	250.04
16. राजस्थान	877.44	73.51	950.95
17. दिल्ली	42.44	-	42.44
उत्तर पूर्वी			
18. असम	162.45	3.60	166.05
19. मेघालय	338.85	-	338.85
20. त्रिपुरा	3.67	-	3.67
21. नागालैंड	837.74	-	837.74
22. मिजोरम	286.81	26.43	313.24
23. मणिपुर	286.81	26.43	313.24
24. अरुणाचल प्रदेश	40.51		40.51
दक्षिणी			
25. आंध्र प्रदेश	421.44	55.84	477.28
26. कर्नाटक	1124.50	14.21	1138.71
27. केरल	2397.28	119.73	2517.01
28. पांण्डिचेरी	25.00	-	25.00
29. तमिलनाडु	1049.47	8.80	1058.27
30. लक्षद्वीप	32.65	-	32.65
विभागीय (प्रशिक्षण)	566.08	564.51	1130.59
आर०ई०जी०पी० (वितरण)	484.14	6633.93	7118.07
अन्य	-	24.86	24.86
	20600.32	9675.98	30276.30

[हिन्दी]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

1591. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सी० आर० बी० कैपीटल मार्किट घोटाले को ध्यान में रखते हुए सात अन्य नान-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकरण की जांच की मांग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह सात कंपनियाँ कौन-कौन सी हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परिवार न्यायालय

1592. श्री छीतु भाई गामीत : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ राज्यों में परिवार न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इनकी संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में निर्धारित मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और परिवार अदालतें स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 66 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इन कुटुम्ब न्यायालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 एक सामर्थ्यकारी अधिनियम है। संबद्ध राज्य सरकार द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम की अधिकारिता का उस राज्य पर विस्तार करती है। राज्य सरकारें, अपने संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, राज्य के किसी नगर या कस्बे वाले ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या एक मिलियन से अधिक है या राज्य में किसी अन्य क्षेत्र के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। पंजाब राज्य सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने क्रमश: 2 कुटुम्ब न्यायालय और 15 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

विवरण

कुटुम्ब न्यायालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

1.	आंध्र प्रदेश	07
2.	असम	01
3.	बिहार	02
4.	कर्नाटक	05
5.	केरल	05
6.	महाराष्ट्र	13
7.	मणिपुर	01
8.	उड़ीसा	02
9.	पांडिचेरी	01
10.	राजस्थान	05
11.	तमिलनाडु	06
12.	सिक्किम	01
13.	उत्तर प्रदेश	16
14.	पश्चिमी बंगाल	01

[अनुवाद]

विनिवेश आयोग

1593. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री अन्ना साहिब एम॰ के॰ पाटील :

श्री सत्यजीतसिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने बजट घाटे को कम करने के उद्देश्य से इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) विनिवेश आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें की गई सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) विनिवेश आयोग ने सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों में विनिवेश के विविध स्तरों/महत्वपूर्ण बिक्री की अनुशंसा की है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (कनकोर) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) में विनिवेश अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) में विनिवेश को पहले स्वीकृति दी जा चुकी थी। ये विनिवेश आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार है तथा स्तरों पर निर्धारण कंपनी की आवश्यकताओं तथा भावी योजनाओं और सरकार के बजटीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया है।

विवरण

(क) *सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम से संबंधित अनुशंसाओं का सारांश*

क्र॰सं॰	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अनुशंसाओं का सारांश
1	2	3
1.	भारत एल्युमिनियम कं॰ लि॰	40% शेयरों की महत्वपूर्ण बिक्री
2.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल्स कारपो॰ लि॰	50% शेयरों की महत्वपूर्ण बिक्री
3.	कंटेनर कारपो॰ आफ इण्डिया लि॰	49% तक विनिवेश
4.	गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि॰	कुल शेयरों के 25% का विनिवेश
5.	एच टी एल लि॰	महत्वपूर्ण बिक्री
6.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि॰	महत्वपूर्ण बिक्री

1	2	3
7.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	विशिष्टों होटलों की महत्वपूर्ण बिक्री
8.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं॰ लि॰	74% तक महत्वपूर्ण बिक्री
9.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰	महत्वपूर्ण बिक्री
10.	महानगर टेलीफोन निगम लि॰	49% तक अर्थात् 14.73% का विनिवेश
11.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लि॰	पुनर्गठन के पश्चात 49% का विनिवेश
12.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि॰	महत्वपूर्ण बिक्री के माध्यम से 100% शेयरों की बिक्री

खादी उत्पादों पर छूट

1594. श्री सनत मेहता :

श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

श्री बी॰ के॰ गढ़वी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष से खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों पर दी जाने वाली 10% + 20% की छूट को समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों पर दी जाने वाली छूट को जारी रखने का है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार खादी तथा खादी से संबंधित मदों पर प्रत्येक वर्ष छूट (राजसहायता) संबंधी नीति की घोषणा करती रही है। वर्ष 1997-98 के लिए छूट संबंधी आदेश 16.5.97 को जारी किया गया है। जिसमें खादी तथा खादी से संबंधित मदों पर 14.8.97 तक 10% की दर से सामान्य छूट तथा 15.8.97 से 14.8.98 तक 15% की दर से विशेष छूट अनुमेय की गई है। यह विशेष छूट भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के कारण घोषित की गई है।

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

1595. श्री के॰ पी॰ सिंह देव :

श्री शरत पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पार्कों की कुछ विदेशी कंपनियों के सहयोग से स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कुल कितने हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना (ई॰ पी॰ आई॰ पी॰) के तहत भुवनेश्वर, जिला खुर्दा में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह पार्क उड़ीसा सरकार द्वारा 25.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। ई॰ पी॰ आई॰ पी॰ योजना के तहत्, परियोजना की कुल पूंजीगत लागत, जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है, का 75% तक की केन्द्रीय सहायता दी जाती है लेकिन यह सीमा प्रत्येक पार्क के लिए 10 करोड़ से ज्यादा नही होगी।

(ख) से (घ) इस परियोजना में राज्य सरकार द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। ई॰ पी॰ आई॰ पी॰ की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 205 एकड़ है।

बाकुलिया कोयला खानें

1596. श्री सुनील खान : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में साल्तोरा पी॰ एस॰ में बाकुलिया कोयला खान शीघ्र ही खुलने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (ग) बाकुलिया परियोजना को केवल उसी स्थिति में कार्यचालित किए जाने पर विचार किया जा सकता है, जबकि दामोदर घाटी निगम (डी॰ वी॰ सी॰) ऐसी कीमत अदा करने पर सहमत हो जिससे कि 85% क्षमता उपयोगिता पर 16% लाभ प्राप्त किया जा सके।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण

1597. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण अथवा "कैश क्रेडिट" के रूप में आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी है;

(ख) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राज्य में कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लघु उद्योगपतियों ने कार्यकारी पूंजी अथवा 'कैश क्रेडिट'' सुविधा के लिए आवेदन किया है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने सदस्यों को ऋण अथवा 'कैश क्रेडिट'' सुविधा मंजूर की गयी; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने सदस्यों के आवेदनों को सभी औपचारिकतायें पूरी कर लिए जाने के बाद भी अस्वीकृत कर दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जैसाकि पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि 1994-95,

1995-96 और 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को पूंजीगत माल के लिए ऋण या नकद के रूप में स्वीकृत कुल राशि इस प्रकार थी :

वर्ष	संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1994-95	3995	596.16
1995-96	3990	581.54
1996-97	3592	674.36

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लघु क्षेत्र के उद्योगपतियों की संख्या जिन्होंने 1996-97 और 1997-98 के दौरान पूंजीगत माल के लिए ऋण या नकद ऋण सुविधा के लिए आवेदन किया था और उनमें से कितनों को ऋण स्वीकृत किए गए, उनका विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आवेदकों की संख्या	स्वीकृत ऋणों की संख्या
1996-97	976	390
1997-98	231	129

(घ) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जिन ऋणकर्ताओं ने प्रलेखन सहित अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं, स्वीकृति मिलने के बाद कोई आवेदन रद्द नहीं किया गया।

प्राचीन वस्तुओं तथा शिल्प तथ्यों की तस्करी

1598. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश के प्रसिद्ध नीलामकर्ताओं द्वारा भारतीय प्राचीन वस्तुओं की हाल ही में की गई नीलामी से उत्पन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राचीन वस्तुओं तथा शिल्प तथ्यों की तस्करी को रोकने के लिए वर्तमान कानूनों की खामियों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1996 में कितने मामलों का पता चला है तथा प्राचीन वस्तुओं का अनुमानित मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भी इस सामान की बिक्री में संलिप्त उन देशों के साथ भारतीय शिल्प तथ्यों की चोरी और बिक्री का मामला उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। पुरावस्तुओं के पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था और संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल संबंधी तंत्र की समीक्षा की गई है ताकि पुरावस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जा सके।

(ग) मामले की अभी जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त से पुरावस्तुओं की कथित तस्करी और वर्ष 1997 के आरंभ में लंदन में सेथिबीज द्वारा उनकी नीलामी के मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

लोकहित याचिकाएं

1599. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लोकहित याचिकाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से राज्य-वार कितनी याचिकाओं का निपटान किया गया;

(ख) क्या लोकहित याचिकाओं से विकास कार्य प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यातकों को रियायत

1600. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लैटिन अमरीकी देशों को निर्यात बढ़ाने हेतु निर्यातकों को कुछ अतिरिक्त रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या लैटिन अमरीकी बाजारों के बारे में निर्यातकों को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने और उन्हें अतिरिक्त रियायतें प्रदान करने के लिए कोई समितियाँ गठित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन समितियों द्वारा इस संबंध में कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) लैटिन अमरीकी क्षेत्र को निर्यात बढ़ाने के लिए दो समितियाँ बनाई गई हैं जो इसके लिए 1) अतिरिक्त प्रोत्साहनों की सिफारिश करेगी तथा 2) संवर्धनात्मक उपायों की सिफारिश करेगी।

(ग) समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं।

[अनुवाद]

प्राग टूल्स लिमिटेड

1601. श्री अयन्ना पटरुधु : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राग टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राग टूल्स लिमिटेड जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यू॰ के॰ आदि द्वारा दिये गये आर्डरों को पूरा करने में असमर्थ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कंपनी को उभारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कंपनी के पास यू॰ के॰ तथा जर्मनी के आर्डर थे जिन्हें वित्तीय समस्याओं के कारण 1996-97 में पूरा नहीं किया जा सका।

(ङ) प्राग टूल्स लिमिटेड को एक संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित करने हेतु इसे सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया है।

स्टाक निवेश आयोग

1602. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **वित्त** मंत्री स्टाक निवेश योजना के बारे में 6 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2265 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्राप्त कर ली गई है तथा इसकी जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) बैंकवार/शाखा-वार निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक शाखा प्रबंधकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धकों को क्या दंड दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) स (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि वे प्रवर्तकों से मूल स्टाक निवेश (एस आई) के स्थान पर स्टाक निवेश की फोटो प्रतियां स्वीकार नहीं करते। इन बैंकों को ऐसे किसी अवसर का ज्ञान नहीं है जब स्टाक निवेश के वित्त पोषकों में उसी संख्या वाले स्टाक निवेशों की फोटो प्रतियाँ अन्य विभिन्न प्रवर्तकों को मुहैया करवाई हों।

बहरहाल, दिल्ली स्टाक एक्सचेंज (डीएसई) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ध्यान में एक कंपनी के पब्लिक इश्यू के स्टाक निवेश के दुरुपयोग का एक मामला लाया गया है जिसमें इश्यू के रजिस्ट्रार ने स्टाक निवेश की फोटो-प्रतियों के साथ छह आवेदन-पत्र स्वीकर किए थे। आर बी आई ने उक्त रजिस्ट्रार के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) को पहले ही लिख दिया है।

आरबीआई ने स्टाक निवेश स्कीम के प्रचालन में हुई अनियमितताओं को दूर करने के लिए सिलसिलेवार कई उपाय किए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. बैंकों को केवल व्यक्तियों और म्युचुअल फंडों को स्टाक निवेश जारी किए जाने की अनुमति दी गई है।
2. स्टाक निवेश का उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए स्टाक निवेश जारी करने में प्रति व्यक्ति, प्रति पूंजी इश्यू सीमा, निर्धारित की गई है।
3. मूल स्टाक निवेश/चेकों के बिना शेयर आवेदन पत्र स्वीकार करना, उपयुक्त प्राधिकारियों को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना और ऐसे आवेदन पत्रों को ऐसे मान्य आवेदनपत्र के समान मानना जो सही नहीं है।
4. अप्रयुक्त स्टाक निवेश प्रपत्रों के संबंध में निवेशकर्ताओं के जमा खातों पर बैंकरों का ग्रहणाधिकार चार माह की अवधि पूरी होने से पूर्व नहीं हटाया जाना चाहिए।

आर बी आई ने सूचित किया है कि स्टाक निवेश योजना के अनुदेशों के उल्लघंन के प्रत्येक मामले में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46-क के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। निजी क्षेत्र की कुछ चूककर्ता शाखाओं पर 6 माह तक की अवधि के लिए स्टाक निवेश जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

न्यायाधीशों के रिक्त पद

1603. श्री आई॰ डी॰ स्वामी :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री हरिवंश सहाय :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री सत्यपाल जैन :

श्री संदीपान थोरात :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने अतिरिक्त पद न्यायालय-वार सृजित किए गए तथा कितने पदों पर भर्ती की गई;

(ख) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है तथा न्यायालय-वार ये पद किस तारीख से रिक्त हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ये रिक्तियां शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया में अनेक संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श अंतर्गस्त है। अतिशीघ्र विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

क्र॰सं॰	उच्च न्यायालय	1.7.94 से 30.6.97 तक सृजित अतिरिक्त पद	1.7.94 से 30.6.97 तक की गई नई नियुक्तियां	1.7.97 को रिक्त पड़े न्यायाधीशों/ अपर न्यायाधीशों के पद
1.	इलाहाबाद	1	20	7
2.	आंध्र प्रदेश	10	18	1
3.	मुम्बई	5	27	8
4.	कलकत्ता	2	19	11
5.	दिल्ली	1	10	3
6.	गोहाटी	1	5	1
7.	गुजरात	2	10	6
8.	हिमाचल प्रदेश	-	3	-
9.	जम्मू-कश्मीर	-	4	3
10.	कर्नाटक	7	19	4
11.	केरल	4	13	2
12.	मध्य प्रदेश	4	19	5
13.	मद्रास	4	21	3
14.	उड़ीसा	1	6	1
15.	पटना	1	9	7
16.	पंजाब और हरियाणा	-	7	5
17.	राजस्थान	6	13	1
18.	सिक्किम	-	1	2
	योग	49	224	70
	II उच्चतम न्यायालय		12	5

हस्तशिल्पों का उत्पादन और निर्यात

1604. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रनजीत बिसवाल :
वैद्य दाऊ दयाल जोशी :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्री के॰ सी॰ कोंडया :
श्री अशोक प्रधान :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान उनके संबंधित राज्यों में हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) हस्तशिल्प मदों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में विपणन विकास सहायता, प्रदर्शनी, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना, डिजाइन विकास, विदेशों में बिक्री सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, समुद्रपार प्रचार, सूची-पत्रों की छपाई तथा प्रतिवर्ष भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला तथा कालीन एक्सपो आयोजित करना शामिल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, राज्यवार प्रदान की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार से उनके राज्यों में हस्तशिल्प के संवर्धन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण, विपणन सहायता, प्रदर्शनी तथा प्रचार वर्कशेड-सह-आवास, समूह-बीमा तथा विपणन विकास सहायता योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्य निगमों से 44 प्रस्ताव तथा बिहार के राज्य निगमों से 3 प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए थे। इन में से उत्तर प्रदेश से प्राप्त 43 प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए थे।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	94.00	63.18	36.61
2.	अंड. व नि. द्वीप समूह	1.53	1.50	1.38
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.56	3.71	1.34
4.	असम	39.61	130.74	106.83
5.	बिहार	17.28	26.44	28.43
6.	दिल्ली	112.27	202.31	69.47
7.	गोवा	7.09	5.08	8.64
8.	गुजरात	51.05	80.42	45.65
9.	हरियाणा	43.35	33.47	62.80
10.	हिमाचल प्रदेश	44.21	99.55	64.32
11.	जम्मू व कश्मीर	45.61	40.61	21.49

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	33.40	21.89	71.12
13.	केरल	38.91	70.02	67.55
14.	मध्य प्रदेश	99.83	127.51	70.27
15.	महाराष्ट्र	37.70	40.79	37.86
16.	मणिपुर	11.26	15.43	9.30
17.	मेघालय	3.80	6.41	2.73
18.	मिजोरम	7.00	1.70	3.01
19.	नागालैंड	7.17	11.90	6.18
20.	उड़ीसा	80.27	110.50	85.22
21.	पंजाब	15.80	23.75	16.41
22.	पांडिचेरी	1.93	3.86	3.00
23.	राजस्थान	32.84	50.52	18.19
24.	सिक्किम	1.77	2.14	1.17
25.	तमिलनाडु	71.72	82.33	84.15
26.	त्रिपुरा	21.56	12.94	16.27
27.	उत्तर प्रदेश	383.62	606.20	297.78
28.	पश्चिमी बंगाल	62.47	64.03	83.10
	कुल योग	1369.25	1938.93	1320.27

टिप्पणी : इन आंकड़ों में बहु-राज्य कार्यकलापों के लिए दी गई सहायता राशि शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी

1605. श्री देवी बक्स सिंह :

श्री राम सागर :

श्री राधा मोहन सिंह :

डा॰ रमेश चन्द तोमर :

श्री टी॰ गोविन्दन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारी मात्रा में सोने की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तस्करी के माध्यम से देश में लगभग कितना सोना पहुँच रहा है इसका बाजार मूल्य कितना है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अब तक कितना सोना बरामद किया गया और इसका मूल्य कितना है; और

(घ) सोने की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : *(क) और (ख) उपलब्ध आसूचना और किए गए अभिग्रहणों से देश में सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी होने का पता नहीं चलता है। भारत में तस्करी करके लाए जाने वाले सोने की मात्रा के बारे में कोई सरकारी आकलन उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1997 में ब्रिटेन में प्रकाशित "गोल्ड फील्ड मिनरल सर्विसिज" नामक पुस्तक में प्रकाशित आकलनों के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान तस्करी किए गए सोने की मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार है :*

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1995	128	6201
1996	109	5657

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अब तक अभिगृहीत सोने के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1995-96	1148	5676
1996-97	1033	5323
1997-98 (30.6.1997 तक)	304	1343

(आंकड़े अनन्तिम है)

(घ) क्षेत्रीय कार्यालय सोने की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए सतर्क है। किए गए विशिष्ट उपायों में, आसूचना लक्षित करना, पत्तनों, विमानपत्तनों और भू-सीमा शुल्क स्टेशनों पर रंगीन असबाब एक्स-रे मशीन लगाना और पात्र यात्रियों को 18 किलोग्राम तक सोना लाने की अनुमति देकर सोने के आयातों को और अधिक उदार बनाना शामिल है।

कपड़े का उत्पादन

1606. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कपड़े के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मिल क्षेत्र, बिजली करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन किए गए कपड़ों की अलग-अलग मात्रा क्या है और उनकी कीमत क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र द्वारा कपड़े के निर्यात के माध्यम से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) मिल क्षेत्र, विद्युत करघा क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्पादित वस्त्रों की मात्रा निम्न प्रकार रही है :

क्षेत्र

(मिलियन वर्ग मी०)

वर्ष	मिल (मात्रा)	विद्युतकरघा (मात्रा)	हथकरघा (मात्रा)
1994-95	2,271	15,976	6,180
1995-96	2,019	17,201	7,202
1996-97 (अनंतिम)	1,886	19,596	7,301

सही मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल, विद्युत करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों द्वारा अर्जित विदेशी आय

वस्त्रों का उत्पादवार निर्यात

(क) सूती वस्त्र (मूल्य मिलियन रु०)

		मिल	विद्युतकरघा	हथकरघा
1994-95	फैब्रिक	12009.44	14045.69	3179.59
	मेड-अप्स	3653.58	13632.47	11794.02
1995-96	फैब्रिक्स	14512.12	16574.98	2553.04
	मेड-अप्स	4883.36	16100.05	12358.32
1996-97	फैब्रिक्स	15771.87	20139.86	2548.53
	मेड-अप्स	5567.67	20223.73	15040.44

(ख) सिंथेटिक वस्त्र (मूल्य रुपये में)

	मिल निर्मित विद्युतकरघा	हथकरघा
1994-95	24510.34	124.76
1995-96	31033.27	60.73
1996-97	31953.68	207.42

(ग) ऊनी वस्त्र

	मिल तथा विद्युतकरघा	हथरकघा
1994-95	4513.65	861.65
1995-96	6250.69	356.61
1996-97	10063.59	304.21

[अनुवाद]

गैर-बैंककारी वित्त कंपनियां

1607. श्री मोहन रावले :

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक में अनिवार्य पंजीकरण से बचने के लिए कई जाली गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों (एन बी एफ सी) ने अपने समूह के भीतर विनिर्माता एककों के साथ विलय कर लिया है और कई कंपनियां कार्यरत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ये गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण करा ली गई और इन गैर-बैंककारी वित्त निगमों का पता लगाकर इनकी एक सूची सभा पटल पर रखने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के अपने समूह के भीतर उत्पादक एककों में विलय किए जाने के बारे में उनके पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लगभग 37,478 कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है। आर बी आई ने आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा और संसाधन का कार्य शुरू कर दिया है।

विश्व बैंक का ऋण

1608. श्री डी० पी० यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक भारत पर विश्व बैंक का कुल कितना ऋण बकाया है;

(ख) क्या मुद्रास्फीति के कारण यह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है तथा यह प्रतिव्यक्ति आय की अपेक्षा अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस ऋण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दिनांक 30.6.97 की स्थिति के अनुसार भारत पर विश्व बैंक का कुल बकाया ऋण (गैर-सरकारी ऋणों सहित) निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक	31,880
अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	63,587
जोड़	95,467

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

डम्पिंग गतिविधियां

1609. श्री नारायण अठावले : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डम्पिंग गतिविधियों के संबंध में काफी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी शिकायतों के संबंध में जांच की गई;

(ग) शिकायतों पर गौर करने और विनियामक कार्यों को कारगर ढंग से करने के लिए एक सशक्त और कुशल प्रशासनिक एजेंसी स्थापित करने के लिए किए गए नए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) डम्पिंग विरोधी प्राधिकरण की पिछले 1996-97 के दौरान प्राप्त की गई अति महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और जांच की जा रही शिकायतों, विशेषरूप से महाराष्ट्र में, की स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन शिकायतों की जांच की गई उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पाटनरोधी तथा अन्य शुल्कों के लगाने संबंधी याचिकाओं की जांच करने के लिए एक मजबूत तथा सक्षम मशीनरी की स्थापना करने के उद्देश्य से, सरकार एक पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय बनाने पर विचार कर रही है। पाटनरोधी प्रणाली किसी एक विशेष राज्य, के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण घरेलू उद्योग के लिए है।

विवरण

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भारत में शुरू किए गए प्रतिपाटन मामले

	उत्पाद	देश	शुरू करने की तिथि	टिप्पणी
	1	2	3	4
1994-95				
1.	पोटाशियम परमेंगनेट	चीन	30.12.94	अंतिम शुल्क 5.9.95 को लगाया गया।
2.	आइसोबुटाइल बेंजीन	चीन	7.1.94	अंतिम शुल्क 31.8.95 को लगाया गया।
3.	3, 4, 5, ट्राइमिथोक्सी बेनालडीहाइड (टीएमबीए)	चीन	11.8.94	अंतिम शुल्क 20.10.95 को लगाया गया।
4.	थीओफाइलीन कैफीन	चीन	30.8.94	अंतिम शुल्क 30.10.95 को लगाया गया।
5.	एक्रीलोनाइट्रील बुटाडीन रबर (एनबीआर)	जापान	28.10.94	अंतिम शुल्क 14.11.95 को लगाया गया।
6.	बिसफीनोल-ए	ब्राजील, रूस	30.12.94	अंतिम शुल्क 26.12.95 को लगाया गया।
1995-96				
1.	सोडियम फैरोसाइनाइड	चीन	11.10.95	अंतिम शुल्क 20.12.95 को लगाया गया।
2.	डैड बर्न्ड मैगनेसाइट (डीबीएम)	चीन	16.5.95	अंतिम शुल्क 20.12.96 को लगाया गया।
3.	धीमा कार्बन फैरो क्रोम (एलसीएफसी)	रूस, कजाकिस्तान	6.6.95	अंतिम शुल्क 24.1.97 को लगाया गया।
4.	8-हाइड्रोक्सीक्यूनोलीन	चीन	4.3.96	अंतिम शुल्क 1.4.97 को लगाया गया।
5.	बिसफीनोल-ए	यूएसए	20.11.95	अंतिम शुल्क 29.4.97 को लगाया गया।
6.	एक्रीलोनाइट्रील बुटाडीन रबर (एनबीआर)	जर्मनी, कोरिया गणराज्य	14.3.96	अनंतिम शुल्क 31.1.97 को लगाया गया।
1996-97				
1.	उत्प्रेरक	डेनमार्क	6.9.96	अनंतिम शुल्क 20.6.97 को लगाया गया।
2.	एक्रीलिक फाइबर	यूएसए, थाइलैंड, कोरिया गणराज्य	13.9.96	अनंतिम शुल्क 25.4.97 को लगाया गया।
3.	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस	यू एस ए, चीन, स्पेन, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रिया	30.9.96	वित्त मंत्रालय को अनंतिम शुल्क लगाने की 9.6.97 को सिफारिश की गई।

1	2	3	4
4.	पी वी सी रेजिन @	ब्राजील, मैक्सिको, यू एस ए, दक्षिण कोरिया तथा यू एस ए	30.9.96	जांच जारी है।
5.	बिसफीनोल-ए @	जापान	30.9.96	जांच जारी है।
6.	न्यूज प्रिंट	यूएसए, कनाडा, रूस	20.12.96	वित्त मंत्रालय को अनंतिम शुल्क लगाने की 11.6.97 को सिफारिश की गई।
7.	पी टी ए	इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड	20.12.96	अनंतिम शुल्क के लिए जांच जारी है।

@ पुनरीक्षा मामले

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

1610. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-96 तथा चालू वर्ष के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को वर्ष-वार तथा राज्य-वार कुल कितना ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना (एस ए सी पी) बनाने की प्रणाली प्रारंभ की है, जो वर्ष 1994-95 से लागू है। कृषि ऋणों के लिए एस ए सी पी द्वारा प्रवर्तित स्व-लक्ष्यों के तहत कृषि क्षेत्र को ऋण के कुल प्रवाह में वर्ष 1993-94 के 5400 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1996-97 में 12,717 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। एस ए सी पी के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वर्ष-वार कार्यनिष्पादन निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1994-95	9531.37	8255.66
1995-96	12121.19	10172.45
1996-97	14253.48	12716.48

(आंकड़े अनन्तिम)

चालू वर्ष के दौरान एस ए सी पी के अंतर्गत संवितरणों में प्रत्याशित स्तर, 1600 करोड़ रुपए अनुमानित है।

इसके अलावा, मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार, अन्तिम आधार पर प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत सभी सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यि बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र का कुल अग्रिम (बकाया) 31,012 करोड़ (18% के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले में कुल बैंक ऋण का 16.35%) बैठता है जो वर्ष 1995-96 के 26,351 करोड़ रुपए के स्तर में लगभग 17.7% की वृद्धि दर्शाता है।

[अनुवाद]

कर की हिस्सेदारी

1611. श्री नंद कुमार साय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी कर राजस्वों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) दसवें वित्त आयोग ने केन्द्र के कर राजस्वों के केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारे की वैकल्पिक योजना की अनुशंसा की थी। वित्त मंत्रालय ने इस वैकल्पिक योजना पर एक परिचर्चा पत्र निकाला था और 20 दिसम्बर, 1996 को इस दस्तावेज को संसद के पटल पर रखा था। दसवें वित्त आयोग की वैकल्पिक योजना पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद् की स्थायी समिति की बैठकों में चर्चा हुई है और अंतर्राष्ट्रीय परिषद् की 17 जुलाई, 1997 को हुई तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित 29 प्रतिशत अंतरण की वैकल्पिक योजना को एक संशोधन सहित 1.4.1996 से सर्वसम्मति से स्वीकार कर लागू कर दिया जाए। ऊर्ध्वगामी अंतरण के प्रतिशत हिस्से को पन्द्रह वर्ष तक स्थिर रखने की बजाय, जैसाकि दसवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है, उत्तरवर्ती वित्त आयोगों द्वारा इसकी समीक्षा भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के हिस्से में सुधार के उद्देश्य से दिसम्बर, 1997 या जनवरी, 1998 में किसी समय इस प्रतिशत की समीक्षा की जा सकती है।

विचाराधीन कैदियों के मामले में अनुच्छेद 14 का उल्लघंन

1612. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की अधिकांश जेलों में 90 प्रतिशत विचाराधीन कैदी है जिन्हें दोषी मान लिया जाता है और उन्हें देश के कानून के अंतर्गत देय लाभ से वंचित रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चांदी की जब्ती

1613. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अवैध रूप से लाई गई जब्त चांदी की मात्रा और इसका मूल्य क्या है और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहाँ से चांदी जब्त की गई;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) क्या इस संबंध में तस्करों के कुछ गिरोहों के शामिल होने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा किस तरह तस्करी की जाती है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर संबंधी विशेषज्ञ दल

1614. श्री संतोष मोहन देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर संबंधी विशेषज्ञ दल ने कर अपवंचन के मामले के संबंध में सिंगापुर में अपनाई प्रणाली की भांति प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल द्वारा क्या अन्य सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस पर किस हद तक विचार किया गया है तथा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर अधिनियम को पुन: तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने यह सुझाव दिया है कि सिंगापुर आयकर अधिनियम की धारा 33 को कुछेक परिवर्तनों के साथ विशेष परिहार-रोधी उपबंध के रूप में भारतीय आयकर अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से किए जा रहे कर अपवंचन के मामलों के अलावा अन्य मामलों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। उक्त दल की सिफारिशें इसकी रिपोर्ट के अध्याय-VIII में दी गई हैं।

(ग) इस समय विशेषज्ञ दल अपनी सिफारिशों के आधार पर एक प्रारूप विधेयक तैयार कर रहा है। इस विधेयक के तैयार हो जाने के बाद इसे आम चर्चा के लिए पेश किए जाने का प्रस्ताव है और तत्पश्चात् उपयुक्त संशोधनों के साथ एक नया आयकर विधेयक इस वर्ष के अंत में संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

रबड़ की खेती

1615. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रबड़ की अनुमानत: कितनी खेती होती है;

(ख) क्या गैर परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रबड़ बोर्ड से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) देश में रबड़ की खेती के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र वर्ष 1996-97 के अंत में 5,33,000 हैक्टेयर था।

(ख) और (ग) जी, हां। रबड़ बोर्ड का नवमीं योजना अवधि के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती के अंतर्गत और 35,000 हैक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है।

(घ) रबड़ बोर्ड सभी प्रकार के उत्पादकों को रबड़ रोपण, रखरखाव, फसल कटाई, लैटेक्स के प्रसंस्करण की सभी अवस्थाओं मे मुफ्त तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, परंपरागत क्षेत्रों में 2 हैक्टेयर तक जमीन रखने वाले और गैर-परंपरागत क्षेत्र में 5 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले उपजकर्त्ताओं को 8,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से रोपण अनुदान तथा उन्नत रोपण सामग्रियों का उपयोग करने के लिए सामान्य और अनु॰ जा॰/अनु॰ जनजाति वर्ग के उपजकर्त्ताओं को क्रमश: 3000/- रुपये एवं 4000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

उपर्युक्त के साथ-साथ बोर्ड बागानों के वैज्ञानिक ढंग से रखरखाव एवं रबड़ बागान से उत्पादित लैटेक्स के उचित प्रसंस्करण के लिए विभिन्न विस्तार योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

भारतीय आयात के संबंध में जेनेवा में बैठक

1616. श्री एल॰ रमना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता एवं अन्य वस्तुओं पर भारतीय आयात नियंत्रण के बारे में हाल ही में भारत और इसके प्रमुख सहयोगी देशों के बीच जेनेवा में आयोजित वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) स्थिति का सामना करने तथा उठाई गई आपत्तियों के मद्देनजर संशोधित योजना क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) की भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति की 20-21 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत ने डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के सामने 19 मई, 1997 को भुगतान संतुलन उद्देश्यों से जारी रखे गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना

पर इस समिति में 10-11 जून, 1997 को भारत के साथ पुन: शुरू किए गए विचार-विमर्श में विचार किया गया जहां उक्त योजना की अवधि तथा भारत द्वारा भुगतान संतुलन कवर को लागू करना बंद किए जाने के मुद्दे पर सदस्यों के विचारों में मतभेद होने के कारण चर्चा को 30 जून- 1 जुलाई, 1997 तक आस्थगित करने पर सहमति हुई।

वार्ता के पुन: शुरू होने पर भी योजना की सकल समयावधि एवं योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुफ्त की जाने वाली टैरिफ लाइनों की संख्या के बारे में विचारों की भिन्नता बनी रही। पुन: शुरू किए गए विचार-विमर्श बिना मतैक्य के ही 30 जून- 1 जुलाई, 1997 को समाप्त हो गए।

आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका ने अपने अलग-अलग अनुरोधों में गेट 1994 के अनुच्छेद 22 तथा विवादों के निपटारे को शासित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के समझौते के अंतर्गत भारत के साथ औपचारिक विचार-विमर्श की मांग यह आरोप लगाते हुए की है कि भारत द्वारा भुगतान संतुलन के उद्देश्यों से मात्रात्मक प्रतिबंधों को लगातार जारी रखना डब्ल्यू० टी० ओ० के अंतर्गत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है जबकि भारत के भुगतान संतुलन में सुधार हुआ है। भारत ने विचार-विमर्श के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को ऋण दिए जाने की समीक्षा

1617. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विशेष रूप से बैंक आफ बड़ौदा को सरकार द्वारा बजट में लघु उद्योगों को ऋण दिए जाने के संबंध में घोषित कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि बैंक आफ बड़ौदा सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को वर्ष 1995-96 के बजट में घोषित लघु उद्योग (एस एस आई) क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुधारने के लिए सात सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की सलाह दी गई थी। आर बी आई ने बैंकों से मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा है। आर बी आई योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करता रहता है।

कपास नियंत्रण आदेश

1618. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास नियंत्रण आदेश, 1986 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) कपास जिनिंग तथा प्रैसिंग फैक्ट्री अधिनियम, 1925 यथा संशोधित को निरस्त करने के लिए लोक सभा में 25 जुलाई, 1997 को एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उक्त अधिनियम के निरस्त करने के साथ, यदि आवश्यकता हुई, तो कपास नियंत्रण आदेश, 1986 को संशोधित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

जे० के० जूट मिल

1619. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० जूट मिल (कानपुर, उत्तर प्रदेश) के प्रबंधन द्वारा मजदूरों को 1995-96 की मंदी की अवधि के बकाया बोनस का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण मजदूरों को आंदोलन करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस समस्या का हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जे० के० जूट मिल को 15.4.94 से 28.9.95 तक बंद कर दिया गया था। प्रबन्धकों ने मिल के बंद होने की अवधि के दौरान कोई वेतन तथा मजदूरियों का भुगतान नहीं किया था। बंद होने की अवधि के दौरान बोनस का भुगतान भी नहीं किया गया। यद्यपि कामगारों ने बोनस का दावा किया था लेकिन कामगारों को बोनस का भुगतान न करने के कारण कोई आंदोलन नहीं किया गया। मामले को निपटाने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था। राज्य श्रम आयुक्त के परामर्श अनुसार द्विपक्षीय समझौते की प्रक्रिया चल रही है तथा इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

1620. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

श्री जी० ए० चरण रेड्डी :

श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र के खराब कार्यनिष्पादन से इस्पात और विद्युत क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए पेनल गठित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयला क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) के अधीन कोयला कंपनियों के कार्य-निष्पादन में उसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किए जाने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए वांछित स्तर के प्रेषणों, दोनों के संबंध में सुधार हुआ है। को० इं० लि० से वर्ष 1995-96 के दौरान प्राप्त किए गए उत्पादन की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान कोयले के उत्पादन में 13.40 मिलियन टन तक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के प्रथम 3 महीनों के दौरान उत्पादन में 3.85 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इस संबंध में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 102.5% रही है।

को० इं० लि० महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं जैसे विद्युत आदि को उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को बनाए रख सकी है। वर्ष 1996-97 के दौरान विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में 12.53 मि० ट० की वृद्धि हुई। विद्युत गृहों के प्रेषणों में सुधार किए जाने के परिणामस्वरूप, विभिन्न विद्युत गृहों के पास कोयले का स्टाक अभी तक सर्वाधिक स्तर तक पहुंच गया। वर्ष 1997-98 में भी कोयले के प्रेषणों में सुधार की प्रवृति को बनाए रखा जा रहा है तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि लगभग 6.4% रही है।

इस्पात संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति न्यूनाधिक रूप से निरन्तर स्तर पर बनाए रखी जा रही हैं तथा राख की प्रतिशतता को कम करके उसकी गुणवत्ता में सुधार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) कोयला क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की मंत्रालय द्वारा आंतरिक रूप से तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा और संसदीय स्थायी समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ग) 2001-02 तक भारत में कोयले के उत्पादन में 352.35 मि० टन तक की वृद्धि हो जाने का अनुमान है।

पी० एन० बी० गिल्ट्स लिमिटेड

1621. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक की सबसे बड़ी सहायक फर्म पी० एन० बी० गिल्ट्स लिमिटेड ने अपने प्रथम वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कंपनी ने कारोबार मुख्यत: विनिमय-पत्र (ट्रेजरी बिल) और सरकारी प्रतिभूतियों में किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कंपनी ने कर भुगतान करने के पूर्व 26.81 करोड़ रुपये का मुनाफा तथा 31 मार्च, 1997 तक के गत वित्त वर्ष 1996-97 में 16.12 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस वर्ष उस कंपनी ने शेयर धारकों को 20% लाभांश देने की घोषणा की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लाभकारी कंपनी के विस्तार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) जी, हां। पी० एन० बी० गिल्ट्स लिमिटेड पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की सबसे बड़ी अनुषंगी (बैंक द्वारा अभिदत्त पूंजी के आधार पर) है। इस कंपनी का वर्ष 1996-97 के दौरान कुल आवर्त लगभग 10825 करोड़ रुपये था। ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूति कुल आवर्त का 95.9 प्रतिशत था। इस प्रकार, इस कंपनी ने मुख्य रूप से ट्रेजरी बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों का ही कारोबार किया है।

(ङ) से (ज) जी हां। इस अनुषंगी ने वर्ष 1996-97 के लिए कर-पूर्व 26.81 करोड़ रुपये और कर पश्चात् 16.12 करोड़ रुपये के लाभ की सूचना दी है। इस कंपनी ने धारिता की अवधि के समानुपात में अपने शेयर धारकों को 20 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है। चूंकि यह पी० एन० बी० की अनुषंगी है, इसलिए सरकार की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

चावल के निर्यात में अनियमितताएं

1622. श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1993 से इसके चावल के निर्यात में की गई अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण देश को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस धोखाधड़ी में लिप्त सभी अधिकारियों तथा फर्मों के खिलाफ कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय के व्यापार विवाद कक्ष में 1993 से घटिया किस्म के चावल खेपों के लदान में विलंब/लदान नहीं किए जाने से संबंधित 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं लाभ/हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि ये लदान विदेशी क्रेताओं के साथ की गई संविदा की शर्तों के अनुसार निर्यातकों द्वारा किए जाते हैं।

(ग) और (घ) निर्यात और आयात नीति के अनुसार बासमती और गैर-बासमती चावल फाइन और सुपर-फाइन किस्मों (के निर्यात की अनुमति मात्रा तथा कीमत प्रतिबंध के बिना दी जाती है। यह निर्यात निर्यातकों द्वारा किया जाता है। गुणवत्ता शिकायतों संबंधी स्थायी समितियों के माध्यम से शिकायतों से निपटने की व्यवस्था निम्नानुसार है :

सैल में प्राप्त भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की आपूर्ति का आरोप लगाने वाले विदेशी क्रेताओं की शिकायतों को अहमदाबाद, बंगलौर, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना और मद्रास में इस प्रयोजन के लिए स्थापित गुणवत्ता शिकायत से संबंधित क्षेत्रीय स्थायी समितियों के जांच करने तथा निपटान करने के लिए भेजा जाता है। यदि विवादों का निपटान समझौते के जरिए होने या विदेशी क्रेता संतुष्ट हो जाते हैं। और/या यदि क्षेत्रीय

समितियों में मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय करती हैं कि भारतीय निर्यातक/विनिर्माता का कोई कसूर नहीं है और/या यह शिकायत वास्तविक नहीं है, तो उस स्थिति में मामले को समाप्त कर दिया जाता है। उन मामलों में जहां समिति विवाद को आपस में सुलझाने में असफल रहती है और समझौता नहीं होता और समिति को पता चलता है कि भारतीय निर्यातक दोषी हैं, या वे परस्पर सहयोग नहीं दे रहे हैं तो ऐसे मामलों को दंडनीय तथा एफ टी डी आर अधिनियम/लागू नियमों के अनुसार निपटाया जाता है और उनके बाद ऐसे मामलों न्याय निर्णय के लिए भेज दिये जाते हैं।

सभी मामलों में उपर्युक्त क्रिया विधि अपनाई जाती है। 3 मामलों को निपटा दिया/बंद कर दिया गया है, 3 मामले निर्णय के अधीन हैं तथा 1 फर्म और उनके प्रोपराइटर/निदेशकों पर किसी प्रकार का निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रोक लगा दी गई है तथा/अथवा 16.4.1996 से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी तरह की वस्तुओं का निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है।

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क

1623. श्री उत्तम सिंह पंवार :

श्री जी॰ वेंकट स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 'फेडरेशन आफ इंडियन टैक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री' से सीमा शुल्क ढांचे में विसंगतियों तथा उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) टैक्सटाइल मशीनरी पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क ढांचे के बारे में भारतीय टैक्सटाइल इंजीनियरिंग उद्योग संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। भारतीय टेक्सटाइल इंजीनियरिंग उद्योग संघ ने अभ्यावेदन किया था कि टैक्सटाइल मशीनों का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित इस्पात, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़ आदि जैसी कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क को 30% / 40% से घटा कर 20% कर दिया जाए ताकि इसे टैक्सटाइल मशीनों पर सीमा शुल्क के बराबर किया जा सके। इसी प्रकार विनिर्दिष्ट टैक्सटाइल मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों पर, जिन पर 10% सीमा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क को और कम करके 5% कर दिया जाए। इसके अलावा टैक्सटाइल मशीनों, विशेष रूप से बीविंग और निटिंग मशीनों पर उत्पाद शुल्क 13% से घटा कर 8% कर दिया जाए।

भारतीय टेक्सटाइल इंजीनियरिंग उद्योग संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था। विनिर्दिष्ट टैक्सटाइल मशीनों के कलपुर्जों पर पूल सीमा शुल्क को घटा कर 10% कर दिया गया था ताकि इसे पूर्ण विनिर्दिष्ट टैक्सटाइल मशीनों पर पूल सीमा के बराबर किया जा सके।

सरकार ने टैक्सटाइल मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क को कम करना और टैक्सटाइल मशीनों पर उत्पाद शुल्क को कम करना संभव नहीं पाया है।

उत्पाद शुल्क घोटाला

1624. श्री जी॰ एल॰ शंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1997 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "400 करोड़ एक्साइज स्कैम अनफोल्डिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घोटाले के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अपराधियों तथा दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने और धन की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) अपवंचन-रोधी महानिदेशालय द्वारा की गई जांच-पड़ताल के आधार पर, मैसर्स श्री चन्द्र टोबैको लिमिटेड और मैसर्स जी॰ टी॰ सी॰ लिमिटेड को 18.76 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कथित अपवंचन के लिए अगस्त, 1996 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 1995 के दौरान मैसर्स जी॰ टी॰ सी॰ और उनके अधिकार में आने वाली इकाइयों के खिलाफ अपवंचन के मामलों का पता लगाया गया है और इन इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें 364.86 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग गई है। अपवंचन एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है और निर्धारिती गैर कानूनी लाभ के लिए ऐसे काम करते हैं।

(ग) यदि अपवंचकों और किसी अधिकारी के बीच साठगांठ होने का पता चलता है, तो सरकार ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की शर्तों के अधीन यदि शुल्क अपवंचन का पता चलता है, तो अपवंचकों को शुल्क, अनिवार्य अर्थदंड और उक्त शुल्क की राशि पर ब्याज अदा करना पड़ सकता है। और उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। कुल मिला कर, एक सहायक आयुक्त, 19 अधीक्षकों और 25 निरीक्षकों को निलम्बित किया गया है। जहां तक वसूली का प्रश्न है, कारण बताओ नोटिसों का न्यायनिर्णयन हो जाने के बाद ही कार्यवाहियां आरंभ की जा सकती हैं।

बैंक हड़ताल

1625. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से संपूर्ण देश में बैंकों में हड़ताल की घटना में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इन बैंक हड़तालों से राजकोष को भारी घाटा होता है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा अक्सर हड़ताल किए जाने से बैंकिंग व्यवस्था खराब हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में बैंक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के किसी विधान पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) बैंकों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

जलपाईगुड़ी में टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ के अधीन चाय संपदा

1626. प्रो॰ जितेन्द्रनाथ दास : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान की स्थिति सुधारने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ को सौंपे जाने के समय से ही जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ के अधीन लुकसैन टी इस्टेट को वित्तीय अनुदान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय चाय व्यापार निगम को निगम के स्वामित्व वाले किसी चाय बागानों के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान नहीं दिया है। यद्यपि ये बागान चाय बोर्ड की विभिन्न विकास योजनाओं के अधीन सहायता के पात्र हैं और टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ इन योजनाओं का लाभ लुकसान चाय बागान के लिए उठा रहा है।

(ग) टी॰ टी॰ सी॰ आई॰ के बागान प्रभाग के निरन्तर घाटे को ध्यान में रखकर, सरकार ने टी टी सी आई के अधीन सभी पांच बागानों को बेचने का निर्णय लिया था। भावी क्रेताओं के वित्तीय कठिनाइयों और कानूनी अड़चनों के कारण बिक्री प्रक्रिया को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

जनता वस्त्र योजना

1627. श्री रनजीत सिंसवाल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां केन्द्र द्वारा प्रायोजित हैंक यार्न और जनता वस्त्र योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को कितनी राशि का आबंटन किया गया है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि की राज सहायता प्रदान की गई/उपलब्ध करायी गई है;

(ग) इन राज्यों में उन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य कहां तक प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान संचालित की गई थी।

जनता कपड़ा योजना वर्ष 1997-98 के दौरान 8 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संचलन की गई है।

इन योजनाओं के अंतर्गत, राज्यवार वित्तीय लक्ष्य आबंटित नहीं किये जाते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) जनता कपड़ा योजना हथकरघा बुनकरों को रोजगार उपलब्ध करवाती है तथा कुछ बुनकर जनता कपड़े से गैर-जनता कपड़े का उत्पादन भी प्रारंभ करते हैं।

हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना सूती यार्न मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाले कष्ट को कम करने में सहायता करती है।

(घ) राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक में समय-समय पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

विवरण

जनता कपड़ा योजना और हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई धनराशि का विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य	जनता कपड़ा योजना			हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना		
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1159.76	107.23	108.19	162.50	80.80	-
असम	571.86	413.23	341.15	76.15	199.65	-
बिहार	263.10	80.60	87.72	30.00	55.06	-
गुजरात	147.15	27.49	6.54	23.25	22.12	-
जम्मू व कश्मीर	20.39	42.63	7.71	2.81	12.97	-
हरियाणा	-	-	-	0.75	-	-

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	855.76	676.71	760.24	251.90	18.77	
केरल	-	-	-	65.09	102.48	
मध्य प्रदेश	288.93	256.08	102.95	35.48	41.44	
महाराष्ट्र	885.84	584.89	342.71	35.00	27.72	
मणिपुर	-	-	-	6.10	7.06	
मिजोरम	-	-	-	0.74	1.67	
नागालैंड	-	-	-	-	7.98	-
उड़ीसा	354.69	478.46	157.34	106.09	296.83	-
पंजाब	-	-	-	4.39	3.66	
राजस्थान	105.54	27.87	49.54	17.50	85.16	
तमिलनाडु	900.83	581.47	962.35	677.28	1117.93	
त्रिपुरा	84.53	36.97	51.61	12.50		
उत्तर प्रदेश	374.29	457.05	211.89	291.06	229.86	-
पश्चिम बंगाल	818.40	655.14	271.23	368.59	714.03	-
पांडिचेरी	-	-	-	2.50	5.89	-
योग	6831.07	4425.82	3461.17	2169.68	3030.08	

[हिन्दी]

विदेशी व्यापार में वृद्धि

1628. डा० बलिराम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने अपने विदेशी व्यापार में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान विदेशी व्यापार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) डी० जी० सी० आई० एंड एस० के अनुमानों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विदेश व्यापार का ब्यौरा नीचे दिया गया है,

भारत का विदेश व्यापार

मिलियन यू० एस० डालर

	निर्यात	आयात
1994-95	26330	26654
1995-96	31797	36678
1996-97	33106	38548

(ख) देशवार ब्यौरा काफी बड़ा है और यह ब्यौरा डी० जी० सी० आई० एंड एस के प्रकाशन "भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी" मार्च, 1996 तथा मार्च 1997 में दिया गया है, जो कि संसद पुस्तकालय में रखे गए हैं।

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए 30 बिलियन यू. एस. डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) व्यापार सवंर्धन एक सतत् और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा नीति एवं संवर्धनात्मक उपायों के द्वारा सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के लगातार उपाय कर रही है। उदाहरणस्वरूप, 1997-2002 की नई एक्जिम नीति में नीति और प्रक्रियाओं में पर्याप्त सरलीकरण किया गया है, निर्यात क्षेत्र को कच्चे माल और निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आयातों का धीरे-धीरे उदारीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन आधार को विस्तृत तथा उदारीकृत किया जा रहा है; व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश विशिष्ट प्रयास भी किए गए हैं। निर्यात संवर्धन प्रयासों में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना लागू की गई है; विदेश में भारतीय उत्पादों की बेहतर छवि बनाने के लिए भारत ब्रांड इक्विटी कोष बनाया गया है; निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा व्यापार और उद्योग जगत के साथ पारस्परिक संपर्क करके चर्चाएं की जा रही हैं; निर्यात ऋण पर ब्याज दर कम की गई है तथा बेहतर अंतरमंत्रालयी समन्वय प्राप्त करने में निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकार प्राप्त एक निर्यात बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

कपास का निर्यात

1629. श्री राजाभाऊ ठाकरे :

श्री विजय अन्नाजी मुडे :

श्री हंसराज अहीर :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश से निर्यात की गई कपास की गांठों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को कपास निर्यात कोटा आबंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य के लिए कपास का समान आधार पर निर्यात किए जाने हेतु कोई सीमा निर्धारित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस निर्यात सीमा को बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) सरकार राज्यों को कपास के निर्यात का कोटा आबंटन नहीं करती है बल्कि विभिन्न राज्य विपणन परिसंघों तथा राज्य सरकार के निगमों को निर्यात कोटा आबंटन करती है। विभिन्न राज्य विपणन परिसंघों/निगमों द्वारा देश से निर्यात किए गए कपास के ब्यौरे संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं।

(ख) से (च) कपास के निर्यात कोटों की घोषणा सरकार द्वारा कपास के उत्पादन, उपलब्धता मिलों, छोटे कताईकर्ताओं तथा गैर-मिल क्षेत्र की खपत के अनुमान, संभावित बेशी, कीमत प्रवृतियों आदि सहित सभी संबद्ध कारकों पर ध्यान देने के बाद की जाती है। सरकार का यही प्रयास रहता है कि एक ओर कपास उपजकर्त्ताओं तथा दूसरी ओर कपास की खपत करने वाले क्षेत्रों विशेष विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के हितों के बीच संतुलन रखा जाए। कपास के मौसम (1996-97) में अब तक 13.42 लाख गांठों का निर्यात कोटा रिलीज किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई कपास की मात्रा के एजेंसी वार ब्यौरे

(लाख गांठ में-प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा०)

परिसंघ/निगम का नाम		1993-94	1994-95	1995-96
1		2	3	4
राजस्थान परिसंघ		0.150		
गुजरात परिसंघ	*	0.061	0.003	0.51785
हरियाणा परिसंघ		0.110		0.04770
महाराष्ट्र परिसंघ		0.500		4.19776
	*	0.304		
कर्नाटक परिसंघ				0.00600
म०प्र० परिसंघ				0.08925
म०प्र० निगम				
आंध्र प्रदेश परिसंघ				0.03400
पंजाब स्पिनिड		0.185		
पंजाब परिसंघ		0.200		0.13843
	* स्पिलओवर आफ 1992-93			
कुल		1.510	0.003	5.03099

फ्लोराइड संबंधी परियोजना

1630. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को मुख्य/अन्य "हेबिएशन" की फ्लोराइड संबंधी परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की मंजूरी न दिये जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार ने 45.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अजमेर जिले में फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों को जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एक परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) यह परियोजना उस पुरानी परियोजना के क्रम में है जिसे 16.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 644 ग्रामों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृत किया था। पूर्व परियोजना में संघटन अर्थात् मुखरचना, पम्प हाउस शोधन संबंधी एकक, पाईपलाईन इत्यादि अनुवर्ती चरणों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभिकल्पित है। चूंकि पूर्व परियोजना के संघटनों को क्रियान्वयन हेतु अभी हाथ में लिया जाना है, इसलिए सरकार ने पूर्व परियोजना की धीमी प्रगति संबंधी सूचना राज्य सरकार को पहले ही दे दी है। जो परियोजना अब प्रस्तुत की गई है वह सरकार के विचारधीन है और एक दल पुरानी और नई दोनों परियोजनाओं हेतु परियोजना क्षेत्रों का दौरा करेगी और वह पहली परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। दल की रिपोर्ट विचार-विमर्श हेतु जांच-पड़ताल करने, स्वीकृति प्रदान करने और पुनरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

केबल पर आयात शुल्क

1631. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केबल निर्माण हेतु कच्चे माल तथा तैयार केबल पर लगने वाले शुल्क में कितना अंतर है;

(ख) विदेशी प्रतिस्पद्धिओं की तुलना में घरेलू केबल उद्योग की अनुमानित लागत का ढांचा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केबल पर आयात शुल्क की पुर्नसंरचना के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि अत्यधिक मात्रा में आयात को जिसके फलस्वरूप काफी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है रोका जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केबलों पर मूल सीमा शुल्क की 40% की उच्चतम दर लगायी जाती है। केबलों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मुख्य कच्ची सामग्रियां अर्थात् अल्युमिनियम और तांबे पर क्रमश: 20% और 30% की दर से मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(ख) विदेशी प्रतिस्पर्द्धकों की तुलना में स्वदेशी केबल उद्योग के लागत ढांचे के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है और उसका पता लगाया जा रहा है।

(ग) इस सभ्य केबलों पर आयात शुल्क की पुर्नरसंरचना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन

1632. श्री सिद्दैया कोटा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई आयात नीति की समीक्षा आरंभ कर दी है और वह इसमें उद्योग द्वारा रखे गए कुछ सुझाव अंतर्विष्ट कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग द्वारा क्या सुझाव रखे गए हैं और मंत्रालय द्वारा इसकी किस हद तक समीक्षा की गई है;

(ग) क्या जवाहरात और आभूषणों के निर्यातकों को हो रही समस्याओं की नई आयात-निर्यात नीति के प्रकाश में समीक्षा किए जाने की संभावना है; और

(घ) नई आयात-निर्यात नीति को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) एग्जिम नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है जो उद्योग और व्यापार जगत से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। एग्जिम नीति में संशोधन इस उद्देश्य से किए जाते हैं जिससे कि इसे निर्यातकों के और अधिक अनुकूल बनाया जा सके और निर्यात संवर्द्धन के लिए यह एक प्रभावी तंत्र बन सके। अभी तक 8 अधिसूचनाएं और 26 सार्वजनिक सूचनाएं क्रमश: एग्जिम नीति और क्रियाविधि पुस्तिका में संशोधन करने के लिए जारी की जा चुकी हैं।

स्वर्ण एवं आभूषण निर्यातकों के सामने आ रही कठिनाइयों की समीक्षा की गई थी और इस संबंध में अधिसूचना और सार्वजनिक सूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में कार्यरत ई॰ ओ॰ यू॰/ई॰ पी॰ जेड॰ एककों को अब डी टी ए बिक्री की अनुमति दे दी गई है बशर्ते कि ई॰ ओ॰/यू॰ ई॰ पी॰ जेड॰ एककों द्वारा या डी टी ए क्रेताओं द्वारा लागू शुल्कों का भुगतान कर दिया जाए। कटक और सूरत स्थित डी जी एफ टी के क्षेत्रीय कार्यालयों को अब स्वर्ण एवं आभूषण योजना के संचालन की अनुमति दे दी गई है।

नई एग्जिम नीति 1.4.97 से प्रभावी है और 31.3.2002 तक वैध है।

चाय के मूल्य में वृद्धि

1633. श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो महीनों के दौरान चाय के मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो चाय के मूल्य को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय नीलामी केन्द्रों पर चाय के औसत मूल्यों में पिछले दो महीनों अर्थात् अप्रैल, 1997 की तुलना में मई-जून, 1997 के दौरान लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है। किन्तु, इसी अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में बेची जाने वाली चाय की किस्मों के खुदरा मूल्यों में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है।

चाय के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। चाय के मूल्य का निर्धारण बाजार में इसकी मांग और पूर्ति की स्थिति को देख कर किया जाता है। किन्तु, चाय के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये चाय बोर्ड ने चाय उद्योग के साथ वर्तमान चाय मूल्य की स्थिति पर विचार-विमर्श किया है। चाय उद्योग को यह सलाह दी गई कि वह बाजार में बड़ी मात्रा में चाय की उपलब्धता सुनिश्चित करे और चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 1984 का दृढ़ता से अनुपालन करे। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

कोयले पर रॉयल्टी

1634. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा :

श्री हंसराज अहीर :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा बिहार और अन्य राज्यों को कोयले पर दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कोयला खानों से निकाले गए कोयले का मूल्य कितना है और उस पर रॉयल्टी के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में स्थित खानों पर राज्यों का प्रभुत्व स्थापित करने और राजस्व तथा रायल्टी से प्राप्त राशि से विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयले पर रायल्टी का भुगतान संघ सरकार द्वारा नहीं किया जाना है। खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) में किए गए प्रावधानों के अनुसार, कोयला खनन पट्टेदारी के धारक द्वारा रायल्टी का भुगतान संबद्ध राज्य सरकार को किया जाना है। अत: कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (सि० को० कं० लि०) द्वारा कार्यचालित कोयला खानों के संबंध में रायल्टी का भुगतान इन कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को किया जाता है। दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार, को० इं० लि० द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा असम को भुगतान की जाने वाली रायल्टी की राशि क्रमश: 2.27 करोड़ रुपये, 12.74 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये तथा 0.87 करोड़ रुपये की है। दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार को० इं० लि० द्वारा बिहार और मध्य प्रदेश को रायल्टी की किसी राशि का भुगतान किया जाना देय नहीं है। 31.3.1997 की स्थिति को अनुसार सिं० को० कं० लि० द्वारा आंध्र प्रदेश को भुगतान की जाने वाली राशि 28.56 करोड़ रुपये की है।

(ख) को० इं० लि० तथा सिं० को० कं० लि० की कोयला खानों से खनन किए जाने वाले कोयले का मूल्य और उस पर अदा की गई रायल्टी की राशि का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1994-95		1995-96		1996-97	
	मूल्य	रायल्टी	मूल्य	रायल्टी	मूल्य	रायल्टी
पश्चिम बंगाल	1018.06	9.59	1121.93	7.82	1430.51	10.87
बिहार	2718.85	613.18	3048.75	658.33	3552.73	682.77
उड़ीसा	771.91	104.08	946.73	180.79	1089.03	185.33
महाराष्ट्र	915.49	159.70	1041.64	217.90	1699.41	200.29
मध्य प्रदेश	3066.96	438.91	3466.10	666.77	4181.66	684.14
उत्तर प्रदेश	526.61	87.39	617.30	113.50	700.17	121.41
असम	74.21	0.42	66.55	21.59	82.06	9.92
आंध्र प्रदेश	1361.51	144.53	1395.11	175.28	1797.98	234.79
जोड़	10453.60	1557.80	11704.11	2041.98	14533.55	2129.52

वर्ष 1996-97 हेतु पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा असम को अदा की जाने वाली रायल्टी की राशि के आंकड़े अनंतिम हैं। आंध्र प्रदेश के संबंध में कोयले के मूल्य तथा रायल्टी के भुगतान की राशि के आंकड़े केवल सिं० को० कं० लि० की खानों से संबंधित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार को कोयले पर रायल्टी की दरें निर्धारित करने की शक्ति खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अंतर्गत प्राप्त हैं। अधिनियम की धारा 2 में यह घोषणा की गई है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार खनिजों के विकास तथा खानों के विनियमन को अपने नियंत्रण के अधीन रखें।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

1635. **श्री शिवराज सिंह :**

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग कंपनियों के नकदी प्रवाह विवरण पत्रों तथा तुलन पत्रों का अध्ययन करने हेतु इनमें लेखा परीक्षकों की नियुक्ति किए जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देशों का अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे निर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि लघु निवेशकों को कोई कठिनाई नहीं हो, इन निर्देशों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एम ए(3) के अनुक्रम में, आर० बी० आई० को गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की विशेष लेखा-परीक्षा करवाने की शक्ति

प्रदान की गई है और बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की विशेष लेखा-परीक्षा कराने के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति कर सकता है और लेखा-परीक्षक/परीक्षकों से बैंक को रिपोर्ट देने का निदेश दे सकता है। तदनुसार, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने 5 करोड़ रुपये और अधिक की आस्ति वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विशेष लेखा-परीक्षा के प्रस्ताव को हाल ही में अनुमोदित कर दिया है। गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के आस्ति पक्ष का व्यापक मूल्यांकन करने की आवश्यकता को देखते हुए विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षण एक बारगी कार्य के रूप में किया जाएगा।

[अनुवाद]

रूस को चाय का निर्यात

1636. श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

श्री सुरेश प्रभु :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को अनुमानत: चाय का कितना वार्षिक निर्यात किया जाता है;

(ख) या रूसी सरकार द्वारा हाल ही में पैक चाय के आयात शुल्क में अत्यधिक बढ़ोतरी करने के कारण रूस को चाय के निर्यात में भारी कमी आयेगी;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा रूस को चाय के निर्यात में कमी नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) वर्ष 1996-97 में रूस को अनुमानत: 297.16 करोड़ रुपये मूल्य की 42.03 मिलियन कि॰ ग्रा॰ चाय का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) दिनांक 30.4.1997 को रूस की सरकार द्वारा अधिनियमित और रूसी राज्य सीमाशुल्क समिति द्वारा घोषित एक नए संकल्प के अधीन सभी चाय पैकों (काला एवं हरा दोनों) के आयात पर सीमा शुल्क की वर्तमान दर को 1 जून, 1997 से 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।

शुल्क में इस बढ़ोतरी से संभवत: भारत सहित सभी प्रमुख निर्यातक देशों से रूस में पैकेट चाय के आयात पर प्रभाव पड़ेगा।

(घ) रूसी अधिकारियों से पैकेट चाय पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की समीक्षा करने के लिए कहा गया है ताकि भारत से पैकेट चाय के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰ के अंतर्गत निर्यात समिति

1637. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में लघु क्षेत्र के धीमे निर्यात निष्पाद के परिणामस्वरूप लघु क्षेत्र-के एककों द्वारा निर्यात बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰ के अंतर्गत कोई निर्यात समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लघु क्षेत्र की अत्यधिक निर्यात संभावना का दोहन करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) निर्यात निष्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1997-98 हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय विनियमों का दुरुपयोग न किया जाए विनियामक निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में 1.7.91 को लघु औद्योगिक क्षेत्र में निर्यात के बारे में एक कोर ग्रुप स्थापित किया गया है। इस कोर ग्रुप में सरकार, व्यापार तथा उद्योग जगत से सदस्य लिए गए हैं। कोर ग्रुप की पहली बैठक जल्द ही होगी।

(ग) इस कोर ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर, लघु औद्योगिक क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जाएगी।

(घ) डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰ के बहुत से कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। जिन कार्यालयों का अभी तक कंप्यूटरीकरण नहीं हुआ है, उनके कंप्यूटरीकरण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नियमित निगरानी की जा रही है।

इंडियन बैंक का पुनर्वास

1638. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन बैंक के पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इंडियन बैंक ने वर्ष 1996-97 में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, नहीं। इंडियन बैंक ने एक निर्णायक पुनरुद्धार योजना का प्रारूप तैयार किया है। पुनरुद्धार योजना की संवीक्षा शुरू कर दी गई है, ताकि उसे अंतिम रूप प्रदान किया जा सके।

(ग) इंडियन बैंक का वर्ष 1996-97 का तुलन-पत्र अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक को 1996-97 का तुलन पत्र प्रकाशित करने के लिए 15 अगस्त, 1997 तक का समय दिया है।

जहाजरानी क्षेत्र के लिए विदेशी मुद्रा

1639. श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपोतों के अधिग्रहण हेतु प्रति-वर्ष विदेशी मुद्रा आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान विदेशी वाणिज्यिक ऋण के अंतर्गत कुल ऋण 3.9 प्रतिशत था परन्तु जहाजरानी उद्योग को यह आबंटन 4 प्रतिशत से कम था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जहाजरानी क्षेत्र प्रत्यक्ष ऋण अथवा गारंटी के तौर पर धन जुटाने में सरकार से अब पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या जहाजरानी क्षेत्र के लिये विदेशी मुद्रा हेतु कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान जहाजरानी क्षेत्र को विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत अनुमोदन इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)
1995-96	105.404
1996-97	145.880
1997-98	83.120 (30.6.97 तक)

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में भारतीय निगमों द्वारा निवेश

1640. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में भारतीय निगमों द्वारा निवेश से संबंधित मानदंडों को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप हमारे देश को कितना लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा फास्ट ट्रैक रूट के अतिरिक्त, जिसके तहत आर॰ बी॰ आई॰ निर्यात ट्रैक रिकार्ड के आधार पर 4 मिलियन यू॰ एस॰ डालर तक के विदेशी निवेशों के प्रस्तावों के लिए अनुमोदन जारी करता है, सरकार ने विदेशों में संयुक्त उद्यमों एवं पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश करने के लिए दो नए फास्ट ट्रेक रूट शुरू किए हैं। एक्सचेंज अर्नर्स फारेन करेंसी (ई॰ ई॰ एफ॰ सी॰) एकाउंट में से पूंजी निवेश करने के मामले में अधिकतम 15 मिलियन यू॰ एस॰ डालर तक और यह सरकार की अनुमति से जुटाए गए ग्लोबल डिपोजिट्री रिसीट की राशि से पूंजी निवेश के मामले में 50% तक निवेश किया जाता है। ई॰ ई॰ एफ॰ सी॰ लेखाओं में बकाया रकम से निवेश करने की अनुमति प्राधिकृत डीलरों द्वारा दी जाएगी। 15 मिलियन डालर की इस सीमा में मौजूदा फास्ट ट्रैक के तहत 4 मिलियन यू॰ एस॰ डालर की सीमा भी शामिल है। इन दो नए फास्ट ट्रैक रूटों के तहत किए गए निवेश इस दायित्व के अधीन भी नहीं होंगे कि निवेश की गई राशि को 5 वर्ष की अवधि में स्वदेश में रकम भेजकर निष्प्रभावी किया जाए।

(ग) उपर्युक्त उदारीकरण की घोषणा भारतीय निगमों को सार्वभौमिक बनाने के लिए तथा पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता की ओर चलने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप की गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा बैंकों को जारी निदेश

1641. श्री वी॰ वी॰ राघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने बैंकों से उन निर्यातकों के नाम तथा आंकड़े मांगे हैं जो विदेशों में अपने माल कि की गई बिक्री से अर्जित आय को वापिस देश से नहीं लाए और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा देश में नहीं आ सकी;

(ख) यदि हां, तो विदेश व्यापार महानिदेशक को अब तक प्राप्त आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी निर्यातकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) हाल ही में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी ई आई बी), वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसे प्राप्त जानकारी के अनुसार अनेक निर्यातकों ने अपने निर्यात से अर्जित मुद्रा स्वदेश नहीं भेजी है।

डी जी एफ टी ने अपने क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को तुरन्त निर्देश जारी किया कि वे इस संबंध में क्षेत्रीय भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के अधिकारियों से आवश्यक ब्यौरे एकत्र करें और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच करें।

आर बी आई द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अपने निर्यात से अर्जित आय को स्वदेश भेजने में दोषी पाए जाने वाले निर्यातकों के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात-आयात नीति 1997-2002 के पैरा 11.3 में यथा-निर्धारित विदेश व्यापार (विकास एंव विनियम), अधिनियम, 1992 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

बायवोल्टाइन रेशम का उत्पाद

1642. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की जे॰ आई॰ सी॰ ए॰ ने विशेष बायवोल्टाइन रेशम के उत्पादन के लिए कर्नाटक में कुछ जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो चुने गये जिलों के नाम क्या हैं और इन जिलों में विशेष बायवोल्टाइन रेशम के उत्पादन के लिए प्रदान की गयी सहायता की राशि क्या है; और

(ग) कनार्टक में जापान की जे० आई० सी० ए० के बायवोल्टाइन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज-II से इन जिलों में कितने रेशम बुनकर लाभान्वित होंगे?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जे० आई० सी० ए० परियोजना के अंतर्गत विशेष द्विफसलीय रेशम के उत्पादन के लिए कर्नाटक में निम्नलिखित चार जिलों को चयनित किया गया है:

1. मांड्या
2. तुमकुर
3. चित्रदुर्ग
4. हासन

जे० आई० सी० ए० द्वारा विशेषज्ञों की सेवाओं, भारतीय विशेषज्ञों/केन्द्रीय रेशम बोर्ड के स्टाफ का प्रशिक्षण द्वारा तथा उपकरणों को प्रदान कर प्रौद्योगिकी अन्तरण के रूप में परियोजना की सहायता की गयी है।

(ग) चूंकि परियोजना चरण-I में विकसित प्रौद्योगिकी के सत्यापन तक सीमित है, बुनकरों को इस समय सीधे अतिरिक्त लाभों को देने की अपेक्षा नहीं की गयी है, प्रौद्योगिकी के सत्यापन तथा लोकप्रिय होने के बाद, गुणवत्ता श्रेणी के रेशम के उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कोसे उपलब्ध होंगे।

फोकस ऑफ एशिया सोसाइटी

1643. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोकस आफ एशिया सोसाइटी तीन दिवसीय सम्मेलन 5 मार्च, 1997 को हुआ था जिसमें अनेक एशियाई देशों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(ग) ये निर्णय भारत के लिए कितने सहायक हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। यह सम्मेलन 6 से 8 मार्च, 1997 तक, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ फरवरी, 1997 में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट के सकारात्मक पहलुओं और 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आशावादी संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें एशियाई राष्ट्रों के लिए त्वरित व्यापार उदारीकरण के बेहतर अवसरों और चुनौतियों, महत्वपूर्ण आयामों वाली स्थायी समस्याओं के निराकरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी की आवश्यकता, भारत और चीन के बीच अधिक सन्निकट व्यापार संबंधों के महत्व तथा ए० पी० ई० सी० (अपेक) जैसे मंचों की सार्थकता पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना के विकास में भारत का पिछड़ापन धीमे और अपर्याप्त वित्तीय बाजार सुधार, स्पष्ट नीतियों की कमी और सक्षम अधिकारी तंत्र का भी उल्लेख किया गया। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि सुधारों को सफल बनाने के लिए भारत की ग्रामीण जनसंख्या को आधारभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली की भूमिका और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुर्नसंरचना तथा मुद्रा की उच्च लागत को कम किए जाने की आवश्यकता सम्मेलन में उल्लेख किए गए अतिरिक्त विषय थे।

(ग) भारत की आर्थिक सुधारों की नीति में अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत ढांचे का विकास, लाल फीताशाही की समाप्ति और सामाजिक न्याय के साथ विकास पर जोर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

भोपाल में करेंसी विभाग

1644. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की भोपाल शाखा में करेंसी विभाग खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विभाग के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) ने सूचित किया है कि भोपाल में एक पूर्णरूप से यांत्रिक निर्गम विभाग खोलने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आर० बी० आई० ने आगे यह भी सूचित किया है कि इस निर्गम विभाग को प्रारंभ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

बैंक शाखाओं में हिन्दी का प्रयोग

1645. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बैंकों की "क" "ख" और "ग" श्रेणियों में ऐसी कितनी शाखाएं है जो हिन्दी में कार्य कर रही हैं तथा उन "क" और "ख" श्रेणी की शाखाओं में से ऐसी कितनी शाखाएं है जो 70 अथवा शत-प्रतिशत कार्य राजभाषा अर्थात् हिन्दी में करती हैं। अथवा जितना भी कार्य करती हैं वे इसी भाषा में करती हैं;

(ख) इन "ग" श्रेणी बैंकों में हिन्दी में किए जाने वाले कार्य की स्थिति क्या है;

(ग) इन बैंकों द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में कितनी गृह-पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं और क्या इन बैंकों का विचार स्वतंत्रता के स्वर्ण-जयंती वर्ष के अवसर पर इन पत्रिकाओं के विशेष अंक प्रकाशित करने का है; और

(घ) क्या इन बैंकों में आधुनिक उपकरण द्विभाषी हैं तथा इन उपकरणों का प्रयोग करके हिन्दी में कितने प्रतिशत कार्य किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को मॉनीटर करने के लिए

राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में ऐसा कोई विशिष्ट कॉलम नहीं है, जिसके द्वारा उन बैंक शाखाओं की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा सके जहाँ 75 या 100 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो आंकड़े भेजे गए हैं वे समग्र रूप से "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित बैंकों से संबंधित है। मार्च, 1997 को समाप्त तिमाही के दौरान "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार की बैंकवार प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दर्शायी गई है।

(ग) 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं से संबंधित सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रदत्त संलग्न विवरण-II में दी गई है जहाँ तक स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अपनी पत्रिकाओं के विशेषांक प्रकाशित करने के बैंकों के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अधिकांश इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है और कुछ पर्सनल कंप्यूटरों में शब्द संसाधन के लिए द्विभाषी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों और पर्सनल कंप्यूटरों पर हिन्दी में किए जा रहे कार्य की प्रतिशतता संलग्न विवरण-III में दर्शायी गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत

(मार्च, 1997 को समाप्त तिमाही के अनुसार)

क्रम० सं०	बैंक का नाम	क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्रा बैंक	92.36	82.53	56.38
2.	इंडियन ओवरसीज बैंक	87.2	70.60	39.00
3.	इंडियन बैंक	58.95	53.31	16.20
4.	इलाहाबाद बैंक	98.50	87.01	54.11
5.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	93.96	81.9	43.2
6.	कारपोरेशन बैंक	67.60	48.43	50.10
7.	केनरा बैंक	85.63	86.80	66.80
8.	देना बैंक	97.96	80.66	71.89
9.	पंजाब एंड सिंध बैंक	60.5	20.3	9.0
10.	पंजाब नेशनल बैंक	97.56	90.90	53.00
11.	बैंक आफ इंडिया	96.69	89.28	70.49
12.	बैंक आफ बड़ौदा	97.62	86.09	62.82
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	90.34	85.90	52.68
14.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	69.16	48.70	27.57
15.	यूको बैंक	89.00	70.00	34.00
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	94.23	85.88	66.60
17.	विजया बैंक	91.40	67.36	58.10
18.	सिंडिकेट बैंक	67.00	64.05	49.03
19.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	98.85	90.47	62.28

विवरण-II

प्रकाशित पत्रिकाओं की कुल संख्या

(मार्च, 1997 को समाप्त तिमाही)

बैंक का नाम	कुल प्रकाशन			द्विभाषी			अंग्रेजी			हिन्दी		
क्षेत्र	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
1. आन्ध्रा बैंक	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2. इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3. इंडियन बैंक	3	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1
4. इलाहाबाद बैंक	8	-	5	-	-	1	-	-		8	-	4
5. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1	1	1	1	1	1	-	-		-	-	-
6. कारपोरेशन बैंक	1	1	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-
7. केनरा बैंक	1	-	1	1	-	1	-	-		-	-	-
8. देना बैंक	3	4	-	-	3	-	-	-	-	3	1	-
9. पंजाब एंड सिंध बैंक	2	2	2	1	1	1	-	-	-	1	1	1
10. पंजाब नेशनल बैंक	11	3	2	2	-	-	-	-	-	9	3	2
11. बैंक ऑफ इंडिया	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12. बैंक ऑफ बड़ौदा	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
14. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1	-	-	1	-	-		-	-	-
15. यूको बैंक	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22	15	17	-	1	-	-	-	-	22	14	17
17. विजया बैंक	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
18. सिंडिकेट बैंक	-	-	8	-	-	5	-	-	-	-	-	3
19. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

विवरण-3

इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों और कंप्यूटरों पर हिन्दी में किए गए कार्य की प्रतिशतता

(मार्च, 1997 को समाप्त तिमाही)

बैंक का नाम	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर किये गये कार्य का प्रतिशत			कंप्यूटरो पर किए गये कार्य का प्रतिशत					
				जिस्ट			द्विभाषी साफ्टवेयर		
क्षेत्र	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
1. आन्ध्रा बैंक	-	-	20	-	25	-	-	-	6
2. इंडियन ओवरसीज बैंक	50	50	-	2	3	2	-	-	-
3. इंडियन बैंक	-	35	-	20	115	-	-	-	5
4. इलाहाबाद बैंक	100	87	54	56	42	-	-	-	27
5. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	73	45	25	-	-	-	-	-	-
6. कारपोरेशन बैंक	67	66	44	-	3	15	48	5	-

	क्षेत्र क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
7. केनरा बैंक	80	70	50	10	-	5	55	20	15
8. देना बैंक	96	65	86	-	42	12	21		-
9. पंजाब एंड सिंध बैंक	-	-	-	25	-	-	-	-	-
10. पंजाब नेशनल बैंक	60	75	-	8	10	5	-	-	-
11. बैंक आफ इंडिया	80	75	82	-	-	-	60	8	68
12. बैंक आफ बड़ौदा	85	60	20	3	-	-	28	20	20
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	96	65	20	-	49	-	67	-	27
14. यूको बैंक	60	50	45	-	15	-	32	-	25
15. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	25	10	10	5	5	10	5	-	-
16. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. विजया बैंक	100	66	48	-	-	-	-	-	-
18. सिंडिकेट बैंक	29	50	25	3	10	-	-	-	3
19. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	71	56	26	-	19	-	40	-	15

[अनुवाद]

करेंसी नोट और सिक्के

1646. श्री आचार चन्द गहलोत :

श्री वी॰ धनंजय कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टकसालों और करेंसी नोट छापाखानों की संख्या क्या है तथा उनकी स्थानवार क्षमता क्या है;

(ख) किन-किन स्थानों पर टकसालों और करेंसी नोट छापाखानों का निर्माण किया जा रहा है तथा उनकी संभावित क्षमता क्या है तथा वे टकसाल कब तक अपना उत्पादन आरंभ कर देंगे;

(ग) विभिन्न केन्द्रों के पर्याप्त संख्या में सिक्के तथा करेंसी नोट आपूर्ति करने की प्रक्रिया क्या है और सिक्कों तथा नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) प्रत्येक टकसाल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित योजना क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) देश में टकसालों और करेंसी नोट छपाई कारखानों के विवरण और इन की क्षमता निम्नानुसार है :

इकाई का नाम	स्थान	वर्तमान वार्षिक क्षमता (मिलियन अदद में)
1 2	3	4
1. भारत सरकार टकसाल	मुम्बई	750
2. भारत सरकार टकसाल	कलकत्ता	750
3. भारत सरकार टकसाल	हैदराबाद	400
4. भारत सरकार टकसाल	नौएडा (उ॰प्र॰)	2000
5. बैंक नोट प्रेस	देवास (म॰प्र॰)	1875
6. करेंसी नोट प्रेस	नासिक	4000

भारतीय रिजर्व बैंक भी दो और नोट प्रिंटिंग मुद्रणालय एक कर्नाटक में मैसूर में और एक अन्य पश्चिम बंगाल में सालबोनी में स्थापित कर रहा है। इन दोनों मुद्रणालयों में क्रमश: 1.6.96 और 11.12.96 से मशीनों की एक श्रृंखला ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। 1999 के अंत तक इनके पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद उन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 9900 मिलियन अदद हो जाएगी।

मुम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में स्थित भारत सरकार टकसालों का आधुनिकीकरण चल रहा है जिससे उनकी क्षमता बढ़कर निम्नानुसार हो जाएगी :

ईकाई का नाम	परियोजना के पूरे होने की संभावित तारीख	आधुनिकीकरण के बाद क्षमता (मिलियन अदद में)
1. आई॰ सी॰ एम॰ मुम्बई	31.12.98	1000
2. आई॰ सी॰ एम॰, कलकत्ता	31.12.97	1000
3. आई॰ सी॰ एम॰ हैदराबाद	31.12.97	700

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की करेंसी तिजोरी शाखाओं के जरिए सिक्कों/नोटों की आपूर्ति विभिन्न केन्द्रों को की जाती है। देश में सिक्कों/नोटों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. मुम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित भारत सरकार की टकसालों का आधुनिकीकरण
2. 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए का पूर्ण सिक्काकरण और

इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई में करना।

3. नासिक और देवास स्थित विद्यमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में दो और नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना (एक कर्नाटक में मैसूर में और एक अन्य पश्चिम बंगाल में सालबोनी में) और

5. एक बारगी उपाय के रूप में 3600 मिलियन अदद (कुल अंकित मूल्य 1,00,000 करोड़ रुपए) की सीमा तक मुद्रित नोटों और 1000 मिलियन अदद सिक्कों) कुल अंकित मूल्य 130 करोड़ रुपए) का आयात करना।

महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपो

1647. श्री दत्ता मेघे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपो का ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए/किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पश्चिमी भाग में स्थापित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपुओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) देश में इनलैंड कन्टेनर डिपो (आई सी डी)/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सी एफ एस) की स्थापना के प्रस्तावों को एक ही स्थान से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में 1992 में एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आई एम सी) कार्य कर रही है। इनलैंड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (आई सी डी/सी एफ एस) की स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है। आई एम सी द्वारा प्रस्तावों के प्राप्त होने पर गुणावगुण व्यवहार्यता के आधार पर विचार किया जाता है और इस प्रकार ऐसे किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की कल्पना नहीं की गई है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में इनलैंड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों का ब्यौरा

(क) महाराष्ट्र - वादीबन्दर, पुणे (3) भान्दूप, जे एन पोर्ट, मुलुन्द, नावा शेवा (2) द्रोणागिरी नोड (4) औरंगाबाद, नागपुर (2), जलगांव, वालुज, जासकर (नावा शेवा), चान्जे (शेवा के नजदीक)

(कोष्ठक में दिए गए अंक कुल संख्या को दर्शाते हैं)

विवरण-II

निजी पार्टियों के इनलैंड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों का ब्यौरा

(ख) नावा शेवा (2)* द्रोणगिरी, जासकर (नावा शेवा) दिघी (पुणे), चान्जे (शेवा के नजदीक)

* (नावा शेवा के दो डिपो में से एक कार्यरत है बाकी सभी कार्यान्वयन के अधीन है)

अग्रिम विनिर्णय संबंधी प्राधिकरण

1648. श्री पी० चण्मुगम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों के लिए अग्रिम विनिर्णय संबंधी प्राधिकरण ने कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण से कितने अनिवासी भारतीयों ने अग्रिम विनिर्णय मांगें हैं;

(ग) अनिवासी भारतीय के दर्जे का दावा करने वाले भिन्न-भिन्न देशों में बसे अनिवासी भारतीयों और प्राधिकरण से मांगे गए अग्रिम विनिर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण से ऐसे अग्रिम विनिर्णय मांगने वाले अनिवासी भारतीयों से सरकार द्वारा अब तक कितना राजस्व अर्जित किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अनिवासी भारतीयों के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण 15 जुलाई, 1994 से कार्य कर रहा है

(ख) गत एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण से 20 अनिवासी भारतीयों ने अग्रिम विनिर्णय मांगा है।

(ग) अग्रिम विनिर्णय मांगने वाले अनिवासी भारतीयों के विवरण उनके निवास करने के देश के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्राधिकरण अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए या न किए गए प्रस्तावित लेन-देनों के संबंध में विनिर्णय देता है। अत: विनिर्णय का राजस्व पर कोई प्रभाव हो भी सकता हैं नहीं भी हो सकता है।

विवरण

1.8.96 के बाद अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से अग्रिम विनिर्णय मांगने वाले अनिवासी भारतीयों के नाम और उनके निवास को दर्शाते हुए विवरण

क्रम सं०	नाम	निवास का देश
1	2	3
1.	श्री सुनील हरिराम मखीजा	सं०अ०अ०
2.	डा० सुरेश भंडारी	सं०रा०अ०
3.	श्री ऋषिप्रकाश गुप्ता	सं०अ०अ०
4.	नारायणन पुडुकोडे परमेश्वरन	सं०अ०अ०
5.	उषा नारायणन	सं०अ०अ०
6.	श्री लक्ष्मी अलीमचन्द्र भाटिया	सं०अ०अ०
7.	श्री अजय कुमार राठी	सं०रा०अ०
8.	डा० महाराज कृष्ण वांचू	सं०रा०अ०
9.	श्रीगोधेमशेट्टी सुब्रमणियम	सं०अ०अ०
10.	श्री गणेश श्रवण पटेल	सं०अ०अ०
11.	श्री जमनादास ओधवाजी सेठ	सं०अ०अ०

1	2	3
12.	श्री पी० आर० सुब्रमणियम	सं०अ०अ०
13.	श्रीमती शारदा सुब्रमणियम	सं०अ०अ०
14.	श्री सुनील स्टेनिसलस जार्ज रिबैलो	सं०अ०अ०
15.	श्री ए० एस० मणि	बहरीन
16.	डा० प्रजेश कुमार सिन्हा	जाम्बिया
17.	डा० अंजलि सिन्हा	जाम्बिया
18.	देवाभाकुटनी दुर्गा	सं०अ०अ०
19.	श्री निहालचंद चुन्नीलाल चौहान	सं०अ०अ०
20.	श्री तेजेन्द्र सिंह सेठी	सं०अ०अ०

उत्पाद शुल्क अपवंचन

1649. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या वित्त मंत्री उत्पाद शुल्क अपवंचन के बारे में 21 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4377 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अब सूचना एकत्र कर ली गई है।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत ब्रांड नाम वाले माल के पुर्जों के विनिर्माण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से अनुमति प्राप्त करना जरूरी नहीं है। तथापि, लघु उद्योग शुल्क छूट योजना में अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम अथवा व्यापारिक नाम वाला कोई माल शामिल नहीं है। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान ब्रांड नाम वाले माल का विनिर्माण करने वाली 109 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कथित रूप से 741.64 लाख रुपए के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में 95 इकाइयों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।

(ग) प्राप्त सूचना के आधार पर, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4377 के संबंध में दिया गया आश्वासन 29.5.97 को तीन महीने की निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया गया है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बचत

1650. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के बाद राष्ट्रीय बचत संग्रह में गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी गिरावट आई है;

(ग) इसमें गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय बचत सिक्यूरिटी पर दिए जाने वाले ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जा रहे ब्याज की दर से कम है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त ब्याज दर में कितना अन्तर है;

(च) क्या सरकार राष्ट्रीय बचत की सिक्यूरिटी पर ब्याज की दर बढ़ाने पर विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न लघु बचत योजनाओं में सकल संग्रहण 1995-96 की तुलना में 1996-97 में वृद्धि का रुख दर्शाता है। वर्ष 1996-97 के अंतिम आंकड़े आने बाकी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) फिलहाल, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आयकर न्यायाधिकरण

1651. श्री पी० उपेन्द्र : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की खंड स्थापित किए जाने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) और (ख) जी, हां। विजयवाड़ा में आयकर अपील अधिकरण की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए मांग की गई है।

(ग) इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, सरकार ने हाल ही में विशाखापत्तनम में अधिकरण की एक न्यायपीठ की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा टायर का निर्माण करना

1652. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में टायरों का निर्माण करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे कौन-कौन सी कंपनियां है जिन्हें अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति प्रदान करने से पूर्व स्वदेशी टायर उद्योग के साथ कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वदेशी टायर उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार देश में टायरों तथा अन्य रबड़ उत्पादों के विनिर्माण के लिये किसी अनुमति अथवा औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। मैसर्स गुडियर इंडिया लि०, मैसर्स डनलप इंडिया लि०, मैसर्स, ब्रिजस्टोन ए० सी० सी० इंडिया लि० इत्यादि जैसी कुछ भारतीय टायर विनिर्माताओं ने आटोमोटिव/रेडियल टायरों के विनिर्माण के लिये विदेशी कंपनियों के साथ वित्तीय सहयोग के साथ-साथ तकनीकी सहयोग भी किया है। विदेशी निवेश/तकनीकी सहयोग के ब्यौरे समय-समय पर एस० आई० ए० न्यूजलैटर में प्रकाशित किये जाते हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में नियमित रूप से रखी जाती हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रबड़ पार्क

1653. श्री शरत पटनायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न भागों में रबड़ पार्क स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) सरकार ने केरल के एर्नाकुलम जिले के इरापूरम में केरल औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम (किन्फ्रा) के साथ मिल कर एक रबड़ पार्क स्थापित करने के रबड़ बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस पार्क का उद्देश्य 100 एकड़ भूमि का विकास करना है जिसमें रबड़ और रबड़ काष्ठ पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी जैसे बिजली और पानी, रबड़ उत्पादों की गुणवत्ता की केन्द्रीयकृत जांच एवं प्रमाणन फैक्टरी के कचड़े की निकासी एवं उसका निरूपण, दूर-संचार, सुविधाएं इत्यादि। देश में किसी अन्य रबड़ पार्क की स्थापना करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

महिला न्यायालय

1654. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्रीमती मीरा कुमार :
श्री अशोक प्रधान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं पर किए जा रहे विभिन्न अत्याचार संबंधी मामलों से निपटने हेतु देश में राज्यवार कितने महिला न्यायालयों की स्थापना की गयी है;

(ख) क्या इन न्यायालयों द्वारा इन मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन न्यायालयों की संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन

1655. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक उद्यमियों द्वारा दिनांक 1.8.91 से 30.6.97 तक दिये गये ज्ञापनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस ज्ञापनों में बताए गए निवेश और पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) 1.8.91 से 30.6.93 तक की अवधि के दौरान 2,20,064 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से 9,893 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गये थे और उनकी पावती भेजी गई तथा 19,98,130 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रस्तावित निवेश के राज्यवार ब्यौरे तथा इन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में सृजित किये जाने वाले प्रस्तावित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1.8.91 से 30.6.93 तक प्रस्तुत किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य का नाम	दायर किये गये औ०उ०ज्ञा०की सं०	निवेश (करोड़ रुपये)	रोजगार
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	566	18296	125421
2. असम	26	364	2814
3. बिहार	104	2853	12890
4. गुजरात	104	31994	274459
5. हरियाणा	706	8742	130677
6. हिमाचल प्रदेश	95	3612	32093
7. जम्मू व कश्मीर	17	99	6421
8. कर्नाटक	362	10418	61111
9. केरल	71	2268	16731
10. मध्य प्रदेश	692	24212	187613
11. महाराष्ट्र	1689	40979	311450
12. मेघालय	2	9	217
13. नागालैंड	1	1	140
14. उड़ीसा	68	1749	31857

1	2	3	4
15. पंजाब	682	8523	193350
16. राजस्थान	658	11329	143353
17. तमिलनाडु	644	10789	94800
18. त्रिपुरा	3	1038	1345
19. उत्तर प्रदेश	1227	27086	226476
20. पश्चिमी बंगाल	356	6636	79415
21. सिक्किम	6	10	358
22. अंड. व नि. द्वीप समूह	4	261	2180
23. चडीगढ़	8	114	3034
24. दादरा व नागर हवेली	90	1118	10255
25. दिल्ली	235	4823	31301
26. गोवा	49	1068	7630
27. पांडिचेरी	52	317	5318
28. दमन व दीव	70	1356	5421
कुल योग	9893	220064	1998130

निर्यात संवर्धन योजना का दुरुपयोग

1656. श्री नामदेव दिवाचे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1997 के "द इकनॉमिक टाइम्स" में "डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰ टू क्लैम्प डाउन ऑन मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम एडवांस्ड लाइसेंसिंग-ई॰ पी॰ सी॰ जी॰ स्कीम्स टू बी मानीटर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमे की गई टिप्पणियों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के प्रावधान के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए दुरुपयोग के मुख्य मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) नई रिपोर्ट में विदेश व्यापार महानिदेशालय की कार्य योजना को संक्षिप्त रूप से रेखांकित किया गया है-

1. अग्रिम लाइसेंसिंग (क्यू ए बी ए एल और बी ए बी ए एल) तथा निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ई॰ पी॰ सी॰ जी॰) योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निर्यात दायित्व को कठोर मानीटरिंग के लिए। इन योजनाओं के अनुसार, निविष्टियों/पूंजीगत वस्तुओं इत्यादि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति निर्धारित निर्यात दायित्व के अंतर्गत दी गई है जिसे कि विशेष समयावधि में पूरा किया जाना था; तथा

2. विदेश व्यापार महानिदेशालय की प्रवर्तन शाखा को सुदृढ़ करने के लिए जिससे कि उन निर्यातकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके जिन्होंने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया है।

(ग) सरकार को अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत अनेक मामलों का पता चला है जिनमें निर्यातकों ने डी जी एफ टी द्वारा इसके लिए दी गई अनुमति की अवधि के अन्दर अपने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया है। किन्तु, ई॰ पी॰ सी॰ जी॰ योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करने के मामले काफी कम हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुरुपयोग के जिन बड़े मामलों का पता चला है वे निम्नांकित से संबंधित हैं :

1. निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करना एवं आयातित वस्तुओं का अनधिकृत निपटान;
2. प्लास्टिक क्षेत्र में तथा पीतल की छीलन के आयात के बारे में पता लगाए गए मामले जहां लाइसेंसों के आवेदन में तथ्यों की गलत घोषणा और तथ्यों को छुपाना पाया गया;
3. स्थानांतणीयता मांगे जाने के समय मोडवैट का उपयोग करने के बारे में गलत घोषणा;
4. निर्यात, विशेषकर पालिस्टर धागे के निर्यात में बढ़ाकर बीजक बनाना।

(ङ) उपयुक्त कार्रवाई निम्नानुसार की गई है :

1. निर्यात दायित्व को पूरा करने में नेक नीयत वाली चूक के मामलों में चूककर्ताओं को सीमा शुल्क के तथा ब्याज का भुगतान एवं विशेष आयात लाइसेंस को लौटाकर अपनी चूक को व्यवस्थित करने के अवसर दिए गए;
2. आयातित वस्तुओं के अनधिकृत निपटारे के मामलों में लाइसेंस के निरस्त करने या वित्तीय दंड लगाने की कार्रवाई शुरू की गयी;
3. आवेदन में निवेशों की सी॰ आई॰ एफ॰ कीमतों की गलत घोषणा करने के मामले में लाइसेंसों के मूल्यों में कमी;
4. उन प्रामाणिक मामलों का निपटारा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जहां मोडवैट का गलत रूप से उपयोग किया गया तथा बाद में उसे उलट दिया गया;
5. पीतल की छीलन और चुनिन्दा प्लास्टिक निविष्टियों को इसकी परिधि में लाकर "संवेदनशील सूची" का विस्तार किया गया;

6. जहां कहीं भी मामले के तथ्यों में ऐसी जरूरत थी, मामलों को विशेषीकृत एजेंसी जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय तथा सी० बी० आई० को आगे की जांच के लिए सौंप गया।

[हिन्दी]

वित्तीय अपराध

1657. श्री जयसिंह चौहान :

श्री बी० एल० शंकर :

श्री टी० गोपाल कृष्ण :

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री पी० धणमुगम :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1997 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "पोइल विल डिवाइज स्ट्राटेजी टू काउनसेट फाइनेंशियल कराइम्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पैनल द्वारा देश में काले धन की चुनौती को कहां तक नियंत्रण करने की संभावना है;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार काला धन कितना है तथा सरकार के अनुमान के अनुसार यह 31 जुलाई, 1997 तक कितना होगा;

(ङ) 31 जुलाई, 1997 तक इनमें देश के सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता कितनी है; और

(च) इसे कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) आर्थिक अपराधों की रोकथाम करने के लिए समन्वय कार्य को सुदृढ़ करने एवं एकीकृत नीति तैयार करने की दृष्टि से आर्थिक आसूचना परिषद् का गठन किया गया है। 4 जुलाई, 1997 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे समाचार से इस आर्थिक आसूचना परिषद् के कार्यकरण के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होने से देश में काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अभिकल्पित उपायों में अधिक से अधिक सफलता मिलेगी।

(घ) से (च) देश में इस समय प्रचलन में काले धन की राशि के संबंध में सरकारी तौर पर कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने वर्ष 1983-84 में 31,584 करोड़ रुपये से लेकर 36,784 करोड़ रुपये के बीच काला धन के होने का अनुमान लगाया था। तत्पश्चात् इस विषय पर कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार, काले धन की वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर उचित समझे गए आवश्यक विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान की दरों को उत्तरोत्तर युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 में ऐसे अनेक उपबंध निहित हैं जिनका उद्देश्य काले धन की उत्पत्ति पर अंकुश लगाना है। इन उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44-कक और 44-कख के अंतर्गत उपयुक्त मामलों में लेखों का अनिवार्य रूप से रख-रखाव और उनकी लेखा-परीक्षा किए जाने, धारा 40-क(3) 269 धध और 269-न के अंतर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध लगाने, अध्याय xx-ग के अंतर्गत संपत्तियों के पूर्व क्रयाधिकार खरीद करने संबंधी उपबंध शामिल हैं और कर चूककर्त्ताओं को दंडित करने के लिए अर्थदंड लगाने और अभियोजन चलाने से संबंधित उपबंध बनाए गये थे। इस अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों, तलाशियों आदि से संबंधित उपबंध भी निहित हैं।

[अनुवाद]

न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधायें

1658. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका के लिए मुख्य बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु महाराष्ट्र को अनुदान दिए जाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अप्रैल, 1993 से मार्च, 1997 तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को देय 1439.51 करोड़ रुपए की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इतनी अत्यधिक बकाया राशि जमा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बकाया राशि का दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी, नहीं। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की बाबत व्यय, जिसमें अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के उपबंध भी हैं, संबंद्ध राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए 1993-94 से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम आरंभ की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य, राज्य सरकारों के संसाधनों की अनुपूर्ति करना था। यह स्कीम न्यायालय भवन तथा न्यायाधीशों के लिए आवासों के सन्निर्माण तक सीमित है। योजना आयोग से प्राप्त रकम, इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग द्वारा अधिकथित मानदंड के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघराज्यों क्षेत्रों को आबंटित की जाती है। इन मानदंड के आधार पर वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक के लिए महराष्ट्र को 1279.30 लाख रुपए की रकम दी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए महाराष्ट्र को अंनतिम रूप से 315.71 लाख रुपए की रकम आबंटित की गई है जिसमें से 158.00 लाख रुपए की पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। स्कीम के प्रमुख मानदंडों में से एक मानदंड यह है कि राज्य सरकार को, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रकम का तुल्य अंश देने के लिए आगे

आना चाहिए। तथापि, राज्य सरकारें, अपने संसाधनों पर निर्भर रहते हुए, अतिरिक्त रकम खर्च करने के लिए स्वतंत्र है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायाधीशों की विदेश यात्रा

1659. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन-किन माननीय न्यायाधीशों ने किन-किन देशों की यात्रा की;

(ख) ऐसी यात्राओं पर केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी अन्य राज्य अभिकरण को कितनी राशि खर्च करनी पड़ी है; और

(ग) क्या ये यात्राएं सरकारी हैसियत से की गई थीं अथवा किसी अन्य हैसियत से तथा विदेश में इनके प्रवास की अवधि कितनी है;

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना हेतु चयन समिति

1660. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी० एम० आर० वाई०) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में बैंकों की भागीदारी है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के मामलों के निपटान में कितना समय लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या बैंक ऋण समिति द्वारा मंजूर ऋण संबंधी मामलों को लौटा देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हालांकि बैंकों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋणकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में, इस कार्य के लिए जिला/उप-मंडल/खण्ड स्तरों पर गठित कार्यदल समिति (टी० एफ० सी०) के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाता है, तथापि किसी जिले/खण्ड में सभी बैंक टी० एफ० सी० के सदस्य नहीं हो सकते।

(ख) से (घ) मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, 25,000/- रुपए तक के ऋणों की मंजूरी संबंधी आवेदनों का निपटान पन्द्रह दिन के भीतर और 25,000/- रुपए से अधिक के ऋणों संबंधी आवेदनों का निपटान 8-9 सप्ताह के भीतर कर दिया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ऋण बढ़ाने का निर्णय भी ऋण संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने वाली बैंक शाखा पर ही छोड़ दिया जाता है। बैंकों द्वारा ऋण संबंधी आवेदनों को वापस करने के कारणों, में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है : (1) ऋणकर्ता की आय का सीमा से ज्यादा होना (2) ऋणकर्ताओं को अन्य योजनाओं के तहत पहले ही से सहायता प्राप्त होना (3) ऋणकर्त्ता का पहले ही से लाभदायक रोजगार में लगा होना (4) ऋणकर्त्ता का किसी अन्य बैंकों का चूककर्ता होना (5) परियोजना का अर्थक्षम/बैंक द्वारा स्वीकार्य न होना। अत: प्रधान मंत्री रोजगार योजना के मार्गनिर्देशों में यह प्रावधान है कि टी० एफ० सी० को निर्धारित लक्ष्य के 150% के बराबर आवेदनपत्रों को प्रायोजित करना चाहिए, ताकि बैंक उनके लिए प्रायोजित आवेदन के किसी भाग के रद्द हो जाने के बाद भी आबंटित लक्ष्य प्राप्त कर सकें बैंकों को यह भी अनुमति दे दी गई है कि वे पात्र ऋणकर्त्ताओं से आवेदन-पत्र सीधा प्राप्त कर लें तथा परियोजना/क्रियाकलाप की अर्थक्षमता पर अपने विचारों के साथ उन्हें टी एफ सी को अग्रेषित करें ताकि टी एफ सी ऋणों की मंजूरी के लिए ऐसे आवेदनों को उसी बैंक-शाखा को प्रायोजित कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि उन्हें टी० एफ० सी० द्वारा उनको प्रायोजित किए गये आवेदनों को रद्द करने के विशिष्ट कारण भी बताने चाहिए।

"रफ आप्थेल्मिक ब्लेंक्स" का आयात

1661. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन से "रफ आप्थेल्मिक ब्लेंक्स" के आयात के संबंध में एस० आई० आई० बी० द्वारा जांचाधीन मामले में सीमाशुल्क आयुक्त ने मैसर्स "सुमेक चाइना जियांग्सु मशीनरी एंड एक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट (ग्रुप) कारपोरेशन, चाइना" की मूल्य सूची पर विचार करने का आदेश दिया है जो एस अन्य आयातकों द्वारा चीन से आयातित आर० ओ० बी० के मूल्यांकन के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा जिन्होंने ऐसी अन्य मदों की अन्य मालसूचियों को इस मालसूची के अंतर्गत लाकर चीन से अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं की माल सूची के आधार पर अपना खेप मंजूर कराया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किए जाने और मैसर्स चाइना नार्थ इंडस्ट्रीज बीजिंग कारपोरेशन, चाइना की मूल्य सूची, जो कि सूमेक चाइना के मूल्यों की तुलना में 30 प्रतिशत कम है, के आधार पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर रोके गये खेप को छोड़ न जाने के क्या कारण हैं और जिसके कारण अन्य एजेंसियों और सरकार को भारी मात्रा में सीमा शुल्क की हानि हो रही है; और

(ग) जैसा कि मालसूची के मूल्यों में अंतर को हवाला कारोबार के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ताओं को अंतरित कर दिया गया है अतएव इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) रफ आप्थैल्मिक ब्लेंक्स के आयात के एक मामले में, जिसमें दिल्ली स्थित एक आयातक द्वारा अक्तूबर, 1996 में आगम-पत्र दायर किया गया था। यह देखने में आया था कि सप्लायर मैसर्स चाइना नार्थ इंडस्ट्रीज बीजिंग कार्पोरेशन के मूल्यों की मैसर्स सुमेक चाइना के मूल्यों से तुलना करने पर पहले वाले सप्लायर के मूल्य औसतन 18.71% कम थे। तदनुसार एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें निर्धार्य मूल्य को 22.46 लाख रुपए से बढ़ाकर 26.67 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, न्यायनिर्णयन के समय आयातक द्वारा

दिए गए निर्धार्य मूल्य को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया था कि मैसर्स सुमेक द्वारा सप्लाई किया गया माल, गुणवत्ता और मात्रा दोनों के लिहाज से मैसर्स चाइना नार्थ इंडस्ट्रीज द्वारा सप्लाई किए गए माल से भिन्न किस्म का माल था। निर्धारिती द्वारा घोषित मूल्य सामान्य बातचीत के जरिए तय किए गए पाए गए थे और ये वाणिज्यिक प्रतिफलों पर आधारित थे और बीजकों को भारत में चीनी दूतावास तथा चीनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद् द्वारा भी प्रमाणित किया गया था। चूंकि घोषित मूल्य स्वीकार कर लिया गया है अत: आयातक के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए मामले को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम प्राधिकारियों को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडोनेशिया को निर्यात

1662. श्री कृपासिन्धु भोई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में इंडोनेशिया को निर्यात की गई विभिन्न वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त वस्तुओं का वस्तु-वार कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना निर्यात किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) इंडोनेशिया को निर्यात की जाने वाली भारतीय मदों की सूची अत्यधिक विस्तृत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडोनेशिया को भारत से निर्यातित कुछ मुख्य मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मूल्य यू एस मिलियन डालर में)

क्र०सं०	उत्पाद	1994-95	1995-96	1996-97
1.	खाद्य तेल	92.32	101.56	132.82
2.	रद्दी समेत कपास	10.31	6.37	73.33
3.	प्राथमिक एवं अर्द्धपरिष्कृत लोहा एवं इस्पात	25.76	42.72	53.78
4.	चीनी तथा शीरा	शून्य	35.16	52.79
5.	मूंगफली	12.70	31.27	48.23
6.	मशीनरी तथा औजार	24.51	41.54	35.47
7.	अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन	17.44	17.79	19.97
8.	प्रसंस्कृत खनिज	2.70	9.48	19.92
9.	रंग-रोगन/मध्यवर्ती तथा कोलतार रसायन	10.72	18.06	16.45
10.	उत्पादों को छोड़कर एल्यूमिनियम	1.42	2.48	15.13
11.	लोहा तथा इस्पात छड़ इत्यादि	0.48	14.38	12.90
12.	धातुओं का विनिर्माण	0.80	13.63	11.35
	कुल (अन्य को जोड़कर)	271.86	661.30	584.57

(ग) किसी एक देश के लिए वस्तुवार परियोजनाएं नहीं बनाई जाती हैं।

विदेशी मुद्रा संबंधी मानदंड

1663. श्री थामस हंसदा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा उद्योगों को विदेशी मुद्रा में भेजी गई धनराशि का संबंधित उद्योग द्वारा वास्तविक रूप में पूरी राशि का उपयोग किए जाने की जांच करने हेतु कोई पद्धति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में उपरोक्त मानदंडों के उल्लंघन के कुछ मामले आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने सूचित किया है कि उसके द्वारा माल के आयात अथवा परियोजना से संबंधित रुपये के व्यय के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण दिए जाते हैं। आयातों के मामले में, आई० डी० बी० आई० द्वारा विदेश स्थित आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में साखपत्र (एल सी) खोले जाते हैं। माल का पोत पर लदान हो जाने पर, आई० डी० बी० आई० द्वारा साख-पत्र की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता बैंक को सीधे विदेशी मुद्रा में भुगतान कर दिया जाता है। परियोजना से संबंधित रुपया-व्यय के लिए, विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में अन्तर बैंक बाजार में विदेशी मुद्रा बेचकर रुपयों में ऋण वितरित किए जाते हैं, ताकि कंपनी द्वारा पहले ही किए गये/किए जाने वाले परियोजना खर्च को पूरा किया जा सके। परियोजना हेतु किए गये खर्च के बारे में लेखा-परीक्षक का प्रमाण-पत्र ऐसे सभी विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में लिया जाता है।

(ग) आई० डी० बी० आई० ने सूचित किया है कि उसकी सहायता प्राप्त कंपनियों द्वारा मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि

1664. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) उक्त धनराशि से आरंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड तथा

इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है

	(करोड़ रुपयों में)
1994-95	830.94
1995-96	1,029.19
1996-97 (अनंतिम)	1,106.95

(ख) उपरोक्त राशि निम्नलिखित कल्याणकारी क्रियाकलापों पर खर्च की गई जैसे कि आवास, जलापूर्ति, चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधा और कोयला क्षेत्रों के आस-पास सामुदायिक विकास कार्यों पर खर्च की गई।

[अनुवाद]

फर्जी कम्पनियां

1665. डा० साहेबराव सुकराम बागूल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1997 के "नवभारत टाइम्स" में एक टेलीफोन, एक फैक्स और एक ईशू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन कम्पनियों को बाजार में आने की अनुमति देने से पूर्व सरकार द्वारा इनकी पूर्ववर्तिता की जांच किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही की है; और

(ङ) ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो पैसा लेने के पश्चात् गायब हो गयी हैं तथा इनके पास कितनी धनराशि जमा की गयी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सेबी ने सूचित किया है कि कंपनियों के सभी पब्लिक इश्यू प्रकटीकरण तथा निवेशक संरक्षण के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अधीन हैं। दिशानिर्देशों का उद्देश्य पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना है ताकि निवेशक जानकारी पूर्ण निर्णय लें। जब भी तात्विक अप्रकटन या गलत बयानी की घटनाएं सेबी की जानकारी में आती है, निर्गम प्रक्रिया प्रतिवर्तित कर दी जाती है तथा निर्गमकर्ताओं को निवेशकों को इश्यू राशि वापिस करने को कहा जाता है। सेबी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, मैसर्स जी० आर० इंडस्ट्रीज लि० के पब्लिक इश्यू में, कंपनी संप्रवर्तकों आदि के बारे में समस्त महत्वपूर्ण सूचना प्रकट कर दी गई थी। टाटा विशिष्ट डिटर्जेंट्स लि० के राईट्स इश्यू के संबंध में सेबी ने सूचित किया है कि अभी तक कंपनी द्वारा ऐसा कोई राईट्स इश्यू नहीं निकाला गया है।

(ङ) वर्ष 1994-95 के संबंध में सेबी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अधिकांश कंपनियां, जिन्होंने जनता से धन जुटाया है, अस्तित्व में है। अध्ययन से पता चला है कि 828 कंपनियों में से, जिन्होंने 1994-95 में सममूल्य पर इश्यू निकाले, छः कंपनियों ने जनता को धनराशि वापस कर दी है। बाकी 822 कंपनियों में स 802 कंपनियां सूचीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही थीं। शेष बीस के संबंध में, सेबी ने कंपनियों के रजिस्ट्रारों तथा स्टाक एक्सचेंजों के साथ मामले को उठाया है। उसी वर्ष में, 382 कंपनियों ने प्रीमियम इश्यू निकाले तथा इनमें से दो कंपनियों ने जनता को धनराशि लौटा दी। शेष सभी 380 कंपनियां सूचीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही हैं।

भारत अमरीका की निगरानी सूची में

1666. श्री तरित बरण तोपदार :

श्री येल्लैया नंदी :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने विशेष 301 प्रावधान के अंतर्गत भारत को पुनः प्राथमिकता आधार पर निगरानी सूची में रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस निर्णय का जोरदार विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं जो कि विचार-विमर्श और समस्याओं के समाधान के लिए एक उचित मंच प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) प्राथमिक विदेशी देश के वर्गीकरण के विपरीत, प्राथमिक निगरानी सूची और निगरानी सूची अमेरिकी कानून द्वारा किया गया वर्गीकरण नहीं है, अपितु, यह एक प्रशासनिक क्रियाकलाप है। किसी देश को अमेरिकी प्रशासन द्वारा निगरानी सूची या प्राथमिक निगरानी सूची में रखने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। केवल प्राथमिकता विदेशी देश के रूप में अभिज्ञात किए गए देशों के लिए ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को शिकायतें सुननी होती है; विदेशी सरकारों के साथ विचार-विमर्श के लिए अनुरोध करना पड़ता है और अन्ततः वह उस देश के खिलाफ मामले का निर्धारण तथा की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करता है।

भारतीय दंड संहिता को अद्यतन बनाना

1667. श्री रामसागर : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि आयोग भारतीय दंड संहिता में त्रुटियों को दूर करने और आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिये संहिता को अद्यतन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ग) विधि आयोग ने, विधि में सुधार करने तथा उसे अद्यतन बनाने की दृष्टि से, भारतीय दंड संहिता, 1860 का पुनरीक्षण करने के लिए एक परियोजना आरंभ की है। भारतीय दंड संहिता मौलिक अपराधों और उनके दंड के संबंध में है। अत: आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने का विषय भारतीय दंड संहिता के पुनरीक्षण की परिधि से बाहर है। तथापि, विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता संबंधी अपनी 154वीं रिपोर्ट में मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रश्न पर व्यापक स्तर पर विचार किया है, जिसे संसद पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

स्वास्थ्य बीमा के दावे के लंबित मामले

1668. श्री विजय पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा के दावे की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाकर इसे जनोंमुखी तथा प्रभावी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास निपटान के लिये कितने दावे लंबित हैं; और

(ग) इन दावों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम ने जुलाई/अगस्त, 1996 में चिकित्सा दावा बीमा पालिसी स्कीम के प्रशासन और दावों के निपटान की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए कतिपय संशोधन किए थे। प्रतिपूर्ति की समग्र सीमाओ को बढ़ा दिया गया है और कमरे के प्रभार, डाक्टर की फीस, दवाओं और नैदानिक प्रभारों आदि जैसी विभिन्न उप-सीमाओं को हटा दिया गया है ताकि पालिसी को ग्राहकों के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण बनाया जा सके। इस सरलीकरण से दावेदारों द्वारा अपेक्षाओं के अनुपालन किए जाने पर स्वास्थ्य बीमा दावों का शीघ्र निपटान करने में सहायता मिलेगी।

(ख) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमा निगम की चारों सहायक कंपनियों के पास लंबित स्वास्थ्य बीमा दावों की अनुमानित संख्या लगभग 34,048 है।

(ग) चारों सहायक कंपनियों ने अपने सभी प्रचालनकर्ता कार्यालयों को स्वास्थ्य बीमा के लम्बित दावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं ताकि उनका शीघ्र निपटान हो सके।

जूता उद्योग

1669. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूता उद्योग द्वारा किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि की व्यापक संभावना निहित है;

(ख) क्या इस उद्योग को अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, खराब संचार व्यवस्था और संपर्क सड़कों के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या आगरा के उद्योग संघ ने सरकार को अपनी आवश्यकता सूची प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि देश के बहुत से जूता विनिर्माण केन्द्र नवीनतम संचार तथा परिवहन प्रणालियों से भली भांति जुड़े हुये हैं फिर भी अब संरचनात्मक समस्याएं तथा/या अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति क्षेत्र विशिष्ट तथा मौसमी होती है।

(ग) से (ङ) औद्योगिक संघ अपनी परेशानियों को दूर करने के लिये समय-समय पर संबंधित सरकारी विभागों को अभ्यावेदन देते हैं। आगरा फुटवियर विनिर्माणकर्ता तथा एक्सपोर्टस चैम्बर तथा चमड़ा निर्यात की परिषद् के आगरा चैम्बर ने रिपोर्ट दी कि आगरा में कम विद्युत आपूर्ति तथा अवसंरचना की समस्याओं को उन्होंने आगरा में संबंधित जिला प्राधिकारियों के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

बैंकों में महिलाओं के लिये अलग काउन्टर

1670. श्रीमती केतकी देवी सिंह :

कुमारी उमा भारती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के साथ होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों में उनके लिये अलग से काउन्टर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये काउन्टर कब तक खोल दिए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस समय महिलाओं के लिए अलग बैंक काउंटर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के संबंध में प्रश्न नहीं उठते।

पुरानी वस्तुओं का आयात

1671. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पुरानी पूंजीगत वस्तुएं देश में प्रचुर मात्रा में लाई जा रही हैं;

(ख) क्या इस संबंध में तथ्यों की जांच करने के लिए कोई उच्च-शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) चालू निर्यात आयात नीति के अंतर्गत सिर्फ वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा ही आयात लाइसेंस के बिना पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है।

(ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मुनीडीह परियोजना

1672. प्रो० रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० सी० सी० एल० के अंतर्गत मुनीडीह परियोजना स्थल पर भूमि के धंसने से कई क्वार्टर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस कारण महाप्रबन्धक के कार्यालय को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु बाध्य होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो भूमि धंसाव कब हुआ था और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या मुनीडीह परियोजना में गैस और आग फैल गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान लांगवान केविंग पद्धति द्वारा डीपिल्लरिंग किए जाने के कारण नियोजित रूप में हुए धंसाव से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा० को० को० लि०) की मुनीडीह परियोजना में कुछ क्वार्टर प्रभावित हुए थे। इसके अंतर्गत महाप्रबन्धक का कार्यालय भी स्थानांतरित किया गया था।

(ग) मुनीडीह कोलियरी जो कि एक III डिग्री गैसी खान है, में खनन क्रियाकलापों के दौरान मीथेन गैस जारी होती है, जिसे खनन के दौरान पर्याप्त वायु संचालन द्वारा सांविधिक सुरक्षा सीमा तक नियंत्रित कर दिया जाता है। मुनीडीह कोलियरी में आग के फैलने की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) मुनीडीह कोलियरी में भूमिगत कोयला सीमों के उत्खनन किए जाने के कारण, जहां कि धंसाव नियोजित किया गया है, वहां भू-तल पर सभी प्रकार की सावधानियां बरती जाती हैं।

[अनुवाद]

लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण

1673. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लघु उद्योग के कितने एककों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1994, 1995 और 1996 के दौरान ऋण दिया; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी राशियों के ऋण दिए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, मार्च, 1993, 1994 और 1995 (अद्यतन उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में लघु उद्योगों को प्रदान किए गए ऋणों के बकाये निम्नानुसार :

(रु० करोड़ में)

अंतिम शुक्रवार	खातों की संख्या	बकाया राशि
मार्च, 1993	115630	1400.45
मार्च, 1994	106571	1542.25
मार्च, 1995	107831	1938.26

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश

1674. श्री बादल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य में बैंक-वार कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ख) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्थापित उद्योगों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की शर्तों को करार बनाने की कोई योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) मार्च, 1995 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों के लघु क्षेत्र के उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :

	राज्य	करोड़ रुपये
1.	असम	219.04
2.	मणिपुर	28.24
3.	मेघालय	8.31
4.	नागालैंड	19.27
5.	त्रिपुरा	17.33
6.	अरुणाचल प्रदेश	4.32
7.	मिजोरम	5.35

आर० बी० आई० ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना प्रणाली से राज्यवार आंकड़ों का बैंकवार ब्यौरा प्राप्त नहीं होता। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित की गई सहायता के राज्यवार और संस्थावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संघ सरकार द्वारा नियुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट संवीक्षा के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

उत्तरपूर्वी क्षेत्र को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित सहायता

1995-96

(रु० करोड़)

राज्य	आई डी.बी.आई	आईसीआईसीआई		एससीआईसीआई			जीआईसी	
		आईएफसीआई		सिडबी	आईबीआई	आरसीटीसी		ए आई एफआईस
अरुणाचल प्रदेश	0.40			1.05	1.02			2.47
असम	43.84	15.19	29.30	17.45	13.36	0.51	0.05	119.70
मणिपुर	2.29							2.29
मेघालय				1.97				1.97
मिजोरम				0.44				0.44
नागालैंड				1.13	3.90			5.03
त्रिपुरा				3.39				3.39
पूर्वोत्तर क्षेत्र	46.53	15.19	29.30	25.43	18.28	0.00	0.51	0.05	135.29
				1996-97				
अरुणाचल प्रदेश				0.90				0.90
असम	25.30	107.46	90.28	6.49	5.70	6.84		242.07
मणिपुर				2.06				2.06
मेघालय				4.36				4.36
मिजोरम				0.94				0.94
नागालैंड	0.17		7.54	1.25	0.40			9.36
त्रिपुरा				4.71				4.71
पूर्वोत्तर क्षेत्र	25.47	107.46	97.82	20.71	6.10	6.84	0.00	0.00	264.00

सीडबी – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
आईसीआईसीआई – भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम
एससीआईसीआई – भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम
आईएफसीआई – भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
आरसीटीसी – जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम
एआईएफआई – अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
जीआईसी – भारतीय साधारण बीमा निगम
आईडीबीआई – भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

टी० टी० सी० आई० के अन्तर्गत चाय बागान

1675. श्री आर० बी० राई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में केन्द्र सरकार के उपक्रम (टी० टी० सी० आई०) के दो बड़े चाय बागानों की ओर पिछले कई महीनों से ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन चाय बागानों के कार्य करने वाले कामगारों को कई महीनों से उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए संबंधित

एस्टेटों में कामगारों को वेतन तथा मजदूरियां वितरित नहीं की जा सकीं। इसके फलस्वरूप कामगारों ने आंदोलन किया और प्रबंधकों को बागानों को सुचारु रूप से संचालन नहीं करने दिया।

(ग) संसाधनों की कमी और उत्पादन के अभाव में इन बागानों के कामगारों को लगभग दो वर्ष से वेतन आदि नहीं दिया गया है।

(घ) सरकार ने इन बागानों को बेच देने का निर्णय लिया है। कानूनी अड़चनों तथा भावी क्रेताओं की वित्तीय कठिनाईयों के कारण बिक्री की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। सरकार स्थिति पर नजर रखें हुए है और विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

प्रतिभूति मुद्रणालय

1676. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी प्रैसों का पूर्ण उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जर्मनी से आयातित अत्यधिक आधुनिक मुद्रण संयंत्रों से काम नहीं लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मैसूर सिक्योरिटी प्रैस से कार्य नहीं लिया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, हां।

(ख) बैंक नोट प्रेस देवास की 1875 मिलियन अदद की वार्षिक क्षमता की तुलना में, 1996-97 के दौरान उत्पादन 1810 मिलियन अदद था। पश्चिम बंगाल में सालबोनी प्रेस में भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रणधीन 11-12-1996 से मशीन की एक श्रृंखला (चरण-1) चालू हो गई है। जून, 1997 तक इस प्रेस में एक पाली में 10/-रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का लगभग 320 मिलियन अदद उत्पादन हुआ। इस प्रेस में दूसरी पाली भी 1-7-1997 से शुरू हो गयी है।

(ग) मै॰ डी ला रूई गियोरी, स्विट्जरलैण्ड से आयातित मशीनों की दो नई श्रृंखलाएं बैंक नोट प्रेस, देवास में स्थापित की गई हैं। इनका सितम्बर, 1997 के अन्त तक चालू होना निर्धारित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

सी॰ आर॰ बी॰ घोटाला के संबंध में ज्ञापन

1677. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनता पार्टी, मुम्बई के शिष्टमंडल ने सी॰ आर॰ बी॰ घोटाला के संबंध में 31 मई, 1997 को प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया था तथा 4 जून, 1997 को इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी;

(ख) इस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या मांगे की गयी हैं;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी परिणाम क्या रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री की 31 मई, 1997 को मुम्बई दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे निवेशकों के दावों को प्राथमिकता देने वाले अध्यादेश का प्रख्यापन, सी॰आर॰बी॰ ग्रुप की स्वामित्व वाली सम्पत्तियों को जब्त और नीलाम करना, सी॰आर॰बी॰ ग्रुप के निदेशकों को गिरफतार करना, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाराशि धारकों के लिए बीमा कवरेज के प्रावधान, परिसमापकों की विशिष्ट शाखाएं खोलना तथा घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना करना शामिल है। प्रधान मंत्री ने इस संबंध में 4 जून, 1997 को भी भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल से मुलाकात की थी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए तथा लेन-देन से संबंधित प्रतिभूतियों में अनियमितताओं की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों और शाह समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया था। संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता, 25 लाख रुपए की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधियां, चल आस्तियों का रख-रखाव, लाभ के कुछ हिस्से को अनिवार्य रूप से आरक्षित निधियों में अंतरित करना तथा कम्पनी विधि बोर्ड को जमा राशियों के गैर-भुगतान मामलों को देखने का अधिकार देना शामिल है। तुलन-पत्र से संबंधित मामलों में कंपनियों को निदेशित करने, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की विशेष लेखा-परीक्षा निदेशित करने और कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों के संबंध में समापन याचिका दायर करने की शक्ति सहित भारतीय रिजर्व बैंक को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई है।

ज्ञापन में उठाए गए मामलों के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.5.97 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एम सी के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय (डीएचसी) में परिसमापन याचिका दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनन्तिम परिसमापक नियुक्त किया है। परिसमापक ने कम्पनी की आस्तियों और देयताओं के निर्धारण का कार्य शुरू कर दिया है और जमाकर्ताओं के दावों का न्यायालय के निदेशों के अधीन कानून के अनुसार निपटारा किया जाएगा।
2. कम्पनी अधिनियम की धारा 209 ए के अधीन कई कम्पनी समूह के जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय मुम्बई ने एक प्रशासक की नियुक्ति का निदेश दिया है जो न्यायालय के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

4. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

5. गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिए जमाराशि बीमा योजना लागू किए जाने की व्यवहार्यता की जांच गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए उचित करणत्वों की जांच हेतु सितम्बर, 1996 में आरबीआई द्वारा गठित कार्यकारी दल का एक विचारार्थ विषय था। कार्यकारी दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

6. खन्ना समिति की सिफारिशों के अनुरूप स्थल पर और स्थलेतर निगरानी व्यवस्था की स्थापना सहित भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के लिए उपयुक्त विनियामक तंत्र स्थापित करने के लिए उपाय भी किए हैं।

आंध्र प्रदेश में निर्यात पार्क

1678. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में पाशामयलरम में एक निर्यात पार्क जुलाई, 1997 तक शुरू करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पार्क के मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इससे आंध्र प्रदेश से निर्यात बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन तथा निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करने में शामिल करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार के मेडक जिले के पाशामयलरम में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के प्रस्ताव को निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 14.57 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से की जा रही है। ई पी आई पी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पार्क के लिए उसके जमीन की लागत को छोड़कर परियोजना की पूंजीगत लागत का 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परन्तु, यह 10 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक सीमित रहेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वह ढांचागत सुविधाओं संबंधी कार्य को दिसम्बर, 97 के अंत तक समाप्त करने के सभी प्रयास कर रही है।

(ग) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क में स्थापना के लिए उत्तम बुनियादी सुविधाओं के निर्माण से तथा ऐसी इकाईयों का चयन करने से जो निर्यात के लिए उत्पादन के कम से कम 33 प्रतिशत निश्चित कर सकते हैं, ऐसे राज्यों से निर्यात के बढ़ने की उम्मीद है। जिनमें ऐसे पार्क स्थापित हैं।

[हिन्दी]

चुनाव याचिकाएं

1679. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा चुनाव, 1996 के दौरान उच्चतम न्यायालय और अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार कितनी चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं;

(ख) कितनी याचिकाओं का निपटान कर दिया गया है और न्यायालय-वार अभी भी कितनी याचिकाएं न्यायालयों के विचाराधीन हैं; और

(ग) उनके शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है?

(ग) सरकार ने, निर्वाचन याचिकाओं के लंबित होने का मुद्दा व्यापक अध्ययन के लिए विधि आयोग को निर्देशित कर दिया है।

विवरण

अप्रैल/मई, 1996 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन

28.7.97 को उच्च न्यायालयों में फाइल की गई, निपटाई गई, लंबित निर्वाचन याचिकाओं को और उच्चतम न्यायालय में अपीलों की संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका			उच्चतम न्यायालय में अपील		
		फाइल	निपटान	लंबित	फाइल	निपटान	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	–	2	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	4	–	4	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	4	–	4	–	–	–
7.	हरियाणा	2	–	2	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2	1	–	–	–
9.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	1	–	1	–	–	–
11.	केरल	1	1	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	5	–	5	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	9	1	8	–	–	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–
19.	पंजाब	5	4	1	–	–	–
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	1	–	1	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	6	–	6	–	–	–
25.	पश्चिमी बंगाल	2	–	2	–	–	–
26.	अंडमान निकोबार द्वीप	–	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	दमन और दीव	1	1	–	–	–	–
30.	दिल्ली	3	–	3	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1	–	1	–	–	–
	योग	50	9	41	–	0	–

[अनुवाद]

कोयला खानों में कर्मकारों की बहाली

1680. श्री अनिल बसु : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष न्यायाधिकरण के बहाली संबंधी निर्णय के बावजूद कितने कर्मकारों को विभिन्न कोयला खानों में कंपनी-वार क्षतिपूर्ति सहित कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई है;

(ख) बहाली संबंधी न्यायाधिकरण के निर्णय के बावजूद विभिन्न कोयला खानों में क्षतिपूर्ति के बिना कंपनी-वार कितने कर्मकारों को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई है;

(ग) न्यायाधिकरण के बहाली संबंधी निर्णय के बावजूद कंपनी-वार कितने कर्मकारों के अभी तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) निपटान हेतु लंबित पड़े मामलों की कंपनी-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इन्हें कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) न्यायाधिकरण द्वारा बहाली संबंधी निर्णय दिए जाने के बाद विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा की गई क्षतिपूर्ति के साथ ऐसे कोलियरी कामगारों की संख्या जिन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई, नीचे दर्शाई गई है :

	वर्ष		
कंपनी	1994-95	1995-96	1996-97
ई० को० लि०	शून्य	शून्य	शून्य
वे० को० लि०	शून्य	शून्य	शून्य
म० को० लि०	1	1	शून्य
ना० को० लि०	शून्य	शून्य	शून्य
सीएमपीडीआईएल	शून्य	शून्य	शून्य
सें० को० लि०	1	1	शून्य
भा०को०को०लि०	6	12	22
सा०ई०को०लि०	2	-	-

(ख) बहाली संबंधी न्यायाधिकरण के निर्णय के बावजूद क्षतिपूर्ति के बिना ऐसे कामगारों की संख्या जिन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई, उक्त के संबंध में सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

	वर्ष		
कंपनी	1994-95	1995-96	1996-97
ई० को० लि०	4	-	1
वे० को० लि०	24	30	12
म० को० लि०	1	शून्य	शून्य
ना० को० लि०	शून्य	शून्य	शून्य
सीएमपीडीआईएल	शून्य	शून्य	शून्य
सें० को० लि०	4	3	शून्य
भा०को०को०लि०	82	20	23
सा०ई०को०लि०	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) न्यायाधिकरण की बहाली संबंधी निर्णय के बावजूद जिन कामगारों को कार्यभार ग्रहण की अनुमति नहीं दी गई, उक्त के संबंध में सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है। इन सभी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है :-

ई० को० लि०	-	शून्य
वे० को० लि०	-	शून्य
म० को० लि०	-	1
ना० को० लि०	-	शून्य
सीएमपीडीआईएल	-	1
सें० को० लि०	-	1
भा०को०को०लि०	-	222
सा०ई०को०लि०	-	शून्य

(घ) निपटान किए जाने हेतु लंबित पड़े मामलों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

ई० को० लि०	-	4
वे० को० लि०	-	शून्य
म० को० लि०	-	शून्य
ना० को० लि०	-	शून्य
सीएमपीडीआईएल	-	शून्य
सें० को० लि०	-	1
भा०को०को०लि०	-	4
सा०ई०को०लि०	-	16

(ङ) निपटान हेतु समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है, चूंकि यह प्रत्येक मामले पर और मजदूर संघ/कामगारों द्वारा निपटान किए जाने के लिए रखे गए पक्ष पर निर्भर करता है।

कटे-फटे करेंसी नोटों का बदला जाना

1681. श्री टी० गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राहको से कटे-फटे करेंसी नोट प्राप्त करके बदलने के लिए सभी बैंकों को निदेश दिये है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुराने और कटे-फटे करेंसी नोट लेने से इंकार करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को गन्दे, कटे और फटे हुए नोटों को न केवल अपने ग्राहकों से बल्कि आम जनता से भी स्वीकार करने को कहा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमों के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्कीम के तहत, गन्दे, कटे और फटे हुए नोटों को स्वीकार करने हेतु किए गए प्रबन्ध निम्नानुसार है :

1. सभी गन्दे, थोड़े से कटे हुए और दो टुकड़ों में कटे हुए नोटों को, परन्तु जिनमें सभी आवश्यक लक्षण जैसे जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, गारंटी वाक्यांश, वचन वाक्यांश, हस्ताक्षर (गवर्नर/सचिव के) अशोक स्तंभ प्रतीक/महात्मा गांधी का चित्र, वाटरमार्क और नोट का क्रम संख्या उपलब्ध हो, न केवल बदलने के लिए बल्कि सरकारी देयता, जमा आदि के रूप में भुगतान के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा स्वीकार किया जाना है।
2. अन्य कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की सभी करेंसी तिजौरी शाखाओं द्वारा स्वीकार किया जाना है। पूरे देश में ऐसी शाखाओं की संख्या लगभग 4000 है।

(ग) जब किसी बैंक द्वारा गन्दे, कटे और फटे पुराने नोटों को स्वीकार करने से मना करने का कोई मामला सरकार/रिजर्व बैंक के ध्यान में लाया जाता है, तो संबंधित बैंक को आम जनता के लिए नोट बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए पुन: निर्देश दिया जाता है।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

1682. श्री हाराधन राय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ने सरकार से कोई गैर-योजना सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'पुनरुद्धार पैकेज' की मंजूरी में विलम्ब के कारण वित्तीय संकट का सामना करने के लिये कंपनी को गैर-योजना सहायता का तत्काल प्रावधान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि॰ को वर्ष 1995-96 में 6.30 करोड़ रुपये की गैर योजना सहायता दी गई थी।

(ग) से (ङ) बजटीय कठिनाइयों के कारण तथा पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप न दिए जा सकने के कारण कंपनी हेतु कोई गैर-योजनागत प्रावधान नहीं किया जा सका।

रेशम कीट पालन के लिए राजसहायता

1683. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से रेशम कीट पालन के लिए बागवानी क्षेत्र के बराबर ड्रिप सिंचाई हेतु राजसहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में रयालसीमा क्षेत्र में किसानों के लाभ के लिए शहतूत बागों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रदान करने के लिए प्रति एकक लागत 50 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता या प्रति एकड़ 12,000 रुपये, जो भी कम हो, के लिए अनुरोध किया था। तदन्तर, राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में प्रति किसान 2 हेक्टेयर तक शहतूत बागों की ड्रिप सिंचाई के लिए तथा आंध्र प्रदेश में रेशम कीट उत्पादन करने वाले सभी किसानों को उनके भूमि धारिताओं के आकार का ध्यान किए बिना शामिल करने के लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता के साथ प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपये की प्रति एकक लागत का सुझाव दिया था।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने नौवीं योजना दौरान केन्द्रीय सरकार को शहतूत की 3600 हेक्टेयर की ड्रिप सिंचाई व्यवस्था करने का प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए भेजा है। प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

टसर सिल्क

1684. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजारों में भारतीय टसर सिल्क की मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा टसर सिल्क के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितना व्यय किया गया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्यात किए गए टसर रेशम सामानों का मूल्य 1995-96 में 25.31 करोड़ रुपये से घटकर 1996-97 के दौरान 19.23 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार इसमें 31.9 प्रतिशत की एक कमी दर्ज की गयी।

(ग) टसर रेशम का बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पं॰ बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में उत्पादन किया जाता है। राज्य सरकारे अपने योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत टसर रेशम कीट उत्पादन के विकास के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड टसर रेशम उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाओं द्वारा उनके प्रयासों को पूरा करता है, जैसे अनुसंधान व विकास सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना, टसर रेशम कीट मौलिक बीज की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करना विस्तार सेवाएं प्रदान करना आदि। विगत 3 वर्षों के दौरान तसर रेशम उद्योग के विकास के प्रति केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यय निम्नानुसार है।

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
1994-95	6.15
1995-96	6.88
1996-97	8.72

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति ऋण

1685. श्री सुरेश आर॰ जाधव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेषत: महाराष्ट्र में राज्यवार प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की कितनी धनराशि दी गई;

(ख) सरकार द्वारा देश में विशेषत: महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की राशि बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयास के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1995, 1996 और 1997 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति व्यक्ति बैंक-ऋण की राज्य-वार बकाया राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य के लिए संयोजक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बताया है कि जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार ने नासिक में एक एकीकृत जनजाति विकास परियोजना स्थापित की है, जिसके कार्यालय विभिन्न जनजाति बहुल जिलों में है। प्रति व्यक्ति बैंक-ऋण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की है जिनमें उद्यम विकास पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे जनजातियों को ऋण - संवितरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। बैंक ने यह भी बताया है कि जनजाति संकेन्द्रित जिलों में वार्षिक ऋण योजना 1996-97 के तहत ऋण संवितरण से सभी बैंकों का कार्य-निष्पादन 72% से 131% के बीच है।

विवरण

मार्च, 1995, 1996 और 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनु॰ वाणि॰ बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति औसत ऋण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च 1995	मार्च 1996	मार्च 1997
1	2	3	4	5
1.	अंड. व नि. द्वीप समूह	660	769	868
2.	आंध्र प्रदेश	2107	2419	2749
3.	अरुणाचल प्रदेश	379	361	393
4.	असम	607	693	711
5.	बिहार	558	615	683
6.	चंडीगढ़	47351	67581	11731
7.	दादरा व नागर हवेली	585	751	881
8.	दमन व दीव	1772	3213	3583
9.	दिल्ली	26567	27018	26605
10.	गोवा	5708	6052	6638
11.	गुजरात	2151	2910	3127
12.	हरियाणा	1830	2213	2337
13.	हिमाचल प्रदेश	1257	1353	1395
14.	जम्मू व कश्मीर	1756	1730	1991
15.	कर्नाटक	2773	3281	3763
16.	केरल	2478	2901	3110
17.	लक्षद्वीप	314	382	423
18.	मध्य प्रदेश	897	1201	1255
19.	महाराष्ट्र	6559	7797	7965
20.	मणिपुर	485	566	668
21.	मेघालय	525	496	579
22.	मिजोरम	354	409	465
23.	नागालैंड	762	711	778
24.	उड़ीसा	823	955	1006
25.	पांडिचेरी	2953	3168	3238
26.	पंजाब	3380	3758	3969
27.	राजस्थान	989	1126	1225
28.	सिक्किम	778	818	841
29.	तमिलनाडु	3934	4946	5424
30.	त्रिपुरा	735	743	766
31.	उत्तर प्रदेश	821	905	956
32.	पश्चिमी बंगाल	2081	2325	2407
	अखिल भारत	2420	2820	2971

केरल उच्च न्यायालय पीठ

1686. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में केरल उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरी (मालाबार) क्षेत्र में ऐसी ही पीठ की स्थापना करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) कालीकट में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए मालाबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसे अभ्यावेदनों पर संबद्ध राज्य सरकार से, संबद्ध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई प्रस्ताव होने के पश्चात् ही कार्रवाई की जाती है। केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विशेष कार्य भत्ता

1687. डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए वर्ष 1983 में लागू की गई विशेष कार्य भत्ता का भुगतान किए जाने संबंधी योजना को केवल कर्मचारियों के संदर्भ में समाप्त कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव पूर्ण निर्णय के क्या कारण हैं और इस भत्ते को कब से बंद कर दिया गया था;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों तथा उपक्रमों द्वारा विशेष कार्य भत्ता के भुगतान किए जाने के संबंध में समान नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन समस्त कार्यालयों में विशेष कार्यभत्ता के भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रशासन में नैसर्गिक न्याय और समानता का अनुसरण करते हुए इसे समान रूप से लागू किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1991 से ही पूर्वोत्तर भत्ता तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विशेष डयूटी भत्ता दिए जाने की जो स्कीम 1983 मे प्रारंभ की गई थी उसे समाप्त नहीं किया गया है। इस योजना के तहत विशेष डयूटी भत्ता उनको दिया जाता है जिन्हें समस्त भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता हो तथा जिन्हें बाहर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया हो। कर्मचारियों की अखिल भारतीय स्थानांतरण की इस शर्त का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि क्या भर्ती अंचलों की परोक्षाओं/पदोन्नति अंचल आदि अर्थात् क्या सेवा/संवर्ग/पदों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की गई है और क्या पदोन्नति समग्र रूप से सेवा/संवर्ग/पदों की अखिल भारतीय समान वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है।

(ग) और (घ) विशेष डयूटी भत्ते की उपरोक्त नीति को पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में लागू करने की अपेक्षा की जाती है। यह भत्ता पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू दरों के अनुसार संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रशासनिक विभागों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी प्रदान किया गया है।

(ङ) और (च) पूर्वोत्तर भत्ता/दूरस्थ अवस्थिति भत्ता केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी पात्र कर्मचारियों को दिया जा रहा है।

उपदान सीमा

1688. श्री सुशील चन्द्र : क्या उद्योग मंत्री गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में उत्पादन की अधिकतम सीमा के बारे में 6 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4629 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपदान की अधिकतम सीमा की वृद्धि के मुद्दे की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं तथा निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार ने उपदान की अधिकतम राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1689. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ स्वयं अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित कंपनी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह कंपनी भी अन्य गैर-बैंकिंग अनुदेशों के आधार पर कार्य करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कंपनी किन-किन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ ने सूचित किया है कि आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ ऋण निगम लि॰ (1-ऋण) को 27 मार्च, 1997 को निगमित किया गया था और उसने दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

(ख) से (ङ) आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ द्वारा उपभोक्ता वित्त, फैक्टरिंग और किराया-क्रय में आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ ग्रुप की मौजूदगी बनाने और साथ ही लीजिंग के क्षेत्र में आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ ग्रुप की विद्यमानता बनाए रखने के लिए 1-ऋण की स्थापना की गई है।

निवेश प्रस्तावों का विलम्बन

1690. श्री प्रताप सिंह सैनी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ॰ आई॰ पी॰ बी॰) की 1 मार्च, 1997 से कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या संबंधित मंत्रालय ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की किसी बैठक में मंत्रालय की प्रशासनिक परिधि के अंतर्गत आने वाले किसी निवेश प्रस्ताव का विलम्बन मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक विलम्बन पर

1. विदेशी निवेशक और संबंधित निवेश प्रस्ताव
2. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बिलियन अमरीकी डालर के संबंध में क्या वित्तीय प्रभाव पड़ा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1.3.1997 से 26.7.1997 तक की अवधि में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की 20 बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ख) विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर कभी प्रशासनिक मंत्रालयों के अनुरोध पर और कभी प्रस्ताव में आवेदक कंपनियों आदि से सूचना के अभाव जैसे व्यक्तिगत कारणों से विचार करना स्थगित कर दिया जाता है।

(ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की बैठकें हर सप्ताह में आयोजित की जाती हैं और निवेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार निर्धारित सीमा में किया जाता है ताकि देरी को रोका जा सके।

औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी विकास

1691. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु इसके अनुसंधान तथा तकनीकी विकास की आवश्यकता को महसूस किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आठवीं योजनावधि के दौरान तकनीकी विकास तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी विकास के संबंध में कतिपय दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के माध्यम से क्रियान्वित "प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता योजना पर केन्द्रीय कार्यक्रम" के तहत वर्ष-वार जारी की गयी राशि निम्नलिखित प्रकार से है :

वर्ष	राशि (रु० करोड़ में)
1992-93	1.69
1993-94	2.17
1994-95	6.01
1995-96	3.59
1996-97	6.47
योग	19.93

(ग) से (ङ) प्रोत्साहन और समर्थन उपायों के तौर पर कई पहलें की गयी हैं, जैसे- अनुसंधान और विकास खर्चों पर आयकर में राहत, प्रायोजित अनुसंधान हेतु भारित कर-छूट, अनुसंधान संस्थाओं को सीमा-शुल्क में छूट, गैर-व्यावसायिक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन, व्यावसायिक अनुसंधान और विकास कंपनियों को पांच वर्ष का करावकाश, उत्पाद-शुल्क माफी, त्वरित अवमूल्यन भत्ता, प्रौद्योगिकी विकास निधि, सरकारी विभागों द्वारा उद्योग संबंधी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सीधे धन देना, उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सार्वजनिक निधि वाले अनुसंधान और विकास का व्यावसायीकरण।

प्रदर्शन एवम् प्रशिक्षण केन्द्र

1692. श्री केशव महन्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने परिस्कृत रेशम धागे की रील का प्रदर्शन करने के लिए सोलकुई असम में प्रदर्शन एवम् प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को इस बारे में जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सुआलकुची में एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) जी हां। उत्तर कोसा तकनीकी सेवा केन्द्र के साथ-साथ रेशम रीलिंग तथा स्पिनिंग की उन्नत तकनीकों में रेशम रीलर्स तथा रीलर्स सह बुनकर को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रदर्शनी सह-प्रशिक्षण केन्द्र सुआलकुची में स्थापित किया गया है।

(ख) कुल 351 व्यक्तियों को अब तक इस प्रशिक्षण केन्द्र में रेशम रीलिंग तथा स्पिनिंग की उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को सुआलकुची में ऐसा एक प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में जानकारी है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

1. उन्नत मूगा रेशम रीलिंग प्रौद्योगिकी तथा बुनाई, डिगमिंग तथा रंगाई की उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए एक बृहत प्रदर्शनी तथा तसर तथा मूंगा रीलिंग मशीनों के उन्नत रूपांतरण तथा उन्नत डिगमिंग/रंगाई प्रौद्योगिकी तथा डिगमिंग तथा रंगाई के लिए प्रयुक्त नुस्खा पर मार्च, 1997 में सुआलकुची में पांच प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं।
2. प्रत्येक एकक का निरीक्षण कर रेशम रीलिंग तथा बुनाई एककों पर सर्वेक्षण।
3. रीलर्स तथा बुनकरों द्वारा दिए गए कोसों तथा अपरिष्कृत रेशम का परीक्षण तथा गुणवत्ता मूल्यांकन।

प्रदर्शनी सह-प्रशिक्षण केन्द्र तथा उत्तर कोसा तकनीकी सेवा केन्द्र दोनों के कार्यकरण के बारे में इन सभी क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार किया गया है।

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के लिए विज्ञापन

1693. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997 के बजट में घोषित स्वैच्छिक आय घोषणा योजना की मांग के रूप में शामिल कर माफी योजना के बारे में एक उच्च स्तरीय विज्ञापन अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के प्रचार अभियान का कार्य निजी विज्ञापन एजेंसियों को सौंपे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। आय की स्वैच्छिक प्रकटन योजना, 1997 की विशेषताओं, उसके द्वारा उपलब्ध किए गए अवसरों के बारे में जनता में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने बहु-मीडिया प्रचार अभियान चलाया है।

(ख) और (ग) इस योजना के प्रचार का कार्य दो प्रमुख निजी एजेंसियों को उनकी तकनीकी योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् सौंपा गया है। बहु-मीडिया प्रचार में समाचार-पत्रों, टेलीविजन, पत्रिकाओं, इश्तहारों, सीधी डाक, टेली-मार्केटिंग आदि के द्वारा विज्ञापन देना/प्रचार करना शामिल होगा। इस बहु-मीडिया प्रचार की कुल लागत लगभग 30 करोड़ रुपये बैठेगी।

[हिन्दी]

चाय बागानों का विकास

1694. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में गत दो वर्षों के दौरान चाय बागानों के विस्तार के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों में ऐसा कोई सर्वेक्षण करवाने का है;

(घ) यदि हां, तो ये सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) चाय के बागानों के विस्तार संबंधी सर्वेक्षण वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश में और 1996 में बिहार में किए गए थे।

उत्तर प्रदेश में गढ़वाल, कुमाऊं और तराई क्षेत्रों में फैले 25 जिलों का सर्वेक्षण किया गया इनमें से 14 जिले चाय रोपण के लिए उपयुक्त पाए गए। अनुमानों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में चाय रोपण के अंतर्गत लगभग 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा सकता है। पहाड़ी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किए गए दो परियोजना प्रस्ताव मार्च, 1997 में चाय बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं। इन पर बोर्ड तथा राज्य सरकार के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

बिहार में किशनगंज जिले में सर्वेक्षण किया गया था और यह पाया गया कि उपयुक्त सिंचाई सुविधाओं के उपलब्ध होने पर ही चाय का रोपण किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनिवासी भारतीयों के लिए दुर्घटना बीमा योजना

1695. **श्री राजकेशर सिंह :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी अनिवासी भारतीयों के लिए दुर्घटना बीमा योजना अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारतीय साधारण बीमा निगम के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सी० आर० बी० घोटाले में अंतर्ग्रस्त धनराशि

1696. **श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :**

डा० एम० जगन्नाथ :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री सनत मेहता :

श्री बी० के० गढ़वी :

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :

श्री सुरेश प्रभु :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री मोहन रावले :

श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी॰ आर॰ बी॰ घोटाले में बैंकों/कंपनियों सहित निवेशकर्त्ताओं को कुल कितनी धनराशि की हानि हुई है ओर इसके निवेशकर्त्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार सी॰ आर॰ बी॰ की कंपनियों के परिसमापन से धनराशि वसूल कर सकी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रबंध किए है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा 152 करोड़ रुपए (अनन्तिम) के निवेश होने का अनुमान है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, कंपनी ने 186 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की 1,30,000 से अधिक मियादी जमा रसीदें जारी की हैं।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.5.97 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एम सी के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट लिमिटेड के संबंध में समापन याचिका दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक अनन्तिम परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक ने कंपनी की आस्तियों और दायित्वों को निश्चित रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋणकर्ताओं के दावे निपटाने का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और कानून के संगत उपबंधों के अध्यधीन होगा।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन कानून संबंधी मामले के लिए विशेष न्यायालय

1697. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री काशीराम राणा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन कानून संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन नहीं है।

सामान की जब्ती

1698. **श्री एन॰ जे॰ राठवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और देश के अन्य भागों में सोने, चांदी स्वापक पदार्थों, इलैक्ट्रोनिक्स की वस्तुओं, कपड़ों और विदेशी मुद्रा जैसे जब्त किये गये सामान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त सामान की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ब्राउन शुगर की जब्ती

1699. **श्री दादा साहूराव परांजपे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर-भोपाल मार्ग पर सात करोड़ रुपए मूल्य की सात किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। दिनांक 20.2.97 को खजूरी सड़क पुलिस थाना, जिला भोपाल द्वारा 7.070 कि॰ ग्रा॰ ब्राउन शुगर (हेरोइन) जब्त करने की रिपोर्ट की गई थी। तथापि, स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन, जो प्राय: अनिर्धारित क्षमता तथा मिश्रण के होते हैं तथा नष्ट किए जाने होते हैं, संभव नहीं है।

(ख) जी हां। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा तत्काल अनुवर्ती जांच प्रारंभ कर दी गई।

(ग) तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए तथा जांच पड़ताल प्रगति पर है। उनके विरुद्ध एन डी पी एस अधिनियम 1985 के खंड 8/18/21 के अधीन अपराध संख्या 2497 दर्ज किया गया।

(घ) भारत सरकार स्वापक औषध अवैध व्यापार की समस्या के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है तथा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं जिसमें पूरे देश के प्रवर्तन एजेंसियों का पुन: सक्रियकरण,

अधिकारियों को प्रशिक्षण, नियमित समन्वय बैठकें करना, विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षी समझौते और पाकिस्तान तथा म्यांमार के साथ वार्ता रखना शामिल है।

[अनुवाद]

आधारभूत परियोजनाओं का वित्त पोषण

1700. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत परियोजनाओं के वित्त पोषण में आने वाले अवरोधों को समाप्त करने के लिए विद्युत, दूरसंचार, जल भूतल परिवहन सचिवों आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० के प्रमुखों और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैनों की दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आई० डी० बी० आई० के तत्वाधान में एक अंतर संस्थागत दल गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस दल की संरचना और मुख्य शर्तें क्या होगीं;

(ङ) क्या इस दल द्वारा राज्य क्षेत्र में भी आधारभूत परियोजनाओं के लिए उपाय सुझाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस दल से आधारभूत परियोजनाओं के वित्त पोषण में कितनी सहायता मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (छ) नई दिल्ली में 15 जुलाई, 1997 को आधारभूत वित्तपोषण पर आयोजित बैठक में, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों ने भाग लिया था, यह निर्णय लिया गया था कि एक ऐसा अन्तर संस्थागत दल (आई० आई० जी०) बनाकर संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) को नोडीय अभिकरण बनाया जाए, जो आधारभूत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेगा। आई० आई० जी० ने चार क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, संचार, पत्तन और सड़क से संबंधित वित्तीय समस्याओं के अध्ययन के लिए चार उप-समूह बनाए हैं। ये उप-समूह भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संपर्क रखेंगे। आई० आई० जी० वित्तीय बाधाओं, वित्त पोषण पैटर्न, जोखिम में कमी, परियोजनाओं को बैंक द्वारा स्वीकार्यता आदि जैसे विभिन्न मामलों का अध्ययन करेगा। अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग योजना का प्रस्ताव नहीं है परन्तु आधारभूत क्षेत्र में समय को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

1701. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस न्यायाधिकरण की कब तक स्थापना कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क के मामलों में आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए वित्त अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण (सीगेट) पहले से ही मौजूद एक अधिकरण है। विधि आयोग 115वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए राष्ट्रीय अधिकरण के गठन के प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब श्री एल० चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (सी० ए० 481/89) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकट किए गए अभिमतों को ध्यान में रख कर विधि आयोग द्वारा विद्यमान अधिकरणों पर गहराई से अध्ययन कर लिया जाता है।

[अनुवाद]

कंपनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

1702. **श्री अशोक प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अरब रुपए से अधिक की राशि के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामले में कुछ कंपनियों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का राज्य-वार और विशेषकर उत्तर प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध आज की तिथि में सेंट्रल एक्साइज गोल्ड कंट्रोल एपेलेट ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में तीन से अधिक वर्ष से लंबित पड़े हैं; और

(घ) राशि की तत्काल वसूली के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशियों के जाली ड्राफ्ट

1703. **लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :**

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लेक्स विदड्रॉन थ्रू फोर्जड ड्राफ्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इसमें प्रकाशित मामले संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) जाली ड्राफ्टों से धन निकालने के लिए कौन से तौर-तरीके अपनाए जाते हैं;

(घ) जिस समय विदेशी लोग उन जाली ड्राफ्टों का नकदीकरण कराते हैं तो संबंधित भारतीय बैंकों द्वारा इस आपराधिक षडयंत्र का पता न लगा सकने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बेईमान लोगों द्वारा जाली ड्राफ्टों द्वारा इस प्रकार निकाली जा रही भारी धनराशि को रोकने और वर्तमान प्रक्रिया की खामियों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन-कौन से प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निधियों का अन्यत्र उपयोग

1704. श्री प्रमोद महाजन :

श्री पी० आर० दास मुंशी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि का पिछले पांच-छह वर्षों से अनाधिकृत "पर्सनल लेजर अकाउट्स" के लिए उपयोग करने के आरोप की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या उपाय/कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें पश्चिम बंगाल की विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का पर्सनल लेजर एकाउन्टस (पी० एल० एज०) के लिए आरोपित अनाधिकृत उपयोग किया जाना भी शामिल है। केन्द्रीय रूप से चुनी गई स्कीमों पर निष्पादन समीक्षा हेतु 31 मार्च, 1996 को समाप्त अवधि के लिए संघ सरकर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जो कि संसद में 8 मई, 1997 को प्रस्तुत की गई में पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के बारे में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, जिनमें केन्द्रीय निधि का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाना और उसे बिना ब्याज वाले पर्सनल लेजर खाते में जमा कराना, निधियों का दुरुपयोग तथा उनका उपयोग न करना, अप्रभावी मानीटरिंग तथा मूल्याकंन आदि शामिल है, के संबंध में मुद्दे उठाए गए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों के लिए निधियां उन भिन्न-भिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा दी जाती हैं जो इन स्कीमों को प्रशासित करते हैं। प्रक्रियानुसार संबंधित मंत्रालयों के लिए लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में विशेष रूप से ध्यान में लाए गए मुद्दों का उत्तर देना अपेक्षित है। रिपोर्ट में दर्शायी गई लेखा-परीक्षा द्वारा यथा पुनरीक्षित अनियमितताओं पर इन मंत्रालयों का उत्तर संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

सोना

1705. श्री एन० एस० वी० चित्थन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने सोने का उत्पादन किया गया और इसका मूल्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के सोने की कुल खपत कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने सोने का आयात किया गया और कितने सोने एवं स्वर्ण आभूषणों का निर्यात किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए सोने की कुल मात्रा और मूल्य कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, भारत में कुल मिलाकर सोने का स्वदेशी उत्पादन इस प्रकार रहा है :

वर्ष	सोना उत्पादन (कि० ग्रा० में)
1994-95	2369
1995-96	2036
1996-97	2904

(ख) देश में आयातित सोने और भारत में सोने के स्वदेशी उत्पादन को देश में होने वाली सोने की कुल खपत का मोटा अनुमान माना जा सकता है। ब्यौरे प्रश्न के भाग (क) और (ग) के उत्तर में दिए गए हैं।

(ग) भारत में सोने और स्वर्ण आभूषणों के कुल आयात का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	वैध आयात (टनों में)
1994	205
1995	278
1996	324

गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्वर्ण आभूषणों का कुल निर्यात मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डालर में)
1994-95	421.20
1995-96	480.40
1996-97	511.80

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए सोने के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	जब्त किए गए सोने का मूल्य (करोड़ रुपयो में)
1995-96	35.90
1996-97	44.50
1997-98	6.01

(मई 97 तक)

विदेशी मुद्रा डीलर

1706. **श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :**

श्री सिदय्या कोटा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस बात का पता चला है कि कुछ लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा डीलरों ने जाली दस्तावेजों पर करोड़ों रुपये निकाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली क्या है;

(ग) क्या इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत होने का संदेह है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ मुद्रा विनियमकों/प्राधिकृत डीलरों द्वारा संदेहास्पद रूप से जाली कागजातों के आधार पर विदेशी मुद्रा की निकासी के संबंध में जांच की है। इस तरह के पांच मामलों में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया आरंभ की गई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मसालों के निर्यात पर उपकर

1707. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसालों के निर्यात पर उपकर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपकर को हटाने के लिए निर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बोल्ली रमैया): (क) से (घ) वर्तमान में विशेष मसालों के निर्यात पर उपकर की उगाही निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है:

	उपकर की दर
1. कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940	0.5% के समतुल्य
2. मसाला उपकर अधिनियम, 1986	
(क) कच्चे रूप में मसाला	2% के समतुल्य
(ख) कड़ी पाउडर के रूप में मसाला, मसाला तेल एवं ओलियो रेजिन्स, अन्य मिश्रण जिसमें मसालों के अंश की प्रचुरता रहती है।	1% के समतुल्य

उपकर सहित निर्यातों पर लगने वाले कर के भार की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यकता महसूस होती है तो कृषि निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के विचार से विशेष मदों पर कर में छूट दी जाती है।

काली मिर्च (ब्राइन में हरी मिर्च को छोड़कर) इलायची, केसर और मसाला तेलों एवं ओलियों रेजिन्स के निर्यात पर लगने वाले उपकर पर छूट दी गयी है।

भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

1708. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1996-97 के दौरान पर्याप्त मुनाफा कमाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पिछले दो वर्षों के संबंधित आंकड़े क्या हैं;

(ग) छोटी बचतों और सावधि जमा सहित जमाकर्ताओं के धन पर ब्याज दरों में कमी किए जाने के कारण लाभ में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) व्यवसाय और व्यापार के हितों को अधिक महत्व देते हुए बैंक के जमाकर्ता और बचत विरोधी नीतियां अपनाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1996-97, 1995-96 और 1994-95 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालन लाभ/निवल लाभ/हानि निम्नानुसार हैं :

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	परिचालन लाभ	निवल लाभ
1996-97*	8909.02	3009.58
1995-96	7568.87	(-) 371.36
1994-95	5628.33	1115.82

(-) हानि का द्योतक है।

* 1996 97 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ में वृद्धि, लघु बचतों एवं सावधि जमाराशियों सहित जमाकर्ताओं को धनराशियों पर ब्याज की दर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि निधि के बेहतर प्रबंधन, अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के लिए प्रावधान में कमी, अनुमोदित प्रतिभूतियों पर वाई टी एम को कम किए जाने के कारण निवेशों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास के पुनरांकन, एन पी ए की वसूली आदि जैसे कई घटकों की वजह से होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने जमा राशियों/उधार की दरों में कमी का बैंकों की लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

प्राथमिक पूंजी बाजार

1709. श्री सनत मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक पूंजी बाजार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के इश्यू तथा बांडों से कुल कितनी पूंजी जुटायी गई;

(ख) कम पूंजी जुटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पूंजी बाजार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रपत्रों के जरिए प्राथमिक बाजार से जुटाई गई कुल पूंजी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1994-95		1995-96		1996-97	
	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
		(करोड़ रुपए)		(करोड़ रुपए)		(करोड़ रुपए)
इक्विटी	1593	17969.90	1661	14684.88	843	7844.42
सममूल्य पर	(942)	(5529.09)	(1181)	(4958.21)	(695)	(3432.63)
प्रीमियम पर	(651)	(12440.81)	(480)	(9726.67)	(148)	(4411.79)
सी०सी०पी०	07	124.30	08	145.16	05	74.92
प्रेफ० शेयर	03	32.90	00	0.00	00	0.00
एफ०सी०डी०	77	5412.84	32	993.68	17	258.55
पी०सी०डी०	30	2356.25	15	2182.11	03	221.55
एन०सी०डी०	22	1222.34	14	480.60	07	405.79
बांड	00	0.00	06	2085.56	10	5400.00
अन्य	03	513.95	02	231.65	02	70.75
जोड़	1735	27632.48	1738	20803.64	887	14275.98

टिप्पणी :

सी० सी० पी०	-	संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयर
प्रेफ० शेयर	-	तरजीही शेयर
एफ० सी० डी०	-	पूर्णतया परिवर्तनीय डिबेंचर
पी० सी० डी०	-	आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर
एन० सी० डी०	-	अपरिवर्तनीय डिबेंचर

(ख) कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाने के संदर्भ में प्राथमिक बाजार की गतिविधि द्वितीयक बाजार के कार्य-निष्पादन, वास्तविक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन, कंपनियों की निवेश-योजनाओं आदि से प्रभावित होती हैं।

(ग) पूंजी बाजार में निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

1. शेयर धारकों को प्राप्त होने वाला लाभांश अब आयकर से छूट-प्राप्त है;
2. जहाँ निवेश आधारढांचा संबंधी नई सुविधा के क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में लगी सरकारी कंपनियों के अनुमोदित डिबेंचरों में अथवा इक्विटी शेयरों में किया जाता हो, वहां आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत निवेश सीमा को 60,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए का दिया गया है ताकि निवेशों को बढ़ावा दिया जा सके। म्युचुअल फंडों में किए गए निवेश, जो उपर्युक्त ऋण-प्रपत्रों में आगे निवेश कर देते हैं, भी इस छूट के लिए पात्र होंगे;
3. दीर्घावधिक पूंजी, लाभ को कर से छूट-प्राप्त है यदि पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतरण से प्राप्त अथवा उपार्जित होने वाला निवल प्रतिफल तीन वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों में लगाया जाता है अथवा वैकल्पिक रूप से, यदि समग्र पूंजी लाभ का सात वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है;
4. निक्षेपागार कानून का अधिनियम और द्वितीयक बाजार में स्क्रिपरहित कारोबार आरंभ करने के लिए निक्षेपागार की स्थापना करना; और
5. नए इश्युओं का अभिदान करने के लिए छोटे निवेशकों को बढ़ावा देने की दृष्टि से न्यूनतम आवेदन राशि को 5000 रुपये से कम करके 2000 रुपये करना।

उड़ीसा में खनिज और धातु व्यापार निगम

1710. श्री के० पी० सिंह देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम के पास उड़ीसा में तीन प्रमुख परियोजनाओं को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को नौवीं योजना के दौरान आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जायेंगी, इनकी अनुमानित लागत कितनी है और इनमें रोजगार के अवसर के सृजन की कितनी संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) एम० एम० टी० सी० नीलांचल इस्पात निगम लि० का प्रमुख प्रोत्साहक है जो प्रतिवर्ष 1.1 मिलि० टन इस्पात तार की छड़ें

इस्पात बिलेट्स और पिग आयरन की क्षमता का संयंत्र कलिंगनगर जाजपुर जिला उड़ीसा में स्थापित कर रहा है। इस परियोजना में भाग लेने वाले अन्य प्रोत्साहक उड़ीसा सरकार मैकन और कुछ विदेशी निवेशक है। एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ ने नीलांचल इस्पात निगम लि॰ के समान उसी परिसर में कलिंग नगर, जाजपुर जिला उड़ीसा में प्रतिवर्ष 8.82 लाख मी॰ टन की स्थापित क्षमता वाला ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड धात्विकी कोक के निर्माण के लिए संयंत्र की स्थापना हेतु भी इक्विटी का प्रस्ताव किया है। एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ द्वारा जिस तीसरी प्रमुख परियोजना के लिए अध्ययन किया गया है वह गोपालपुर में मौजूदा फेयर वैदर पोर्ट को डीप ड्राफ्ट आल वेदर पोर्ट में परिवर्तन करने से संबंधित है। इस परियोजना से संबंधित कार्य अब उड़ीसा सरकार कर रही है और एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

(ग) एन आई एन एल और के एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ एलदोनों परियोजनाओं में 2000-2001 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

(घ) परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है :

		एन आई एन एल	के एम सी एल
1.	स्थापना स्थल	कलिंगनगर	कलिंगनगर
2.	पूंजीगत परिव्यय	1510 करोड़ रु॰	480 करोड़ रु॰
3.	रोजगार सृजन क्षमता	लगभग 1700	लगभग 350

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ

1711. **श्री एन॰ डेनिस :**

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों में उच्चतम न्यायालय की न्यायापीठ स्थापित करने की संभाव्यता की जांच की है;

(ख) क्या सरकार का राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानों में अतिरिक्त न्यायपीठ स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी बार एसोसिएशन, राज्य सरकारों अथवा अन्य संगठनों द्वारा इस तरह की न्यायपीठ स्थापित किए जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (च) विभिन्न स्थानों पर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिये विभिन्न विधिज्ञ संगमों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियत करे। अत: मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, इस संबंध में, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अनुध्यात नहीं की जाती है।

यूरोपीय देशों द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य का आयात

1712. **श्री अजमीर चन्दूलाल :**

श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ के खरीदार यू॰ के॰ के माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के मूल्य का प्रसंस्कृत भारतीय खाद्य खरीद रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय यूनियन बाजार को भारतीय खाद्य उत्पाद सीधे ही भेजने के लिए सरकार अथवा उद्योग द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात यूरोपीय संघ को, जिसमें यू॰ के॰ भी शामिल है, किया जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने हेतु जो कदम उठाए गए हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के बाजारों में निर्यात किया जाना भी शामिल है, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

1. संभाव्यता वाले बाजारों में सवर्धानात्मक अभियान आयोजित करना और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।
2. महत्वपूर्ण बाजारों में क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र का निजीकरण

1713. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :**

डा॰ ए॰ के॰ पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 56 कोयला ब्लाकों की उसी सूची को रद्द करने का निर्णय लिया है जिन्हें पहले वाणिज्यिक दोहन के लिए निजी निवेशकों को दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सूची को रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोयला ब्लाकों की कोई नई सूची तैयार की है जिसे कि निजी और विदेशी निवेशकों को दिया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र के निजीकरण संबंधी चारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है जिनमें वाणिज्यिक खनन के लिए निजी निवेशकों को शत-प्रतिशत तथा विदेशी निवेशकों को 50 प्रतिशत इक्विटी की भागीदारी अनुमति देने की व्यवस्था है;

(च) यदि हां, तो उन निजी और विदेशी निवेशकों के नाम क्या हैं जिन्हें कोयला ब्लाकों में निवेश की अनुमति दी गई है और उन कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दोहन करने के लिए निजी निवेशकों और विदेशी कंपनियों को दिया गया है; और

(छ) कोयला खानों से कब तक दोहन शुरू हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के उत्तर के भाग (ग) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) से (छ) एकीकृत कोयला नीति पर समिति द्वारा संपूर्ण कोयला क्षेत्र का निजीकरण किए जाने की सिफारिश नहीं की गई थी, अत: सरकार द्वारा इस तरह का निर्णय लिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु, समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय सरकार ने वैधानिक अनुमोदन के अधीन निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

1. किसी भारतीय कंपनी को कोयले का उत्खनन किए जाने की अनुमति दिया जाना।
2. एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना किया जाना ताकि निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा, जिसमें सरकारी संगठन भी शामिल है, कोयले तथा लिग्नाइट के स्रोतों के विस्तृत तथा क्षेत्रीय अन्वेषण पर निगरानी रखी जा सके।
3. उक्त स्वतंत्र निकाय को एक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के आधार पर नए कोयले तथा लिग्नाइट ब्लॉकों के आबंटन की जिम्मेदारी सौंपी जाना, जिसमें निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जिसमें राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियां भी शामिल हैं, भाग ले सकें।

वैधानिक व्यवस्था अभी संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है, अत: प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं को निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों से आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया और ग्रहीत उपभोग के लिए बिना विद्यमान प्रतिबंधों के कोयले तथा लिग्नाइट का वाणिज्यिक खनन किए जाने हेतु भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने की कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है। सरकार द्वारा देश में कोयले तथा लिग्नाइट के अन्वेषण तथा खनन में किसी विदेशी कंपनी द्वारा भागीदारी किए जाने की अनुमति दिए जाने संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

पेटेन्टों का संरक्षण

1714. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**

प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाद निपटान पैनल संबंधी विश्व व्यापार संगठन समिति की हाल ही में हुई बैठक में समिति ने टिप्पणी की है कि भारत द्वारा पेटेन्टों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो चर्चित मुद्दों का ब्यौरा और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के विवाद निपटान उपबंधों के तहत इस समय एक पैनल संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा की गई इस शिकायत पर विचार कर रहा है कि भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबद्ध पहलुओं से संबंधित करार के अनुच्छेद 70.8 और अनुच्छेद 70.9 के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है जिनमें यह परिकल्पना की गई है कि 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन करार के लागू होने की तारीख से विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य देश भेषजीय और कृषि संबंधी रासायनिक उत्पादों के लिए पेटेंट संबंधी संरक्षण प्रदान नहीं करता है, वह ऐसा उपाय करे जिससे कि प्रौद्योगिकी के उन क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंटों के लिए आवेदन दायर किए जा सकें और कुछेक शर्तों को पूरा करने की शर्त पर अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करें। यह मामला पैनल के समक्ष है और पैनल की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अधिनियम की धारा-139

1715. **श्री अय्यन्ना पटरूधु :**

श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी:

श्री के॰ पी॰ नायडू :

श्री एल॰ रमना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न भरने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर सेवा निवृत्त वेतनभोगी वर्ग में आशंका फैली हुई है कि यह आयकर अधिकारियों के हाथों में परेशान करने का एक साधन बन सकता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न भरने वाले लोगों को परेशान न करने के लिए अनुदेश जारी करने तथा उन स्थानों पर पर्याप्त प्रचार करने का है, जहां जोन-वार आयकर रिटर्न भरी जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर करना अपेक्षित है। एक नया सरलीकृत विवरणी फार्म (फार्म सं॰ 2 ग) तैयार किया गया है और जारी किया गया है। उपर्युक्त फार्म को भरने संबंधी अनुदेशों, जिन्हें विवरणी के साथ संलग्न किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार की विवरणी किस व्यक्ति द्वारा दायर की जानी है, धारा 139(1) का नया परन्तु किन-किन शहरों के संबंध में लागू होता है, विवरणी दायर किये जाने की अन्तिम तारीख तथा कर की दरों आदि को विनिर्दिष्ट किया गया है। दिशा-निर्देशों में विवरणी को भरने के लिए विभिन्न उपायों को भी स्पष्ट किया गया है। विवरणी सहित इन अनुदेशों को देश में सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है।

(ग) यह सत्य नहीं है कि सेवा-निवृत वेतनभोगी वर्ग में कोई आशंका व्याप्त है कि यह आयकर अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने का एक साधन बन सकता है।

(घ) धारा 139(1) के परन्तुक के तहत विवरणियां दायर करने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन स्थानों, जहां पर आयकर की विवरणियां दायर की जानी हैं, के संबंध में प्रचार प्रत्येक शहर में किया जा रहा है। इस उपबंध के अंतर्गत विवरणियों को प्राप्त करने तथा विवरणियों पर कार्रवाई शीघ्र करने हेतु विशेष काउन्टर खोले गये हैं।

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार जोन

1716. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से किए जाने वाले निर्यात में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वहां मुक्त व्यापार जोन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इन जोनों की स्थापना की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'मुक्त व्यापार क्षेत्र' (एफ टी जेड) तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जेड) शब्द समानार्थी हैं। इस समय सरकार के पास उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में कोई नया एफ टी जेड/ई पी जेड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अब ई पी जेड की स्थापना राज्य सरकारों या संयुक्त/निजी क्षेत्रों द्वारा की जा सकती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1717. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के कारण संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो देश के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर बिहार में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ावा दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार की नीति के अनुसार, अनिवासी भारतीयों को भारत में कहीं भी निवेश करने की अनुमति है और इसलिये परियोजना का स्थापना स्थल निवेशक की इच्छा पर निर्भर होता है।

(ख) सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी नीति के तहत दिये जा रहे प्रोत्साहनों के अलावा विकास केन्द्र योजना, एकीकृत आधारभूत विकास योजना चला रही है।

[अनुवाद]

दालों का आयात

1718. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार की दालों का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य और कितनी मात्रा में दालों का निर्यात किया गया; और

(ग) दालों के आयात निर्यात संबंधी सरकार की सामान्य नीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अप्रैल-नवम्बर, 96) के दौरान आयातित/निर्यातित दालों की विभिन्न श्रेणियों के मूल्य तथा मात्रा के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति 1997-2002 के अंतर्गत, दालों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। तथापि, दालों प्रसंस्कृत दालों का निर्यात इस संबंध में जारी किए गए निर्यात लाइसेंसों तथा प्रत्येक वर्ष निर्धारित सीमा के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अलावा शुल्क छूट योजना के अंतर्गत प्रसंस्कृत दालों का निर्यात निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों अथवा अग्रिम लाइसेंस धारकों के द्वारा आयातित दाल को प्रसंस्कृत करने के बाद किया जा सकता है।

विवरण

मात्रा : टन
मूल्य : लाख रु॰

	आयात						निर्यात					
	1994-95		1995-96		1996-97		1994-95		1995-96		1996-97	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मटर (पिसम सतिबुम)	144964	12,267	173038	18,540	70441	8,627	446	79	1188	153	155	29
चिक मटर (गारबंजोज)	58127	8,501	13762	4,139	70307	8,501	171	20	445	82	-	-
विना मंगो (एल) किस्म की सेम	43932	5,296	62409	9,169	7860	1,189	21	4	1	Ncg.	25	3
छोटी लाल (अदमुकी (सेम) फेसिओ लसया विना एंगुलारिस)	-	-	509	70	219	25	-	-	-	-	-	-
सफेद मटर सेम समेत किन्डी सेम	38592	4,233	13443	2,033	15094	2,236	7	1	-	-	-	-
मसूर	60817	6,458	26736	4,390	51441	9,243	16633	2,673	22718	4,736	9239	2,294
चना (साबुत)	5890	876	3075	388	3220	347	1152	222	3366	637	241	49
चने की दाल (दाल, टुकड़ा)	990	118	179	21	215	31	9325	1,776	7962	1,648	3709	770
मूंग	52377	6,053	25011	3,501	20672	3,156	8697	1,540	9673	2,010	6440	1,593
अरहर	80189	8,553	82461	13,223	89541	14,007	5372	1,005	4242	1,099	2511	726
उड़द	13768	1,665	69953	11,292	20255	3416	6003	1,182	7444	1,947	5469	1,413
अन्य	54426	5,254	15068	1,790	34240	4,742	2880	538	4320	869	1353	298

स्रोत : डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एंड एस॰ कलकत्ता

भारत बांग्ला देश सीमा व्यापार

1719. **श्री चित्तु बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय संबंद्ध स्थायी समिति ने भारत बांग्लादेश सीमा व्यापार की संभावनाओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसकी सिफारिशों क्या हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) दिसम्बर, 1995 की बांग्लादेश के साथ उभरती व्यापार संभावनाओं के बारे में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सातवीं रिपोर्ट (1995-96) में सीमावर्ती व्यापार सहित भारत-बांग्लादेश व्यापार के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई जिसका ब्यौरा रिपोर्ट के पैरा 43-45 में शामिल किया गया है। स्थायी समिति के प्रेक्षण 28.3.1972 के भारत बंगलादेश व्यापार करार के अनुच्छेद-IV में सीमावर्ती व्यापार के लिए विहित उपबंधों से संबंधित हैं जिन्हें बंगलादेश सरकार की ओर से विभिन्न मुददों पर संकोच के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका था। तथापि, स्थायी समिति ने बंगलादेश के साथ सीमावर्ती व्यापार के बारे में कोई सिफारिश नहीं की। यह रिपोर्ट राज्य सभा में 15.12.95 को प्रस्तुत की गई थी तथा 22.12.1995 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी।

वाणिज्य मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक उपसमिति बंगलादेश के साथ सीमावर्ती व्यापार की संभावनाओं सहित पड़ोसी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वाणिज्य के लिए क्षमता के विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इस उपसमिति को अभी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

1720. **श्री कचरू भाऊ राउत** :

डा॰ बलिराम :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार मंत्रालय विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खाली पड़े आरक्षित पदों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन आरक्षित पदों पर अन्य श्रेणियों के कुछ कार्मिक कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 3 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 4 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन रिक्तियों को चयन किए जाने हेतु संबद्ध भर्ती अभिकरणों को सूचित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कम मूल्य के बीजक पर आयात

1721. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा अनेक निर्यात गृहों की छानबीन की जा रही है जिन पर कम मूल्य के बीजक पर बड़े पैमाने पर आयात करने का संदेह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा किन-किन कंपनियों की छानबीन की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, कंपनियों के नाम बताना जनहित में ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले से चल रहे जांच कार्यों पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) इस समय चौबीस कंपनियों के मामले में जांच कार्य चल रहा है। तथापि, कंपनियों के नाम बताना जनहित में ठीक नहीं होगा क्योंकि पहले से चल रहे जांच कार्यों पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध बकाया धनराशि

1722. **श्री डी॰ पी॰ यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के कितने बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध सरकारी धनराशि बकाया है तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस धनराशि को वसूल करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार औद्योगिक घराने की कोई सूची तैयार नहीं करती है, क्योंकि दिनांक 27.9.91 से प्रभावी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम 1991 के द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 (एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ अधिनियम 1969) की धारा 26 के लोप के परिणामस्वरूप औद्योगिक घरानों को अपने आप को पंजीकृत करवाने के कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बकाया देय की वसूली के बारे में औद्योगिक घराना-वार सूचना भी तैयार नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) बकाया राशि वसूल करने के लिऐ क्षेत्रीय कार्यालयों को कानून के अंतर्गत परिकल्पित प्रशासनिक और कानूनी उपाय करने के निदेश दिए गए हैं। संबंधित न्यायालयों से शीघ्र सुनवाई और स्थगन आदेशों को समाप्त करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

चीनी निर्यात

1723. **श्री नारायण अठावले** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1997 के फाइनेंशियल एक्सप्रैस में गवर्नमेंट मूव टू डिकैनलाइज सूगर एक्सपोर्टस फेल शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है तथा इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) बीच में ही इस नीति के सुधार यदि कोई हो, करने के लिए की गई कार्यवाही किये जाने वाली कार्यवाही क्या है; और

(घ) गन्ने की बढ़ती हुई बकाया राशि के निपटान हेतु देश की चीनी इकाइयों के वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार लाने में सहायता करने के लिए चीनी निर्यात को बढ़ाने हेतु प्रस्तावित व्यावहारिक कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 15.4.97 को। 1,55,658 मी॰ टन चीनी के निर्यात हेतु पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए एक व्यापार नोटिस दिया दिनांक 29.7.1997 तक, चीनी के 1,29155.50 मी॰ टन चीनी के निर्यात के लिए आर सी ए सी जारी किए जा चुके हैं। चीनी का निर्यात बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में आशाएं अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति उपभोक्ता की पसंद वरीयता तथा व्यापार अन्य शर्त। निर्यात के लिए अलग रखी गयी चीनी की सारी मात्रा के निर्यात किए जाने की आशा है। निर्यात की गई चीनी से अर्जित धन से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना सहित अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे।

विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों को माफ करना

1724. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल से वार्षिक आधार पर दायित्वों को माफ करने से संबंधित औद्योगीकृत राष्ट्रों द्वारा दिए गए सुझाव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका और यूरोपीय समुदाय के प्रतिनिधियों को भारत का रवैया स्वीकार्य नहीं था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 3 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 4 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन रिक्तियों को चयन किए जाने हेतु संबद्ध भर्ती अभिकरणों को सूचित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कम मूल्य के बीजक पर आयात

1721. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा अनेक निर्यात गृहों की छानबीन की जा रही है जिन पर कम मूल्य के बीजक पर बड़े पैमाने पर आयात करने का संदेह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा किन-किन कंपनियों की छानबीन की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, कंपनियों के नाम बताना जनहित में ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले से चल रहे जांच कार्यों पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) इस समय चौबीस कंपनियों के मामले में जांच कार्य चल रहा है। तथापि, कंपनियों के नाम बताना जनहित में ठीक नहीं होगा क्योंकि पहले से चल रहे जांच कार्यों पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध बकाया धनराशि

1722. **श्री डी॰ पी॰ यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के कितने बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध सरकारी धनराशि बकाया है तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस धनराशि को वसूल करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार औद्योगिक घराने की कोई सूची तैयार नहीं करती है, क्योंकि दिनांक 27.9.91 से प्रभावी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम 1991 के द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 (एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ अधिनियम 1969) की धारा 26 के लोप के परिणामस्वरूप औद्योगिक घरानों को अपने आप को पंजीकृत करवाने के कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बकाया देय की वसूली के बारे में औद्योगिक घराना-वार सूचना भी तैयार नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) बकाया राशि वसूल करने के लिऐ क्षेत्रीय कार्यालयों को कानून के अंतर्गत परिकल्पित प्रशासनिक और कानूनी उपाय करने के निदेश दिए गए हैं। संबंधित न्यायालयों से शीघ्र सुनवाई और स्थगन आदेशों को समाप्त करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

चीनी निर्यात

1723. **श्री नारायण अठावले** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1997 के फाइनेंशियल एक्सप्रैस में गवर्नमेंट मूव टू डिकैनलाइज सूगर एक्सपोर्टस फेल शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है तथा इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) बीच में ही इस नीति के सुधार यदि कोई हो, करने के लिए की गई कार्यवाही किये जाने वाली कार्यवाही क्या है; और

(घ) गन्ने की बढ़ती हुई बकाया राशि के निपटान हेतु देश की चीनी इकाइयों के वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार लाने में सहायता करने के लिए चीनी निर्यात को बढ़ाने हेतु प्रस्तावित व्यावहारिक कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 15.4.97 को। 1,55,658 मी॰ टन चीनी के निर्यात हेतु पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए एक व्यापार नोटिस दिया दिनांक 29.7.1997 तक, चीनी के 1,29155.50 मी॰ टन चीनी के निर्यात के लिए आर सी ए सी जारी किए जा चुके हैं। चीनी का निर्यात बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में आशाएं अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति उपभोक्ता की पसंद वरीयता तथा व्यापार अन्य शर्त। निर्यात के लिए अलग रखी गयी चीनी की सारी मात्रा के निर्यात किए जाने की आशा है। निर्यात की गई चीनी से अर्जित धन से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना सहित अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे।

विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों को माफ करना

1724. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल से वार्षिक आधार पर दायित्वों को माफ करने से संबंधित औद्योगीकृत राष्ट्रों द्वारा दिए गए सुझाव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका और यूरोपीय समुदाय के प्रतिनिधियों को भारत का रवैया स्वीकार्य नहीं था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन देशों ने भारत के रवैया का समर्थन किया; और

(ङ) इस समय यह मसला किस स्थिति में है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) गाट 1994 के अनुच्छेद xviii बी के उपबंधों के तहत लगाए गए आयात के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंधों के चरणबद्ध समाप्ति के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर भारत के साथ 30 जून-1 जुलाई, 1997 तक विश्व व्यापार संगठन के भुगतान संतुलन प्रतिबंध संबंध समिति में पुन: शुरू किए गए विचार विमर्श में भारत अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद xviii बी को लागू नहीं करने के मुद्दे पर असहमत था। कुछ विकसित देश, विशेष रूप से यूरोपीय समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका भारत से यह चाहते थे कि वह यह घोषणा करें कि चूंकि विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हुआ है इसलिए भारत के लिए अब भुगतान सतुंलन को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसे भारत ने स्वीकर नहीं किया क्योंकि उस स्थिति में अवशिष्ट मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए कोई कानूनी संरक्षण नहीं रहेगा और भारत योजना की शेष अवधि में विवादों के घेरे में आ जाएगा। विकसित देशों ने प्रस्ताव किया था कि भारत सामान्य परिषद् से विश्व व्यापार संगठन को स्थापित करने वाले कवर के अनुच्छेद IX के उपबंधों के तहत प्रत्येक वर्ष दायित्वों को माफ करने की मांग कर सकता है। भारत का विचार यह था कि गाट 1994 के भुगतान संतुलन समझौता के उपबंधों में स्पष्ट प्रावधान है कि उन मामलों में जहां भुगतान संतुलन प्रयोजनों के लिए किए गए प्रतिबंधात्मक उपायों के हटाने के लिए समय सारणी प्रस्तुत की गई है, वहां सामान्य परिषद यह सिफारिश कर सकती है कि इस प्रकार की समय सारणी का पालन करते हुए माना जाएगा कि सदस्य ने गाट 1994 दायित्वों का अनुपालन किया है। भारत की राय में यह उपबंध भारत तथा इसके व्यापारिक सहभागियों दोनों को तुलनीय कानूनी निश्चितता प्रदान करता है। ब्राजील, पेरू तथा पाकिस्तान ने लागू नहीं करने के बारे में भारत के रवैया का समर्थन किया, भारत के साथ हुए परामर्श आम सहमति के बिना ही समाप्त हो गए।

आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदाय न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य ने अपने अलग-अलग अनुरोधों में भारत के साथ गाट 1994 के अनुच्छेद xxii और विवाद निपटान पर लागू होने वाले नियम तथा क्रियाविधियों संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौता के तहत औपचारिक परामर्श किया है जिसमें भारत द्वारा भुगतान संतुलन प्रयोजनों के लिए आयातों पर भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है, भारत द्वारा भुगतान संतुलन के प्रयोजनों के लिए मात्रात्मक प्रतिबन्धों को लगातार बनाए रखने का आरोप लगाया है, वह विश्व व्यापार संगठन के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है। भारत ने परामर्श करने के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

भारत द्वारा नेपाल में उद्योगों की स्थापना

1725. श्री सोहन वीर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच कुछ मामलों पर चर्चा हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने नेपाल में निवेश करने तथा उद्योग स्थापित करने के लिए भारतीय उद्यमियों को कोई पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) भारतीय प्रधान मंत्री की 5-7 जून, 1997 को नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किए थे जिनमें द्विपक्षीय मुद्दे तथा आपसी हित के अन्य मामले शामिल थे, इनमें 1950 की संधि, सीमा विनियमन एवं सुरक्षा, जल संपदा परियोजना, व्यापार पारगमन, निवेश और उड्डयन शामिल थे।

(ग) और (घ) जुलाई, 1996 में वाणिज्य सचिव स्तर पर हुए विचार-विमर्शों के दौरान, नेपाल सरकार ने नेपाल में भारतीय मुद्रा में निवेश पर प्रतिबन्धों को हटाने का अनुरोध किया। तदनुसार, भारत सरकार ने नेपाल में भारतीय निवेश के संबंध में अनुमोदन को आसान बनाने के लिए "विशेष नेपाल खिड़की" की स्थापना की है। पूर्ण रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेश में निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "फास्ट ट्रैक क्लियरेंस" हेतु 4 मिलियन अमरीकी डालर की सामान्य सीमा को नेपाल में भारतीय मुद्रा में निवेश हेतु बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसकी नेपाल सरकार ने सराहना की है और नेपाल में औद्योगिक उत्पादन आधार के विस्तार की दिशा में योगदान के लिए महत्वपूर्ण कदम माना है।

राष्ट्रीय आय

1726. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत योगदान था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में से कृषि क्षेत्र को कितने प्रतिशर्त ऋण दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी 1996-97 के सकल घरेलू उत्पाद के संशोधित अनुमानों के अनुसार 1995-96 और 1996-97 में उपादान लागत (1980-81 की कीमतों पर) पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के हिस्से क्रमश: 26.9 प्रतिशत और 26.6 प्रतिशत थे।

(ख) 1995-96 और 1996-97 के दौरान कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए वितरित कुल संस्थागत ऋण (सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के) क्रमश: 22,032 करोड़ रुपये (8.3 प्रतिशत) और 28, 653 करोड़ रुपये (9.8 प्रतिशत) थे।

रुग्ण उद्योगों के नाम

1727. **डा० राम विलास वेदान्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रुग्ण उद्योग कौन-कौन से हैं जिन पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की मोटी रकम बकाया पड़ी हुई है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बैंकों को उक्त ऋण की राशि वसूलने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गैर-लघु उद्योगों (एस एस आई) रुग्ण इकाइयों (जिसमें 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार कुल बैंक ऋण का 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक अंतर्ग्रस्त है)। की संख्या और इन इकाइयों के विरुद्ध बकाया बैंक ऋण राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, प्रत्येक संघटक से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके वर्तमान मार्गनिर्देशों के अंतर्गत बैंक रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराते हैं। उनके पुनरुद्धार के लिए संभाव रूप से अर्थक्षम पाए गए रुग्ण/कमजोर औद्योगिक इकाइयों के संबंध में पुनरुद्धार पैकेज बनाने/कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापक मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं। पुनरुद्धार पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ, चरणबद्ध रूप में उनके भुगतान की बढ़ी हुई अवधि में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान देयराशियों के निधियन ब्याज रियायतें, नए सावधि ऋणों को मंजूरी के साथ-साथ नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड निवारक, सुधारात्मक उपचारी और अन्य उपायों के निर्धारण के लिए गैर-लघु उद्योग रुग्ण इकाइयों के संबंध में और सिका के उपबंधों के अंतर्गत ऐसे उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के संबंध में बाइफर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेजों को कार्यान्वित करें। रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी की जाती है।

विवरण

दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार बकाया बैंक ऋण और गैर एस एस आई रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार संख्या को दर्शानेवाला विवरण

करोड़ रुपये

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	गैर एस एस आई रुग्ण औद्योगिक इकाइयां	बकाया राशि
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	234	1037.42
2. असम	37	116.57
3. अरुणाचल प्रदेश	1	1.77
4. बिहार	56	103.19
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	26	125.97
6. गोवा	4	11.42
7. गुजरात	117	670.07
8. हरियाणा	63	305.56
9. हिमाचल प्रदेश	20	38.72
10. जम्मू व कश्मीर	7	27.89
11. कर्नाटक	114	493.34
12. केरल	69	412.38
13. मध्य प्रदेश	99	323.86
14. महाराष्ट्र	337	1688.84
15. मेघालय	2	1.31
16. मणिपुर	1	2.37
17. नागालैंड	1	1.30
18. उड़ीसा	53	194.72
19. पंजाब	37	137.35
20. राजस्थान	61	229.58
21. सिक्किम	1	6.35
22. तमिलनाडु	129	762.63
23. त्रिपुरा	6	9.13
24. उत्तर प्रदेश	173	993.58
25. पश्चिम बंगाल	225	1080.37
जोड़	1873	8775.69
संघ राज्य क्षेत्र		
1. चंडीगढ़	12	32.85
2. दमन व दीव	1	1.98
3. दादरा व नगर हवेली	2	4.22
4. पांडिचेरी	8	8.54
जोड़	23	47.59
कुल जोड़	1896	8823.28

[अनुवाद]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की समीक्षा

1728. **श्री नन्द कुमार साय :**

श्री येल्लैया नंदी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की मौलिक समीक्षा की मांग की है ताकि मामलों को कारगर ढंग से और तेजी से निर्धारित समय पर निपटाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर नई दिल्ली में जून, 1997 में आयोजित विधि मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन में इस मामले पर क्या निर्णय लिये गये;

(घ) क्या सरकार का विचार अपराध प्रक्रिया संहिता की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही आरंभ की है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) और (ख) 20 जून और 1 जुलाई, 1997 को नई दिल्ली में हुए राज्य विधि मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने, जिनमें आन्ध्र प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं, दंड प्रक्रिया संहिता संबंधी विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में दांडिक विधि में प्रक्रियात्मक सुधारों के लिए अभिवाक् किया।

(ग) से (च) बैठक में शीघ्र सुधार किए जाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी। छह राज्य विधि मंत्रियों का एक अनौपचारिक समूह दंड प्रक्रिया संहिता में दिए जाने वाले अपेक्षित विनिर्दिष्ट संशोधनों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म में निवेश

1729. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की पोलिस्टर एक्स-रे परियोजना पर अब तक कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) यह परियोजना कब चालू हुई;

(ग) निर्धारित समय और लागत से कितना समय और लागत अधिक लगे और इसके क्या कारण हैं;

(घ) कितनी कार्यरत पूंजी उपलब्ध कराई गई तथा संयंत्र की क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) अब तक अधिकतम कितनी क्षमता का उपयोग हुआ है तथा अगले वर्ष कितनी क्षमता के उपयोग करने की योजना बनाई गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार ने पोलिस्टर एक्स-रे फिल्म परियोजना के लिये अब तक 227.76 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(ख) संयंत्र दिनांक 31.3.97 को चालू किया गया।

(ग) निर्धारित समय और लागत से समय और लागत क्रमश: 5-1/2 वर्ष और 510.84 करोड़ रुपये अधिक लगे। अधिक समय और लागत के लिये उत्तरदायी कारक निम्नानुसार है :

1. दोषयुक्त आरंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार न किया जाना।
2. निम्नलिखित में विलम्ब :
   (क) सिविल ठेका देना;
   (ख) ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य तथा अन्य कार्य
3. तमिलनाडु बिजली बोर्ड से बिजली की उपलब्धता।
4. निधियों की कमी।
5. लागत में वृद्धि।
6. विनियम दर/शुल्क में परिवर्तन।

(घ) सरकार ने विद्यमान संयंत्र और पोलिएस्टर एक्स-रे परियोजना के लिये कार्यशील पूंजी हेतु एच॰ पी॰ एफ॰ को वर्ष 1996-97 में 26.16 करोड़ रुपये दिये।

(ङ) वर्ष 1997-98 की पहली तिमाही के दौरान पोलिएस्टर एक्स-रे संयंत्र में क्षमता उपयोगिता 3.4% है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिये 22% क्षमता उपयोगिता की योजना बनाई गई है।

विपणन विकास सहायता

1730. श्री संदीपान थोरात : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में हथकरघा सोसायटियों द्वारा हथकरघा सोसायटियों की विपणन विकास सहायता के लिए कितनी अपील हथकरघा विकास आयुक्त को भेजी गई और इस सोसायटियों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कितनी अपील स्वीकृत की गईं;

(ग) राज्यवार और वर्षवार इस अपीलों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और इन सोसायटियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत धनराशि के विपणन के विलंब के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा): (क) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की हथकरघा सोसायटियों द्वारा हथकरघा विकास आयुक्त को प्राप्त अपीलों की संख्या "शून्य" है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सुधार की गति

1731. श्री संतोष मोहन देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकार को सुधार की धीमी गति के संबंध में सावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इनसे स्थिति में किस हद तक सुधार हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) परामर्श प्रयोग के अनुच्छेद IV के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड ने भारत की क्षमता को मान्यता प्रदान की है उनका मानना था कि औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में जो हाल ही में मन्दी देखी गई है वह काफी सीमा तक सुधारों के आंशिक स्वरूप का परिणाम है जिसने वित्तीय क्षेत्र में आधारभूत कमियों तथा निरंतर अड़चनों को पैदा करने में सहायता प्रदान की थी। उन्होंने प्राधिकारियों से और अधिक सतर्क होने और वृहद आर्थिक विकास की निकटता से मॉनीटरिंग की आवश्यकता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकार को सुधारों की धीमी गति के बारे में चेतावनी नहीं दी है।

सरकार आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

1732. श्री रमेश चेन्नितला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका आर्थिक/वाणिज्यिक उप-आयोग

1733. श्री येल्लैया नंदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका आर्थिक/वाणिज्यिक उप-आयोग की दिसम्बर, 1996 में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें चर्चा तथा निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका भारत में और अधिक निवेश करने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1996 की तुलना में वर्ष 1997 में अमरीकी निवेश कितना अधिक रहा है;

(ङ) अमरीका ने किन-किन परियोजनाओं में अधिक निवेश किया है; और

(च) दोनों देशों के बीच व्यापार में किस हद तक सुधार हुआ है/होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) भारत-अमरीका आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग की दूसरी बैठक 17 दिसम्बर 1996 को वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमरीका *में हुई थी। इस बैठक में उप-आयोग की भारतीय और अमरीकी दोनों पक्षों को भारत-अमरीकी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य* से दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्तमान संबंधों पर विचार-विमर्श करने और उसका पुनरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया गया। इस बैठक में, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के विनियमन में अनुभव के आदान-प्रदान हेतु मंच तैयार करना और विद्युत और भूतल परिवहन क्षेत्रों में एजेंसी-दर-एजेंसी तकनीकी सहयोग और सहायता को प्रोत्साहन देने पर सहमति व्यक्त की गई। उप-आयोग ने पूंजी बाजार विकास के लिए प्रक्रिया तैयार करने की संभावना की खोज करने की भी सिफारिश की है जो सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए सम्मेलनों और बैठकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

अमरीका से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन की राशि वर्ष 1996 में 100558.70 मिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 1997 (जनवरी से अप्रैल) में 45743.64 मिलियन रुपये थी। अमरीका के साथ भारत का व्यापार प्रति वर्ष प्रभावी दर से बढ़ रहा है और यह 1995-96 में 9.381 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 1996-97 में 9.917 बिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 1996-97 के दौरान अमरीका को किए गए निर्यात ने अमरीकी डालर के रूप में लगभग 18.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है और आयात ने अमरीकी डालर के रूप में लगभग 12.62 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। अमरीकी डालर के संबंध में अमरीका को किए गए निर्यात में 18.55 प्रतिशत की वृद्धि, भारत की समग्र निर्यात वृद्धि दर अर्थात् अमरीकी डालर के संबंध में 6.57 प्रतिशत की तुलना में उच्च है।

लघु उद्योग

1734. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की समस्याओं के संबंध में "लघु उद्योग भारती" नाम की लघु उद्योगों की दिल्ली स्थित समिति ने गत माह सरकार को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योग भारती द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23 जून, 1997 का ज्ञापन 14 जून, 1997 के पायनिर में प्रकाशित "80 लघु उद्योग मदों के अनारक्षण की सूचना" संबंधी समाचार मद की ओर संकेत करता है और सरकार से किसी ऐसी बैठक में, यदि कोई हो, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध करता है।

(ग) लघु उद्योग भारती, दिल्ली को उपयुक्त उत्तर पहले ही भेज दिया गया है।

कानपुर मिल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता/मजदूरी

1735. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम बी॰ आई॰ सी॰, टी॰ ए॰ पी॰ सी॰ ओ॰ और वनस्पति तेल निगम की मिलों का वर्तमान वार्षिक पर्यवेक्षकीय व्यय कितना है;

(ख) क्या कानपुर में वस्त्र मिलों के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में 1985 से संशोधन नहीं किया गया है और जबकि इन मिलों के पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के वेतनमानों में नियमानुसार संशोधन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मिलों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) एन टी सी तथा बी इ सी के अधीन कानपुर स्थित टी ए एफ सी ओ तथा एच वी ओ सी मिलों का वार्षिक पर्यवेक्षकीय व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

1.	एन टी सी	1.19
2.	बी आई सी	4.51
3.	टी ए एफ सी ओ	2.19
4.	एच वी ओ सी	0.35

(ख) से (घ) कानपुर स्थित एन टी सी की वस्त्र मिलों के मासिक वेतन पाने वाले लिपिकीय तथा अन्य कर्मचारियों ने मुख्यालय के कर्मचारियों के वेतन मानों के समान वेतन का दावा किया है। उन्होंने न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं तथा उनका मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

जहां तक बी आई सी और उसकी सहायक कंपनियों की कानपुर स्थित मिलों का संबंध है इन मिलों के आवेदकों के इस आशय के अनुरोधों का ध्यान में रखते हुए कि उनकी कोई शिकायत नहीं है, उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी रिट याचिकाओं को वापिस लिया गया के रूप में खारिज कर दिया।

कानपुर स्थित मिलों के पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों के वेतनमानों को लोक उद्यम विभाग के आदेश अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

आयकर कानून

1736. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार करों की वसूली करने हेतु आयकर तथा उत्पाद शुल्क विभागों की बुनियादी कमजोरियों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान आयकर तथा अन्य करों के कानून में खामियों की ओर ध्यान दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय खर्चों के अंतर्गत बजट प्रावधानों में बढ़ोतरी की जाए। बढ़ी हुई सुविधाओं से शुल्कों की वसूली के बढ़ने की संभावना है।

(ग) और (घ) समय की मांग, व्यापार एवं उद्योग में विकास तथा न्यायिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए कर-नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सिले-सिलाए वस्त्र के निर्यात की नीति

1737. **श्री उत्तम सिंह पवार :**

डा॰ असीम बाला :

श्री जी॰ वेंकट स्वामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात नीति प्रचालन संबंधी पहलुओं को फिर से तय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीति को फिर से कब तक तैयार किया जाएगा; और

(ग) सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कपड़ा उद्योग के विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्या कदम उठाने का है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) इस समय परिधान निर्यात नीति में उनके प्रचालन संबंधी सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसका अभीष्ट उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है ताकि निर्यात बाजार सहित उसे अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

अन्य देशों द्वारा अखबारी कागज को भारत भेजना

1738. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अखबारी कागज उत्पादक संघ से प्राप्त शिकायत के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रूस, कनाडा और अमेरिका जैसे कुछ देशों द्वारा अखबारी कागज भेजने के आरोपों की भी जांच गत वर्ष दिसम्बर में आरंभ कर दी थी;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा इसकी जांच जारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ अंतिम कार्यवाही कब तक की जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यू॰ एस॰ ए॰, कनाडा और रूस द्वारा अखबारी कागज के कथित पाटन के बारे में 20.12.96 को जांच शुरू की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों को सरकारी राजपत्र में 11.6.97 को अधिसूचित किया है जिसमें उपर्युक्त तीन देशों से अखबारी कागज पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने का सुझाव दिया है।

प्रतिपाटन कानून के अंतर्गत शुरूआत की तारीख से एक वर्ष के अंदर जांच को पूरा करना होता है, जिसे कि और छह महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखबारी कागज के मामले में अन्तिम निर्णय निर्धारित कानूनी समय सीमा के अंदर कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

निजी जेट विमान कंपनी को आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ के ऋण

1739. श्री बृज भूषण तिवारी :

श्री कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट विमानों के प्रचालन में संलग्न किसी निजी कंपनी की और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को देय करोड़ रुपये की भारी धनराशि बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उस निजी कंपनी का नाम क्या है तथा इसकी और कितनी धनराशि बकाया पड़ी है और यह किस तारीख से बकाया है;

(ग) इस कंपनी को किस आधार पर ऋण दिया गया था;

(घ) क्या इस ऋण पर ब्याज भी लगाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो आज तक ब्याज की कुल राशि क्या है; और

(च) सरकार का विचार कब तक तथा किस प्रकार से इस राशि को वसूलने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) (ख), (घ) और (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि उन्होंने एक ऐसी निजी वायुयान चालक को 3.45 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी और उसका संवितरण किया था जिसके वायुयानों के बेड़े में जेट विमान थे। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं परम्पराओं के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने वाले कानूनों के उपबंधों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार, अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरे बताए नहीं जा सकते।

(ग) आई डी बी आई ने सूचित किया है कि परियोजना की आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् ही निजी वायुयान चालक को ऋण मंजूर किया गया था।

(च) आई डी बी आई कंपनी के विरुद्ध वसूली संबंधी कार्यवाही आरंभ कर रहा है।

[अनुवाद]

चाय का निर्यात

1740. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किन-किन देशों को चाय का निर्यात कर रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और देशवार कितनी चाय का निर्यात किया गया; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) भारतीय चाय का निर्यात विश्व के लगभग सभी आयातक देशों को किया जाता है। भारतीय चाय के प्रमुख आयातक देश हैं, रूस और सी॰ आई॰ एस॰ देश, यू॰ के॰, जर्मनी, पोलैंड, यू॰ ए॰ ई॰, ईरान, मिश्र का अरब गणराज्य, जापान, सऊदी अरब इत्यादि।

(ख) और (ग) भारत से चाय के निर्यात का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(मात्रा : मिलियन कि॰ ग्रा॰)

(मूल्य : करोड़ रुपये में)

देश	1995-96		1996-97	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
रूस संघीय गणराज्य	66.18	443.08	42.03	297.16
कजाखिस्तान	3.34	21.73	2.87	18.63
उक्रेन	3.19	23.43	0.60	3.69
अजर्बेजान	0.03	0.23	0.40	0.21
अन्य सी॰ आई॰ एस॰	3.11	21.84	8.07	55.34
कुल सी॰ आई॰ एस॰	75.85	510.31	53.61	375.03
यू॰ के॰	21.71	133.71	25.19	176.31
आयरलैंड	2.52	16.94	3.19	22.26
नीदरलैंड	2.66	25.48	2.33	23.80
जर्मनी	7.18	99.35	6.67	100.40
पोलैंड	10.57	63.74	8.53	55.20
यू॰एस॰ए॰	3.54	31.25	5.05	59.42
कनाडा	0.42	2.69	0.72	4.44
यू॰ए॰ई॰	16.84	137.35	21.54	152.69

1	2	3	4	5
ईरान	3.29	26.91	4.29	27.84
सऊदी अरब	0.99	9.93	3.19	31.96
जोर्डन	0.12	0.77	0.73	3.40
ए०आर०ई०	6.54	33.46	6.68	35.69
मोरक्को	-	-	0.05	0.32
तुनिसिया	-	-	0.67	3.15
अफगानिस्तान	0.85	6.12	0.75	6.04
हांगकांग	0.08	0.77	2.63	14.97
सिंगापुर	0.59	3.44	0.66	4.20
नेपाल	0.35	2.00	0.52	2.56
श्रीलंका	0.51	2.44	2.57	12.21
तुर्की	0.47	3.74	0.92	7.37
जापान	2.10	28.80	2.44	38.14
पाकिस्तान	0.25	0.97	0.22	0.66
लाइबेरिया	1.65	9.51	2.98	16.63
दक्षिण अफ्रीका	0.29	1.35	1.28	11.46
आस्ट्रेलिया	0.65	4.52	1.06	6.58
अन्य देश	6.99	45.53	17.04	95.65
कुल	163.65	1191.19	132.26	1005.27
यू०एस०मिलियन डालर		(356.10)		(347.01)

कोयला क्षेत्र को धनराशि

1741. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न बड़े कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) उड़ीसा में कोयला संसाधनों के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए शुरू की जाने हेतु तैयार की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है किन्तु, कोयला तथा लिग्नाइट पर कार्यकारी दल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला तथा लिग्नाइट (जिसमें विद्युत क्षेत्र शामिल है) हेतु 12,357 करोड़ रुपए की राशि के अनुमोदित परिव्यय के एवज में नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 22,543.13 करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय की स्वीकृति दी है।

(ग) उड़ीसा में प्रचलित महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले के संसाधनों के विकास हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये की अंनतिम की राशि का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1997-98 हेतु महानदी कोलफील्ड्स लि० के लिए 317.14 करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय की संकल्पना की गई है। चूंकि महानदी कोलफील्ड्स लि० का परिव्यय अपने बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं है, अत: सरकार द्वारा इस प्रयोजन से निधि की मंजूरी नहीं दी गई है।

(घ) महानदी कोलफील्ड्स लि० की विभिन्न योजनाएं, जो कि उड़ीसा राज्य में प्रचलित है तथा जिसके लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 1800 करोड़ रुपये की राशि का परिव्यय प्रस्तावित है, उक्त के संबंध में ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

परियोजना	*परिव्यय*
विद्यमान परियोजना	465.56
चालू परियोजना	422.32
नई परियोजनाएं	538.27
जोड़ खनन	1426.15
गैर-खनन	373.85
	1800.00

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1742. डा० बलिराम : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने उद्योगों को ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) ऋण प्रदान किए जाने हेतु लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी औद्योगिक इकाइयों को कब तक ऋण प्रदान किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी के अतिरिक्त 112 उद्योगों के लिए खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम में यथा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामोद्योगों की सूची संलग्न-विवरण में दी गयी है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने सामान्य कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में 3112.49 लाख रु० ऋण के तौर पर और 70.76 लाख रुपये अनुदान के तौर पर संवितरित किये। उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम

कुटीर कुम्भकारी, चूना, हस्तनिर्मित कागज, अगरबत्ती, बेंत और बांस, घानी तेल, गुड़ खांडसारी, अनाज और दालों का प्रसंस्करण, फल-प्रसंस्करण, रेशे, कुटीर साबुन, चमड़ा, बढ़ईगिरी और लोहारी तथा खादी के अलावा पालीवस्त्र के लिए हैं इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामोद्योगों के लिए अपनी परियोजना प्रणाली के तहत भी कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत किया। 15.6.97 की स्थिति के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार से है :

	उद्योग	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		स्वीकृत तिथि	जारी की गयी निधि
		व्यक्तिगत	संस्थागत	(रु० लाख में)	
1.	ग्रामीण इंजी. उद्योग	-	2	10.24	-
2.	अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण	-	2	23.71	4.91
3.	हस्तनिर्मित कागज	3	-	41.61	-
4.	गैर-खाद्य साबुन उद्योग	-	1	7.07	4.67
5.	ग्रामीण तेल उद्योग	1	1	11.77	3.74
6.	गुड़ और खांडसारी	10	-	5.40	-
7.	मधुमक्खी पालन	1	1	4.50	-
8.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग	2	1	21.88	-
	कुल	17	8	126.18	13.32

(ग) 15.6.97 की स्थिति के अनुसार विभिन्न उद्योगों की 90 व्यक्तिगत तथा 121 संस्थांगत ऐसी परियोजनाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बैंकीय शाखा को मूल्यांकन हेतु भेज दिया गया है जिनकी परियोजना लागत एक लाख रुपये से अधिक है। इसके प्रति, 43 व्यक्तिगत और 57 संस्थागत परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। शेष 47 व्यक्तिगत और 64 संस्थागत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने हेतु कोई विशिष्ट समय नहीं है। परियोजनाओं की आर्थिक तथा तकनीकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निधियां स्वीकृत करने हेतु निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही परियोजनाओं को धन दिया जायेगा।

विवरण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उद्योग

1. खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) और दन कारपेट (सिर्फ सिक्किम एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए)
2. ग्रामोद्योग

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामोद्योगों/परियोजनाओं को सात प्रमुख समूहों में बांटा गया है :

समूह-I : खनिज आधारित उद्योग : (1) कुटीर कुम्हारी उद्योग (2) चूना पत्थर, चूना सीपी और अन्य चूना उत्पाद उद्योग, (3) मन्दिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, पिसाई, नक्काशी, तथा खुदाई, (4) पत्थर से बनी हुई उपयोगी वस्तुएं (5) स्लेट और स्लेट पेंसिल का निर्माण, (6) प्लास्टर आफ पेरिस का निर्माण, (7) बर्तन धोने का पावडर (8) जलावन के ब्रिकेट, (9) सोने, चांदी, पत्थर, सीपी और कृत्रिम सामग्रियों से आभूषणों का निर्माण, (10) गुलाल, रंगोली का निर्माण, (11) चूड़ी निर्माण, (12) पेंट, रंजक, वार्निश और डिस्टेंपर निर्माण, (13) कांच के खिलौनों का निर्माण, (14) सजावटी शीशा की कटाई, डिजाइनिंग, पालिशिंग, (15) रत्न कटाई।

समूह-II : वनाधारित उद्योग : (16) हाथ कागज/ (17) कत्था निर्माण, (18) गोंद और रेजिन निर्माण/ (19) लाख निर्माण (20) कुटीर दियासलाई उद्योग, पटाखे और अगरबत्ती निर्माण/ (21) बांस और बेंत कार्य, (22) कागज से प्याले, तश्तरी, झोले और कागज के डिब्बे का निर्माण, (23) कापियों की जिल्दसाजी, लिफाफा निर्माण, रजिस्टर निर्माण और कागज से बनाई जाने वाली अन्य लेखन-सामग्रियां, (24) खस टट्टी और झाड़ू निर्माण, (25) वनोत्पादों का संग्रह, प्रशोधन और पैकिंग, (26) फोटो जड़ना, (27) जूट उत्पादों का निर्माण (रेशा उद्योग के अंतर्गत)।

समूह-III : कृषि आधारित और खाद्य उद्योग : (28) अनाज, दाल, मसाला, चटपटे मसाले आदि का प्रशोधन, पैकिंग और विपणन, (29) नूडल निर्माण, (30) विद्युत चालित आटा चक्की, (31) दलिया निर्माण (32) चावल छिलका उतारे की छोटी इकाई (33) ताड़गुड निर्माण और अन्य ताड़ उत्पाद उद्योग (34) गन्ना गुड़ और खांडसारी निर्माण (35) भारतीय मिष्ठान निर्माण, (36) रसवंती- गन्ना रस, खान पान इकाई, (37) मधुमक्खी पालन, (38) अचार सहित फल और सब्जी का प्रशोधन, प्ररिरक्षण एवं डिब्बा बंदी, (39) घानी तेल उद्योग, (40) मेन्थाल तेल, (41) नारियल जटा के अलावा रेशा, (42) औषधीय कार्यों के लिए जड़ी-बूटियों का संग्रह, (43) मक्का और रागी का प्रशोधन, (44) मज्जा-कार्य, मज्जा चटाइयों और हींग आदि का निर्माण, (45) काजू प्रशोधन, (46) पत्ते का दोना बनाना, (47) दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई, (48) पशु चारा, मुर्गी चारा निर्माण।

समूह-IV: बहुलक और रसायन आधारित उद्योग : (49) शवच्छेदन, चर्मशोधन तथा खाल व त्वचा से संबंधित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चर्म उद्योग, (50) कुटीर साबुन उद्योग, (51) रबर वस्तुओं का निर्माण, (डिप्ड लेटेक्स उत्पाद) (52) रेग्जीन पीवीसी से बने उत्पाद (53) हाथी दांत समेत सींग और हड्डी उत्पाद, (54) मोमबत्ती, कपूर और मोहरवाली मोम का निर्माण, (55) प्लास्टिक की पैकेजिंग वस्तुओं का निर्माण, (56) बिंदी निर्माण, (57) मेंहदी निर्माण, (58) इत्र निर्माण, (59) शैंपू निर्माण, (60) केश तेल निर्माण, (61) डिटर्जेंट और धुलाई पावडर निर्माण (अविषाक्त)।

समूह-V : इंजिनियरिंग और गैर परंपरागत ऊर्जा : (62) बढ़ईगिरी (63) लोहारी, (64) अल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का उत्पादन, (65) गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पाद, जैसे मृत पशु के मांस और मल आदि से खाद और मीथेन, (गोबर) गैस का उत्पादन और उपयोग, (66) कागज पिन, क्लिप, सेफ्टी पिन, स्टोव पिन आदि का निर्माण, (67) सजावटी बल्बों, बोतलों, ग्लासों आदि का निर्माण, (68) छाता उत्पादन, (69) सौर तथा पवन ऊर्जा उपकरण, (70) हस्त निर्मित

पीतल के बर्तनों का निर्माण, (71) हस्त निर्मित तांबे के बर्तनों का निर्माण, (72) हस्त निर्मित कांसे के बर्तनों का निर्माण, (73) पीतल, तांबे और कांसे से अन्य वस्तुओं का निर्माण, (74) रेडियो निर्माण, (75) कैसेट प्लेयर का निर्माण, भले ही वह रेडियों में लगा हुआ हो या न लगा हो, (76) कैसेट रिकार्डर का निर्माण भले ही वह रेडियो में लगा हुआ हो या न लगा हो, (77) वोल्टेज स्टेब्लाइजर का उत्पादन, (78) इलैक्ट्रानिक घड़ियों और अलार्म घड़ियों का निर्माण, (79) लकड़ी पर नक्काशी और कलात्मक फर्नीचर निर्माण, (80) टीन कार्य, (81) मोटर वाईंडिंग, (82) तार की जाली बनाना, (83) लोहे की झंझरी, (ग्रिल) निर्माण, (84) ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथगाड़ी, बैलगाड़ी, छोटी नाव, दुपहिया साइकिल/साइकिल रिक्शा, मोटर युक्त गाड़ियों आदि का निर्माण, (85) संगीत साजो का निर्माण।

समूह-VI : वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर) : (86) पोलीवस्त्र यानी ऐसा वस्त्र जो भारत में मानव निर्मित रेशे को रूई, रेशम या ऊन के साथ या इसमें से किसी दो या सभी को मिलाकर हाथ से काता गया तथा हथकरघे पर बुना हो या भारत में बना ऐसा वस्त्र जो हाथकते मानव निर्मित रेशों के धागे की सूती, रेशमी या ऊनी धागे या इनमें से किसी दो धागे या सभी धागों को मिलाकर हाथकरघे पर बुना गया हो, (87) लोकवस्त्र का निर्माण, (88) होजियरी, (89) सिलाई और सिली-सिलाई पोशाक तैयार करना, (90) छींटकारी, (91) खिलौना और गुड़िया निर्माण, (92) धागे का गोला, ऊनी गोला तथा लच्छी निर्माण, (93) कशीदाकारी, (94) शल्य चिकित्सीय पट्टी निर्माण, (95) स्टोव की बत्तियां।

समूह-VII : सेवा उद्योग : (96) धुलाई, (97) नाई, (98) नलसाजी, (99) बिजली की वाइरिंग और घरेलू इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत, (100) डीजल इंजनों, पंप सेटों आदि की मरम्मत, (101) टायर वैल्कनीकरण (रिट्रीडिंग) इकाई, (102) छिड़काव, कीटनाशक, पंप सेटों आदि के लिए कृषि सेवा कार्य, (103) लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रसारक, माइक आदि ध्वनि प्रणालियों को किराये पर देना, (104) बैटरी भरना, (105) कला फलक चित्रकारी, (106) साइकिल मरम्मत की दुकानें, (107) राजगीर, (108) बैंड मंडली, (109) केवल गोवा के लिए मोटरयुक्त स्थानीय नाव, (110) टेक्सी के रूप में चलने वाली मोटर साइकिल केवल गोवा के लिए और, (111) संगीत वाद्य (केवल गोवा के लिये), (112) कृमि पालन और कूड़ा निपटान।

[अनुवाद]

राजस्थान में व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात

1743. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में कार्य कर रहे व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान राज्य में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों का पता लगाने तथा ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिये उपाये सुझाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्य-बल गठित किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में कार्य कर रहे व्यावसायिक बैंकों ने कार्य-बल की सिफारिशों का अनुसरण किया है और यदि नहीं, तो चूककर्ता बैंकों के खिलाफ सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने बैंकों पर राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु दबाव डालने के लिये केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को अनुरोध किया है ताकि राज्य में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऋण जमा अनुपात में सुधार हो सके; और

(च) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात, मार्च 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 57.3 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के मुकाबले 44.2 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे अखिल भारतीय स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के अलग-अलग के संबंध में 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि जबकि यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात शाखा-वार, जिला-वार, अथवा राज्य-वार अलग-अलग प्राप्त किया जाए, तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण विस्तार में असंतुलन को कम करने हेतु, विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपात में वृहत असमानता से बचा जाए। तथापि, किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष में ऋण जमा अनुपात राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो इसके बदले में सिंचाई, विद्युत, रेल, सड़क परिवहन, आधारभूत और तकनीकी शिक्षा, उद्यमवृत्ति और अपेक्षित निविष्ट वस्तुओं की उपलब्धता और कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए विपणन केन्द्र जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास जैसे तथ्यों से निर्धारित और प्रभावित होता है।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1993 में राजस्थान राज्य के लिए ऋण जमा अनुपात के संबंध में कार्य दल गठित किया था। राजस्थान सरकार ने भी कम ऋण जमा अनुपात के बारे में मार्च 1996 में केन्द्र सरकार के साथ मामले को उठाया है। अब बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल की सिफारिशों को राजस्थान में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की जा रही है और उसकी प्रगति की समय-समय पर राज्य स्तरीय बैंक से समिति/संचालन समिति की बैठक में चर्चा हो जाती है।

इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खातों का पता लगाना

1744. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खातों का पता लगाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ही खाता खोलने की अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकले तथा इस पर क्या कार्यवाही हुई;

(ग) इस संबंध में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ही बैंक खाते खोलने के लिए कितने बैंक अधिकारी दोषी पाये गये और दंडित किये गये; और

(घ) खाता धारकों की मृत्यु के पश्चात् भी गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों में कितने बैंक खाते चलते रहे तथा गत तीन वर्षों का पूरा ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण युक्ति संबंधी रिपोर्ट, 1997

1745. **श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी :**
श्री जी॰ एं॰ चरण रेड्डी :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण युक्ति संबंधी रिपोर्ट 1997 में मुख्य स्वापक अपराधियों पर मुकदमा चलाने में भारत की विफलता दर्शायी है;

(ख) क्या रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्वापक तस्करी का एक मुख्य केन्द्र बन गया है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) संयुक्त राज्य के राज्य विभाग की वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण युक्ति रिपोर्ट 1996 में स्वापक औषध अवैध व्यापार के विरुद्ध भारत के प्रयासों पर जोर दिया गया है। तथापि इसमें भारत सरकार का ध्यान इस वास्तविकता की ओर आकर्षित किया गया है कि मुख्य स्वापक अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में सीमित सफलता प्राप्त की है।

(ख) से (ङ) वर्ष 1996 की अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण मुक्ति रिपोर्ट में भारत सरकार की टिप्पणी संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) भारत सरकार स्वापक औषध अवैध व्यापार की समस्या के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है तथा इस संबंध में कई कदम उठाए हैं जिसमें पूरे देश में प्रवर्तन एजेंसियों का पुन: सक्रियकरण, अधिकारियों को प्रशिक्षण, नियमित समन्वय बैठकें करना, विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षी समझौते करना और पाकिस्तान तथा म्यांमार के साथ वार्ता रखना शामिल है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण युक्ति रिपोर्ट, 1996 पर भारत सरकार की टिप्पणी

संयुक्त राज्य के राज्य विभाग ने 1996 के लिए अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण युक्ति रिपोर्ट 28 फरवरी, 1997 को जारी की। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने भारत को विश्वास दिलाया कि वह इसके प्रति स्वापक प्रयासों में संयुक्त राज्य के साथ सहयोगशील है। रिपोर्ट संयुक्त राज्य प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण युक्ति की रूपरेखा पर संयुक्त राज्य कांग्रेस की मांग तथा मुख्य 32 स्वापक उत्पादक तथा पारगमन देशों के आदेशात्मक प्रमाणन मांग की तुष्टि करती है।

रिपोर्ट में भारत की स्थिति संसार में वैध अफीम के अत्यधिक उत्पादन होने तथा दक्षिण पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया से हेरोइन के महत्वपूर्ण पारगमन बिन्दु के रूप में दर्शाती है। भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य सरकार के बीच सहयोग के उच्च स्तर की सकारात्मक संबंध के रूप में इसमें उल्लेख है। रिपोर्ट में पाने वाले स्थानों की सकारात्मक अभ्युक्ति भारत द्वारा स्वापक प्रवर्तन क्षेत्र में किए गए प्रयासों का स्पष्ट समर्थन तथा वैध अफीम पैदावार के संबंध में सरकार द्वारा सूत्रपात है।

रिपोर्ट में गैर कानूनी अवैध व्यापार को समाप्त करने तथा वैध अफीम का अवैध चैनल को दिक्परिवर्तन पर लिए गए विभिन्न उपायों के संबंध में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों विशेष रूप से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की ख्याति की मुख्य निष्पति को भी सूचीबद्ध किया है, जैसे :

(क) सरकार को लगातार पांचवें वर्ष के लिए अफीम की न्यूनतम पैदावार बढ़ाकर देना ताकि किसान लाइसेंस को बनाए रख सकें।

(ख) लाइसेंसधारी खेतिहरों द्वारा अफीम के गबन से संबंधित अपराधों को एन डी पी एस अधिनियम व नियम के अधीन अन्य अवैध व्यापार के अपराधों के समान मानना।

(ग) उद्योग से सहयोग के साथ प्रारंभिक रसायन की नियंत्रण उपलब्धता।

(घ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चंडीगढ़, जम्मू तथा अहमदाबाद में तीन क्षेत्रीय एककों का गठन

(ङ) धन अपव्यय के निवारण तथा नियंत्रण के लिए वैधानिक उपाय प्रस्तावित करना।

रिपोर्ट में स्वापक कानून प्रवर्तन तथा व्यापक निषेधादेश क्षेत्र में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो प्राथमिकता के आधार पर समन्वयकारी क्रियाकलापों को भी विचाराधिकार में लिया है।

यह उल्लेख करना होगा कि भारत का संयुक्त राज्य सरकार के साथ, गैर कानूनी स्वापक औषधों के इस्तेमाल, वितरण, उत्पादन के विरोध करने के प्रयासों की सहमति तथा जागरूकता बढ़ाने के सहयोगी उपायो पर समझौता ज्ञापन के अलावा स्वापक औषधों के अवैध इस्तेमाल तथा अवैध व्यापार को रोकने, मांग में कमी करने तथा स्वापक से संबंधी मामलों के वैध व्यापार पर एक पारस्परिक सहयोग समझौता हुआ है। दोनों देशों के स्वापक नियंत्रण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए भारत-संयुक्त राज्य संयुक्त कार्य दल की समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

1746. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनअर्थक्षम सरकारी उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनअर्थक्षम उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनअर्थक्षम उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीति का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को उपयुक्त निर्णय के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल को सौंपा जाता है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सरकारी नीति का उल्लेख सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया है।

विनिवेश आयोग

1747. श्री पी॰ आर दासमुंशी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विनिवेश आयोग का गठन किया है जो सरकार को यह परामर्श देगा कि वह किस प्रकार से और किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपने निवेश को 49 प्रतिशत तक बढ़ाए अथवा 26 प्रतिशत तक कम करे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार के समक्ष घाटे पर चल रहे एककों के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बेचे जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किसी ठोस उपाय का प्रस्ताव किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग की स्थापना सरकार द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के लिए विस्तृत दीर्घावधिक विनिवेश कार्यक्रम तैयार करना है और यह कार्य उनके नियंत्रणाधीन है।

(ग) से (ङ) सरकार उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी उद्यमों, जिनमें घाटा उठाने वाले उद्यम भी शामिल हैं, के पुनर्गठन हेतु पहले ही रणनीति प्रतिपादित कर चुकी है। इन रणनीतियों के अंतर्गत संयुक्त उद्यम की स्थापना, विशिष्ट एककों की बिक्री आदि जैसे विविध विकल्पों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। रणनीतियों का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

निर्यात संवर्धन परिषद् गुजरात

1748. श्री विजय गोयल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में निर्यात संवर्धन परिषद् (ई॰ पी॰ सी॰) के विभिन्न कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य से विभिन्न वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ चेल्ला कुप्पी रमैया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार पूरे देश के लिए, जिसमें गुजरात भी शामिल हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाएं बनाती है और निर्यात नीति तैयार करती है। ऐसा करते समय देश के प्रत्येक भाग के बुनियादी ढांचे संबंधी पहलुओं, निर्यात उत्पादन की संभाव्यताओं तथा विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाता है।

विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विधान

1749. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विधायकों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विधान लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ग) लोकपाल विधेयक, 1996, जो लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध जिनमें संसद सदस्य भी हैं, भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था को स्थापित करने के लिए, उपबंध करने हेतु लोक सभा में 13.9.1996 को पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त इस निमित्त कोई अन्य विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा चार निजी कंपनियों का प्रबंधन

1750. श्रीमती लक्ष्मी पनवाका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की चार कंपनियां निवल लाभ कमाने में सफल हुई हैं और इस प्रकार वे अब रुग्ण औद्योगिक इकाईयां नहीं रहीं;

(ख) पुनरुद्धार के लिए कुल कितनी रुग्ण इकाईयां चुनी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इनमें से कितनी इकाईयों का अब तक पुनरुद्धार किया गया है;

(घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कुल कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनरुद्धार के लिए मंजूर किया गया है; और

(ङ) किस हद तक उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 30.6.1997 की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत 1945 रुग्ण औद्योगिक कंपनियां उनके पास पंजीकृत थी। बाइफर/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुत्थान के लिए 593 पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें से 181 कंपनियों को, जिनमें 176 कंपनियां निजी क्षेत्र की और 5 कंपनियां सरकारी क्षेत्र की शामिल हैं योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बाइफर की पुनर्वास योजना के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया है। शेष कंपनियों की पुनर्वास योजनाएं क्रियान्वित करने के कार्य की निगरानी बाइफर कर रहा है।

[हिन्दी]

हिंदी का प्रयोग

1751. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितनी बैठकें हुईं;

(ग) क्या हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन करने या इसकी बैठकें करने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मंत्रालय की सभी फाइलों में अंग्रेजी में कार्य करने और आधुनिक उपकरणों तथा कम्प्यूटरों के केवल अंग्रेजी में ही प्रयोग करने के क्या कारण हैं; और

(च) आजादी के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में सभी कार्य हिन्दी में करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) समिति की 27.3.1996 को हुई बैठक के बाद लोक सभा के आम चुनावों तथा नवनिर्वाचित सांसदों के नामांकन की प्रक्रिया की वजह से वर्ष 1996-97 में इसकी एक ही बैठक 22.1.1997 को आयोजित की जा सकी। वर्ष 1997-98 में अभी तक इसकी कोई बैठक नहीं की जा सकी है।

(ग) तथा (घ) वाणिज्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन दिनांक 27 जुलाई, 1994 को किया गया था जिसका कार्यकाल 26 जुलाई, 1997 तक था। समिति के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) यह कहना सही नहीं है कि मंत्रालय की सभी फाइलों में अंग्रेजी में टिप्पणियां लिखी जाती हैं। इस समय मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों की 1100 फाइलों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर हिन्दी का प्रयोग भी यथासंभव किया जा रहा है।

(च) मंत्रालय में हिन्दी में काम करने के लिए कई आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कि आजादी के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जा सके। हिंदी कार्यशालाओं, आदि के जरिए हिंदी में काम करने के लिए कार्मिकों को प्रेरित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों विषयक विशेषज्ञ दल

1752. श्री सुरेश प्रभु :

श्री राम नाईक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) का उनके पर्यवेक्षण अध्ययन करने तथा संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल की नियुक्ति कब की गई थी और इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम क्या है;

(ग) इस अध्ययन के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) क्या उक्त दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तथा अन्य सिफारिशों को लागू करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो यह दल कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) एक कारगर पर्यवेक्षी ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21 अप्रैल, 1997 के एक आदेश द्वारा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बी एफ एस) की सलाहकार समिति के सदस्य श्री पी॰ आर॰ खन्ना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। विशेषज्ञ दल की संरचना निम्नानुसार है :

1.	श्री पी॰ आर॰ खन्ना, अध्यक्ष	वरिष्ठ भागीदार, खन्ना एंड अन्नधानम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली।
2.	श्री जे॰ गोस्वामी, सदस्य	मुख्य महाप्रबंधक, डी एफ सी, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, कलकत्ता।
3.	श्री के॰ एम॰ इलाविया, सदस्य	कल्यानी वाला एंड मिस्त्री, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, मुम्बई।
4.	श्री जी॰ एस॰ आर॰ के॰ राव, सदस्य	कार्यपालक निदेशक, क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि॰, मुम्बई।
5.	श्री जी॰ के॰ रमन, सदस्य	प्रबंध निदेशक, सुन्दरम फाइनेंस लि॰ चेन्नई।

6.	श्री एस॰ डी॰ नाडकर, सदस्य	प्रबंध निदेशक, अन्नाग्राम फाइनेंस लि॰ अहमदाबाद।
7.	श्री वी॰ एस॰ श्रीनिवासन सदस्य	प्रबंध निदेशक, ट्रवेन्टिएथ सेंचुरी काइनेटिक फाइनेंस लि॰ पुणे।
8.	श्री टी॰ वंद्योपाध्याय, सदस्य सचिव	अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक, डी एफ सी, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, मुम्बई।
9.	श्री ए॰ एम॰ एम॰ शर्मा विशेष आमंत्रिती	मुख्य महाप्रबंधक, डी एफ सी भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।
10.	श्री पी॰ आर॰ गोपालाराव विशेष आमंत्रिती	अतिरिक्त मुख्य महाप्रबन्धक, डी ओ एस, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।
11.	श्री एस॰ वंद्योपाध्याय विशेष आमंत्रिती	अतिरिक्त मुख्य महाप्रबन्धक (अब सेवानिवृत) डी एफ सी, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष मुम्बई।

दल के विचारणीय विषय निम्नानुसार थे :

i. अस्तित्व और पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों तथा शक्तियों के संदर्भ में गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को परिभाषित करना।

ii. गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के उद्देश्यों, क्षेत्र और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की कार्यनीति को परिभाषित करना।

iii. गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं की स्थल पर जांच के ढांचे की (आवधिकता, कवरेज और कार्यप्रणाली सहित) सिफारिश करना।

iv. स्थलेत्तर निगरानी प्रणाली तैयार करना।

v. पर्यवेक्षी कोटि निर्धारणों (रेटिंग) की प्रणाली विकसित करना और उसे पर्यवेक्षण संबंधी जांच और स्रोतों के अनुकूलन का आधार बनाना।

vi. यह सुझाव देना कि बाह्य लेखा-परीक्षा को विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण का संसाधन कैसे बनाया जा सकता है।

vii. इसे परिणाम एवं कार्रवाई उन्मुख बनाने के लिए पश्च-जांच और स्थलेत्तर पुनरीक्षा/अनुवर्ती कार्रवाई करना।

viii. प्रशिक्षण और कम्प्यूटीकरण की सिफारिशों सहित अन्य संबंधित क्षेत्र।

दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- अपंजीकृत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की भारी संख्या को देखते हुए, उनके पर्यवेक्षण हेतु मुख्य रूप से स्थलेत्तर निगरानी पर निर्भर करना;
- उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एक उचित स्थलेत्तर निगरानी प्रणाली का विकास;
- तत्स्थानिक निरीक्षण का समग्र ध्यान वर्तमान के देयता पक्ष की जांच से हटाकर आस्ति पक्ष की जांच पर केन्द्रित करना;
- तत्स्थानिक जांच को अनुकूल बनाने के लिए कंपनियों को पर्यवेक्षी निगरानी सूची तैयार किया जाना;
- बहुत बड़ी कंपनियां (वे जिनका आस्ति आकार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है) का पर्यवेक्षण बैंककारी पर्यवेक्षी प्रतिमान के आधार पर किया जाना;
- पियर/उद्योग समूहों से तुलना करने के लिए विभिन्न अनुपातों वाले कंपनी की रूपरेखा का विकास किया जाना;
- अंतत: सांविधिक लेखा परीक्षकों को कहा जाना चाहिए कि वे विनियामक दिशानिर्देशों किसी प्रकार के उल्लघंन की सूची आर बी आई को रिपोर्ट करें।

इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, आर बी आई द्वारा व्यापक निरीक्षण मैनुअल तैयार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बड़े आकार वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के तत्स्थानिक निरीक्षण का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें आस्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। आर बी आई ने गैर बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्थलेत्तर निगरानी तंत्र के विकास की बात भी दोहरायी है।

भारत विकास मंच

1753. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान भारत विकास मंच (आई॰ डी॰ एफ॰) द्वारा कितनी राशि की सहायता का वायदा किया गया है;

(ख) क्या इस सहायता से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पेरिस में 23 और 24 जून, 1997 को संपन्न भारत विकास मंच की बैठक 1997 में बहुपक्षीय और द्विपक्षीयदाताओं द्वारा कार्य आधिकारिक विकास सहायता की कुल वचनबद्धता 6.74 बिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) और (ग) उन परियोजनाओं का विवरण, जिनके लिए सहायता का उपयोग किया जाना संभावित है, प्रत्येक दाता एजेंसी से सहायता संबंधी बातचीत पर अंतिम निर्णय लेने के पश्चात ही निश्चित किया जाएगा।

मंत्रालय के अंतर्गत कम्प्यूटर केन्द्र

1754. श्री दत्ता मेघे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत कितने कम्प्यूटर केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने केन्द्र महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य में कुछ और कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ये कम्प्यूटर केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) बाईस (22)

(ख) तीन (3)

(ग) और (घ) जी, नहीं।

वाणिज्यिक और निजी बैंकों की अनुपादेय आस्तियां

1755. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के नए बैंकों, जिनमें से बहुतों को खुले हुए तीन वर्ष भी नहीं हुए हैं ने काफी अनुपादेय आस्तियां एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी कुल अनुपादेय आस्तियां 100 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की हो गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में इन नए बैंकों का तत्स्थानिक पर्यवेक्षण और बढ़ा दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को अपने तुलनपत्रों में अपनी कुल अनुपादेय आस्तियों की घोषणा करने के लिए निदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इन नए बैंकों के विरूद्ध क्या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के अनुसार, 31.3.97 तक, नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुप्योज्य आस्तियां, कुल 211.83 करोड़ रुपये बैठती हैं जो उनके कुल ऋणों का 4.66% हैं।

(ग) नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कार्यपद्धति की आवधिक वित्तीय निरीक्षण के अलावा उनके परिचालनों के प्रथम वर्ष में स्थल पर तिमाही मूल्यांकन दौरा करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गहन निगरानी की जा रही है। इन दौरों के दौरान, इन बैंकों के कार्यकरण के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं जिसमें विनियामक आवश्यकताओं की अनुपालना और लाइसेंस की निबंधन और शर्तों की अनुपालना सम्मिलित है, की विस्तार से जांच की जाती है। इन दौरों के दौरान, यदि किसी अनियमितता का पता चलता है तो अनुपालन/संशोधन के लिए बैंको के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) मई, 1997 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे तुलन पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में निम्नलिखित मदों को प्रकट करें :

1. भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता।
2. निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनुप्योज्य आस्तियों की प्रतिशतता।
3. अनुप्योज्य आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि।

उपर्युक्त प्रकटन, बैंकों को वर्तमान में किए जा रहे प्रकटन के अतिरिक्त मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से करने हैं। जहां तक अनुप्योज्य आस्तियों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश, निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनुप्योज्य आस्तियों की प्रतिशतता के प्रकटन से संबंधित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्ग निर्देशों के अनुसार, अनुप्योज्य आस्तियों की राशि, तुलनपक्ष में घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

केन्द्र सरकार के स्थाई काउंसेल

1756. श्री पी॰ उपेन्द्र : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में राज्य-वार केन्द्र सरकार के स्थाई काउंसेलों के कितने पद हैं;

(ख) इस समय राज्य-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) रिक्तियां को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) केन्द्रीय सरकार के ज्येष्ठ स्थायी काउंसेल के कुल 33 पद (प्रत्येक उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठों के लिए एक-एक) हैं।

(ख) कोई पद रिक्त नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में बैंक की शाखायें

1757. डा॰ ए॰ के॰ पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु 1997-98 के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों की और शाखायें खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार ये कहां-कहां खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि देश में शाखा नेटवर्क की वृद्धि और 1985-90 की अवधि के अंत तक ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय औसत आबादी (एपीपीबीओ) के कम होकर 13,000 रह जाने के कारण 1990-95 की अवधि के लिए प्रति बैंक कार्यालय-आबादी के आधार पर निर्धारित शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जैसाकि पहले किया जाता था।

आरबीआई की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत अपने सेवा क्षेत्रों के भीतर अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता के

मूल्यांकन का कार्य अलग-अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया था। ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के बैंकों के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से आरबीआई के पास भेजा जाना होता है। जहां तक अर्द्धशहरी केन्द्रों का संबंध है, शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के आकार के आधार पर प्रत्येक बैंकों को विशिष्ट कोटा आबंटित किया जाता है। अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने संबंधी प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। शहरी/महानगरीय केन्द्रों के मामले में, शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को पहचान किए गए स्थान आबंटित किए जाते हैं। आरबीआई ने उन भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को, अलग-अलग मामलों के आधार पर आर बी आई की पूर्वानुमति के बिना शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता दी है जो कुछ निर्धारित मानदंड पूरे करते हों।

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचनानुसार गुजरात, जहां बैंकों को अभी अपनी शाखाएं खोलनी हैं, में विभिन्न केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को जारी किए गए प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात में शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 1.4.1995 से 30.6.1997 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों की संख्या और जिन्हें अभी खोला जाना है।

बैंक का नाम	प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों की संख्या
1	2
1. पंजाब नेशनल बैंक	5
2. आई सी आई सी आई बैंक लि॰	1
3. सिटी यूनियन बैंक	1
4. व्यासया बैंक	2
5. बैंक आफ पंजाब	1
6. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4
7. बैंक आफ बड़ोदा	5
8. बैंक आफ राजस्थान	2
9. केनरा बैंक	2
10. साबरकंठा ग्रामीण बैंक	1
11. सांगली बैंक	1
12. बैंक आफ इंडिया	1
13. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
14. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2
15. कारपोरेशन बैंक	8
16. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	2
17. स्टेट बैंक आफ इंडिया	2
18. कच्छ ग्रामीण बैंक	1
19. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4
20. रतनाकर बैंक	1
21. फेडरल बैंक	1
22. कर्नाटक बैंक	1
23. सेनचूरियन बैंक	1
24. सिंडीकेट बैंक	1
25. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1
26. देना बैंक	1
27. स्टेट बैंक आफ पटियाला	2
28. इलाहाबाद बैंक	1
29. नेदुनगाड़ी बैंक	1
30. इनडयूज इन्ड बैंक	1

कोयले का निर्यात

1758. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने कोयले का निर्यात किया गया; और

(ग) इस निर्यात से उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में कोयले के राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन में)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97 (अंनतिम)
आंध्र प्रदेश	25.65	26.77	28.73
असम	1.19	0.82	0.75
बिहार	72.41	74.53	77.58
मध्य प्रदेश	75.12	79.76	83.28
महाराष्ट्र	21.00	22.82	24.86
उड़ीसा	27.32	32.70	37.37
उत्तर प्रदेश	13.70	14.80	15.40
पश्चिम बंगाल	17.34	17.93	17.69
जोड़	253.73	270.13	285.66

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान को॰ इं॰ लि॰ द्वारा निर्यात किए गए कोयले की राज्यवार मात्रा नीचे दी गई है :-

(लाख टन में)

	1994-95	1995-96	1996-97
पश्चिम बंगाल	0.70	0.76	1.15
बिहार	0.37	0.16	0.14
असम	0.05	शून्य	शून्य

(ग) नेपाल और भूटान को किया जाने वाला निर्यात भारतीय रुपये में तथा बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात अमरीकी डालर में किया जाता है पिछले तीन वर्षों के दौरान, कोयले के निर्यात से भारत द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े अमरीकी डालर में)

	1994-95	1995-96	1996-97
पश्चिम बंगाल	19.3 लाख	14.4 लाख	17.4 लाख
बिहार	2.1 लाख	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य

समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार में कमी

1759. डा॰ असीम बाला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री मार्ग से होने वाले विदेशी व्यापार में हाल ही में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आम कार्गो व्यापार में भारतीय जहाजरानी निगम का हिस्सा क्या है; और

(घ) जहाजरानी विदेशी व्यापार बढ़ाने की योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय जलयानों द्वारा ले जाए जाने वाले कार्गों की मात्रा में सामान्यत: वृद्धि हुई है हालांकि 1994-95 में इसमें कमी आई थी। तथापि, भारतीय जलयानों द्वारा समुद्री मार्ग से ढुलाई किए जाने वाले कार्गों के प्रतिशत हिस्से में कमी आई है। यह हिस्सा वर्ष 1992-93 में 34.9% था जो कम होकर 1995-96 में 27.80% रह गया।

(घ) सरकार द्वारा, भारतीय विदेश व्यापार और साथ ही साथ भारतीय जहाजरानी के टन भार में वृद्धि करने के लिए, समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं। भारतीय जहाजरानी कंपनियों को इस बात की पूरी आजादी दी गई है कि वे अपने व्यापारिक निर्णयों के अनुसार जिसमें भारतीय कार्गो को ले जाने का कोई दायित्व नहीं है, अपने जलयानों का पारस्परिक व्यापार कर सकती है।

शुल्क रहित आयात लाइसेंस

1760. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेश व्यापार विभाग ने शुल्क रहित आयात लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने तथा कितने मूल्य के जाली लाइसेंस जारी किये गये;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पानीपत स्थित कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे सरकार को हुए नुकसान की राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। आयात एवं निर्यात नीति और क्रियाविधियों, 1992-97 और 1997-2002 के अध्याय-VII में यथा निर्धारित शुल्क छूट योजना के प्रावधानों के तहत, शुल्क रहित आयात लाइसेंसों का निर्गमन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए इस तरह के लाइसेंसों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
1994-95	45983
1995-96	38400
1996-97	12774
योग :	97157

(ग) लाइसेंस केवल वास्तविक फर्म को जारी किए जाते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियात बरते जाते हैं। किन्तु, जब जाली फर्मों/जाली लाइसेंस जारी होने के मामले पकड़ में आते हैं तो विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत ऐसे लाइसेंसों को रद्द करने और दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए उपर्युक्त कार्यवाही की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संबंधित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली के विशेष न्यायाधीश के अदालत में आरोप-पत्र दायर किए हैं। विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत दंड देने के लिए दंडात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

महिला प्रधान बचत योजना

1761. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला प्रधान बचत योजना के एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन मासिक अथवा वार्षिक आधार पर होता है;

(ख) क्या कमीशन देने में असाधारण विलम्ब होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंट निवेशकों से प्राप्ति की तारीख से चार माह के भीतर अपने दावे अग्रेषित कर सकते हैं परन्तु एक कलैंडर माह में एक से अधिक नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं होते हैं। कभी-कभी एजेंटों से दावों की प्राप्ति की बढ़ती हुई भारी संख्या के कारण महिला प्रधान बचत योजना एजेंटों के कमीशन के दावे निपटाने में देरी होती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंटों से प्राप्त शिकायतों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1994	35
1995	32
1996	101

विशिष्ट शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। एजेंटों के कमीशन दावों के निपटान में विलम्बों को कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित है :

(i) बैंक ड्राफ्ट जारी करने से पूर्व प्रणाली के बजाए एजेंटों को 5000 रुपये तक के बाहरी चैक जारी करने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों को प्राधिकृत करना।

(ii) राष्ट्रीय बचत आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय निदेशकों को 8 सप्ताह की अधिकतम अवधि के दौरान त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

(iii) कमीशन दावों के भुगतान की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु देश भर में महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना अधिकर्ताओं के लिए अभिमुखन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

'नवरत्नों' का कार्यनिष्पादन

1762. डा० कृपासिंधु भोई : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के नौ शीर्ष उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दी गई स्वायत्तता के सामने कुछ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। शीर्ष स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अन्तर मंत्रालयिक विचार-विमर्श के लिए मंच के रूप में और सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों (नवरत्नों) के विश्वव्यापी प्रयास के सतत् पर्यावलोकन के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. सदस्य सचिव, योजना आयोग
2. वित्त सचिव अथवा सचिव (व्यय)
3. प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, और
4. सचिव, सरकारी उद्यम विभाग (संयोजक भी)।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

वृक्षारोपण में लगी कंपनियां

1763. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटिल :

श्री अय्यन्ना पटरूधु :

श्री सुरेश प्रभु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनियामक एजेंसियां और वित्त मंत्रालय संपूर्ण देश में स्थापित नई वृक्षारोपण कंपनियों, जो छोटे निवेशकों से दीर्घकालिक आधार पर अधिक लाभ का आश्वासन दे कर धनराशि जुटा रही हैं, से संबंधित मुद्दे पर अंधेरे में तीर चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण हेतु राज्यवार कितनी धनराशि जुटायी गयी है;

(ग) ऐसी कंपनियों के वर्तमान विनियमन तंत्र क्या है तथा सी० आर० बी० घोटाले को मद्देनजर रखते हुए राज्यवार विनियमन तंत्र के किन-किन खामियों के संबंध में गहन चर्चा की गयी; और

(घ) छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या नीति अथवा कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) वृक्षारोपण कंपनियों के विनियमन के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी रजिस्ट्रारों के पास पंजीकृत वृक्षारोपण कंपनियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ऐसी कंपनियों के बारे में सूचना जिन्होंने फंड जुटाए हैं, नहीं रखी जाती है क्योंकि ऐसे फंड कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसार "निक्षेपों" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत धनराशि को इस प्रकार जुटाए जाना आरंभ करने के लिए सरकार की कोई विनिर्दिष्ट अनुमति अपेक्षित नहीं है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अप्रैल, 1996 में इस संबंध में वाणिज्यिक वृक्षारोपण की वृद्धि दर तथा आर्थिक अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है।

कार्यदल द्वारा प्रस्तुत कंपनी विधेयक के कार्य प्रारूप में वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा जारी की गई "इकाइयों" को उनको नियमित करने के

उद्देश्य से कवर करने हेतु प्रतिभूतियों की विस्तृत परिभाषा सम्मिलित की है। इस बारे में सरकार द्वारा नए कंपनी विधेयक को संसद के चालू सत्र में पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत की गई वृक्षारोपण कंपनियों की संख्या।

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय	वृक्षारोपण कंपनियों की संख्या
कलकत्ता	5
जम्मू	10
जालंधर	142
अहमदाबाद	349
हैदराबाद	98
एरणाकुलम	95
बंगलौर	177
पॉडिचेरी	0
कोयम्बटूर	50
ग्वालियर	202
कटक	79
पटना	119
जयपुर	73
कानपुर	369
चैन्नई	259
गोआ	21
दिल्ली एवं हरियाणा	779
मुंबई	772
	3599

ऐसी कंपनियां जिन्होंने जनता से फंड आमंत्रित किए हैं तथा वो जिन्होंने जनता से फंड नहीं जुटाए हैं, उन कंपनियों के आंकड़ों का अलग-अलग ब्यौरा नहीं है।

विमानपत्तनों के माध्यम से सोने का आयात

1764. श्री भक्त चरण दास :

श्री महबूब जहेदी :

श्री एस० अजय कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद अनिवासी भारतीयों द्वारा सीमा शुल्क का भुगतान करने पर 5 किलोग्राम/10 किलोग्राम सोने का आयात करने से संबंधित नई सोना आयात नीति के अनुसार भारत में प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के माध्यम से आयात किए गए सोने की मात्रा तथा उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या इस योजना को लागू करने में कोई अनियमितता सरकार की जानकारी में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सोने के आयात संबंधी इस नीति से घरेलू बाजार में सोने की कीमतें कितनी कम होने तथा सोने की तस्करी किस हद तक नियंत्रित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अनिवासी भारतीयों को 28.2.92 से सोने के आयात की अनुमति दी गई है। प्रत्येक विमानपत्तन के जरिए आयातित सोने की वर्षवार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) इस योजना के संचालन में कोई प्रमुख अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

(ङ) घरेलू बाजार में सोने की उपलब्धता उसके मूल्य में कमी करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में सोने के मूल्य में कमी आई है। यह भी सूचित किया गया है कि उक्त योजना के लागू होने के बाद भारत में तस्करी करके लाए गए सोने के अभिग्रहणों में लगातार कमी आई है, जिससे तस्करी में कमी होने का संकेत मिलता है।

विवरण

वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक अनिवासी भारतीय योजना के अंतर्गत आयातित सोने की मात्रा और मूल्य

विमान पत्तन	वर्ष											
	1992		1993		1994		1995		1996		1997 (जून, 97 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अहमदाबाद	11.600	49	20.650	91	687.000	3192	19676.396	95322	3833.682	19896	1367.131	6537
दिल्ली	9747.000	41390	21468.000	94160	29622.000	137635	83547.083	404742	56396.820	292688	32035.388	153186
मुम्बई	46706.000	198335	46089.000	202155	49054.000	227924	1830.330	8867	59013.294	306267	64061.564	306328
मद्रास	17411.000	73935	18461.000	80973	24820.000	115323	45405.843	219968	53700.100	278692	25721.537	122994

कलकत्ता	61.900	263	342.100	1501	103.300	480	57.876	280	68.331	355	1149.602	5497
त्रिवेन्द्रम	5536.000	23508	6430.000	28203	3323.000	15440	3123.667	15133	3331.490	17290	1588.826	7597
कालीकट	2693.000	53900	23426.000	102751	50777.000	235929	71074.740	344320	74947.991	388964	51182.796	245223
उड़ीसा	32.700	139	22.620	99	23.960	111	3321.243	16090	4387.410	22770	2697.885	12910
कुल	92199.200	391519	116259.370	509933	158410.260	736034	228037.178	1104722	255679.118	1326922	179904.779	860263

मात्रा : कि. ग्रा. में
मूल्य : लाख रुपयों में

एम. आर. टी. पी. एक्ट

1765. श्री मंगलराम प्रेमी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायरेक्टर जनरल आफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन, नई दिल्ली ने किसी भी व्यापार का सेवा में लगे व्यक्तियों से यह जानने के लिए उनका ध्यान आकर्षित किया है कि क्या ऐसी पार्टियों के साथ उन्होंने कोई मौखिक अथवा लिखित करार किए हैं जो एम. आर. टी. पी. एक्ट की धारा 33(1) में उल्लिखित प्रतिबंधित खंडों में आती है;

(ख) यदि हां, तो डी. पी. (आई. एंड आर.) को इसका क्या प्रतियुत्तर प्राप्त हुआ;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर, पाण्ड्स इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, कोलगेट इंडिया लिमिटेड जैसी अनेक कंपनियों ने अपने अधिकृत स्टाकिस्टों को केवल एक निर्धारित क्षेत्र तक ही अपनी बिक्री को सीमित रखने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण (डी. जी. आई. एंड आर.) ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 35 के अंतर्गत, ऐसी किसी पार्टी के साथ किए गए करार (मौखिक या लिखित) को अपने कार्यालय के पास रजिस्टर करने हेतु तत्काल कार्रवाई करने के लिए किसी व्यापार या सेवा में लगे सभी संबंधित व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है, जो अधिनियम की धारा 33 (1) के अंतर्गत उल्लिखित प्रतिबंधित खंडों के अंतर्गत आती हों। तथापि महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण को अभी तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग

1766. श्री नवल किशोर राय :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई पृथक औद्योगिक नीति तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस देश में कार्यरत लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(घ) इन इकाइयों में अनुमानत: कुल कितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है;

(ङ) क्या सरकार इन उद्योगों के लिए औद्योगिक काम्पलैक्स स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। अति लघु क्षेत्र के लिए पैकेज के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) इस समय देश में कार्य कर रहे अति लघु एककों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है। 31 मार्च, 1988 तक पंजीकृत एककों के लिए पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना करायी गयी थी। इस गणना के अनुसार, 10.55 लाख लघु औद्योगिक एकक पंजीकृत किये गये थे। जिनमें से 6.10 लाख एकक कार्यशील पाये गये थे, परन्तु केवल 5.82 लाख एककों से आंकड़े एकत्र नहीं किये जा सके। कुल पंजीकृत एककों में से, जिनके लिए आंकड़े एकत्र किये गये थे, कुल पंजीकृत लघु उद्योग एककों का 95.9 प्रतिशत अति लघु एकक थे जिनका संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपये से कम रहा। वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 20.84 लाख पंजीकृत लघु उद्योग एकक थे। कार्यरत एककों तथा अति लघु एककों के उसी अनुपात को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया कि 1995-96 के अंत तक देश में लगभग 11.56 लाख पंजीकृत अति लघु एकक कार्य कर रहे थे।

(घ) अति लघु एककों के वार्षिक उत्पादन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घरेलू तार तथा केबल उद्योग पर आयात का प्रभाव

1767. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू तार तथा केबल उद्योग पर आयात नीति के प्रभाव का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्युत और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए तार और केबल सहित सभी उपकरणों के लिए अनुमति प्राप्त परियोजना आयात के संबंध में इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केबल तथा घरेलू केबल की तुलना में इस स्थिति को युक्तिसंगत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि भारतीय केबल उद्योग विदेशी सप्लायरों के साथ प्रतियोगिता में उतर सकें?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) जी, नहीं। वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू तार तथा केबल उद्योग पर आयात नीति के प्रभाव का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

वित्तीय अनियमितताएं

1768. श्री रामसागर : क्या **वित्त** मंत्री वित्तीय अनियमितताओं के बारे में 21 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। 18 दिसम्बर, 1996 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक सहकारी समितियों में 'असंतुलन' और बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी ए सी एस) में कथित वित्तीय अनियमितताओं का हवाला दिया गया है। जबकि पी ए सी एस के कार्यकरण के निरीक्षण का दायित्व राज्य सरकार का है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत सहकारी बैंकों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तदनुसार ही, नाबार्ड इन संस्थाओं को आवधिक आधार पर पुनरीक्षा करता है।

नाबार्ड ने सूचित किया है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ने उन आरोपों की जांच के आदेश दिए थे जिसके निष्कर्षों से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार असंलतुन की वास्तविक राशि समाचार पत्र में बताई गई 1200.00 करोड़ रुपये की बजाय 245.50 करोड़ रुपये थी। इन असंतुलनों के लिए उत्तरदायी मद अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं : अल्पावधिक ऋण के संवितरण में अपर्याप्त मार्जिन, प्रबंधन लागत को पूरा करने में वसूलियों का उपयोग, वर्तमान असंतुलन राशि पर ब्याज लगाना, बीज और उर्वरकों की बर्बादी के कारण हुई हानियों के मद में वसूलियों का समायोजन, उपभोक्ता कारोबार और उचित दर दुकानों में अपर्याप्त मार्जिन और ब्याज की राशि के मूलधन के बराबर हो जाने पर ब्याज न लगाना।

(ग) असंतुलन की समस्या की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से समितियों को अर्थक्षम बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रबंधन की लागत दर्शाने के लिए एक उचित खाता शीर्ष शुरू किये जाने की परिकल्पना है। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि समितियों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उपर्युक्त खाता शीर्ष में से निपवाद रूप से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मांग के कम से कम 40% की वसूली से संबंधित वित्तीय अनुशासन लागू किये जाने का बैंकों पर प्रभाव पड़ा है और वे बेहतर वसूली कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अथक अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। आशा की जाती है कि इससे समिति स्तर पर चूक की समस्या दूर करने में सहायता मिलेगी।

आयकर मुखबिरों को इनाम

1769. श्री राम कृपाल यादव :

श्री कांशीराम राणा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में मुखबिरों को इनाम देने के ऐसे मामले कुछ वर्षों से लंबित हैं जिनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर छापे मारे गये और अतिरिक्त कर राशि वसूली गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामले लंबित हैं जिनमें मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारे जाने की तिथि से पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इनाम की राशि का अंतिम रूप से भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) मुखबिरों को इनाम की राशि का भुगतान करने की समय-सीमा के संबंध में क्या नियम हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इनाम की राशि के शीघ्र वितरण हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। अन्तिम रूप से पुरस्कार देने से संबंधित कुछेक ऐसे मामले हैं जो कई वर्षों से आयकर विभाग के पास लंबित पड़े हैं।

(ख) से (ङ) सभी पात्र मुखबिरों को अन्तिम पुरस्कार का भुगतान कर दिया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार अन्तिम रूप से पुरस्कार कर-निर्धारणों और अपीलों आदि सहित सभी कार्रवाइयों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के अनुरूप अतिरिक्त करों की वसूली किए जा चुकने के बाद ही प्रदान किया जाना होता है। उपर्युक्त मामलों से संबंधित बहुत से कर-निर्धारणों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और/अथवा करों की वसूली नहीं हुई है। अत: ऐसे पुरस्कार के संवितरण के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं हो सकती है। तथापि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ऐसे कर-निर्धारणों का शीघ्र निपटान करने और मुखबिरों को पुरस्कार का शीघ्र संवितरण करने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारियों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

जूट मूल्य

1770. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के सप्ताहों में जूट के मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है और इससे देश में लाखों जूट उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान भारतीय जूट निगम ने जूट की कोई खरीद नहीं की है और जूट थैलों के उपयोग करने के केन्द्र सरकार के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) जी हां, हाल ही के सप्ताहों में कच्चे पटसन की कीमतों में तेजी से गिरावट आनी शुरू हुई है जिसका मुख्य कारण चालू मौसम में भरपूर फसल की कटाई के फलस्वरूप आवश्यकता से अधिक बेशी आपूर्ति का होना तथा वर्ष 1996-97 के मौसम के व्यापक अग्रेणीत स्टाक की उपलब्धता होना है।

(ख) से (घ) चालू मौसम में कच्चे पटसन की कीमतों में गिरावट आने की प्रवृति को रोकने तथा पटसन पैंकेजिंग आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. वस्त्र मंत्रालय ने जे सी आई को न्यूतनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों को शुरू करने के लिए निधियां रिलीज की हैं।
2. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जे सी आई को बढ़ी हुई ऋण सीमा के लिए प्राधिकृत किया है जो कि जुलाई, 1997 तक वैध है।
3. भारत सरकार ने भी बैंकों से अपेक्षित ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी की स्वीकृति प्रदान की है।
4. इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए जे सी आई को शीघ्र ही और बजटीय सहायता दी जाएगी।
5. वस्त्र मंत्रालय ने खाद्य मंत्रालय तथा उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय को ही इस आशय के पत्र लिखे हैं कि वे क्रमश: एफ सी आई तथा अन्य कंपनियों को पटसन बोरों के आदेश देने के लिए निर्देश है। आशा है कि पटसन बोरों की मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि बड़े खरीददारों ने आर्डर देने शुरू कर दिए हैं।
6. पटसन आयुक्त ने 14.7.1997 को पटसन (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश 1961 की धारा 9 क के अंतर्गत पटसन मिलों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं कि वे कच्चे पटसन की तेजी से खरीददारी करें। इस निर्देश के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही हैं।
7. अगस्त, 1997 के आगे से पटसन मिलों को बी ट्विल आबंटन के आधार पर जे सी आई से कच्चे पटसन की खरीद को अनिवार्य रूप से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है ताकि जे सी आई को मिलों को पटसन बेचने के साथ-साथ अधिकतम खरीददारी के लिए सक्षम बनाया जा सके।
8. गन्नी के मंद बाजार में सुधार लाने के लिए पटसन आयुक्त के अनुरोध पर खाद्यान्न खरीदने वाली एजेंसियों ने आगामी खरीफ की पैकेजिंग के लिए पटसन बोरों के पर्याप्त आर्डर दिए हैं जिनकी सुपुर्दगी जुलाई, 1997 से अक्तूबर, 97 के दौरान की जाएगी जिससे आशा है कि कच्चे पटसन की कीमतें स्थिर होंगी।
9. कीमत की स्थिति की बारीकी से मानीटरी की जा रही है।
10. पटसन आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि पटसन पैकेजिंग के लिए आरक्षण आदेश का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

बिहार से निर्यात

1771. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए कोई व्यापक अध्ययन और सर्वेक्षण किया गया है अथवा किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कृषि उत्पादों और खनिज निर्यात की संभावना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य से अधिकतम निर्यात कर राज्य के इष्टतम विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय में इस प्रकार के अध्ययन का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

1772. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने आकर्षक उपभोक्ता पैकेटों पर "लोगो मार्क" जो मसालों की गुणवत्ता की शुद्धता और भारतीयता का प्रमाण होगा कि शुरूआत करके अच्छे-किस्म के मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने उत्पाद प्रसंस्करण और पैकिंग सामग्री की गुणवत्ता के लिए कतिपय मानदंड निर्दिष्ट किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन उपायों से मसालों के निर्यात में किस हद तक बढ़ावा मिला है; और

(घ) सरकार का अच्छे किस्म के मसालों को विदेशी में और अधिक आकर्षक बनाने को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी हां। सरकार/मसाला बोर्ड ने उपभोक्ता पैकों में उन्नत पैकेजिंग वाली गुणवत्ता मसालों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसके तहत गुणवत्ता तथा भारतीयता के चिह्न के रूप में एक गुणवत्ता प्रमाणन इंडियन स्पार्टस लोगों को प्रदान किया जाता है।

(ख) जी, हां। स्वस्थ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उत्पाद गुणवत्ता के लिए कुछेक निर्धारित मानदंडों तथा शर्तों को पूरा करने पर ही उक्त लोगो चिह्न दिया जाता है।

(ग) इस योजना ने विदेश के बाजारों में क्रेताओं/उपभोक्ताओं के बीच भारतीय मसालों की गुणवत्ता के प्रति जागृति उत्पन्न की है। 'लोगो' वाले उपभोक्ता पैकों में मसालों का निर्यात 1996-97 में 700 मी० टन किया गया जबकि 1995-96 और 1994-95 में क्रमश: 340 मी० टन और 166 मी० टन का निर्यात हुआ था।

(घ) सामान्य व्यापार नीति सुधारों के अतिरिक्त मसालों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल है; विदेश के बाजारों में अपनी कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए काली मिर्च (केवल ब्राइन में हरी मिर्च को छोड़कर) इलायची, केसर, और मसाला तेलों तथा अयलरेजिंस के निर्यात पर उपकर हटाना, लोगो संवर्धन, जैसी ब्रांड संवर्धन स्कीमों का क्रियान्वयन, गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रोसेसरों/निर्यातकों की पहचान के रूप में स्पाइस हाउस सर्टीफिकेट प्रदान करना, उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रक्रिया उन्नयन तथा उत्पाद विकास।

कोयला खानों के मृत कर्मकारों के वैधानिक उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति

1773. **श्री अनिल बसु** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयला खान दुर्घटनाओं में मारे गये कर्मकारों की सहायक कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या मृत कर्मकारों के सभी वैधानिक उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मृत कर्मकारों के वैधानिक उत्तराधिकारियों को रोजगार दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो कंपनी-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1994, 1995 तथा 1996) ऐसे कोयला कामगारों, जिनकी कोयला खान में हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई, की संख्या का कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) की सहायक कंपनीवार तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी	ऐसे व्यक्तियों, जिनकी मृत्यु हो गई, की संख्या		
	1994	1995	1996
को० इं० लि०			
ई० को० लि०	79	20	20
भा० को० को० लि०	37	105	36
सें० को० लि०	22	22	19
ना० को० लि०	5	5	2
वे० को० लि०	18	10	9
सा० ई० को० लि०	23	23	15
म० को० लि०	1	9	7
ना० ई० को०	-	1	3
जोड़	185	195	111
सिं० को० कं० लि०	50	21	29

(ख) से (च) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

संक्षिप्तिकरण

को० इं० लि०	:	कोल इंडिया लिमिटेड
ई० को० लि०	:	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
भा० को० को० लि०	:	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
सें० को० लि०	:	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
ना० को० लि०	:	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
वे० को० लि०	:	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सा० ई० को० लि०	:	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
म० को० लि०	:	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
ना० ई० को०	:	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
सिं० को० कं० लि०	:	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

"बैंक ओम्बड्समेन"

1774. **श्री सुरेश आर० जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं की सिफारिशों की तेजी से और कम खर्चीले सुनवाई के लिए बैंककारी ओम्बड्समेन योजना शुरू की है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार नियुक्त किए गए ओम्बड्समेन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजना के अंतर्गत अब तक कितनी उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा किया गया; और

(घ) इस बैंककारी ओम्बड्समेन से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की सेवाओं को सुधारने में किस हद तक सहायता मिली?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 14.6.95 को घोषित ओम्बड्समेन योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक 14 (चौदह) ओम्बड्समेन नियुक्त किए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) योजना के प्रारंभ से 31.3.97 तक, बैंकिंग ओम्बड्समेनों ने उन्हें प्राप्त और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली 2902 शिकायतों में से 2253 का निपटान किया है।

(घ) बैंकिंग ओम्बड्समेन योजना ने कुल मिलाकर बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र/प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाएं।

विवरण

बैंकिंग ओमबड्समेन स्कीम, 1995

क्र॰सं॰	बैंकिंग ओमबड्समेन का नाम	क्षेत्राधिकार/राज्य
1.	श्री बी॰ एन॰ शेट्टी	महाराष्ट्र व गोवा
2.	श्री ए॰ के॰ पाण्डेय	मध्य प्रदेश
3.	श्री बी॰ एल॰ चड्ढा	दिल्ली, हरियाणा और जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद
4.	श्री जे॰ सी॰ लायन	कर्नाटक
5.	श्री आर॰ सी॰ कपूर	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ
6.	श्री आर॰ के॰ रगाला	आंध्र प्रदेश
7.	श्री जे॰ पी॰ शर्मा	बिहार
8.	श्री ओ॰ पी॰ सोधानी	राजस्थान
9.	श्री जी॰ सी॰ अग्रवाल	उत्तर प्रदेश (जिला गाजियाबाद को छोड़कर)
10.	श्री एच॰ एन॰ दास	असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा
11.	डा॰ सीताकांत महापात्र	उड़ीसा
12.	श्री आर॰ रामालिंगम	तमिलनाडु, पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
13.	श्री एस॰ एल॰ बोस	पश्चिम बंगाल और सिक्किम
14.	श्री एस॰ ए॰ कामथ	गुजरात, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव

[हिन्दी]

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना

1775. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना किस तिथि से लागू की गई है और किन-किन कर्मचारियों को उपदान दिया गया है तथा प्रत्येक मामले में कितना-कितना उपदान दिया गया है;

(ख) क्या इसे और आकर्षक बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम फरवरी, 1991 में लागू की गई थी। जिन कर्मचारियों को उपदान दिया गया है उनकी जानकारी संकलित की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ओमनीबस इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एंड दीयू आदि के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में विवरण।

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं,

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एंड दीयू दादर एंड नगर हवेली लिमिटेड, मोती दमन के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एंड दीयू एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड, मोती दमन का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2215/97]

30 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 472 (अ) और का॰ आ॰ 473 (अ), आदि।

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैंकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के

अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 472 (अ) जो 30 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा *जिसमें यह निदेश देने वाला आदेश* अंतर्विष्ट है कि *1 जुलाई 1997 से अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं को जूट वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए उसमें* उल्लिखित ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति या वितरण के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैंकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 473 (अ) जो 30 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 जुलाई 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित यह निर्देश देने वाला आदेश विनिर्दिष्ट है कि 1 जुलाई 1997 को और से चीनी के संबंध में निर्यात पैकेज और 5 कि॰ग्रा॰ और कम के छोटे उपभोक्ता पैक को आदेश के प्रवंतन से छूट दी जायेगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2216/97]

(3) (एक) जूट विनिर्माता विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट विनिर्माता विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2217/97]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2218/97]

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 1997 आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 1997 जो 22 अप्रैल, 1997 के *भारत के राजपत्र में अधिसचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 225(अ) में प्रकाशित हुए थे।*

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III और IV कर्मचारी (पदोन्नति) संशोधन नियम, 1997 जो 22 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2219/97]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 1997 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 22 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 342(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2220/97]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1997 जो 19 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1997 जो 28 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 352(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1997 जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 371(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1997 जो 27 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 466(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) का॰ आ॰ 595 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का॰ आ॰ 596 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नाडार महाराजन संगम मदुराई" को कतिपय शर्तों के अधीन कर-निर्धारण वर्ष

1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(सात) का॰ आ॰ 597 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''उड़ीसा वीमेन वॉलंटेरी सार्विसेज, कटक, उड़ीसा' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(आठ) का॰ आ॰ 598 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारत सेवाश्रम संघ, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का॰ आ॰ 599 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का॰ आ॰ 600 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰ आ॰ 601 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बाम्बे, बम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का॰ आ॰ 602 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रामकृष्णाविवेकानन्द मिशन, बेरकपुर, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का॰ आ॰ 604 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मुख्य मंत्री भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का॰ आ॰ 605 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटीक्ल प्रोडयूसर्स आफ इंडिया, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰ आ॰ 606 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''द म्यूजिक एकेडमी, मद्रास'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का॰ आ॰ 607 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का॰ आ॰ 608 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''थ्योसोफिकल सोसाइटी, मद्रास'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(अठारह) का॰ आ॰ 609 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''आगा खां फाउंडेशन, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का॰ आ॰ 610 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''चीफ मिनिस्टरज रिलीफ फंड, महाराष्ट्र'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का॰ आ॰ 611 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री आनन्दपुर ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का॰ आ॰ 613 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961

की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर, नागालैंड" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का॰ आ॰ 614 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेन्टर फार दि स्टडी आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ रिलीफ, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का॰ आ॰ 615 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "टी॰टी॰ रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का॰ आ॰ 616 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र स्टेट भारत स्काउटस एंड गाईड्स, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰ आ॰ 617 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री कैलाश आश्रम महासंस्थान ट्रस्ट, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰ आ॰ 618 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द टाटा एग्रीकल्चरल एंड रूरल ट्रेनिंग सेन्टर फार द ब्लाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰ आ॰ 619 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन पार्लियामेन्टरी ग्रुप, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰ आ॰ 620 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ब्यूरो आफ इंडियन स्टेन्डर्डस, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्तीस) का॰ आ॰ 621 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "स्पास्टिक्स सोसाइटी आफ कर्नाटक, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का॰ आ॰ 622 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कन्ज्यूमर एक्शन ग्रुप, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का॰ आ॰ 623 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का॰ आ॰ 624 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय भाषा परिषद्, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का॰ आ॰ 625 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बाला मन्दिर कामराज ट्रस्ट, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰ आ॰ 626 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "पापुलेशन फांउडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का॰ आ॰ 627 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतगत "इंडिया इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰ आ॰ 628 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आयल को-आर्डीनेशन कमेटी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का॰ आ॰ 629 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंस्टीटयूट फार फाईनेंशियल मैनजमेंट एंड रिसर्च, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰ आ॰ 630 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन एक्स-सर्विसिज लीग, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का॰ आ॰ 631 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर" को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का॰ आ॰ 632 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इन्दिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का॰ आ॰ 633 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "लिटिल सिस्टर्स आफ दी पूअर, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का॰ आ॰ 634 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बधिर बाल कल्याण विकास समिति, भीलवाड़ा, राजस्थान" को कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰ आ॰ 635 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "क्राई-चाइल्ड रिलीफ एंड यू मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का॰ आ॰ 636 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कृष्ण चन्द्र मेमोरियल ट्रस्ट (अनन्था अन्नदन एंड दत्तबया के चिकिचलैया), अस्का, उड़ीसा" को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰ आ॰ 637 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि दिल्ली सोसाइटी फार दि वेलफेयर आफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1996-97 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का॰ आ॰ 638 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, तमिलनाडु" को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1996-98 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰ आ॰ 639 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "युग निर्माण योजना ट्रस्ट, मथुरा" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰ आ॰ 640 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद" को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का॰ आ॰ 641 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी, मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पचास) का॰ आ॰ 642 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि एसोशियेशन फार दि वेलफेयर आफ पर्सन्स विद ए मेंटल हैण्डीकैप इन महाराष्ट्र,

मुम्बई'' को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) का॰ आ॰ 643 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता'' को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बावन) का॰ आ॰ 644 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''नाथं जान कल्चरल सेन्टर, पटियाला'' को निर्धारण वर्ष 1996-97 की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तिरेपन) का॰ आ॰ 603 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 5 अक्तूबर 1996 की अधिसूचना संख्या 9890 का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(चौवन) का॰ आ॰ 612 जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 28 सितम्बर 1995 की अधिसूचना संख्या 9891 का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2221/97]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 271 (अ) जो 23 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसका आशय 3 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना संख्या 5/96 सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है ताकि उसमें 11 अन्य राजनयिक मिशनों का नाम शामिल किया जा सके और उसमें उल्लिखित कतिपय विनिर्दिष्ट राजनयिक मिशनों के संबंध में टेलीफोनों पर सेवा कर से छूट की सुविधा को निर्बंधित किया जा सके, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2222/97]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत तथाकथित अधिनियम की अनुसूची-II में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचनां संख्या सा॰ का॰ नि॰ 265(अ) जो 15 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2223/97]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 253(अ) जो 12 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 34/97-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि शुल्क हकदारी पास बुक योजना के अंतर्गत क्रेडिटों के अंतरण करने की अनुमति दी जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2224/97]

(7) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 2225/97]

अपराह्न 12.02 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 4 अगस्त, 1997 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1. सरकारी कार्य की किसी ऐसी मद पर विचार जो आज की कार्य सूची से आगे ले जाई जाएगी।
2. आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार तथा पारित करना।
3. राज्य सभा द्वारा यथापारित तट रक्षक (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार तथा पारित करना।
4. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1997, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार तथा पारित करना।
5. राज्य सभा द्वारा यथा पारित निजी सुरक्षा रक्षक और अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 1994, पर विचार तथा पारित करना।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मेम्बर्स सेलेरीज और अलाउंसेज़ का क्या हुआ, यह हम श्रीकांत जेना जी से जानना चाहेंगे। यह सबके इंटरस्ट की बात है। इसको कब ला रहे हैं? यह बात सिर्फ अखबारों में छप

जाती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में छप जाती है और कुछ नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जान-बूझकर मेम्बर्स को बदनाम करने के लिए किया जाता है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सरकार को साफ-साफ एक वक्तव्य देना चाहिए कि मेम्बर्स को क्या मिलता है, क्या सेलेरी है और क्या फेसिलिटीज हैं। अखबारों में और मीडिया में छपता है कि मेम्बर्स को बहुत मिल गया लेकिन यहां कुछ नहीं मिलता है। वित्त मंत्री यहां बैठे हुए हैं। काले धन को ये सफेद करवा रहे हैं। काले धन को सफेद करवाने वाले यहां बैठे हुए हैं और मेम्बर्स को कोई सुविधा नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं मेम्बर्स के लिए? इनको मेम्बर्स की कोई चिन्ता नहीं है। इन लोगों की तो बहुत आमदनी है और जो साधारण सदस्य हैं और गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, मेरा आपसे अनुरोध है कृपया बैठ जाइए। कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप भी सदन के सदस्य हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

देखिये, मेरे पास नोटिस आए हुए हैं। उनको पहले पढ़ने की इजाजत होगी।

श्री नीतीश कुमार : ये नोटिस की बात नहीं है। यह पूरे सदन के सदस्यों का मामला है। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सब आदमी बोलते हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप सुन तो सब रहे हैं। आप सुन कर अनसुना.....। मेम्बर्स की स्थिति बहुत खराब है। साल भर से यह चर्चा हो रही है कि कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन सुविधाएं बढ़ाई नहीं जा रही हैं। समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में आये दिन खबरें छप रही हैं और ऐसा लगता है कि मैम्बर्स को बहुत सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन मिला कुछ नही है। इस बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट करे। कुछ भी नहीं मिल रहा है।.....*(व्यवधान)* इनका केबिनेट क्या होता है, इनकी केबिनेट कब बैठती है, कुछ समझ में नहीं आता है। एक केबिनेट हो तब तो ठीक है। एक केबिनेट इनकी भारत सरकार है, एक सैटरडे क्लब है, एक इंडिया इंटरनेशनल सैंटर में है। इनकी केबिनेट कहां-कहां हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इनकी केबिनेट कहां हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ये सारे काम करने की इन्हें फुरसत है, मेम्बर्स सैलरीज एंड अलांउसेज बिल का सवाल है, अमेंडमेंट की बात हो रही है, बहुत दिनों से यह पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिन ऑनरेबिल मैम्बर्स ने नोटिस दिया है, उनको पहले चांस मिलेगा।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह चांस देने की बात नहीं है। सिर्फ आपसे अपील है, मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, वह क्या कहना चाहते हैं? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं, ये सदन के नेता श्री राम विलास पासवान जी आ गये हैं। मैम्बर्स की सुविधा के लिए इन्होंने कमेटी की रिपोर्ट दी थी, उसका क्या हुआ? जिस तरह से हम लोगों को बदनाम किया जाता है, लोग पूछते हैं कि आपको इतना पैसा मिलता है जबकि कुछ पैसा नहीं मिलता है।.... *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा अन्याय नहीं किया जाए। मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैम्बर्स सैलरीज एंड अलाउंसेज का क्या हो रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं आप बताइये, कोई सूचना कोई जानकारी दीजिए।. ..*(व्यवधान)* सब लोग कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये।.... *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे मैम्बरों से संबंधित हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों और अन्य सुविधाओं के बारे में संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा जो भी सिफारिश की गई है .....*(व्यवधान)* एक वर्ष पूर्व सभी दलों के नेताओं की बैठक में .....*(व्यवधान)* अन्तुले समिति की सिफारिश के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय और राज्य सभा की उप सभापति ने इस पर चर्चा की थी और विभिन्न दलों के अन्य नेता भी उस बैठक में उपस्थित थे। तत्पश्चात, इस पर मंत्रीमंडल में विचार किया गया और मंत्रीमंडल पूर्णत: नहीं अपितु कुछ हद तक सहमत हो गया था....*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : क्यों?

श्री श्रीकांत जेना : मंत्रिमंडल में जिस बात पर सहमति हुई थी उसके बारे में हमने लोक सभा और राज्य सभा के सचिवालयों को पहले ही सूचित कर दिया था मेरे विचार से उसे पुन: समिति को भेजा गया है। नियमों में ही परिवर्तन किए जोन पर समिति उसे अस्वीकार करती है और यदि समिति नियमों में परिवर्तन का अनुमोदन करती है और यदि समिति पुन: कतिपय बातों की सिफारिश करती है तब सरकार उन पर पुनर्विचार करेगी। वह भी बता दिया गया है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री अन्तुले और मैं स्वयं इस अनुरोध के साथ माननीय अध्यक्ष के पास गए थे कि प्रत्येक संसद सदस्य को जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में हो तो उसे निर्वाचन क्षेत्र में एक कार दी जानी चाहिए। वह इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। .. ....*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : तदनन्तर हम माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले। उन्होंने हमें बताया कि इस विषय पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और श्री रामविलास पासवान से विचार-विमर्श किया था और माननीय प्रधानमंत्री मूल सिफारिश से सहमत थे और कहा कि इसे पुन: मंत्रीमंडल के समक्ष रखा जाएगा और पुन: निर्णय लिया जाएगा।

तब आप अधूरी बात क्यों कह रहे हैं? कृपया खड़े होकर सही बात बताइए। सदस्य बहुत क्षुब्ध है, आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विधायक आया है, उसे वेतन के रूप में 16,000 रुपये मिल रहे हैं।...(*व्यवधान*)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : महाराष्ट्र में विधायकों का वेतन 20,000 रुपये है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : यह कब तक चलेगा। ....(*व्यवधान*) महोदय, यह कब तक चलता रहेगा? मैं मंत्रीमंडल स्तर के मंत्रियों की सभी सुविधाओं को कम करने के लिए एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक लाने का प्रस्ताव करता हूं।....(*व्यवधान*) मंत्रियों की सभी सुविधाओं में कटौती की जानी चाहिए। महोदय, यह क्या है?.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : उपाध्यक्ष जी, 1500 रुपये में क्या होता है? इसे आप भी समझते हैं। .....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह हमारी स्वाधीनता का 50वां वर्ष है। संसद सदस्यों के वेतन के बारे में बोलने से पूर्व हमें स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए।...(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : सब कुछ मंत्रियों को ही मिल रहा है। हम भी घोषित लोक सेवक हैं। हम दान नहीं ले सकते हैं।

[हिन्दी]

अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी, एलाउंसेज नहीं बढ़ेगें तो हम लोगों का काम कैसे चलेगा? यहां कुछ ऐसे संसद-सदस्य हैं, जो अमीर हैं, जिनके दूसरे कई तरह के धंधे हैं, उनकी बात अलग है लेकिन हम जैसे साधारण सदस्य, होल टाइम पोलिटिकल वर्कर का क्या होगा? हम जैसे लोगों का जीवन कैसे गुजर रहा है, क्या इन्हें मालूम नहीं है। ये क्या कहीं बाहर से आए हैं। यहां राम विलास जी बैठे हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं है, क्या पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को मालूम नहीं है।

मैं प्रतिदिन रिलीजसली इनके चैम्बर में एक दरख्वास्त लेकर जा रहा हूं कि आप कुछ कीजिए, हमारे सैलरी और एलाउंसेज कुछ बढ़ाइए, हम सभी संसद-सदस्यों की हालत खराब है। हमारी समझ में नहीं आता कि यह कौन सा तरीका है कि जब मैम्बर्स की सुविधाएं बढ़ाने का सवाल आता है तो रूल्स और कमेटीज की बात की जाती है लेकिन दूसरी तरफ मिनिस्टर्स की सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप पहले इस सदन के मैम्बर हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष हैं। ये भी पहले सदस्य हैं, उसके बाद मिनिस्टर हैं। आप मैम्बर्स की तकलीफ को समझिए वैसे प्रचार होता है कि मैम्बर्स को बहुत मिलता है, हम लोगों की छवि खराब करके रखी जाती है।...(*व्यवधान*)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैम्बर्स को कांस्टीटूएंसी में कार देने का वायदा किया गया था, उसका क्या हुआ?....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री कुछ कहने जा रहे हैं। उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने दें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, अभी जिस कमेटी का जिक्र इन्होंने किया, मैं स्वयं उसका मैम्बर था और कन्वीनर भी था। हमें मालूम है कि माननीय संसद-सदस्यों की क्या कठिनाइयां हैं और इस महंगाई के जमाने में उन्हें जो पैसा मिलता है या दूसरे एलाउंसेज मिलते हैं, वे दूसरे देशों में मिलने वाली सुविधाओं की तुलना में बहुत कम है।....(*व्यवधान*) अच्छा, मैं मान लेता हूं कि कुछ राज्य विधान सभाओं से भी कम हैं लेकिन आप पहले सुन लीजिए।.. ..(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इस बात को मान लिया है कि कुछ विधान सभाओं से भी कम है।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपकी भावनाओं का समर्थन करता हूं, आपकी भावनाओं के साथ हूं। मैं 20 साल से इस पार्लियामेंट में हूं, 1977 से लेकर अब 1997 चल रहा है, इसलिए मैम्बर्स की पानी, बिजली, टेलीफोन आदि सभी कठिनाइयां जानता हूं। मेरे घर में कम से कम 4-5 लाख रुपये का कर्जा बिजली, पानी आदि का हो गया है इसलिए आपकी कठिनाइयां मैं समझता हूं लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इस सदन में दूसरे किसी मुद्दे पर कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती लेकिन जब मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट की सुविधाओं का सवाल आता है तो डिफरेंट राय आने लगती है।.....(*व्यवधान*)

हम लोगों ने केबिनेट में डिसीजन लिया है, यहां उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें हमें कोई प्लस पांइट नहीं मिलता, माइंस पाइंट ही मिलते हैं, लेकिन यह बात सही है कि स्पीकर साहब ने हमें बुलाया था, कुछ माननीय सदस्य भी स्पीकर साहब से मिले थे, प्रधानमंत्री जी और हम लोग भी थे। हमारी स्पीकर साहब से बात हुई है। इस विषय के दो पाटर्स हैं - एक भाग है पार्लियामेंट में कोई बिल लाकर मैम्बर्स की सैलरी और अमैनिटीज वगैरह बढ़ाई जाती हैं और दूसरा पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसका संबंध आपके काम में तीव्रता लाने से है, जिससे आपके काम की एफिशियेंसी बढ़ाई जा सकती है। इन दोनों आस्पैक्ट्स पर हमारी स्पीकर साहब से बातचीत हुई है और इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय ले लिया जाएगा।.....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष कुमार गंगवार।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, इस पर जल्दी ही फाइनल डिसीजन होना चाहिए, इस संबंध में आपकी डायरेक्शन जाएं। इस सैशन

के खत्म होने से पहले फाइनल डिसीजन हो जाए, आप खड़े होकर ऐसा एश्योरैंस दीजिए।....(*व्यवधान*) उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे खड़े होकर आश्वासन दे। आपके क्या घर से जा रहा है? (*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के समाप्त होने से पहले, यानी 14 अगस्त से पहले, निर्णय हो जाना चाहिए । (*व्यवधान*)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। परन्तु मैं इस समय इस बारे में कोई वचन नहीं दे सकता जब तक कि मैं माननीय प्रधानमंत्री को इससे अवगत न करा दूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय और प्रधानमंत्री जी से इस बारे में कुछ चर्चा हुई है, उनसे परामर्श करने के पश्चात् मैं सदन के समक्ष दोबारा आ जाऊंगा. ..(*व्यवधान*)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, पिछली बार सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में भी कहा था यह हमारी स्वतंत्रता का पचासवां वर्ष है।

[हिन्दी]

फ्रीडम फाइटर की पेंशन के बारे में सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। अगर यह फैसला 14 अगस्त, 1997 से पहले हो जाए, तो जिस भावना के साथ हम फ्रीडम फाइटरों को यह पेंशन देना चाहते हैं, उसकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए मेरा बार-बार आग्रह है कि 14 अगस्त 1997 से पहले इस बारे में फैसला हो जाना चाहिए। आज एक अगस्त है, और 14 अगस्त में अब बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है। इसलिए मेरा गृह राज्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस बारे में सदन को आश्वस्त करें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी कांस्टीट्यूट की है और उसमें फ्रीडम फाइटरों से उनकी आप्शन्स और नॉन आप्शन्स लेकर हमने एक मीटिंग की है। हमारे जो सीनियर फ्रीडम फाइटर हैं उनके मशविरे से हमने वर्तमान में फ्रीडम फाइटरों को पेंशन मिल रही है उसको दुगुना करने तथा कुछ और फेसीलिटीज देने के बारे में रिकमेंड किया है।

श्री राजेश पायलट : सर, यह तो ठीक है, लेकिन 14 अगस्त से पहले इस बारे में निर्णय हो जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : 14 अगस्त तक हो जाएगा।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : मंत्री महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति देने संबंधी कई प्रार्थनापत्र अभी भी आपके मंत्रालय के पास लंबित हैं। क्या आप इनको शीघ्र स्वीकृति देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, इसका संबंध स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से है यह हमारी स्वतंत्रता का पचासवां वर्ष है। कई प्रार्थना पत्र अभी तक लंबित पड़े हैं। वह उनके बारे में क्या कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद मकबूल डार : कोई खास मामला आपके नोटिस में हो, तो बता दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किसी खास मामले की बात नहीं है गृह मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बहुत सारे मामले बहुत समय से पैंडिंग पड़े हैं। उन सबको आप शीघ्र पेंशन देकर निपटाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची में दर्ज मदों को लेंगे।

(*व्यवधान*)

श्री टी॰ गोविन्दन (कासरगोड) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। राज्य सभा के सदस्यों को गैस-कनैक्शन के कूपन मिल रहे हैं जबकि हमें नहीं मिल रहे हैं। सरकार इसको स्पष्ट करे ..... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

220 के. बी. बरेली सी. बी. गंज-अल्मोडा (उ॰ प्र॰) विद्युत लाइन निर्माण की स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत लंबित है, उसको शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

अपराह्न 12.18 बजे

(**श्री चित्त बसु** *पीठासीन हुए*)

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केन्द्र द्वारा उ॰ प्र॰ को 31करोड़ रुपए के अनुदान प्रतिवर्ष दिए जाने की स्वीकृति की चर्चा हेतु।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए :

राजस्थान के अधिकांश जिलों में विशेषत: कोटा संभाग के बारां जिले में पोस्ट आफिस पुराने, जर्जर व किराए के भवनों में चल रहे हैं। नए भवनों के निर्माण में धनराशि देते समय भेदभाव व कोताही बरती जाती है। अत: बारां सहित कोटा संभाग के जिला स्थानों पर नए विभागीय भवन बनाए जाएं।

राजस्थान राज्य के सभा महत्वपूर्ण शहरों को सैल्यूलर फोन सुविधा से जोड़ने हेतु भी कोई समुचित कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। अत: मैं इस विषय को भी प्राथमिकता से पूर्ण करवाने हेतु विचार करने का आग्रह करता हूं।

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाये :

1. केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप उत्तर प्रदेश के 9

पर्वतीय जनपदों व तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार को मिलाकर अलग उत्तरांचल राज्य संबंधी विधेयक को इसी सत्र में संसद में पेश किये जाने की आवश्यकता ।

2. उत्तर प्रदेश के रानीखेत केन्टोनमेंट में सेना के जवानों द्वारा दिनांक 26.7.97 को हथियारबंद होकर बिना अनुमति नागरिक क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से विद्यालय भवन को ढहाने की घटना की न्यायिक जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित किये जाने की आवश्यकता।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जायें :

पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में खाद्यान्न की तस्करी होने से वहां की एसोशियल कमोडिटीज पर बहुत असर पड़ा है। इससे जो संकट उत्पन्न हुआ है, उस पर चर्चा अगले हफ्ते की जाये।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने हेतु संसदीय कार्य मंत्री को निम्नलिखित दो सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं :

1. बिहार में आलू के उत्पादन, आशातीत भण्डारण और निपणन की समुचित व्यवस्था के अभाव में सब आलू नष्ट हो गया। सरकार को इसकी व्यवस्था तो करानी ही चाहिए तथा आलू उत्पादकों को राहत भी पहुंचाना चाहिए।

2. समस्तीपुर में डीजल शेड बनाने का पिछले रेल बजट में प्रावधान किया गया, शिलान्यास भी हुआ परन्तु कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ। रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां कार्य आरंभ कराया जाये।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़ा जाये :

1. एच. ई. सी. झरिया, रांची को रेलवे एवं कोयला मंत्रालय से कार्यदेश (बर्थ आर्डर) पूरा नहीं मिलने से कारखाना बंद होने की स्थिति में आ गयी है। इससे 15 हजार कर्मचारी एवं लाखों परिवार प्रभावित हैं। वेतन पुनरीक्षण का मामला भी कई वर्षों से लंबित हैं। विस्थापित परिवार के लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अत: इसकी जांच सदन की एक कमेटी बनाकर कराई जाये।

2. रांची में बिजली पानी 10-12 घंटे बंद रहता है जिससे बराबर आंदोलन होता रहा है। बिजली की लाइन एवं पेयजल की पाईप हर जगह टूट गयी है जिसकी मरम्मत के अभाव में बिजली, पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये:

भारतीय खाद्य निगम की इकोनोमिक प्राइज निरन्तर बढ़ती जा रही है। पंजाब में पूसा-44 धान की किस्म फाइन श्रेणी में रख दी गयी है। जबकि यही किस्म हरियाणा में सुपर फाइन श्रेणी में है। अत: भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान स्वरूप व कार्य सम्पादक प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिये कार्यवाही करें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक - दिल्ली) : सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित करें :

1. राजधानी दिल्ली में हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हजारों लघु उद्योगों को बंद किया जाना प्रस्तावित हैं, जिससे इन उद्योग धंधों के बंद होने से उनमें कार्यरत ये श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे और भुखमरी की स्थिति में पहुंच जायेंगे। इन श्रमिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने हेतु और उनका पुनर्वास किए जाने से संबंधित विषय।

2. राजधानी दिल्ली के "पुरानी दिल्ली" क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों को कराए जाने हेतु और वहां के स्लम-कटरों में जीवन व्यतीत कर रहे नागरिकों को जरूरी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी "विकास बोर्ड" की स्थापना किए जाने से संबंधित विषय।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :

1. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया को फिर से चालू करना।

2. ऐसे व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता जिनके प्रार्थना-पत्र लम्बे समय से लंबित हैं।

अपराह्न 12.26 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 31 जुलाई, 1997 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 31 जुलाई, 1997 की सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, त्रिपुरा में एक विधान सभा सदस्य का अपहरण किया गया था।

सभापति महोदय : अभी शून्य काल आरंभ नहीं हुआ है। आपको शून्य काल में अनुमति दी जाएगी। अब आप बैठ जाएं।

अपराह्न 12.27 बजे

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक*

[हिन्दी]

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन द्वारा विशेष उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन द्वारा विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्याम बिहारी मिश्र जी, आपने सूचना तो दी है परन्तु आपने इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने के कारण नहीं बताए हैं तथापि मैं आपको छोटा सा वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करता हूं। ध्यान रहे 'संक्षिप्त' वक्तव्य दें क्योंकि आपके द्वारा शर्त पूरी न करने पर भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू है। व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए, लाइसैंसिंग आदेश, कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट और प्रिवैन्शन ऑफ ब्लैक मार्किटिंग एंड होर्डिंग ऑफ ऐसैनशियल एक्ट, 1980 लागू है। यह कानून 1981 में केवल पांच साल के लिए लगाया गया था क्योंकि उस समय देश में सूखा पड़ा था, अनाज की कमी थी, ऐसैनशियल कमोडिटीज की कमी थी। आज देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। देश से खाद्यान्न का निर्यात हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। कानून के द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सारे अधिकारी व्यापारियों को प्रताड़ित करके अवैधानिक पैसा वसूल कर रहे हैं। इसलिए यदि देश में इस प्रकार का शासन चलाना है जैसा कि इस समय बिहार में चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता वरना इस कानून को वापिस होना चाहिए। समय बढ़ाने की और इस प्रस्ताव को यहां पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाए। ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैंने इन्हें एक रियायत दे दी है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, ऐसैनशियल कमोडिटीज एक्ट का स्पैशल प्रोवीजन 1982 में यह देखकर लागू हुआ कि देश में अनाज की कमी है और उपभोक्ता को कठिनाई न हो, उपभोक्ता पर अन्याय न हो। और उनको किसी तरह की कठिनाई न हो, इसीलिए पार्लियामेंट ने पांच वर्ष तक के लिए इसे प्रथम खेप में 1982 से 1987 तक लागू किया था। फिर 1987 में लोगों ने महसूस किया कि कानून नहीं हटना चाहिए, कानून लागू रहना चाहिए तो फिर 1987 से 1992 तक यह लागू हुआ। फिर सन् 1992 में पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया कि इसको लागू रहना चाहिए तो फिर पांच वर्ष के लिए सन् 1997 तक यह लागू रहा। अब इसका समय फिर पूरा हो रहा है, फिर इस विभाग .....(*व्यवधान*) सुन लीजिए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : इसको बार-बार बढ़ाया जा रहा है।....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मिनिस्टर को तो सुन लीजिए। यह उचित नहीं है। इनको सुनिये, देखिए एक तो मैंने कन्सेशन दिया है। ....(*व्यवधान*)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि कृपा करके सुन लीजिए।....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : हां, आप बोलिये। मत सुनिये, आप हमें बताइये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इस विभाग की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा है कि इसे पांच वर्षों के लिए फिर बढ़ाया जाय और इसे लागू रहना चाहिए। देश भर के तमाम राज्यों से हमने सहमति मांगी, लगभग सभी राज्यों ने कहा कि इसको लागू रहना चाहिए। इस हालत में माननीय सदस्य की जो भावना है कि अन्याय नहीं हो, इसलिए इसमें संशोधन का भी प्रावधान हमने रखा है। पहले कलैक्टर जब्त कर सकता था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में अपील की गुंजाइश थी। अब इसमें हमने संशोधन करके जो माननीय सदस्य सवाल उठा रहे हैं कि इसको न्यायसंगत होना चाहिए, न्यायसंगत होने के लिए न्याय-पालिका में भी जाने का प्रावधान किया गया है, इसीलिए कि जो माननीय सदस्य ने आशंका जाहिर की कि भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी प्रावधान इसमें हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसको इण्ट्रोड्यूस करने के लिए आपकी इजाजत से सहमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन द्वारा विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 दिनांक 1.8.97 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं इस बिल को प्रस्तुत* करता हूं।

मैं सदन का ध्यान बिल के खंड तीन की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत भारत की संचित निधि से व्यय किया जाना है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत सिफारिश की है कि बिल को प्रस्तुत किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। क्या आपने सूचना दी है। यदि सूचना दी है तो मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति जी, अमरनाथ यात्रा के बारे में मैंने एक नोटिस दिया हुआ है। ....*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं एक लोक महत्व के विषय दामोदर नदी में भारी प्रदूषण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

सैंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा दामोदर नदी में ओवरबर्डन फिकवाया जा रहा है। जो रिजैक्टिड कोल भी वाशरी से निकलता है, उसको भी दामोदर नदी में फिंकवाया जा रहा है, जिससे नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। रिजैक्टिड कोल अगर बेरोजगारों से बिक्री करवाया जाये तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कोयला बिक्री .....*(व्यवधान)* होने से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस कोयले की बिक्री से नुधार पावर प्लांटस्टेशन को काफी लाभ होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बाजू बन रियान जी, मैं आपको बुलाऊंगा यद्यपि मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मेरा नाम है!

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : ओवरबर्डन को अन्यत्र स्थान पर फेंकने की व्यवस्था की जाये। नदी में उसको नहीं फिकवाया जाये। 29 जुलाई के तारांकित प्रश्न संख्या 953 के उत्तर में जो प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर पर्यावरण एंव वन मंत्री ने बिल्कुल गलत उत्तर दिया है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। जिसमें साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए हमें भी आमंत्रित किया जाए।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सभापति जी, देश की आजादी के बाद हमने अपने लिए पब्लिक सेक्टर उद्योगों की स्थापना की थी। हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडित नेहरू कहा करते थे कि पब्लिक सेक्टर के उद्योग आधुनिक तीर्थ हैं। लेकिन आज इन आधुनिक तीर्थों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद से पिछले तीन वर्षों से जो उद्योग कई वर्षों से भारी मुनाफा कमा रहे थे, आज वे भारी घाटे में चल रहे हैं। आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई उद्योगों के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छा रहे हैं। आज पब्लिक सेक्टर के जितने प्रमुख उद्योग हैं सब घाटे में चल रहे हैं। हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, टायर एंड साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल्स, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग, नेपा लिमिटेड तथा ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड इत्यादि पब्लिक सेक्टर के उद्योग पौने तीस अरब रुपये के घाटे में चल रहे हैं। इन उद्योगों में लगभग दो लाख से ज्यादा मजूदर और सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे नेपा लिमिटेड में, जिसकी आधारशिला पंडित नेहरू ने रखी थी, वहां के कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को ठीक करने के लिए न कोई नीयत इस सरकार की दिखाई देती है और न ही इस संबंध में कोई कार्यक्रम बनाया गया है। कल हम मध्य प्रदेश के सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे, प्रधान मंत्री जी की बातों से भी आशा की किरण नजर नहीं आई।

उदारीकरण की नीति के कारण हमने आयात वस्तुओं के सीमा शुल्क में कमी की, उसके कारण विदेशी वस्तुएं काफी सस्ती हमारे देश में आई हैं। विदेशी कपंनीज ने निर्बाध प्रवेश किया है। लेकिन उसके कारण उत्पन्न परिस्थितियों का मुकाबला हमारे पब्लिक सेक्टर के उद्योग कर सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। जो रुग्ण उद्योग हैं, उनके लिए हमने बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ गठित किया। जिसमें इनके केस ले जाते हैं, लेकिन वहां कोई निर्णय नहीं होता। इस समय ये उद्योग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर और कर्मचारी जिनको तीन-तीन, चार-चार महीने से वेतन नहीं मिला, उनके बच्चे भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए हैं, सरकार पब्लिक सेक्टर के उद्योगों के लिए कोई नीति की घोषणा करे और कोई नीति बनाकर सदन को विश्वास में ले। लेकिन जब तक यह नीति नहीं बनती, तब तक कम से कम अंतरिम राहत उन उद्योगों को दे ताकि वे अपने कर्मचारियों को वेतन तो दे सकें और पब्लिक सेक्टर उद्योगों की जो स्थिति हैं उसके संबंध में सरकार स्टेटमेंट दे।

[अनुवाद]

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सार्वजनिक उपक्रम रुग्ण हो गया है। श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : मैं सूची के अनुसार चलूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे पता है। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : इस बात को नोट किया गया है कि आपने इसका समर्थन किया है। अब श्री विशम्भर प्रसाद निषाद बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय वित्त राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह सदन को आश्वासन दें। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के श्रमिकों को उनकी सांविधिक देय राशि नहीं मिल रही है।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने इसे नोट किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्हें भविष्य निधि नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने पहले ही प्रश्न उठाया है। उन्होंने इसे नोट किया है। आपने भी स्वयं को इससे संबद्ध किया है और मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने इसे नोट कर लिया है और बाद में वह एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : क्या मंत्री जी इस समय वक्तव्य देना चाहेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : नहीं।. ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया स्थिति को समझिये।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी खड़े हैं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : वित्त मंत्री जी यहां है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि श्रमिकों को उनकी सांविधिक देय राशि का भुगतान किया जाएगा। परन्तु श्रमिकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। चूंकि वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

सभापति महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आपको तो प्रक्रिया का ज्ञान है, यदि मंत्री जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : जो सदस्य चिल्लाते हैं उन्हीं को समय मिलता है और जो सदस्य बोलने की अनुमति मांगने के लिये अपने हाथ उठाते है उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता है। जो सदस्य चिल्लाते रहते हैं केवल उन्हीं को समय मिलता है। प्रत्येक सदस्य को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने होते हैं .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुझे बताइये कार्यवाही कैसे चलायी जाये। यह सूची मुझे अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से दी गई है। कृपया यह बात समझिये।

[हिन्दी]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : सभापति जी, पुरानी दिल्ली के गांव बाड़ा हिन्दूराव में 382 में दलितों की बस्ती है जहां पर हजारों की संख्या में दलित रहते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अरे सुनिए। सुनना तो चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी मदद कीजिये। जैसा कि मैंने पहले कहा है यह सूची मुझे अध्यक्ष के कार्यालय से दी गई है। यह स्वाभाविक ही है कि सभापति तालिका में शामिल होने के नाते मुझे अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार कार्य करना है मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। मैं सूची के अनुसार कार्यवाही चला रहा हूं। यदि कुछ अति महत्वपूर्ण नेता चाहते हैं कि उन्हें सभा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों या इस सभा के कुछ अन्य माननीय सदस्यों के स्थान पर पहले अवसर दिया जाना चाहिये, तो मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार ही कार्यवाही चलाऊंगा। मैं बारी-बारी से आपको पुकारूंगा। अब श्री विशम्भर प्रसाद निषाद बोलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप फिर यह मुद्दा उठा रहे हैं, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय, पुरानी दिल्ली के गांव बाड़ा हिन्दूराव में 382 में दलितों की बस्ती है जहां पर हजारों की संख्या में दलित बसते हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री विशम्भर प्रसाद निषाद बोलें। अन्य कोई वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय, पुरानी दिल्ली के गांव बाड़ा हिन्दूराव में खसरा नं॰ 382 में हजारों की संख्या में दलितों की बस्ती है। .....*(व्यवधान)* जो ब्रिटिश शासनकाल से वहां पर बसी चली आ रही है। लेकिन वहां पर बगल में डी॰ सी॰ एम॰ कंपनी है जो खसरा नं॰ 506 और 507 में है। उसने वहां पर अनधिकृत कब्जा करके उसको कैलाशनाथ बिल्डर्स और अंसल बिल्डर्स को कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनाने के लिए दे दिया है। वहां से गरीबों को भगाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। उन लोगों की महिलाओं के साथ बेइज्जती की जा रही है। हमारा आपसे अनुरोध है जब कि तहसील और जिला दिल्ली रेवेन्यू रिकार्ड, जमा बंदी नं॰ 191 खतौनी नं॰ 235 में शहर आबादी में दर्ज है। लेकिन डी॰ डी॰ ए॰ एवं एम॰ सी॰ डी॰ के कर्मचारियों-अधिकारियों से मिलकर ये पूंजीपति कैलाशनाथ बिल्डर्स और अंसल बिल्डर्स दलितों को वहां से भगा रहे हैं, दलित तबाह हो रहे हैं जो कि ब्रिटिश शासन काल से वहां बसे हुए हैं। बिल्डर्स लोग अनाधिकार कब्जा बिना कोई नक्शा पास कराए कामर्शियल काम्पलैक्स बनवा रहे थे। उस पर भी रोक लगा दी है। करोड़ों रुपया बकाया है उसकी सी॰ बी॰ आई॰ से जांच कराई जाए। करोड़ों, अरबों का घोटाला होने जा रहा है जो कि सरकारी जमीन है जहां पर दलित बसे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गरीबों को परेशान न किया जाए। इस मामले की जांच कराई जाए तथा डी॰ सी॰ एम॰ एवं कैलाश बिल्डर्स व अंसल बिल्डर्स के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भगवान शंकर रावत : सभापति जी, अमरनाथ यात्रा, 1996 में जितने लोग गए थे और गायब हो गए थे, उनमें से अनेकों लोगों का पता चला। लेकिन 24 लोग अभी ऐसे हैं जिनका पता नहीं लग पाया है और उनमें से एक व्यक्ति है अर्जुन सिंह, पुत्र श्री गंगाधर बघेल, निवासी आगरा, अमरनाथ यात्रा के दौरान उसका शव मिल गया है। डैथ सर्टिफिकेट दे दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर वालों को मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले तो अमरनाथ यात्रा में गए 24 लोगों का अतापता आज तक नहीं मिला जबकि केन्द्र सरकार ने घोषणा कर दी कि हम मुआवजा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो अमरनाथ यात्री यात्रा करने गए थे, उनके घर वालों को ठीक से मुआवजा दिया जाए। उनको राहत प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अपहरण का सिलसिला चल रहा है। आगरा में अचल अग्रवाल नाम के नवयुवक निर्यातक का अपहरण कर लिया गया है। गुजरात के अन्दर वह गिरोह शरण पा रहा है। केन्द्र सरकार से सारी प्रार्थनायें करने के बावजूद भी अचल अग्रवाल की रिहाई में मदद नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक तो अमरनाथ यात्रा में प्रभावित हुए सभी लोगों को मुआवजा दिलाया जाये। साथ ही जो लोग ट्रेस नहीं हो पाए हैं, उनको ट्रेस किया जाए, ढुंढवाया जाए। उनका पता किया जाए और उनके घरवालों को अंतिम स्थिति के बारे में बताया जाए। दूसरे, जो इस तरह के अंतराज्यीय गिरोह काम कर रहे हैं, ऐसे गिरोहों को पकड़ने के लिए केन्द्र व संबंधित प्रदेश सरकारें संयुक्त रणनीति बनाकर कार्यवाही करें। जैसे मैंने अचल अग्रवाल का नाम लिया है और अपहरण गिरोह गुजरात में शरण पा रहा है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अचल अग्रवाल की रिहाई के लिए, उसकी बरामदी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी मदद करे, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार निर्यातक के पुत्र को बरामद कर सके। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री आर० एल० पी० वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से ग्रस्त समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। विगत 22 जुलाई, 1997 के गिरिडीह क्षेत्र में एक नदी में बस गिरने से 107 आदमी मर गए। इसी प्रकार से 11 नदियां ऐसी हैं, जिन पर पुलों का अभाव है और प्रतिवर्ष करोड़ों की क्षति होती रहती है। इस बारे में मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। बिहार सरकार के पास राशि नहीं है, जिससे कि वह इन नदियों पर पुलों का निर्माण कर सके। बिहार सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। हाल ही में करीब 200 और व्यक्तियों के दूसरी-दूसरी नदियों में बह जाने का समाचार मिला है। प्रतिवर्ष 500 से 1000 व्यक्तियों की जानें इन नदियों की विभीषिका के कारण चली जाती हैं। बिहार में केन्द्रीय सरकार और विश्व बैंक के द्वारा बिहार पठारी क्षेत्र विकास परियोजना (बी०पी०डी०पी०) नाम से चल रही है और 444 करोड़ रुपये इसमें विश्व बैंक ने प्रदान किया है। इस पर अभी तक 30 प्रतिशत रुपया खर्च हुआ है और 1998 में सारा रुपया विश्व बैंक को वापिस कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं चतरा, इन चार जिलों को बी०पी०डी०पी० में शामिल करने का आदेश बिहार सरकार को दिया जाये क्योंकि ये जिले पठारी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। साथ ही जो रुपया तुरन्त वापिस होने वाला है, उसका सदुपयोग किया जाए। मैं इन ग्यारह नदियों के नाम पढ़ देता हूं, जिन पर कि पुल बनना है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बिहार सरकार को निर्देश दे कि इन नदियों पर करीब 2000 मीटर लंबा पुल बनाने की समस्या को गंभीरता से ले। इन नदियों के नाम हैं- 1. गिरिडीह की उसरी नदी 2. भरकट्टाइंरगा नदी, 3. फरसाबाद-बड़ाकर नदी, 4. गांवा जोडासीमर सकरी नदी, 5. चंदौरी नदी 6. मालडा पटना नदी, 7. लताकी नदी 8. झारखंडी नदी 9. खैरीडीह इरगा नदी 10. रानीडीह खावा- धोरजो गंडहारी नदी, सरिया-खेड़ो नदी- इन नदियों पर आजादी के पचासवें वर्ष में पुल बनाने हेतु निर्देश दें।

....(*व्यवधान*)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : महोदय, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए।...(*व्यवधान*)

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के रानीखेत कैंटोनमेंट का एक मामला रक्षा मंत्री के संज्ञान में पहले भी लाया हूं। लेकिन दुर्भाग्य से आज वह यहां मौजूद नहीं है। बिहार में सेना को बुलाये जाने या न बुलाए जाने के मसले को लेकर यहां चर्चा चल रही है। रानीखेत कैंटोनमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर 26 जुलाई, 97 को सुबह-सुबह पांच बजे करीब दो सौ फौज के सैनिक पहुंचे। विद्याभारती एक संस्था है, जो पूरे देश के भीतर विद्यालयों को चलाती है। विद्या भारती के अधीन मान्यता प्राप्त विवेकानन्द विद्या मन्दिर का एक भवन था उसको सैनिकों ने तुड़वाने का कार्य किया और भवन को ध्वस्त कर दिया। इस कारण वहां पर लगातार बाजार, सरकारी आफिस, यातायात सब कुछ बंद चल रहा है। जनता के बीच में सेना के प्रति जो सम्मान का भाव था वह नहीं रह गया है। मैं स्वयं रानीखेत नगर का हूं और कुमाऊं रेजीमेंटल सेंटर का वह हैडक्वार्टर है। उस कार्यवाही के बाद अब वहां जो फौजी ऑफिसर कमांडेंट आए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मुलायम सिंह जी को कह चुका हूं, रक्षा राज्य मंत्री जी को मिल चुका हूं, प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। नतीज़ा यह है कि जनता को आंतक और भय के साए में रहना पड़ रहा है। जनता का यह कहना है कि इस तरह का फौजी शासन 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट लागू होने पर रानीखेत के भीतर अंग्रेजों के जमाने में भी इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार नहीं हुआ। बिना किसी नोटिस के, परमिशन के जब तक सिविल अथोरिटी, जिला मजिस्ट्रेट या वहां का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिलिट्री कॉल न करे तो फौज का इस तरीके से जाना, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश दृष्टिगोचर होती है। जिस समय रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में ये सारा कुछ फैक्स के जरिए, टेलीफोन के जरिए लाया गया तो अभी तक कोई कार्यवाही न करना और वहां पर जनता का पूरा पेरालाइज करना संदेह उत्पन्न करता है। सारे के सारे कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलैक्टेड मैम्बर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनको धमकी दी जा रही है कि किसी को गोली से मार दिया जाएगा।

महोदय, यह इतना संगीन विषय है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मामले में गवर्नमेंट तत्काल हस्तक्षेप करे और जिन्होंने इसको बिना नोटिस के ध्वस्त किया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। विवेकानंद विद्या मंदिर, जो चंदे से, समाज के पैसे से बना हुआ भवन था उसका उनको मुआवजा दिलाया जाना चाहिए और उस क्षेत्र में शांति स्थापित की जानी चाहिए तथा फौजी कमांडेट के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार जवाब दे। सरकार की ओर से कभी कोई जवाब नहीं आया। इस पर सरकार को एश्योरेंस देना चाहिए कि इस पर मंत्री जी कार्यवाही करेंगे, इससे कम से कम जनता को आश्वासन मिल जाएगा। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मुरैना से करीब सवा दो सौ किलोमीटर दूर श्योपुरकलां स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। वहां के लोग टेलीफोन के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र में जाते हैं। उनको काफी असुविधा होती है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र हल किया जाए। मेरा यह कहना है कि ओएफसी की सुविधा को राजस्थान के सवाई माधोपुर से जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बहुत अच्छा। हम इस तरह के सदस्य चाहते हैं जो शून्य काल में बहुत कम समय लें ताकि अन्य सदस्यों को भी अपना मुद्दा उठाने का अवसर मिल सके।

श्री के॰ सी॰ कोंडय्या (बेल्लारी).: सभापति महोदय, आज से देश में सेंकेडरी क्षेत्र में अर्थात् लघु और मध्यम श्रेणी के एककों में सभी स्टील रिरोलिंग मिलें अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई हैं जिसके कारण करीब 12 से 13 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।

स्टील रिरोलिंग मिलों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के नए तरीके के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 25.7.97 की अधिसूचना संख्या 22/97 से 27/97 और 42/97 से 45/97 के कारण देश में स्टील रिरोलिंग उद्योग में संकट उत्पन्न हुआ है।

भारत में सेंकेडरी क्षेत्र में अर्थात् लघु और मध्यम श्रेणी के एककों में लगभग 1800 स्टील रिरोलिंग मिलें हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से लगभग छः लाख श्रमिकों और अप्रत्यक्ष रूप से छः लाख और श्रमिकों को रोजगार देती हैं। ये प्रतिवर्ष लगभग छः मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करती हैं।

उत्पाद शुल्क संग्रहण की नई संशोधित प्रणाली रिरोलिंग मिलों की उत्पादन क्षमता पर आधारित है और बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्मूला कुल उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन देता है। इस प्रकार वास्तविक स्थिति पर ध्यान दिये बिना ही केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित दोषपूर्ण फार्मूले के अनुसार स्टील रिरोलरों से उनके द्वारा देय वास्तविक शुल्क का प्रायः दस गुना भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त, ये अधिसूचनाएं केवल सेकेंडरी क्षेत्र अर्थात् लघु और मध्यम श्रेणी के एककों पर प्रभावी हैं और 'सेल टाटा' आर॰ एस॰ आई॰ एन॰ एल॰ 'इस्को' जैसे मुख्य संयंत्रों तथा मुकन्द आदि जैसे निजी क्षेत्र के अन्य एकीकृत इस्पात संयंत्रों को छोड़ दिया गया है। इससे विषमता पैदा हो गई है जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।

मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वह इसमें हस्तक्षेप करें, (*व्यवधान*), पूरा उद्योग संकट में है। मेरा यहां पर उपस्थित वित्त राज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह कम से कम रिरोलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलायें और क्षमता उपयोग निश्चित करें तथा संकट का समाधान करें।

सभापति महोदय : श्री कोंडय्या, यह ऐसा मामला नहीं है जिसे शून्य काल के दौरान उठाया जाये आप यह मामला नियम 377 के अधीन उठा सकते थे।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेकार भूमि विकास हेतु भेजे गये एक प्रस्ताव की और आकर्षित कराना चाहता हूं। इसमें प्रदेश के 19 जिले शामिल हैं। उसमें झांसी-जालौन जिला भी शामिल है। मेरा लोक सभा क्षेत्र झांसी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां की अधिकांश जनता बेरोजगार है और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। बुंदेलखंड की अधिकांश जमीन ऊबड़-खाबड़ और बेकार है। इस जमीन को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि 1996-97 की प्रस्तावित योजना को पूरी कराकर धन निर्गत करने का कष्ट करें, जिससे बुंदेलखंड की जमीन उपजाऊ बन सके और जनता का लाभ हो सके।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मामले की और आकर्षित कराना चाहता हूं। तीस जुलाई के करंट न्यूज में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि "कर्मचारी बनकर रक्षा मंत्रालय में बैठे हैं पाक जासूस"। महोदय, यह मामला कोई गोपनीय नहीं है कि रक्षा मंत्रालय में कुछ ऐसे लोग पकड़े गये हैं जिन पर जासूसी का इल्जाम लगा है। एक जनवरी उन्नीस सौ पिच्चानवें से तीन जून उन्नीस सौ सत्तानवें तक तीन कर्मचारी पकड़े गये हैं। इनमें से एक पर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और उसे मिलिट्री की हिरासत में रखा गया लेकिन दो पर केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई।

उसी प्रकार दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया। उसमें दो कर्मचारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे। तीन सिविलियन रक्षा कर्मचारी थे और एक व्यापारी था। अप्रैल 1997 में राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में तैनात एक सिपाही को गिरफ्तार किया था। महोदय, यह अत्यंत गंभीर मामला है। हमारे देश में तीन तरह से पाकिस्तान द्वारा जासूसी चल रही है। तरीका तो यह है कि आई॰ एस॰ आई॰ के एजेंट विभिन्न नामों से नेपाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ करके अफवाह फैलाकर दंगे करवाते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

दूसरा तरीका यह है कि वे संवेदनशील इलाकों में जाते हैं, जहां असंतोष है। आतंकवादी उनको पैसा और हथियार बांटते हैं। तीसरा तरीका यह है कि वे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को बहला-फुसलाकर जासूसी करने पर प्रवृत करते हैं। यह देखकर अचरज होता है कि इन मंत्रालयों के कर्मचारी यह काम एक बोतल शराब और कुछ हजार रुपये के बदले में ही करते हैं। आतंकवादी कार्यवाही के कारण देश के करीब दस हजार लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।.....(*व्यवधान*)

श्री राम नगीना मिश्र (पड़रौना) : सभापति महोदय, बहुत इंतजार के बाद मुझे आज बोलने का मौका मिला.....(*व्यवधान*)

श्री राजेश्न रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, आज बिहार बंद के दौरान पुलिस की गाड़ी में शरारती तत्व भर कर आ रहे हैं.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री राम नगीना मिश्र द्वारा कही गई बातों के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, नारायणी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। बाढ़ से बचाव के लिए वहां बांध बना हुआ है जो कि 40-50 किलोमीटर लंबा है। दुर्भाग्य से जहां कटान हो रहा है, उसका दो किलोमीटर हिस्सा बिहार में पड़ता है। जहां कटान हो रहा है, उस जमीन की सतह पानी से दो मीटर नीचे है। पड़रौना के डी॰ एम॰ का मुझे अभी टेलीफोन आया कि पिपरासी में कटान जोरों पर है और स्थिति भयावह है। इस समय 10-15 फुट बांध ही बचा है। नदी की धारा मुड़ने से पड़रौना के हजारों गांव जलमग्न हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री और मैं वहां की स्थिति को देखने गए थे। यह दो प्रदेशों का मामला है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह वहां एक विशेषज्ञ दल भेजे जिससे उसका कटान रोका जा सके। नहीं तो हजारों गांव जलमग्न हो जायेंगे और गांव वालों को बसाना मुश्किल हो जाएगा। भारत सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री और विशेषज्ञ दल वहां जाकर स्थिति को देखें।.....(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, आपको भली भांति मालूम है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन द्वारा कही गई बातों के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहता हूं....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया इस संसद की प्रतिष्ठा को कम न करें।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : प्रो॰ कुरियन द्वारा कही गई बातों के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, कृपया सहयोग करें।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मुझे यह घोषणा करनी पड़ रही है कि सभा अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर सत्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री चित्त बसु *पीठासीन* हुए)

सभापति महोदय : हां, गृह मंत्री जी।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, क्या वह वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं?

सभापति महोदय : नहीं, वह एक वक्तव्य दे रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : हम इस मामले पर वाद-विवाद कराना चाहते हैं।

अपराह्न 2.18 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा पटना में गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित करने में सेना की सहायता लेने का मुद्दा

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री लालू प्रसाद यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की गिरफ्तारी के सिलसिले में सेना की सेवा लिए जाने के प्रयास का मुद्दा कल इस सदन में उठाया गया तथा सदस्यों ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। मैंने इस संबंध में स्थिति का पता लगाया है।

दिनांक जुलाई 29, 1997 को अपराह्न में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री यादव की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका के रद्द कर दिए जाने के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों ने, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के पटना में स्थित विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए गए श्री यादव की गिरफ्तारी संबंधी वारंट की तामील करने के कदम उठाए और इस बारे

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

में प्रबंध किए। यह अगस्त 6, 1997 तक किया जाना अपेक्षित था। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के अन्दर ही लिया गया निर्णय उपर्युक्त गिरफ्तारी दिनांक जुलाई 30, 1997 के सुबह करने का था और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के मुख्यालय ने अपने स्थानीय कार्यालय को अनुदेश किए कि इस कार्य में राज्य के अधिकारियों से सहायता प्राप्त की जाए और राज्य के मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस प्रयोजन के लिए विश्वास में लिए जाएं तथा इस कार्य के लिए बहुत सूझ-बूझ और सावधानी बरती जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले से संबंधित अधिकारियों ने गिरफ्तारी संबंधी वारंट की तामील जुलाई 29/30, 1997 की रात में करना तय किया। इस मामले में यह भी प्रतीत होता है कि बिहार के मुख्य सचिव से संपर्क स्थापित नहीं कर पाने के कारण और बिहार के पुलिस महानिदेशक द्वारा यह बताए जाने के कारण कि सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्था करने में कुछ और समय लगेगा, इस मामले की देख-रेख कर रहे, कलकत्ता में स्थित केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के संयुक्त निदेशक ने पटना में स्थित केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तारी वारंट की तामील के सिलसिले में सेना की सहायता लेने का निदेश दिया। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के पटना में स्थित पुलिस अधीक्षक द्वारा दानापुर में सैन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया : "माननीय पटना उच्च न्यायालय (माननीय न्यायाधीश, श्री एस॰ एन॰ झा और माननीय न्यायाधीश, श्री एस॰ जे॰ मुखोपाध्याय) द्वारा जारी किए गए मौखिक निदेशों के अनुसार, श्री लालू प्रसाद यादव, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, बिहार, के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की तामील के सिलसिले में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की सहायता करने के लिए आपसे सशस्त्र सैन्य-दल की कम-से-कम एक टुकड़ी तत्काल उपलब्ध करवाने का अनुरोध है।" दानापुर के सैन्य अधिकारियों ने उपर्युक्त अनुरोध पर, इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की कि सिविल-प्रशासन की मदद के लिए सेना केवल अधिसूचित सिविल प्राधिकारियों के अनुरोध पर ही आ सकती है। उन्होंने केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के अधिकारियों को यह भी बताया कि मामले की नजाकत देखते हुए उन्होंने इस बारे में सेना मुख्यालय से मार्ग-दर्शन मांगा है।

स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सिविल प्राधिकारियों द्वारा सेना की सहायता, कानून के अनुसार तथा उन्हीं सीमित मामलों में ली जा सकती है जिनमें कानून, व्यवस्था और अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं से निबटने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त, ऐसा अनुरोध अत्यंत सावधानीपूर्वक, प्रक्रिया के अनुसार और उचित माध्यम से किया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दानापुर में स्थित सेना के स्थानीय अधिकारियों से किया गया उपर्युक्त अनुरोध, निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन था और वह उनके अधिकार से पूर्णत: परे था। एक प्रजातांत्रिक समाज में समग्र राष्ट्रीय हित का यह तकाजा है कि सेना की सहायता केवल आपवादिक परिस्थितियों में, समुचित प्रक्रिया का निर्वाह करके ही ली जाए। स्थापित प्रक्रिया से हटकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के परिणाम गंभीर तथा अवांछनीय हो सकते हैं। चूंकि इस मामले में अनुरोध प्राधिकृत सिविल अधिकारियों के माध्यम से नहीं किया गया है, इस अनधिकृत कार्रवाई से विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।

सरकार ने इस घटनाक्रम पर पूरी गंभीरता से विचार किया है। सरकार ने सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना सेना की सहायता मांगने में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंधित अधिकारियों के आचरण को गंभीरता से लिया है। इन अधिकारियों के आचरण की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं तथा इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार, इस आशय के अनुदेश कि, सिविल प्राधिकारियों द्वारा सेना की सहायता किन-किन परिस्थितियों में तथा किस तरीके से ली जानी चाहिए, समुचित रूप से दोहराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, हमने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी ने इस मामले में कोआपरेट नहीं किया..... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : सभापति महोदय, यह एक असाधारण मामला है....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : नियम में ऐसा उपबंध नहीं है।

(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : सभापति महोदय, नियमों में ऐसा उपबंध नहीं है। आप सही हैं.....(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : नियम में ऐसा उपबंध नहीं है किन्तु आपवादिक मामलों में ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, चेयर ने उस दिन आदेश दिया था कि राज्य सरकार ने सहयोग किया या नहीं, इस संबंध में भी बयान दिया जाएं, लेकिन माननीय गृह मंत्री के इस बयान में इस बाबत कोई भी उल्लेख नहीं है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। श्री नीतीश कुमार जी आपको ध्यान रखना चाहिये कि मैं बोल रहा हूं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, चेयर ने दो बातों के संबंध में निर्देश दिया था।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये इस सभा में कार्य संचालन के लिए निश्चित प्रक्रिया है। माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष की

सहमति से बयान दिया है और विशेष रूप से इस सभा में आपके द्वारा स्पष्टीकरण मांगने से नियमों में उस पर चर्चा करना या कोई बात उठाने का उपबंध नहीं है। इसलिए मुझे खेद है कि मैं आपमें से किसी को भी स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी यादव (बांका) : सभापति महोदय, ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : इस बात के पूर्वोदाहरण हैं जब अध्यक्षपीठ ने अनुमति दी है.....(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : अध्यक्षपीठ की शक्ति असीम हैं।..... (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया मुझे प्रक्रिया नियमों के अनुसार सभा का कार्य संचालन करने दें।

(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : विगत में अध्यक्षपीठ ने मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी थी।...(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : सभापति महोदय, इसके अनेक पूर्वोदाहरण हैं। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, कोल इंडिया के प्लेन के बारे में जो कुछ सदन में कहा गया था, उसके बारे में इस बयान में कोई उल्लेख नहीं है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : यादव जी, हर समय आप अपनी बात नहीं उठा सकते और आप मेरे ऊपर उंगुली नहीं उठा सकते। बात समझ में आई। कृपया बैठ जाइये।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया शालीनता से बात कीजिए।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आखिर यह संसद है। प्रक्रिया के नियम हैं। मैं सभा से शालीन व्यवहार करने के लिए ही कह सकता हूं।

(*व्यवधान*)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, कोल इंडिया के प्लेन से नई दिल्ली से हाईकोर्ट के दो वकील बिना मंत्री के पटना गए थे। उसके बारे में भी चेयर मैन ने कहा था कि गृह मंत्री अपने बयान में उल्लेख करेंगे, लेकिन गृह मंत्री के बयान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : हम आपसे संरक्षण का अनुरोध करते हैं... (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : क्या आप मुझे सिखाएंगे ? कृपया शालीनतापूर्वक व्यवहार कीजिए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी यादव : सभापति महोदय, ये सारे लोग नियमों को तोड़ने पर आमादा हैं .....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : यह कोई सीख नहीं है। हम आपसे अनुनय कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : संसद की गरिमा को कम मत कीजिए। मुझे एक वक्तव्य देना है।

(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : इसके अनेक पूर्वोदाहरण हैं ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं इस पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि इस सभा के नियमों के अनुसार मैं मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर सभा के किसी भी सदस्य को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेट्री और पटना के कलैक्टर का सी॰ बी॰ आई॰ के आफिसर के साथ कैसा व्यवहार था? क्या उन दोनों ने सी॰ बी॰ आई॰ के आफिसर के साथ मिसबिहेव किया था? उसके बारे में इस बयान में कुछ भी नही है।....(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : आप इस मामले को अपवाद मानकर ऐसा कर सकते हैं।.....(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : यह सर्वविदित है कि उच्च न्यायालय ने मौखिक निर्देश दिये हैं। सभापति महोदय, कृपया हमें एक मिनट का समय दीजिए। ....(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : इसके अनेक पूर्वोदाहरण हैं। ....(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : हमें एक मिनट का समय दीजिए। यही हम चाहते हैं। ....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : जो कुछ मैंने कहना था मैं पहले ही कह चुका हूं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : या आप दूसरा नियम बताइये। कृपया शालीनतापूर्वक व्यवहार कीजिए।

(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : यह अन्याय किया जा रहा है। यह अनुचित है। यह पहली बार नहीं किया जा रहा है। एक विशेष मामले के रूप में ....(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : यह एक असाधारण मामला है।....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : जो कुछ मैंने कहना था कह दिया।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, यह आपके अधिकार की चीज है। यह आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप चाहे तो एक-दो माननीय सदस्यों को क्लैरीफिकेशन करने का समय दे सकते हैं।.... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : इसके प्रभाव अति असाधारण हैं। कृपया हमें एक मिनट का समय दीजिये।....(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : पीछे अध्यक्षपीठ ने अनेक बार चर्चा की अनुमति दी है। ....(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : माननीय गृह मंत्री इसके प्रभाव समझते हैं। कृपया हमें एक मिनट का समय दीजिए।....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी यादव : सभापति महोदय, ये सारे नियमों को तोड़ने पर आमादा हैं। ....(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप समय दे सकते हैं। ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं कि मुझे यहां प्रक्रिया के कतिपय नियमों के अनुसार काम करना है।

(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : सभापति की शक्तियों पर कोई बंधन नहीं हो सकता। ....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मेरा प्वांइट आफ आर्डर है।....(*व्यवधान*) मैं सिर्फ नियम पर बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत धैर्य से गृह मंत्री जी का जवाब सुन रहा था।.... (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आपका प्वांइट आफ आर्डर क्या है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यही है कि कल आसन से, आसन सर्वोपरि है, आसन के एक-एक निदेश का अनुपालन करना न केवल सदन के सदस्यों के लिए जरूरी है बल्कि सरकार के लिए भी जरूरी है। कल जब यह विषय आया था, आसन पर उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे। उस समय चेयर से उपाध्यक्ष महोदय ने सरकार को जो निदेश दिए थे, उसमें तीन बिन्दु उठाए गए थे। तीनों बिन्दुओं पर सदन के चेयर से निदेश दिए गए थे। उसमें से एक बिन्दु पर माननीय मंत्री जी के जवाब से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। दो जो बिन्दु बचे है, चाहे राज्य के असहयोग करने के संदर्भ में, राज्य प्रशासन के संदर्भ में, सरकारी तंत्र का मिसयूज करने के संदर्भ में भी कुछ मामला है, उसके संदर्भ में सदन में जवाब जरूर आना चाहिए तब सदन संतुष्ट हो सकता है। जिस नियम की बात आप उठा रहे हैं, वह सही है। पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस किताब में मंत्री जी का जवाब होने के बाद क्लैरीफिकेशन का प्रावधान इस सदन में नहीं है लेकिन दूसरे सदन में है। लेकिन इस सदन में परम्परा रही है। परसों भी ऐसा हुआ था। .... (*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, अभी देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने दो बातें कही हैं। कल जब सदन में यह सवाल हमने, पप्पू जी और कई कतिपय सदस्यों ने उठाया, उसके बाद चेयर से निर्देश हुआ कि इन सभी बिन्दुओं पर सरकार का वक्तव्य आए। जहां तक फौज को सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा एप्रोच करने का सवाल है, उसके बारे में मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है और एक डिटेल्ड स्टेटमैंट दी है। इस स्टेटमेंट से यही बू आती है कि सी॰ बी॰ आई॰ के जो अधिकारी आज तक ईमानदारी से काम करते रहे, उन अधिकारियों पर केन्द्र सरकार गाज गिराती रही है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय, यह नौबत क्यों आई।....(*व्यवधान*) इसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। क्यों फौज की बात आई? फौज को एप्रोच किया गया, उसे इंप्रूव करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन फौज की नौबत किन परिस्थितियों में आई। यहां से इनके डायरेक्टर लोकल यूनिट को फैक्स भेजते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी के वारंट को एंग्जीक्यूट किया जाए और उसे समाचार पत्रों में रिलीज किया जाता है। सात बजे से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टार प्लस और दूसरे नेटवर्क पर, पर आना शुरू होता है कि आज रात ही लालू जी की गिरफ्तारी होगी। डायरेक्टर के लैवल से फैक्स मैसेज दिया गया और वहां पर लोगों का जमावड़ा शुरू होता है। एक तरफ यह फैक्स मैसेज कि आप तत्काल एंग्जीक्यूट कीजिए और दूसरी तरफ यह वातावरण पैदा किया जाता है कि राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं करती, डी॰ जी॰ पी॰ कोऑपरेट नहीं करते, चीफ सैक्रेटरी कोपरेट नहीं करते।.....(*व्यवधान*) ऐसी स्थिति में सी॰ बी॰ आई॰ को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों आई।.....(*व्यवधान*) जो स्टेट मशीनरी का ब्रेक डाउन हुआ, नॉन बेलेबल वारंट को एंग्जीक्यूट करना, लॉ के मुताबिक राज्य की सरकार ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी। ...(*व्यवधान*) डी॰ जी॰ पी॰, डी॰ एम॰ सबने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि हम मदद करेंगे लेकिन वे मदद नहीं करते। ऐसी स्थिति में जहां जो स्टेट मशीनरी का ब्रेक डाउन हुआ है, सभापति जी, एक मिनट रुक जाइये। उस स्थिति में क्या केन्द्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? स्टेट मशीनरी का टोटल ब्रेकडाउन.....(*व्यवधान*) अपने वचन का पालन नहीं करते है और तीसरा बिन्दु जो था कि कॉल इंडिया के प्लेन से गैर-सरकारी व्यक्तियों को, एक अभियुक्त के वकील, उनकी मदद के लिए लोग यहां से.....(*व्यवधान*) पटना पहुंचाये गये। इसके बारे में भी जवाब आना था और चेयर से निर्देश था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय कोयला मंत्री यथाशक्य शीघ्र वक्तव्य दें।

यदि कोई माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आगे चर्चा की सूचना देना चाहता है तो उस पर कार्य मंत्रणा समिति और अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्र : महोदय, यहां पर बिना यह जाने कि मौखिक निर्देश किसने दिए थे, वास्तविक मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कोल इंडिया के बारे में जवाब नहीं दिया।

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : सभापति जी ने बता दिया है।

अपराह्न 2.43 बजे

सभा कक्षा में नए कैमरे लगाये जाने के बारे में टिप्पणी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस कक्ष में कुछ नए कैमरे लगाये जाने का मामला उठाया गया था। अध्यक्षपीठ ने टिप्पणी की थी कि सदस्यों को इस बारे में आज जानकारी दी जायेगी।

दूरदर्शन द्वारा पता लगाए गये तथ्यों के आधार पर मुझे यह बताना है कि ये कैमरे बढ़िया किस्म की प्रौद्योगिकी वाले और रोबोटिक हैं। इनकी संख्या आठ है और ये सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए दीर्घाओं में लगाये गये विद्यमान चार बजे कैमरों के स्थान पर लगाये जायेंगे।

वर्तमान बड़े कैमरे सभा के प्रत्येक स्थल को कवर करने और विभिन्न कोणों से वांछित चित्र लेने में असमर्थ हैं इसलिए विभिन्न देशों में ऐसी प्रणालियों का अध्ययन करने के उपरांत दोनों सभाओं के लिए दूर नियंत्रण कैमरा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया गया।

नए रोबोटिक कैमरों का संचालन संसद भवन के कमरा संख्या 50 में स्थापित स्टुडियों से दूर नियंत्रण द्वारा किया जाएगा। इन कैमरों से सभा कक्ष के सभी स्थलों तथा उन स्थलों सहित जिन्हें अभी कवर करना कठिन है, को कवर किया जाएगा। इन कैमरों के उपयोग से बहुत अच्छी तस्वीरें मिलने की आशा है।

इन कैमरों का किसी प्रकार की भी निगरानी से कुछ भी लेना देना नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों द्वारा शंका व्यक्त की गई है।

जहां तक सदस्यों की इस टिप्पणी का संबंध है कि रोबोटिक कैमरों को सुन्दर ढंग से नहीं लगाया गया है, मैं यह कहूंगा कि यह कार्य दूरदर्शन ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार के साथ परामर्श करके किया है। तथापि, इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों से दूरदर्शन प्राधिकारियों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार को समुचित तथा व्यवहार्य कार्यवाही के लिए अवगत कराया जा रहा है।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : दूर नियन्त्रण के साथ वे सभा में आना चाहते हैं।

अपराह्न 2.44 बजे

महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गये, अत्याचार के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब कार्य की अगली मद अर्थात् श्री शरद पवार द्वारा पेश किए गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा, लेगी।

श्री राम नाईक : जानकारी के लिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह वाद-विवाद आज पूरा होगा या नहीं। गृह मंत्री कब उत्तर देंगे? यदि हमें समय-सारणी मिल जाती जो हमारे लिए बेहतर हो जाता कि हम सदस्यों को सूचित कर देते ताकि सदस्य वहां आ जाते।

सभापति महोदय : श्री नाईक, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने अध्यक्ष पीठ से स्थिति स्पष्ट करने का मुझे अवसर दिया। इस मुद्दे पर अभी चौदह सदस्यों को बोलना है आज गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है। और अपराह्न 3.30 बजे हम गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा करेंगे। यदि इस बात पर सभा की सहमति होती है कि शेष चौदह सदस्य भी आज ही बोलेंगे तो मेरे विचार से आज माननीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने की कोई संभावना नहीं है।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : सायं 6 बजे के बाद मैं वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : मेरे विचार से तब तक यह सूची पूरी नहीं होगी। चौदह सदस्य सायं 6 बजे तक अपना भाषण पूरा नहीं कर सकते, इस पर सोमवार को फिर चर्चा होगी।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, क्या हम यह मान लें कि माननीय गृह मंत्री सोमवार को उत्तर देंगे?

सभापति महोदय : हां, सोमवार को उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री नारायण आठवले (मुंबई उत्तर-मध्य) : सभापति जी, पिछली जुलाई को मुम्बई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अपमान हुआ। इस अपमान से प्रक्षुब्ध हुए दलित लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई। कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। मैं दलित भाइयों के दु:ख में सहभागी हूं जो मर गए हैं। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो हो गया, वह हो गया। दुख है लेकिन इस घटना के माध्यम से इस सदन में और बाहर भी जो हो रहा है, वह मेरे ख्याल से अधिक दुख और अधिक चिंताजनक है।

होम मिनिस्टर साहब इन दोनों बिन्दुओं पर, अतिरिक्त दोनों बिन्दुओं पर भी यहां पर अपनी बात रखें।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, मैंने आपकी बात समझ ली है।

श्री पिनाकी मिश्र : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने जो कहा है उसमें स्पष्ट विरोधाभास है। मैं आदरपूर्वक उनके ध्यान में इस तथ्य को लाना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि कोई चूक हुई है और मैं कहता हूं यह विरोधाभास है। हम कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ऐसी एक चीज को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है जो मेरे विचार से हमारे लोकतंत्र की नींव को ही झकझोर देगी।

सभापति महोदय : इस बारे में आपको क्या कहना है?

श्री पिनाकी मिश्र : कृपया इसे समझिए। कृपया अपराध की भीषणता देखिए।

सभापति महोदय : नहीं, आप मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य को इसे समझना चाहिए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : एक ईमानदार आदमी जो जांच कर रहा है भ्रष्टाचार की.....(*व्यवधान*)

श्री गिरधारी यादव : इसे छोड़िये आप, ईमानदार दिखता है।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।.....(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के अनुसार किया था। सही स्थिति क्या है? क्या यह संयुक्त निदेशक के वक्तव्य के अनुसार है या पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के अनुसार है?

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? क्या नियम माननीय सदस्य को अध्यक्षपीठ की अवज्ञा करने की अनुमति देता है?

श्री पिनाकी मिश्र : मैं अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कभी भी नही करूंगा।

सभापति महोदय : तब कृपया आप बैठ जाइए। मैंने कार्यवाही वृत्तांत की जांच कर ली है।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पप्पू जी, प्लीज। मैं आपको भी उद्धृत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी ने कहा था, "बिहार में फौज बुलाने की बात हुई भी है या नहीं हुई है और किसके कहने पर हुई है? दूसरे कोल इंडिया के जहाज पर कोई गया भी या नहीं गया है, मैं इसके बारे में भी चाहूंगा कि सरकार आज या कल स्टेटमेंट दे।"

श्री नीतीश कुमार : आपने चन्द्रशेखर जी का स्टेटमेंट आया है, चेयर के हाव-भाव से यही जाना गया कि.....(*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्र : फौज बुलाने की बात किसने की?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : फिर यह क्या है? क्या सभा माननीय सदस्य को ऐसे आचरण की अनुमति देती है?

श्री पिनाकी मिश्र : नहीं, महोदय।

सभापति महोदय : इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की और आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके वक्तव्य में कुछ बातों पर चर्चा की गई और कुछ बातों पर नहीं की गई। वह इसकी जांच कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं या वे इन्हें अपने वक्तव्य में जोड़ सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : सभापति महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य बुरा नहीं मानेंगे। मैं कह रहा था कि नियमों के अनुसार किसी भी माननीय सदस्य को मेरे द्वारा किए गए वक्तव्य पर नियम 193 का नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए प्रस्ताव रखने का अधिकार है। इस पर पूर्ण चर्चा की जा सकती है।

महोदय, मेरी समझ में दो बातें आई हैं, मुझे खेद है कि मैं कल सभा में नहीं था एक बात जैसा कि श्री नीतीश कुमार ने कहा था, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बारे में है।

हमारे समक्ष अब तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, एक शिकायत की गई है कि बिहार सरकार श्री लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करवाने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त सहायता नहीं दे रही थी। यदि उसने समुचित सहायता नहीं दी तो इसका तात्पर्य कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार समुचित सहायता दे रही है या नहीं और यदि नहीं तो क्यों। इन सब बातों की जांच की जाएगी, स्वाभाविक है कि बिहार सरकार ने इसके लिए इंकार किया है।

जहां तक कोल इंडिया के विमान में दुरुपयोग की बात है यह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, यह कोयला मंत्रालय से संबंधित है। यदि कोयला मंत्रालय को इस बारे में कुछ कहना है तो वह ऐसा कर सकता है।

सभापति महोदय : जहां तक कोयला मंत्रालय से सूचना का संबंध है माननीय मंत्री ने मुझे बताया है कि वह ब्यौरा एकत्रित कर रही है, अभी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरे पास भी प्रमाण हैं.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय कोयला मंत्री यथाशक्य शीघ्र वक्तव्य दें।

यदि कोई माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आगे चर्चा की सूचना देना चाहता है तो उस पर कार्य मंत्रणा समिति और अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्र : महोदय, यहां पर बिना यह जाने कि मौखिक निर्देश किसने दिए थे, वास्तविक मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कोल इंडिया के बारे में जवाब नहीं दिया।

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : सभापति जी ने बता दिया है।

अपराह्न 2.43 बजे

सभा कक्षा में नए कैमरे लगाये जाने के बारे में टिप्पणी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस कक्ष में कुछ नए कैमरे लगाये जाने का मामला उठाया गया था। अध्यक्षपीठ ने टिप्पणी की थी कि सदस्यों को इस बारे में आज जानकारी दी जायेगी।

दूरदर्शन द्वारा पता लगाए गये तथ्यों के आधार पर मुझे यह बताना है कि ये कैमरे बढ़िया किस्म की प्रौद्योगिकी वाले और रोबोटिक हैं। इनकी संख्या आठ है और ये सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए दीर्घाओं में लगाये गये विद्यमान चार बजे कैमरों के स्थान पर लगाये जायेंगे।

वर्तमान बड़े कैमरे सभा के प्रत्येक स्थल को कवर करने और विभिन्न कोणों से वांछित चित्र लेने में असमर्थ हैं इसलिए विभिन्न देशों में ऐसी प्रणालियों का अध्ययन करने के उपरांत दोनों सभाओं के लिए दूर नियंत्रण कैमरा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया गया।

नए रोबोटिक कैमरों का संचालन संसद भवन के कमरा संख्या 50 में स्थापित स्टुडियों से दूर नियंत्रण द्वारा किया जाएगा। इन कैमरों से सभा कक्ष के सभी स्थलों तथा उन स्थलों सहित जिन्हें अभी कवर करना कठिन है, को कवर किया जाएगा। इन कैमरों के उपयोग से बहुत अच्छी तस्वीरें मिलने की आशा है।

इन कैमरों का किसी प्रकार की भी निगरानी से कुछ भी लेना देना नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों द्वारा शंका व्यक्त की गई है।

जहां तक सदस्यों की इस टिप्पणी का संबंध है कि रोबोटिक कैमरों को सुन्दर ढंग से नहीं लगाया गया है, मैं यह कहूंगा कि यह कार्य दूरदर्शन ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार के साथ परामर्श करके किया है। तथापि, इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों से दूरदर्शन प्राधिकारियों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार को समुचित तथा व्यवहार्य कार्यवाही के लिए अवगत कराया जा रहा है।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : दूर नियन्त्रण के साथ वे सभा में आना चाहते हैं।

अपराह्न 2.44 बजे

महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गये, अत्याचार के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब कार्य की अगली मद अर्थात् श्री शरद पवार द्वारा पेश किए गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा, लेगी।

श्री राम नाईक : जानकारी के लिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह वाद-विवाद आज पूरा होगा या नहीं। गृह मंत्री कब उत्तर देंगे? यदि हमें समय-सारणी मिल जाती जो हमारे लिए बेहतर हो जाता कि हम सदस्यों को सूचित कर देते ताकि सदस्य वहां आ जाते।

सभापति महोदय : श्री नाईक, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने अध्यक्ष पीठ से स्थिति स्पष्ट करने का मुझे अवसर दिया। इस मुद्दे पर अभी चौदह सदस्यों को बोलना है आज गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है। और अपराह्न 3.30 बजे हम गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा करेंगे। यदि इस बात पर सभा की सहमति होती है कि शेष चौदह सदस्य भी आज ही बोलेंगे तो मेरे विचार से आज माननीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने की कोई संभावना नहीं है।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : सायं 6 बजे के बाद मैं वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : मेरे विचार से तब तक यह सूची पूरी नहीं होगी। चौदह सदस्य सायं 6 बजे तक अपना भाषण पूरा नहीं कर सकते, इस पर सोमवार को फिर चर्चा होगी।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, क्या हम यह मान लें कि माननीय गृह मंत्री सोमवार को उत्तर देंगे?

सभापति महोदय : हां, सोमवार को उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री नारायण आठवले (मुंबई उत्तर-मध्य) : सभापति जी, पिछली जुलाई को मुम्बई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अपमान हुआ। इस अपमान से प्रक्षुब्ध हुए दलित लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई। कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। मैं दलित भाइयों के दु:ख में सहभागी हूं जो मर गए हैं। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो हो गया, वह हो गया। दुख है लेकिन इस घटना के माध्यम से इस सदन में और बाहर भी जो हो रहा है, वह मेरे ख्याल से अधिक दुख और अधिक चिंताजनक है।

[श्री नारायण आठवले]

धर्म के नाम पर देश तोड़ने का प्रयत्न चल रहा व ऐसा कहने वाले सज्जन इस घटना का इस्तेमाल करके समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दुख की बात है कि जिस महाराष्ट्र प्रांत से स्वराज्य संस्थापक छत्रपति महाराज शिवाजी हुए, जिस प्रांत से "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है" का नारा लगाने वाले श्री बाल गंगाधर तिलक हुए, जिस प्रांत से ऊंच-नीच का विरोध करने वाले महात्मा फुले हुए, जिस प्रांत से दलितों को स्वाभिमान दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए तथा जिस प्रांत में आज भी सर्वाधिक समानता और सुव्यवस्था है, उसी प्रांत को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। माननीय सांसद शरद पवार जी ने जो प्रस्ताव सदन के समाने रखा है, उसमें देश में अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख है लेकिन अपना प्रस्ताव रखते समय उन्होंने जो वक्तव्य दिया, इसमें महाराष्ट्र के सिवा कुछ भी नहीं था। जिन विषयों की चर्चा राज्य के मामले जब इस सदन में नहीं हो सकती, उन मामलों को यहां लाने के लिए शरद पवार जी ने अपने प्रस्ताव में देश के अन्य भागों का उल्लेख किया है। दिखाना एक और करना दूसरा, यह उनका स्वभाव है। सारा देश यह जानता है। केवल महाराष्ट्र में ही दलितों की हालत खराब है, ऐसी बात तो नहीं है। दिनांक 18 मार्च को इसी सदन में कल्याण मंत्री गामूवालिया साहब से डा० मुरली मनोहर जोशी जी ने जो सवाल किया था, उसका जवाब देते वक्त जो कुछ संख्याएं बताई हैं, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि गए साल में उत्तर प्रदेश में 14,285, राजस्थान में 5,197, आंध्र प्रदेश में 1,764 और मध्य प्रदेश में 3,979 अत्याचार दलितों पर हुए। बारह लोग गोली से मारे गए तो यह बहुत बड़ा अत्याचार होता है। लेकिन जिस राज्य में एक साल में 14-15 हजार दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उस राज्य की सरकार के बारे में हमारे शरद पवार जी कुछ नहीं बोलते हैं। उनके भाषण में बिहार का उल्लेख नहीं था, उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं था, गुजरात का उल्लेख नहीं था, केवल महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए यह विषय इस सदन के सामने उन्होंने रखा है।

21 मई को मौहर में 12 लोगों को गोली से मार डाला गया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उसका उल्लेख भी शरद पवार जी ने नहीं किया। शरद पवार जी ने बालासाहिब ठाकरे जी के बारे में बहुत कुछ अपने भाषण में बताया है। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि बालासाहिब ठाकरे के शब्द पर गृह मंत्री जी को विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से शरद पवार जी की यह भावना ठीक है, क्योंकि शरद जी ऐसे आदमी है, जिनके ऊपर केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश कोई विश्वास नहीं रखता है। आज महाराष्ट्र में बालासाहिब से मिलने के लिए सभी बुजुर्ग नेता आते हैं। लातूर से आते हैं, सोलापुर से आते हैं, नान्देड से आते हैं, श्रीवर्धन से आते हैं। जो लोग भी शरद पवार जी की राजनीति से हैरान हुए हैं, वे सब लोग बालासाहिब जी से मिलने के लिए आते हैं। आज शरद पवार जी की स्थिति क्या है? विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कई नेता शरद पवार जी से विरोध में शिवसेना भाजपा की मदद कर रहे थे। इस बात को शरद पवार जी भी जानते हैं। चुनाव होने के बाद भी भाजपा और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में प्रस्थापित करने के लिए भी कांग्रेस वालों की मदद की है। उन्हीं लोगों ने महाराष्ट्र में मदद की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सभी राज्यों ने शरद पवार के पक्ष में वोट नहीं दिया। महाराष्ट्र में सभी बुजुर्ग कांग्रेस वालों ने शरद पवार को वोट नहीं दिया और सीताराम केसरी जी का साथ दिया। शरद पवार जी ने अविश्वसनीयता कमाई है, यह इन घटनाओं से पता चलता है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी की यही प्रतिमा है और उनको अविश्वसनीय कथन पर देश विश्वास नहीं करेगा। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, उनको उसका फल जरूर मिलेगा। मुम्बई में रमामाता नगर में पूजनीय बाबासाहिब अम्बेडकर की मूर्ति पर विकृत बुद्धि व्यक्ति ने जूतों की माला डाली। डाक्टर अम्बेडकर का अपमान करने की कोई वजह नहीं थी। न वहां पर शिवसेना दलित झगड़े चल रहे थे और न महाराष्ट्र में भाजपा संघर्ष खड़ा हुआ था। न ही सरकार की तरफ से दलितों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही थी। एकाएक अवमानना की यह घटना हुई और अपने देवतास्वरूप नेता के अपमान से क्षुब्ध होकर दलित रास्ते पर उतरे। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।

इस प्रक्षोभ को शान्त करने के लिए पुलिस वालों ने कुछ प्रयत्न किया, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस की प्रतिभा भी कांग्रेस राज में मलीन हुई है। कांग्रेसी राजनेता की तरह ही पुलिस ने भी अविश्वसनीयता कमाई है। लोग प्रक्षुब्धता नहीं छोड़ते हैं। यह देख कर पुलिस ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार गोलियां चलाई। यह बहुत दुख की बात है। इस गोलीबाजी का मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूं। केवल महाराष्ट्र की सरकार ही देश में ऐसी सरकार नहीं है, जिसने गोली चलाकर लोगों को जवाब दिया है। हर राज्य में पुलिस का लोगों के साथ यही रवैया है। स्वतंत्रता के पूर्व भी यही चलता रहा है। कांग्रेस ने यही यंत्रणा अधिक सक्षम बनाई, अधिक निर्दय बनाई और अधिक अविचारी बनाई। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के समय भी कांग्रेस की सरकार ने ही मुम्बई में 105 लोगों को गोली से मारा था। सीमा आंदोलन के समय कांग्रेस के राज में ही मुम्बई पुलिस 59 शिव सैनिकों को गोली से मार डाला था। महाराष्ट्र में आज अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो रमामाता नगर में आज जितने आदमी मरे हैं, उससे कई ज्यादा आदमी आज मरे होते।

दो साल पहले नागपुर में हुए आदिवासी गोवारी हत्याकांड की स्मृति प्रमोद महाजन जी, राम नाईक जी आदि ने दी है। दुख की बात है, आज भी सरकार बदलने का सवाल उठता है। पोलिसी यंत्रणा की अमानुषता, हृदयशून्यता बदलने का सवाल नहीं उठता है। वैसा कांग्रेस वालों का आग्रह नहीं है। दलितों को स्वतंत्रता के लाभ अभी तक नहीं मिले, इसका विचार नहीं होता है। कई राज्यों में दलितों की स्थिति आज भी गुलाम जैसी है। सत्ताधारी, उच्चवर्गीय धनिक आज भी दलितों को अवमानित कर रहे हैं। दलितों को गांव छोड़ कर शहर भागना पड़ता है। शहरों में भी उनका सुख शांति से रहना मुश्किल होता है। सरकार किसी भी पक्ष की हो, प्रशासकीय यंत्रणा दलितों को, शोषितों को न्याय नहीं देने वाली है।

महोदय, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती को मुख्य मंत्री बनाया, यह एक स्वागत योग्य घटना है। इसमें दिलदारी कितनी, मजबूरी कितनी, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन राष्ट्र समर्थ करना है तो दलितों को दिल से लगाने की बात स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने कई साल पहले की थी। अगर यह बात राष्ट्रवादी शक्तियां मानती तो देश का विभाजन नहीं होता।

महोदय, राज्य सभा में इसी विषय की चर्चा करते समय महाराष्ट्र के एक कांग्रेसी सदस्य ने स्वतंत्र दलितस्तान की बात कही, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा। अगर यह गलत है तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन सत्ता पर फिर से कब्जा करने की कांग्रेसी रणनीति में देश फिर से तोड़ने की योजना तो नहीं है? रमामाता नगर में जो अवमान घटना घटी उसके पीछे जरूर कुछ कुटील, दुष्ट राजकारण है। कांग्रेस ने जिस तरह इस प्रश्न को उठाया है उससे कांग्रेस ही इस घटना के पीछे है ऐसा लगता है। कांग्रेस का दलित प्रेम पुतना के पान्हा जैसा है। अगर ये प्रेम सच्चा होता तो देश में दलित समस्या नहीं रहती। महाराष्ट्र एक महान भूमि है उसको बदनाम करने का प्रयत्न इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने किया है इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। महोदय, शरद पवार जी या और जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को लाए हैं उनमें से कोई भी यहां उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उनके लिए यह बाध्यकारी नहीं है।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : जब एक बार प्रस्ताव पेश हो जाता है....

(*व्यवधान*)

श्री ए॰ सी॰ जोस (इदुक्की) : ये लोग अब भी महसूस करते हैं कि श्री शरद पवार महाराष्ट्र में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है।..
(*व्यवधान*)

सभापति महोदय . कृपया मेरी बात सुनिये।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : एक बार प्रस्ताव पेश हो जाने पर वह सभा का प्रस्ताव हो जाता है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है।

(*व्यवधान*)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपका कहना बिल्कुल सही है कि उन्हें उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है किन्तु कम से कम गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री को अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

सभापति महोदय : कोई मंत्री यहां पर है।

श्री राम नाईक : नहीं, गृह राज्य मंत्री जी कहां है?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि वह इसे नोट कर रहे हैं। मेरे विचार से आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री राम नाईक : यह ध्यान दिए जाने का प्रश्न नहीं है। औचित्य यही है और हम यह समझ सकते हैं कि गृह मंत्री यहा नहीं है। क्योंकि वह व्यस्त है। किन्तु गृह राज्य मंत्री को क्या हुआ? वे चर्चा को इतने मामूली तौर से क्यों ले रहे है?

सभापति महोदय : अत: उचित यही है कि गृह मंत्रालय से किसी भी मंत्री को यहां पर होना चाहिए था।

श्री प्रमथेस मुखर्जी।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : क्षमा करना। हमारे सदस्यों का तर्क यह नहीं है कि वे यहां उपस्थित क्यों नहीं है। उन्हें यह लगता है कि चूंकि प्रस्तावक सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है अत: वे वर्तमान प्रस्ताव को वापस ले लेते और उसके बाद चले जाते। मेरे दल के सदस्यों को ऐसा आभास कराया जा रहा है।

सभापति महोदय : आपने इसका उल्लेख करके ठीक किया है। मैं आपके सदस्यों का आभारी हूं कि वे सतर्क हैं यह अच्छी बात है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चि॰) : महोदय, मुझे इस प्रस्ताव पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपने दल, आर॰ एस॰ पी॰ की ओर से मैं मुम्बई में दलितों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से उत्पन्न स्थिति की भर्त्सना करता हूं। साथ ही साथ, हम तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में, मदुराई जिले में बिहार, उत्तर प्रदेश के अन्य भागों तथा संपूर्ण देश में दलितों पर किये गये अत्याचारों की भर्त्सना करते हैं। हम महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता के घर पर, उसकी संपति और उनके जीवन पर किये गये पाशविक हमले की भी भर्त्सना करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम महाराष्ट्र विधान परिषद् में विपक्ष के नेता, श्री छगन भुजबल के घर पर किये गये हमले की निन्दा करते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

यह लोकतंत्र, संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक संगठित हमला है और हम इसकी निन्दा करते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना .....(*व्यवधान*)

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है-

अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य, श्री प्रमथेस मुखर्जी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : धन्यवाद । अंतत: गणपूति हो ही गई।

सभापति महोदय : आप श्री अनिल बसु तथा अन्य सदस्यों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने अंतत: गणपूर्ति कर ही दी।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं मुम्बई में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की घटना की बात कर रहा था। मुम्बई में 11 जुलाई, 1997 को दलितों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सारे राष्ट्र को आघात पहुंचा है। यह स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में गरीब लोगों के मानवीय और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। दलित जो कि हमारे समाज का सबसे अधिक दमित वर्ग, की अपनी भावनाएं हैं और उनका भी अपना आत्म सम्मान है और डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा अपवित्र करने से उनकी भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई हैं जिससे क्रुद्ध होकर वे डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा अपवित्र किये जाने की अभद्र घटना का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे।

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

महोदय, उस क्षेत्र की स्थिति से मुझे पता चला कि वहां उत्तेजना वाली कोई बात नहीं थी। भीड़ द्वारा हिंसा करने की कोई संभावना नहीं थी इसलिए पुलिस गोलीबारी का कोई औचित्य नहीं है विरोध करना हड़ताल करना, धरना देना आदि भारतीय लोकतंत्र में रहने वाले लोगों का अधिकार है। हम स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न देश में रह रहे हैं और श्रमिक वर्ग के बृहत्तर हित के लिए हमें विरोध करने, हड़ताल करने का अधिकार है। इस अशोभनीय कार्य के विरुद्ध आवाज उठाना उनका अधिकार था। अत: पुलिस द्वारा गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं था। उनके पास कोई घातक हथियार आदि नहीं थे जिससे उस क्षेत्र की कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा होता। अत: पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने का कोई कारण नहीं था। फिर भी, उन पर पुलिस ने गोली चलाई हमने समाचारपत्रों में पढ़ा कि पुलिस ने खड़े होकर गोली चलाई जो पुलिस संहिता अथवा नियमावली के विरुद्ध है, किसी हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस बैठकर या लेटकर गोली चला सकती है, पर वह खड़े होकर कभी गोली नहीं चल सकती। पर वहाँ दलितों पर खड़े होकर गोली चलाई गई जिससे चोटें कमर के ऊपर के भाग में आयी है। चोटें घुटने के नीचे के हिस्से में भी मारी जा सकती थी क्या लोकतंत्रीय व्यवस्था में क्रुद्ध पुलिस का ऐसा ही आचरण होना चाहिए? क्या हिसंक भीड़ को तितर-बितर करने का यही तरीका है? महोदय, यही बात मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं।

हमें सोचना होगा कि पुलिस अधिकारी इतने उत्तेजित कैसे हो गए और उनके मन में इतना गुस्सा भर आया क्यों? किसी ने मुझसे पूछा कि क्या पुलिस अधिकारी हिन्दू था जो वह मुसलमानों को मार रहा था? किसी ने कहा कि हमारे स्वतंत्र राष्ट्र में क्या पुलिस अधिकारी सवर्ण था जो वह निचली जाति के लोगों को मार रहा था? श्रमिक वर्ग के मन में यह प्रश्न है कि पुलिस अधिकारी इतना क्रुद्ध कैसे हो सकता है कि वह इस प्रभुसत्ता संपन्न और स्वतंत्र देश में खड़ा होकर सीधी गोली चलाकर लोगों को मार सकता है? पुलिस को ऐसे करने का कोई अधिकार नहीं है।

कुछ पत्रकारों और स्थानीय लोगों का विचार है कि उच्च पुलिस अधिकारियों के क्रोध और जातिवादी राजनेताओं की मौन स्वीकृति की परिणति के परिणामस्वरूप ही भीड़ पर गोलीबारी चलाई गई। अत: यह हमारे समाज में व्याप्त जाति प्रथा का दुष्परिणाम है। यह महाराष्ट्र के शासक दल की जातिवादी राजनीति का दुष्परिणाम है। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि गत वर्षों में मुम्बई के इतिहास में यह कोई नई घटना नहीं है। गत पांच वर्षों में प्रतिमाओं को अपवित्र किये जाने की 500 से अधिक घटनाएं हुई हैं। ऐसा कैसे होता है? डा० अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं के बीच झगड़े का क्या कारण है? ये दोनों राष्ट्रीय नायक है, राष्ट्र का गौरव हैं। दोनों भारत के इतिहास का गौरव हैं, पर डा० अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं के बीच टकराव कहां उत्पन्न होता है? दो समुदायों के बीच टकराव और तनाव किसने पैदा किया? एक तरफ वो दलित है जो डा० अम्बेडकर की प्रतिमा को भगवान की तरह पूजते हैं और दूसरी ओर शिव सेना के लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को पूजते हैं। यह विवाद तनाव और ये दंगे वस्तुत: मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय रखने को लेकर हुए विवाद से शुरू हुए।

क्या इस सभा में कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, रखते समय गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था जैसा कि लोगों ने मांग की थी, वस्तुत: यह लोगों की मांग ही थी कि इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय रखा जाए किसी ने कहा है कि इसका नाम छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए।

श्री राम नाईक : नहीं, यह सही नहीं है। आपसे ऐसा किसने कहा?

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मेरे माननीय मित्र, राम नाईक जी, मुझे अफसोस है आपकी अनुमति से मैं इस रिपोर्ट में से उद्धरण देता हूं, जो 14 जुलाई, 1997 के 'द पाइनियर' में "सेना आन ट्रायल" शीर्षक से प्रकाशित हुई थी मुझे इसे पढ़ने की अनुमति दी जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : आपको इसे प्रमाणित करना होगा।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : पहले मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लूं। मैं उद्धृत करता हूं :

> "गत पांच वर्षों में प्रतिमाएं अपवित्र किये जाने की 508 घटनाएं दर्ज की गई है। यह संख्या 16 मार्च, 1997 को श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर में बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किये जाने की एक ऐसी ही घटना के पश्चात् मुख्य मंत्री मनोहर जोशी द्वारा एक वक्तव्य में बताई गयी थी। उस घटना से भी तत्काल दंगे भड़के और पुलिस की गोलीबारी में एक आदमी मारा गया और पांच घायल हुए। राज्यों में कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही विशेषकर बी० आर० अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी जैसे नेताओं की प्रतिमाओं की संख्या जो अब लगभग 10,000 हो गई है, के कारण वस्तुत: राजनीति प्रेरित टकराव की गुंजाइश बढ़ गई है। विशेषकर दलितों और शिवसेना के बीच के उस टकराव के पीछे मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बी. आर. अम्बेडकर रखने से उत्पन्न लंबा विवाद ही है।"

यह मेरा निवेदन है। हो सकता है कि यह रिपोर्ट गलत हो। आप इसमें शुद्धि कर सकते हैं आप अपना फैसला दे सकते हैं पर मेरे पास तो यही जानकारी है। इस टकराव की शुरूआत मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर रखे जाने से उत्पन्न विवाद से हुई थी। एक प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं नहीं होने दी जा सकती है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। मैं केन्द्रीय सरकार और संबंधित गृह मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह महाराष्ट्र के मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करें।

महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का आवश्यक कार्य है वह राज्य सरकार का अनिवार्य विषय हैं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि राज्य सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को

नियंत्रण में रखने में पूर्णत: विफल रही है। मैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन या धारा 356 लागू करने की वकालत नहीं करता हूं। किंतु मैं जोर देते हुए यह कह सकता हूं कि यदि सामाजिक परिदृश्य ऐसा है जिसमें डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के बारे में विवाद ऐसा रूप ले ले तो केन्द्रीय सरकार को इसे नियंत्रित करने, इन बातों को समाप्त करने और तनाव के मूल कारण को मिटाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा, मेरा यही निवेदन है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : केन्द्रीय सरकार को फिर क्या करना चाहिए? यदि आप धारा 356 लागू करने की वकालत नहीं करते तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए?

श्री प्रमथेस मुखर्जी : कई बातें हैं... (*व्यवधान*) आप मुझे उन सभी बातों को कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : वह भी भ्रम में हैं इसीलिए वे आप की सलाह ले रहे हैं .... (*व्यवधान*)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं निर्णय करने वाला सक्षम प्राधिकारी नहीं हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं सभा का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुम्बई हमारे देश की वित्तीय राजधानी है, मेरे विचार से सम्पूर्ण देश की प्रगति मुम्बई में अमन-चैन पर निर्भर करती है, यदि मुम्बई में अमन-चैन नहीं होगा तो देश की प्रगति रूक जाएगी। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज यहां चर्चा की जानी चाहिए।

हम पाकिस्तान में कराची के इतिहास और वहां के हालात से परिचित हैं। कराची में जातीय और साप्रंदायिक झड़पें होती रहती हैं कराची पाकिस्तान का उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है हम मुम्बई को भारत का कराची नहीं बनने देंगे।

मैं बोस्निया और हर्जेगोविना का इतिहास जानता हूं। सांप्रदायिक और जातीय दंगे हो रहे हैं और हमारा सम्पूर्ण इतिहास दूसरे रूप में पुन: लिखा जा रहा है। इस शताब्दी में युगोस्लाविया और पूर्वी यूरोप के देशों के कुछ भागों के इतिहास का अर्थ यही है। हम भारत अथवा मुम्बई को बोस्निया-हर्जेगोविना बनने नहीं दे सकते हैं।

प्रतिमाओं की संख्या कुकरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है परन्तु इसके साथ एक सामाजिक परिदृश्य भी जुड़ा हुआ है और वह है काले धन का प्रभाव। क्या इस बात से कोई इंकार कर सकता है कि आज मुम्बई के लोगों के जीवन को खाड़ी की अर्थव्यवस्था प्रभावित कर रही है। खाड़ी के देशों में इस प्रकार का कारोबार करने से कुछ लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक वैध अथवा अवैध है? यह एक अलग प्रश्न है। परन्तु मैंने मुम्बई जाने वाले संसदीय दल के नेता के रूप में इस बात को अनुभव किया है कि मुम्बई के लोगों के जीवन पर खाड़ी की अर्थव्यवस्था का कितना प्रभाव है जो कई बातों का निर्धारण करता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि मुम्बई के राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर काले धन और अपराध जगत का प्रभाव है। क्या महाराष्ट्र राज्य की सरकार महाराष्ट्र के लोगों के राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर खाड़ी के धन और अपराध जगत के प्रभाव को अकेले ही नियंत्रित करने में सक्षम है? ऐसा नहीं है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि राजनेताओं, अपराध जगत और माफिया के लोगों के बीच आपस में सांठ-गांठ है। यह तो समाजशास्त्री और राजनीति-शास्त्री ही बताएंगे। परन्तु इस सदन के सदस्य के रूप में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुम्बई का सार्वजनिक जीवन जोकि शांति प्रिय और विकासशील जीवन है, अपराध जगत, काले धन और खाड़ी से आने वाले धन के दुष्प्रभावों के कारण दूषित हो रहा है।

सभापति महोदय : हम यहां अपराध जगत की चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : इसका प्रभाव इस प्रतिभा के विवादास्पद मुद्दे जैसे विवादास्पद मुद्दों पर पड़ता है।

मैं अपने पुराने मित्र, श्री जी॰एम॰ बनातवाला से एक बढ़िया कहानी सुन रहा था। मैं उनसे सुन रहा था-तब वह महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे- कि किस प्रकार उस समय के कांग्रेस के मुख्य मंत्री की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष स्वीकृति से शिव सेना का सृजन हुआ था। इस प्रकार यह समाज के पूंजीवादी ढांचे द्वारा किया गया सृजन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमें अपना पक्षपातपूर्ण रवैया भुलाना होगा। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि सम्पूर्ण भारतवर्ष की सफलता और विकास मुम्बई की शांतिप्रिय और विकासशील अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अत: मुम्बई के जीवन में तत्काल अमन चैन बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोनों समूहों के बीच के सामाजिक अवरोधों और आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। मैंने बांद्रा स्टेशन क्षेत्र की गंदी बस्तियों को देखा है। मैंने इस बारे में सदन में शिवं सेना के नेता श्री मधुकर सरपोतदार से बात की।

वहां जहां एक तरफ पूंजीवाद, आधुनिकता और आकाश को छूने वाले भवनों के रूप में असमान विकास हुआ है वहीं दूसरी तरफ लोग बेघर हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को बेघर लोगों के लिए पर्याप्त सहायता राशि देनी होगी। इससे पता चलता है कि वहां पूंजीवाद और आधुनिकता का असमान विकास हो रहा है। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे आर्थिक असमानता भी एक कारण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश की सफलता और आर्थिक विकास, मुम्बई के शांत व स्थिर सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर निर्भर करता है, केन्द्रीय सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : हुजूर चेयनमैन साहब, यह हालात की इंतहाई सितम ज़रीफी है और बेहद दुख है, दर्द है और कर्ब है कि एक तरफ तो यह एक बजानिब तैयारियां हो रही थी कि हमारे समाज के सबसे पस्त तबके के फर्द को सदरे-जम्हूरिया बनाया जाए और दूसरी तरफ मुम्बई, महाराष्ट्र के अंदर दलितों को सरकारी

[श्री जी॰ एम॰ बनातवाला]

जुल्म-व-सितम का निशाना बनाया जा रहा था। यह एक जबरदस्त ट्रेजेडी है। डा. अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, कम है। हर तरफ से इसकी मजम्मत और तकरीबन हर एक ने इसकी मजम्मत की है। लेकिन जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। चंद ही दिनों में हम आजादी का जश्ने जरीं, गोल्डन जुबली, 50वें साल का मुकम्मल होना मनाने वाले हैं। लेकिन इस गोल्डन जुबली के वक्त भी यह हालत है, यह कैफियत है कि हमारे दलित भाई खड़े फरियाद कर रहे हैं-

क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाये थे तिनके,

बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे।

यह एक हकीकत है कि बहीमाना तौर पर फायरिंग की गई। चेयरमैन साहब, शुरू में इब्तदा में तो पुलिस बहुत ही गाफिल रही और लापरवाही का सबूत उसने दिया। जैसा कि बतलाया जा चुका है कि डा॰ अम्बेडकर के मजस्समे के बहुत ही करीब, मुश्किल से सौ मीटर के फासले पर पुलिस चौकी थी। लेकिन हम बेहुरमती को वह देख नहीं पाये, उससे बेखबर रहे और जब इसकी खबर और इत्तिला उनको पहुंचायी गयी तो कितना वक्त इसी में बरबाद किया गया और कीमती वक्त जाया किया गया कि कोई पंचनामा होगा या नहीं। नतीजे के तौर पर हीजान बढ़ता रहा, टेंशन बढ़ती रही। एस॰ आर॰ पी॰ की वैन्स पर वैन्स आती रहीं और जब एस॰ आर॰ पी॰ भी पूरी तादाद के अंदर वहां पहुंच गई तो बहीमाना तौर पर फायरिंग की गई। मैं इन वाकयात की तरफ जाना नहीं चाहता, चूंकि यह वाकया मुख्तलिफ मैम्बरान, इस ईवान के मैम्बरान रख चुके हैं। लेकिन यह फायरिंग दलित बस्तियों की तरफ रुख करके किस कदर बहीमाना हुई है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक बेचारी बूढी औरत, दलित खातून थी और सात-सात गोलियां उसके जिस्म के ऊपर पेवस्त हो गईं। ऐसा मालूम होता था जैसे कि एम॰ आर॰ पी॰ की सात-सात राइफलें इस बूढ़ी दलित खातून के ऊपर तनी हुई हैं, छाई हुई हैं। यह फायरिंग इतनी बहीमाना और इतनी वहशियाना है कि खुद एक डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस ने इसके प्रोटेस्ट और उसके एहतेजाज में इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटेरिएट का एक मुलाजिम था, उसने भी अपना काम इस फरियाद में छोड़ा है। आज ऐसी हालत है लेकिन जहां पुलिस इतनी बहिमाना फायरिंग बेचारे दलितों पर कर रही थी, दूसरी तरफ यही पुलिस साइलैंट स्पैक्टेटर बनी हुई थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी जब महाराष्ट्र की लैजिस्लेटिव कौंसिल के लीडर आफ अपोजीशन के घर पर हमला हुआ। जैसा बताया जा चुका है उनका घर हाई सिक्योरिटी एरिया में प्रोटैक्टिड एरिया में है, पहले से इत्तिला थी कि हमले होंगे, इसलिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स पूरी तादाद में वहां मौजूद थी, लेकिन जब हमला हुआ, उस वक्त पुलिस खामोश रही। खुद होम मिनिस्टर साहब ने यहां आकर बतलाया है, वजीर-ए-दाखला श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यहां बतलाया कि हमला करने वालों के तैवर इतने कड़े थे कि अगर उनको भुजबल, लीडर आफ अपोजीशन मिल जाते तो न जाने क्या होता, वे जिन्दा रहते कि नहीं रहते। उनका यह बयान इवान के सामने आ चुका है। खुद शिवसेना के अखबार ने भी कैप्शन लगाकर कह दिया कि फर्नीचर जलाया गया, क्योंकि भुजबल नहीं मिले, लीडर ऑफ अपोजीशन नहीं मिले, इसी बात का अफसोस इजहार करते हुए कि वे नहीं मिले, उनका फर्नीचर जला दिया गया। यह आलम है, यह कैफियत है।

लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, जिस वक्त यहां बहस हो रही है, मेरा दिल दुखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि हम यहां पोलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बैठे हुए हैं। चेयरमैन साहब, यहां किस किस्म की बहस रही है- एक उठकर कहता है कि तुमने इतने मारे, दूसरा कहता है कि जब तुम्हारा राज था तो तुमने इतने मारे, अभी हमारा आंकड़ा इतना नहीं पहुंचा है- यानी इंसानी जान की यह कीमत और बहस का यह अंदाज ? हर जान बेहद कीमती है .....(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : जब महाराष्ट्र में बम-विस्फोट हुआ.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ये मानने वाले नहीं हैं।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मैं तो अपनी बात अवश्य कहूंगा।

सभापति महोदय : ये झुकने को तैयार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : प्रमोद महाजन साहब भी यहां कह रहे थे....(*व्यवधान*)

यह दूसरा अंदाज है किसी को अपनी बात पेश न करने देना....(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं उन्हें याद दिला रहा हूं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : उन्हें याद है।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, ऐसी छींटाकशी वांछनीय नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए..(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : प्रमोद महाजन जी ने भी कहा था कि सलमान रुशदी की किताब के ऊपर बैन लगाओ। जब पीसफुल प्रोसैशन, निहत्था प्रोसैशन चल रहा था, उसके ऊपर भी वहशियाना गोलियां चलीं और कितने ही मार दिए गए । सही बात है कि हमारा खून हर राज के अंदर बहता रहा है। आज ऐसा मालूम होता है कि वह खून इसलिए नहीं बहता रहा कि उनके साथ इंसाफ हो, बल्कि इसलिए कि जब जरूरत पड़े तो ये सब मिलकर अपने राजनैतिक हिसाब-किताब उसके हवाले देकर चुकाते रहें। इससे ज्यादा ऐसा मालूम होता है कि हमारी कोई कीमत नहीं - यह एक हकीकत है।

कल ही एक आनरेबल मैम्बर कह रहे थे और उनको अफसोस था कि बनातवाला जी यहां नहीं हैं, दो मर्तबा कहा गया था कि बनातवाला जी नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर आफिस में खड़ा सब सुन रहा था और यह हकीकत है कि कितनी ही जगह हमारा खून बहा है, कितनी ही जगह लाशें गिरी हैं - यह हकीकत है।

आज तक, मेरठ के पास मलियाना में जो मामला हुआ, उसे दस साल गुजर चुके हैं लेकिन कोई इंसाफ नहीं। कोई इंसाफ नहीं। यह एक हकीकत है। मुख्तलिफ पार्टी की हुकूमत यू॰ पी॰ के अंदर आई, लेकिन किसी ने इंसाफ नहीं किया। यह तो एक हकीकत है। अब मैं क्या करूं। किसी एफीडेविट का जिक्र किया जा रहा है।

کیفیت ہے۔

لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، جس وقت یہاں بحث ہو رہی ہے، میرا دل دکھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین صاحب یہاں کس قسم کی بحث ہو رہی ہے۔ ایک اٹھ کر کہتا ہے کہ تم نے اتنے مارے، دوسرا کہتا ہے کہ جب تمہارا راج تھا تو تم نے اتنے مارے، ابھی ہمارا آنکڑا نہیں پہنچا ہے۔ یعنی انسانی جان کی یہ قیمت اور بحث کا یہ انداز؟ ہر جان بے حد قیمتی ہے۔۔۔۔(مداخلت)

شری انت گنگارام گیتا (رتن گیری): جب مہاراشٹر میں بم دھماکہ ہوا۔۔۔(مداخلت)

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

SHRI G.M.BANATWALLA: I am not yielding

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

شری جی۔ایم۔ بنات والا: پرمود مہاجن صاحب بھی یہاں کہہ رہے تھے۔۔۔۔۔(مداخلت) یہ دوسرا انداز ہے کسی کو اپنی بات پیش نہ کرنے دینا۔۔۔۔۔(مداخلت)

شری انت گنگارام گیتا (رتن گیری): میں انہیں یاد دلا رہا ہوں۔۔۔(مداخلت)

چیرمین صاحب: انہیں یاد ہے۔۔۔۔(مداخلت)

SHRI PRITHVIRAJ D. CHAUHAN: Sir, this aspersion is not called for. It should be taken out of the redcord.

شری جی۔ایم۔ بنات والا: پرمود مہاجن جی نے بھی کہا تھا کہ سلمان رشدی کی کتاب کے اوپر پابندی لگاؤ، جب پیس کمیٹی، میتا پروسیشن، میتا پروسیشن چل رہا تھا، اس کے اوپر بھی وحشیانہ گولیاں چلیں اور کتنے ہی مار دیے گئے۔ صحیح بات ہے کہ ہمارا خون ہر راج کے اندر بہتا رہا ہے۔ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خون اس لئے نہیں بہتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ بلکہ اس لئے کہ جب ضرورت پڑے تو یہ سب مل کر اپنے سیاسی حساب کتاب اس کے حوالے دے کر چکاتے رہیں۔ اس سے زیادہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قیمت نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔

کل ہی ایک آنریبل ممبر کہہ رہے تھے اور ان کو افسوس تھا کہ بنات والا جی یہاں نہیں ہیں، دو مرتبہ کہا گیا کہ بنات والا جی نہیں ہیں۔ میں پرائم منسٹر آفس میں کھڑا سب سن رہا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ کتنی ہی جگہ خون بہا ہے، کتنی ہی جگہ لاشیں گری ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔

آج تک، میرٹھ کے پاس ملیانہ میں جو معاملہ ہوا، اسے دس سال گذر چکے ہیں لیکن کوئی انصاف نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مختلف پارٹی کی حکومت یوپی کے اندر آئیں، لیکن کسی نے انصاف نہیں کیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب میں کیا کروں۔ کسی حلف نامہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

شری جی ایم بنات والا (پونانی): حضور چیئرمین صاحب، یہ حالت کی انتہائی ستم ظریفی ہے اور بے حد دکھ ہے، درد ہے اور کرب ہے کہ ایک طرف تو یہ حق بجانب تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ہمارے سماج کے سب سے پست طبقے کے فرد کو صدر جمہور یہ بنایا جائے اور دوسری طرف ممبئی مہاراشٹر کے اندر دلتوں کو سرکاری ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ ایک زبردست ٹریجڈی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہر طرف سے اس کی مذمت اور تقریباً ہر ایک نے اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ چند ہی دنوں میں ہم آزادی کا جشن زرّیں، گولڈن جوبلی، پچاسویں سال کا مکمل ہونا منانے والے ہیں۔ لیکن اس گولڈن جوبلی کے وقت بھی یہ حالات ہیں، یہ کیفیت ہے کہ ہمارا دلت بھائی کھڑا فریاد کر رہا ہے ؎

کیا اس لئے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے
بن جائے نشیمن تو وئی آگ لگا دے

یہ ایک حقیقت ہے کہ بہیانہ طور پر فائرنگ کی گئی۔ چیئرمین صاحب شروع میں ابتداء میں تو پولس بہت ہی غافل رہی اور لاپرواہی کا ثبوت اس نے دیا۔ جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کے بہت ہی قریب مشکل سے سو میٹر کے فاصلے پر پولس چوکی تھی۔ لیکن اس بے حرمتی کو وہ دیکھ نہیں پائے، اس سے بے خبر رہے اور جب اس کی خبر اور اطلاع ان کو پہنچائی گئی تو کتنا وقت اسی میں برباد ہو یا اور قیمتی وقت اس میں ضائع کیا گیا کہ کوئی پنچنامہ ہو گا یا نہیں۔ نتیجے کے طور پر ہیجان بڑھتا رہا، ٹینشن بڑھتی رہی۔ S.R.P کی وینس پر وینس آتی رہیں اور جب S.R.P بھی پوری تعداد کے اندر وہاں پہنچ گئی تو بہیانہ طور پر فائرنگ کی گئی۔ میں ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا، چونکہ یہ واقع مختلف ممبران، اس ایوان کے ممبران رکھ چکے ہیں۔ لیکن یہ فائرنگ دلت بستیوں کی طرف رُخ کر کے کس قدر بہیانہ ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک بے چاری بوڑھی عورت، دلت خاتون اور سات سات رائفلیں اس بوڑھی دلت خاتون کے اوپر تنی ہوئی ہیں، چھائی ہوئی ہیں، یہ فائرنگ اتنی بہیانہ اور اتنی وحشیانہ ہے کہ خود ایک ڈپٹی کمشنر آف پولس نے اس کے پروٹیسٹ اور اس کے احتجاج میں استعفیٰ دے دیا سیکریٹریٹ کا ایک ملازم تھا اس نے بھی اپنا کام اس فریاد میں چھوڑا ہے۔ آج ایسی حالت ہے لیکن جہاں پولس اتنی بہیانہ فائرنگ بے چارے دلتوں پر کر رہی تھی، دوسری طرف یہی پولس سائلینٹ اسپیکٹیٹر بنی ہوئی تھی، خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ جب مہاراشٹر کی لجسلیٹو اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن کے گھر پر حملہ ہوا۔ جیسا بتایا جا چکا ہے ان کا گھر ہائی سیکوریٹی ایریا میں ہے، پہلے سے اطلاع تھی کہ حملے ہوئے، پولس اور سیکوریٹی فورس پوری تعداد میں وہاں موجود تھی، لیکن جب حملہ ہوا اس وقت پولس خاموش رہی۔ خود ہوم منسٹر صاحب نے یہاں آکر بتلایا ہے وزیر خارجہ شری اندر جیت گپت نے یہاں آکر بتلایا کہ حملہ رنے والوں کے تیور اتنے کڑے تھے کہ اگر ان کو بھجل، لیڈر آف اپوزیشن مل جاتے تو نہ جانے کیا ہوتا، وہ زندہ رہتے کہ نہیں رہتے۔ ان کا ای بیان ایوان کے سامنے آچکا ہے ہے۔ خود شیو سینا کے اخبار نے بھی کیپشن لگا کر کہدیا کہ فرنیچر جلایا گیا، بھجل نہیں ملے، لیڈر آف اپوزیشن نہیں ملے اسی بات کا افسوس اظہار کرتے ہوئے کہ وہ نہیں ملے، ان کا فرنیچر جلادیا۔ یہ عالم ہے، یہ

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस समय अपराह्न के 3.30 बजे हैं। कृपया इस विषय पर अगले सोमवार को चर्चा जारी रखें। अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 31 जुलाई, 1997 को सभा में पेश किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 31 जुलाई, 1997 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32½ बजे

अवैध आप्रवासियों के संबंध में संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जगत वीर सिंह द्रोण द्वारा अवैध आप्रवासियों के संबंध में पेश किये गये संकल्प जो कि विचाराधीन है, पर विचार पुन: आरंभ करने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए 6 घंटे 20 मिनट नियत किये गये थे जबकि इस पर 6 घंटे 32 मिनट पहले ही लग चुके हैं।

सभा को अब इस संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना है। क्या सभा इस संकल्प के लिए समय आधा घंटा और बढ़ाने की अनुमति देती है?

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : समय केवल आधा घंटा बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : अब समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है। श्री अमर राय प्रधान अनुपस्थित हैं। अब श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलें।

अपराह्न 3.33 बजे

(श्री पी० सी० चाको *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले द्रोण साहब को अपनी अंतरात्मा से बधाई देना चाहता हूं कि वे बहुत सुंदर प्रस्ताव इस सदन के सामने लाए हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह "सभा 1975 से देश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध आप्रवासन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।" इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हिन्दू-मुस्लिम की बात हो, बंगाली या असमी की बात हो। यानी जो लोग भारत सरकार की बिना परमीशन के, बिना भारत सरकार की मान्यता के, भारत की सीमा में घुस आए हैं, उनके बारे में बात कही गई है। इसमें आगे कहा गया है कि "यह सभा सिफारिश करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें उनके मूल देश को विवासित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।" यानी उनको हाथ जोड़कर, अभिवादन कर के, वे जहां-जहां से भी यहां पधारे हैं, वहां चले जाएं। यह इस प्रस्ताव की भावना है। उनको पिंजरे में बंद करके, या जाल में फंसाकर यहां से बाहर छोड़ दिया जाए, ऐसी इसकी भावना नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि 95 करोड़ की आबादी पहले से ही इस देश में है। रोजगार के साधन कम हैं। लोगों का जीवनस्तर नीचा है। लोगों का जीवन स्तर कम है और सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। ढाई करोड़ के करीब दूसरे देश के लोग इस पवित्र भारत भूमि पर आकर बस गए हैं इसलिए यह राजनीति से प्रेरित मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रभक्ति का राष्ट्रीय मुद्दा है। इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों को एक स्वर से और एक आत्मा से इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

यहां पर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी बंगलादेश की तरफ से लोग आए हैं। यदि हम इतिहास उठाकर देखें, अपने अड़ोसी-पड़ोसी को देखें, यहां तक कि यदि पाकिस्तान को भी देखें, वे सरकारें सतर्क हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उनकी भूमि पर आकर बस नहीं सकता।

यहां पर माननीय द्रोण साहब ने कानपुर की बात कही होगी, और भी बहुत बातें कहीं हैं। मैं जयपुर शहर के बारे में कह सकता हूं कि जब मैं यू० आर० टी० का चेयरमैन था तो जो भूमि मैंने जयपुर शहर में तलवार योजना के नाम पर एक्वायर की, आज वहां पर लाखों झुग्गी-झोंपड़ियां बस गई हैं, पीने के पानी का इंतजाम भी हो गया है, लाइट भी लग गई है और उनके राशन कार्ड भी बन गए हैं। राशन कार्ड बन जाने के कारण वे लोग राशन भी भारत से ही ले रहे हैं। यही नहीं, उन लोगों का नाम मतदाता सूची में भी शामिल हो गया है। जब हम वोट के नाते उनके पास जाते हैं तो उनकी मर्जी है कि वे हमें वोट दें या नहीं दें। लेकिन यदि हम यहां पर विरोध करते हैं तो वह खबर वहां पहुंच जाती है। फिर कहते हैं कि भार्गव साहब, आपके वहां पर द्रोण साहब और रासा सिंह जी विरोध कर रहे थे। मैं समझता हूं कि यह एक चिन्ता की बात है। इसलिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो लोग भारत भूमि पर आकर बस गए हैं, उनके राशन कार्ड बन गए हैं, मतदाता सूची में नाम लिखे गए हैं, उनको रोजगार मिल गया है और जो सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है, ऐसे लोगों को सम्मानपूर्वक हम उनके देश में वापिस भेजें। जनसंख्या का संतुलन भी बिगड़ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह समस्या 1971 से प्रारंभ हुई।

मैं आसाम के बारे में कहना चाहूंगा। विधान सभा में 126 सीटें है जिनमें से 48 सीटें सीमा पर है। सीमा पर होने के कारण वे लोग वहां पर आ गए और वोटर्स लिस्ट को उन्होंने अपने कब्जों में कर लिया। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में 294 हैं जिनमें से 62 अवैध रूप से घुस आए हैं। ये लोग भारत से चीनी, दाल, मसाले, मिटटी के तेल को बाहर

भेजते हैं और विदेशों से, जहां से ये आए हैं, इलैक्ट्रानिक गुड्स, चांदी, सोना और अवैध हथियार तक मंगाते हैं। इस संबंध में सरकार विचार करे। आज ये पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार में आ गए हैं, बिहार से कई लोग दिल्ली में आ गए हैं और दिल्ली में जैसा मुझे बताया गया है, उन बस्तियों के नाम- सीलमपुर, सीमापुरी, आजाद मार्किट, निजामुद्दीन, जंगपुरा, सादिक नगर, सराय रोहिल्ला, जामा मस्जिद आदि हैं इन जगहों पर बंगाल से, आसाम से, भूटान से लोग आए हैं और यहां आकर इन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी बस्तियां भी बसा ली हैं, व्यापार भी इनके हाथ में चला गया है। यही नहीं, इनके बंगाल में तो एक मुहाजिर संघ है। उसने पत्रकार सम्मेलन किया। उसके बाद प्रैस में वक्तव्य दिया और कहा कि हम लड़कर भारत की नागरिकता लेंगे। बंगलादेश के लोगों ने भारतवर्ष की नागरिकता लेने के लिए संघर्ष किया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। प्रैस कांफ्रेस हो रही थी, अखबार वालों ने नहीं पूछा, औरों ने भी बात नहीं पूछी। मेरा निवेदन है कि आज वे नागरिकता लेने के बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों ने इसे भी राजनैतिक प्रश्न बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ के रूप में थी, हम शुरू से देखते आए हैं, उन्होंने कहा था कि विदेशी नागरिकता यहां पर नहीं चलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी सन् 1992 में भोपाल में जो अधिवेशन हुआ था, उस भोपाल के अधिवेशन में यह कहा था कि जो विदेशी नागरिक यहां पर आ गये हैं, हम यहां से उनको हटाएंगे, यहां से उनको ससम्मान वापस अपने-अपने स्थानों पर भेजेंगे। लेकिन अन्य दलों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी शासन में है ही नहीं। अब लोग जरूर कहते हैं कि अगर अब की बार चुनाव हो गये तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आ जायेगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे। अब कब चुनाव होंगे और कब जाकर हम बहुमत में आयेंगे, वह तो अभी बहुत दूर है, लेकिन इस प्रश्न पर भी लोगों ने सहयोग नहीं किया। दूसरे राजनैतिक दलों ने कहा कि बी॰ जे॰ पी॰ जो बात कहती है, उस बात को नहीं मानो।

पश्चिम बंगाल में भी जो राजनैतिक दल 20 वर्ष से शासन कर रहा है, वहां भी उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया और उनकी मदद से वे लोग 20 साल से राज कर रहे हैं। इसी प्रकार से घुसपैठियों के कारण बिहार की स्थिति भी खराब हो गई है और यह केवल राजनैतिक समस्या नहीं है, यह देश की प्रमुख समस्या है। मेरा इस संबंध में ज्यादा समय लेकर निवेदन करना यह है कि इनकी पहचान होनी चाहिए और पहचान आसानी से हो सकती है। जैसे किसी मौहल्ले या गांव में इस प्रकार का कोई व्यक्ति जाकर रह रहा है तो उनके खान-पान से, पहनावे से उसको हम पहचान सकते हैं। पुलिस और राज्य सरकार का यदि कोई ऐसा विभाग है तो उस विभाग को सूचना दे दें कि इस प्रकार का अपरिचित व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हमारे मौहल्ले में आकर रह रहा है तो उसकी पहचान होनी चाहिए। यदि प्रोपर सूचना मिल गई तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस ओर प्रयास करना चाहिए।

इसी प्रकार से यहां पर नागरिकता के रजिस्टर का निर्माण हुआ ही नहीं है और आज कोई भी व्यक्ति भारत आये और बाहर का व्यक्ति आकर अपना नाम लिखा देता है, वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा लेता है। वोटर लिस्ट में जिस समय नाम भी जुड़ें तो प्रामाणिकता के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना बहुत जरूरी है, वरना जिस किसी के मन में आया, जब वोटर लिस्ट का रिवीजन हो, जैसा भारत सरकार के किसी मंत्री ने और भारत के निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा तो कोई भी व्यक्ति चला गया और रिवीजन में नाम लिखा लिया और नाम लिखा लेने से भारत का नागरिक बन गया, इसलिए नागरिकता का रजिस्टर होना भी बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से सीमा पर हम चले गये, आगे समुद्र के रास्ते चले गये, पहाड़ के रास्ते चले गये, तो इस संबंध में भी रोक-टोक होनी बहुत जरूरी है। आज कश्मीर में आंतकवादियों का आना-जाना बराबर बना हुआ है, राजस्थान में बाड़मेर के रास्ते से वे आते जाते हैं और गुजरात में भी कच्छ के रास्ते से जो व्यक्ति आया, वह कभी नहीं गया, इन सारी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

अन्त में मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यदि किसी का घर खुला हुआ है, आपका निजी घर खुला हुआ है तो कोई व्यक्ति आयेगा, बैठेगा, उठेगा, पानी पियेगा, खायेगा, आपका सामान उठाकर ले जायेगा और यदि हमने अपने घर पर ध्यान नहीं दिया तो वह व्यक्ति हमारे मकान पर कब्जा भी कर सकता है। वह कहेगा, मेरा मकान है, ईच मेंस राइट है, मैं तो 20-22 साल से यहां पर आ रहा हूं, जा रहा हूं, रोटी खा रहा हूं, सो रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा जो बड़ा घर है, जो भारत-माता है इस संबंध में भी राज्य सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार पी॰ आई॰ एफ॰ और एन॰ टी॰ एफ॰ के लोगों पर जो धनराशि खर्च कर रही है, मैं समझता हूं कि वह बेकार गई है। वे लोग चौकीदारी का काम करते हैं और बड़े-बड़े अधिकारियों के घर पर जाकर काम करके केन्द्रीय सरकार से वेतन ले लेते हैं, वे भी सक्रिय नहीं है। इसलिए इन सारी बातों पर विचार करें तो किसी भी देश का, अड़ोस-पड़ोस का मंत्री यदि हमारे यहां पर आता है, पिछले दिनों बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती खालिदा बेगम यहां पर आई थी और उन्होंने कहा था कि यह समस्या तो बंगाली और आसामी लोगों की है, इस देश की भारत की सरकार पर भी सारा कुछ निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो संयुक्त मोर्चा की भारत सरकार बनी है; उसको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह 15 पार्टियों को मिलाकर बन गई है, उसको भी अपना थोड़ा सा सामर्थ्य दिखाना चाहिए। सामर्थ्य दिखाकर इस प्रकार के जो लोग बंगाल में आ गये हैं, आसाम में आ गये हैं, भूटान के आ गये हैं, उन सब को नागरिकता नहीं देकर और जो सहूलियत उनको मिली हुई है, इस संबंध में विचार करके उन सबको ससम्मान हमको बाहर भेजना चाहिए।

यही निवेदन करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। द्रोण साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि जो सन् 1975 के बाद देश में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से लोग आये हैं, इस संबंध में विचार करें।

मैं द्रोण साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब इस संकल्प पर चर्चा के लिए केवल पन्द्रह मिनट बचे हैं। यदि सदस्य सहमत हों, तो मैं मंत्री महोदय से हस्तक्षेप करने के लिए कहूंगा और संकल्प पेश करने वाला सदस्य इसका उत्तर देगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : सभापति जी, प्राइवेट मेम्बर्स रिजोल्यूशन महत्व का है। कुछ सदस्य और बोलना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं। यह बात सही है कि यह प्राइवेट मैम्बर्स रिजोल्यूशन है, लेकिन विषय राष्ट्रीय है, समस्या गंभीर और गहन है। कुछ समय बढ़ा दिया जाये जिससे हम लोग भी अपने विचार रख सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सत्यदेव सिंह, आपका नाम अध्यक्ष की सूची में है। बात केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही नौ सदस्यों ने इस संकल्प पर वाद-विवाद में भाग लिया है। मैं समझता हूं सारे मुद्दे इस सभा के समक्ष रख दिए गये हैं। इसलिए यदि आप सभी सहमत हों तो मैं माननीय मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए कहूंगा। अन्यथा हमें समय और बढ़ाना होगा।

श्री सत्य देव सिंह : सभापति महोदय, हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह किसी दल का प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है।

श्री सत्य देव सिंह : यह दलीय स्तर से ऊपर का मामला है। अत: मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प के लिए कुछ और समय दिया जाये क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण और निर्णायक संकल्प है और वह भी तब जबकि हम अपनी स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इतने विस्तार में मत जाइये। समस्या यह है कि यदि आप किसी समय-सारणी का अनुपालन किये बिना आप ऐसा करेंगे तो इसे पूरा करना मुश्किल हो जायेगा। आप जानते हैं एक ही विषय पर कितने दिनों से चर्चा चल रही है। शुरू में इस संकल्प पर चर्चा के लिए दो घंटे नियत किए गये थे किन्तु हम पहले ही सात घंटे ले चुके हैं और यह अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद भी यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो यह चर्चा कभी समाप्त ही नहीं होगी।

यदि आप इस पर जोर दे रहे हैं, तो में आपको इसमें भाग लेने की अनुमति दूंगा। अन्यथा मैं माननीय मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए कहूंगा।

श्री सत्य देव सिंह : महोदय, कृपया मुझे कुछ मिनट दीजिये।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, ऐसे अन्य संकल्प भी है जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री सत्येदव सिंह : मैं मानता हूं कि दूसरे संकल्प महत्वपूर्ण है मेरा यह मुद्दा नहीं है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : स्पष्टतया, सभा के एक वर्ग के अधिकांश लोग बोल रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है किन्तु सभी विचार और दृष्टिकोण आ चुके हैं। किन्तु अब केवल पुनरावृति हो रही है। अत: अब अन्य संकल्पों पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। 15 मिनट और हैं, मैं सोचता हूं, माननीय मंत्री और संकल्प पेश करने वाले सदस्य दोनों इस समय-सीमा के भीतर समाप्त कर सकते हैं और तब हम अगली मद पेश कर सकते हैं।

डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी) : महोदय, मैंने भी इस संकल्प पर चर्चा में भाग लेने का अनुरोध किया है।

सभापति महोदय : आपका नाम अभी प्राप्त हुआ है। यह ठीक तरीका नहीं है, हम पिछले तीन शुक्रवारों से इसी संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। आपने अपना अनुरोध अभी भेजा है। मैं आज और पर्चिया नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। अपराह्न 3.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होता है। यदि अगला संकल्प है तो इसे पेश करना होगा। एक बार पेश किए जाने पर वह कायम रहता है। इस तरह से इस संकल्प के लिए कुछ समय बढ़ाया जाना चाहिये ताकि तीन या चार वक्ता जो अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस पर बोलने का अवसर मिल सकें और माननीय मंत्री तब हस्तक्षेप कर सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या सभा इससे सहमत है कि इसके लिये समय बढ़ाया जाये और वक्ताओं की सूची में शामिल सभी सदस्यों को बोलने दिया जाये?

कई माननीय सदस्य : हां, महोदय।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदय, इस पर चर्चा के लिए आधे घंटे और दिये जा सकते हैं। इसलिए इस पर चर्चा के लिए 45 मिनट और होंगे।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण, इतना समय काफी है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : किंतु अन्य संकल्पों को भी लिया जाना है और उन पर चर्चा की जानी है।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : अन्य संकल्पों के लिए, हो सकता है अधिक वक्ता बोलने वाले न हों।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : सभापति महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के संबंध में हम एक वर्ष में दो या तीन से अधिक संकल्प नहीं ले पाते हैं। एक संकल्प दो सत्रों तक चलता है। जब तक हम किसी समय-सीमा का पालन नहीं करते, तब तक इस के लिए आबंटित समय के भीतर चर्चा पूरी करना संभव नहीं है। हम लोगों में कुछ तालमेल होना चाहिए और ऐसे संकल्पों को दो घंटे की समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि हम अगली मद को ले सकें।

सभापति महोदय : हमें इस पर अगले आधे घंटे में चर्चा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जगतवीर सिंह द्रोण, ऐसा नहीं है कि केवल वह ही चिंतित हैं। पीठासीन अधिकारी को भी उतनी ही चिंता है। सभा के समक्ष तीन महत्वपूर्ण संकल्प हैं। एक सत्र के दौरान हम एक संकल्प पर भी चर्चा पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे समक्ष अन्य सभी संकल्प भी उतने ही महत्वपूर्ण है। बस मेरा यही कहना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें तर्क-वितर्क में उलझकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आपके तर्क की भावना समझता हूं।

अब, श्री भगवान शंकर रावत - उपस्थित नहीं। श्री सत्यदेव सिंह। कृपया अपनी बात पांच मिनट में पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति जी, मैं सम्मानीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका इससे आगे का प्रस्ताव है कि उन्होंने द्रोण जी के इस प्रस्ताव के लिए सदन का समय और थोड़ी देर तक बढ़ाने के लिए हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। पचास वर्ष के बाद भी इस देश के अंदर घुसपैठ की समस्या न केवल बढ़ी है, बल्कि बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी है।

आज इस देश के अंदर इस समस्या के कई आयाम जुड़ गए हैं। यह सीधा सवाल कुछ लोगों के देश में आने का नहीं है, बल्कि इसके कई आयाम है। पहला आयाम यह है कि इससे हमारे देश की अंखडता, देश की एकता, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता में तनाव पैदा हो रहे हैं।

दूसरी तरफ जैसा कि यहां अनेक लोग इस बात को जब इस सदन के अंदर चर्चा में लाते हैं, यह घुसपैठ की समस्या केवल इस प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन के सामने नहीं लाई गई है, अनेक अवसरों पर प्रश्नों के माध्यम से और बहस के माध्यम से इस समस्या पर लोगों ने बल दिया है, विचार रखे हैं। यह समस्या धार्मिक उन्माद भी पैदा कर रही है। आई० एस० आई० की गतिविधियां लगातार इस सदन में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। घुसपैठ से देश की राष्ट्रीयता को खतरा है। इस घुसपैठ से देश के अंदर तोड़-फोड़ करने की साजिश, गैर-राष्ट्रीय तत्वों का पोषण और उनको संरक्षण मिल रहा है। मैं बलरामपुर जिले से आता हूं जिसकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। वहां पर पाकिस्तान में आई० एस० आई० की एजेंसियों का एक प्रकार से मुख्यालय आज नेपाल का काडमांडू बन गया है और उसमें से जो सीमाएं हमारे देश की नेपाल के साथ खुली हुई हैं, इससे न केवल हथियार और घुसपैठ ही आ रहे हैं बल्कि भारी मात्रा में ड्रग्स से इस देश की आने वाली पीढ़ी के चरित्र और उसके जीवन को नष्ट किया जा रहा है।

घुसपैठ की समस्या विशेष रूप से बंगला देशी घुसपैठ की समस्या इतनी विशाल हो चुकी है कि असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचलम जो पहले असम के हिस्से थे, आज वे घुसपैठियों के स्थल बन गए हैं और वहां के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं। वे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यह समस्या बिहार तक पहुंच गई है। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, साहिबगंज और दुमका ऐसे जिले हैं जिनकी आबादी बाकी के जिलों की आबादी से कई गुना ज्यादा बढ़ी है और आबादी बढ़ने का परिणाम विशेष रूप से बंगलादेश से आए हुए अवैध घुसपैठिए हैं। पश्चिम बंगाल भी इस समस्या से ग्रस्त है। मालदा, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता आदि महानगर भी आज इस समस्या से वंचित नहीं रहे हैं। दिल्ली के अंदर भारी मात्रा में बंगलादेशी हैं और राजस्थान और गुजरात की सीमाओं से भी इनका प्रवेश अवैध रूप से जारी है। हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस के अंदर हर पांचवा रिक्शाचालक बंगला देशी है। आज दुर्भाग्य से इस देश के अंदर अनेक राजनैतिक दल और राजनेता ऐसे बन गए हैं और ऐसे हैं जो इस अवैध घुसपैठ को संरक्षण देना चाहते हैं। उनके कारण हैं कि वे बड़ी सरलता से हिन्दू-मुसलमान का सवाल बनाकर इस समस्या को ढकना चाहते हैं। इस समस्या से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। इस मामले में जब भी विशेष रूप से भाजपा और भारतीय जनसंघ की तरफ से इस प्रश्न को उठाया गया, तो इसे राजनैतिक रंग दे दिया गया। आज हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि आखिर इस देश का बंटवारा हुआ है। इसका बंटवारा दो राष्ट्र के आधार पर हुआ है। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। उसके बाद उस समय से हमने तय किया था कि इस समय जो लोग इस देश के अंदर आ जायेंगे, उनको नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। आज हम चकमाओं को जो इस देश के अंदर शरणार्थी हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं आज वे बंगलादेश से अपने जीवन की रक्षा के लिए यहां आए हुए हैं। उन्हें घुसपैठियों के रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं है। यह बात ठीक है कि सिर्फ नोर्थ ईस्ट रीजन ही उनका भार नहीं उठाएगा, यह भार राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है और केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चकम शरणार्थी जो किसी प्रोसीक्यूशन के कारण दूसरे देश से भागकर मानवीय आधार पर हमारे देश में आ रहे हैं, उन्हें शरण देना हमारा कर्तव्य बनता है, पूर्व प्रधान मंत्री अक्तूबर 1996 में नार्थ ईस्ट में गए थे और उन्होंने एक सप्ताह का प्रवास किया था। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में नार्थ ईस्ट में इतने लंबे समय तक एक समय में किसी प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा नहीं की थी। उन्होंने वहां की विकास की समस्या को लेकर, घुसपैठ की समस्या को लेकर काफी अध्ययन किया। लोगों से चर्चाएं की, मुख्य मंत्रियों से मिले। उसके बाद एक नोटिफिकेशन इश्यू किया जिसे कहा गया"

[अनुवाद]

"पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहल।"

[हिन्दी]

और प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था वह मैं कोट करता हूं :

[अनुवाद]

"ऐसा पाया गया कि विदेशियों को रोकने के लिए विद्यमान कानून जैसे अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 यथा-संशोधित, प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। हम अप्रभावी कानूनों के

[श्री सत्यदेव सिंह]

निरसन के लिए कदम उठायेंगे और राज्यों के साथ परामर्श से विदेशियों की समस्या से निपटने के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपायों को सुदृढ़ करेंगे। इसके अलावा समुचित स्थानों पर तार बाड़ सहित सीमा पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।"

[हिन्दी]

इस बयान को लेकर भी काफी विवाद इस सदन में और इस सदन के बाहर हुआ और यह विवाद का मुख्य बिन्दु असम की चिंता रही कि आज उनका अस्तित्व खतरे में है, आज अपने ही प्रदेश के अंदर उनकी सांस्कृतिक, उनकी अपनी मर्यादाएं लुप्त होती जा रही हैं। वहां भारी संख्या में बंगलादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। असम अकार्ड में भी सीमा को पूर्ण रूप से सील करना, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो आज तक सरकार सन् 1985 के बाद बार्डर सीलिंग को लागू नहीं कर पाई। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि आज विदेशियों की पहचान करने का दायित्व, जैसे कि नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट में जिस व्यक्ति को बंद किया जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने को साबित करे कि वह अपराधी नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति बताए कि वह विदेशी है उसके ऊपर यह कानून जिम्मेदारी डालता है कि वह यह साबित करे कि वह विदेशी है।

महोदय, ऐसा मालूम हो रहा है कि राज्य सरकार और यहां की सरकार अपनी जिम्मेदारी को उन व्यक्तियों पर डाल अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेना चाहती है, जो नागरिक होने के नाते, देश भक्त होने के नाते आगे आते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि ये भारतीय नहीं है, अप्रवासी भारतीय भी नहीं है, ये बाहर से आए हुए घुसपैठिये हैं। महात्मा गांधी जी ने जो चिंता विशेष रूप से असम के बारे में 1944 में व्यक्त की थी वह मैं कोट करना चाहता हूं। वह कितने दूरदर्शी थे और इस समस्या के आयाम को कितना पहचान सकते थे। यह बात उन्होंने 1944 में की थी जब बंगलादेश या पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नहीं बंटा था। उन्होंने कहा था कि यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन हो कि वहां के मूल निवासी अल्पमत में आ जाएं तो इसे सहन नहीं किया जा सकता। यदि असम के निवासी इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाते तो मैं समझूंगा कि उनमें कोई दम नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1944 में इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिसे शायद अब हम जोर-शोर से आजादी की 50वीं स्वर्ण जयंती मनाने में स्मरण करेंगे। उसी के आगे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्या कहा, इतिहास के पन्नों में यह दस्तावेज छपे हुए हैं। उन्होंने अपने निजी सचिव मोइनुलहक चौधरी से कहा था और क्या कहा था वह मैं बताता हूं। मैं दस साल में असम को चांदी की तस्तरी में रख कर तुम्हें भेंट कर दूंगा। यह कल्पना थी, पार्टीशन के बाद भी, कि असम में हम कितना अतिक्रमण कराएंगे। यह योजनाबद्ध तरीके से बंगलादेशियों का प्रवेश भारत की सीमाओं के अंदर असम में और भारत के अन्य राज्यों में हो रहा है।

महोदय, यह भी सब को स्मरण होगा कि हम असम क्षेत्र को कितना सुरक्षित रखते हैं। 1983 तक वहां विदेशी पर्यटक नहीं जा सकते थे लेकिन धर्मांतरण कराने के लिए विदेशी मिशनरी और वहां भारी संख्या में घुसपैठ को रोकने का हमने कोई काम नहीं किया, इस पर हमने कोई चिंता व्यक्त नहीं की। इतना करके ही हम शांत हो गए कि अब यह प्रदेश सुरक्षित है, इसका पर्यावरण सबसे अच्छा है और इस नाते यहां पर अब कोई विदेशी नागरिक नहीं आएगा तथा विदेशी पर्यटक नहीं आएगा, इस नाते हम इस प्रदेश को और भारत के सुंदर इस भूभाग को सुरक्षित रख सकेंगे। जहां प्रकृति ने अपार संपदा दी है, वैभव दिया है, वन क्षेत्र दिए हैं, जल दिया है और तेल दिया है, लेकिन आज वहां का क्या स्वरूप बन रहा है? आज नार्थ-ईस्ट रीजन का विकास रुक गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने यहां से सूचना दी थी कि इस आजादी की स्वर्ण-जयंती पर हम इस सदन का विशेष सत्र बुलाएंगे, जिसमें प्रश्न काल नहीं होगा, जीरो-आवर नहीं होगा, सिर्फ हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इस देश का ध्यान खीचेंगे, चर्चा करेंगे और उसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे और उसमें से एक विषय उन्होंने पापुलेशन का लिया है। इस देश में बढ़ती हुई आबादी, जो सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ रही है उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं। किस प्रकार से इसे देश के अंदर इस पर चिंता करके, चर्चा करे कोई दूरगामी उपाय किए जाएं। लेकिन आज जो नार्थ-ईस्ट रीजन के अंदर आबादी बढ़ रही है उससे ज्यादा जो घुसपैठ बढ़ रही है इसके कारण वहां जो प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। आज नार्थ-ईस्ट में, वहां के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनके सामने रोजगार के अवसर नहीं हैं। जो रोजगार के अवसर हैं उन्हें विदेशी नागरिक आकर हड़प कर रहे हैं। उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है, जमीनें दी जा रही हैं। उनका वोटर लिस्ट में नाम दिया जा रहा है, वे इस भारत के भाग्य-विधाता बन रहे हैं जिनका इस देश से कुछ लेना-देना नहीं है। वे इस देश में सच्चे नागरिक के रूप में यहां नहीं आए, वे इस देश में तोड़-फोड़ करने के लिए, इस देश की एकता को, अंखडता को नष्ट करने के लिए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए, इस देश की प्रगति को रोकने के लिए इस देश में आ रहे हैं। उनको हर प्रकार से सुरक्षित रखना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, ऐसा मालूम होता है कि हमारा धर्म बन गया है।

अपराह्न 4.00 बजे

आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज नार्थ-ईस्ट के अंदर घुसपैठ बढ़ रही है। नौजवान आज बेकार है और देशघाती गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। नौजवानों को वहां आकर्षण मिलता है। नार्थ-ईस्ट का आज विकास नहीं है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसलिटिज नहीं बन पाई है। वहां की बढ़ती हुई विदेशी आबादी इसका एक बड़ा कारण है। इसलिए यह संकट पैदा हुआ है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर घुसपैठ नहीं रूकेगी, वहां के युवक देश की मुख्यधारा में नहीं आयेंगे तो वहां पर पूंजी नही जाएगी, वहां का विकास नहीं होगा। आज वहां प्राइवेट सेक्टर के लोग जाने से डरते हैं। नार्थ-ईस्ट स्टेट खाली पड़ा हुआ है। इसलिए आज जब हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं तब हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि जहां देश ज्यादा विकसित हो चुका है, वहां से हम नार्थ-ईस्ट जैसे रिजन को, जहां पर घुसपैठ बढ़ रही है, जो एक कमजोर कड़ी के रूप में सामने आ रहा है। वहां आर्थिक विकास के लिए, अगर भारी आर्थिक मदद भी दी जाए, तो इस देश को वह मंजूर करनी चाहिए। इसके साथ-साथ जब तक हम इस घुसपैठ के

बारे में प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाएंगे और उसको लागू करने की गंभीरता से कोशिश नहीं करेंगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। मुझे दुख है कि केन्द्र में आती-जाती सरकारों ने इस राष्ट्रीय समस्या पर ध्यान नहीं दिया है।

जम्मू-कश्मीर की समस्या दूसरी तरह की है। वहां पाकिस्तान घुसपैठ में शामिल है तथा सूडान और अफगानिस्तान से लोग लाए जा रहे हैं, भाड़े के सैनिक लाए जा रहे हैं। सरकार खुद कहती है कि वहां ट्रेनिंग कैम्प चलाए जा रहे हैं, वे इस देश में आकर गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि उनकी भाषा, वेश-भूषा एक है इसलिए वे आकर आसानी से घुलमिल जाते हैं। क्या हम इसको चलने देंगे और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे।

अभी हमारे प्रधान मंत्री वहां विकास के कार्यक्रम को लेकर रेल लाइन का उद्घाटन करने चले गये। उन्होंने जाने-अनजाने में, लोक सभा में उनका स्पष्टीकरण आया है, घोषणा कर दी कि आतंकवादियों से हम बिना-शर्त वार्ता के लिए तैयार हैं। हुरियत-कांफ्रेंस से नहीं करेंगे, आतंकवादियों से करेंगे। हुरियत कांफ्रेंस से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंतकवादियों से बिना शर्त वार्ता करने का क्या मतलब है। वे एक हाथ में हथियार लिए रहें और दूसरे हाथ में गुलाब का फूल दिखलाएं तो आप उनसे चर्चा करेंगे। आपकी इस घोषणा से देश को कितना नुकसान होता है। विदेशी घुसपैठियों को आने का इससे नैतिक साहस बढ़ता है। उन्हें लगता है कि यह देश ऐसा ही है, घुस चलो, आपसे टेबल पर, कॉफी पर बात करेंगे। दूसरी तरफ अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम विदेशियों से ऋण पर ऋण लेते जा रहे हैं। हमारे अपने आर्थिक संसाधनों का विकास करने के जरिये सीमित होते जा रहे हैं और हम आतंकवादियों और घुसपैठियों से समझौता करते जा रहे हैं। यह दो प्रकार की नीति एक साथ नहीं चल सकती है। प्रधान मंत्री की इस घोषणा के बाद वहां जो हमारे सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं, जो आंतकवादियों से लड़ने के लिए, भारत माता की आजादी के लिए, इस पार्लियामेंट को शांतिमय चलाने के लिए, हम अपनी बात स्वतंत्र होकर कह सकें, स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें, अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। जब उन जवानों की हत्याएं हो रही हैं तो ऐसी सूरत में किस आधार पर आप आंतकवादियों से बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा बल के जवान किन उद्देश्यों के लिए अपनी जान कुर्बान करें। क्या इस प्रकार के बयान देते समय हमें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसकी परवाह क्या हमें नहीं करनी चाहिए।

पिछले दिनों इन प्रश्नों के उत्तर आते रहे। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, सबका जवाब रखा हुआ है। प्रश्न संख्या 17 से 87 में सरकार जवाब देती है कि यह सही है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत क्षेत्रों से ऐसे तत्वों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए शिविर चलाए जाते हैं। जिससे आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में घुसपैठ कराई जा रही है। यह सारी सूचनाएं सरकार दे रही है लेकिन सूचनाएं देकर बात खत्म। मैं द्रोण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन के माध्यम से एक राष्ट्रीय समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं सदन के माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि यह समस्या मात्र डिबेट के लिए नहीं है। हम चार बात यहां कह दें और बात की इतिश्री हो जाए। यह रेजोल्यूशन तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। आजादी का 50वां साल अब प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करने, प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार देने, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। यह बात लोगों के मन में पूरी तरह से घुस जाए कि यह देश सुरक्षित है। कि यह देश सुरक्षित है, यहां घुसपैठ का स्थान नहीं होगा, यहां विदेशी नागरिक आएंगे तो कानून और व्यवस्था से आएंगे। अगर यहां के लोग नागरिकता प्रदान करेंगे तो कानून और व्यवस्था के अनुसार प्राप्त करेंगे। इस घुसपैठ के बारे में हम सब को दृढ़ता के साथ कदम उठाना होगा। आप अपनी राजनैतिक गोटियां इसमें मत फेंकिए। वोटर लिस्ट में उनका नाम रख कर उनके वोट से जीत कर सदन में आ जाएंगे। सरकार बना लेंगे तो कितने दिन तक ये सरकारें चलेंगी और कितने दिन तक ऐसे सदन चलेगा? अगर देश की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिहन लगेगा, देश की अखंडता पर लगातार कुठाराघात योजनाबद्ध तरीके से होता रहेगा, छोटे-छोटे हार-जीत के मुद्दों पर हम इस देश की एकता और अखंडता का बलिदान करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जब हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उन शहीदों के प्रति भी हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाएंगे जिन्होंने इस देश को अपने बलिदान से, खून से इसलिए आजाद कराया कि आने वाला भारत एक महान भारत बनेगा, गौरवशाली भारत बनेगा। गौरवशाली और महान भारत बनाने के लिए नागरिकों को सुरक्षा देना सरकार का प्रथम दायित्व है, न कि विदेशी नागरिकों की सुरक्षा करना।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इस गहन तथा कठिन समस्या पर अपने विचार रखने की अनुमति दी बहुत-बहुत, धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, इस सभा में पेश किए गए एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे द्वारा दी गई सूचना पर विचार रखने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे नहीं पता कि पिछले 50 वर्षों में इस सभा में अवैध आप्रवासियों के बारे में ऐसा संकल्प पेश किया गया या नहीं। भारत की सीमा में अवैध आप्रवासियों के प्रवेश के बारे में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता की सराहना करते हुए मैं भी इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करता हूं कि आप्रवासियों और घुसपैठियों में उचित भेद नहीं किया गया है। यद्यपि यह संकल्प अवैध आप्रवासियों के बारे में है किंतु मेरा मानना है कि ये अवैध घुसपैठिये हैं क्योंकि आप्रवासियों को अनुमति प्राप्त कर के किसी विशेष देश में बसने का अधिकार है। किंतु घुसपैठिये नजर चुराकर प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं। वे कभी भी सरकार को सूचित नहीं करते हैं। वे कभी भी किसी को सूचित नहीं करते हैं। वे किसी भी मार्ग पर चल पड़ते हैं और फिर वे उन क्षेत्रों में घुस जाते हैं जहां वे अपने को सुरक्षित पाते हैं।

दुर्भाग्यवश, यह देश अवैध आप्रवासियों की समस्या का आज से नहीं अपितु काफी समय से सामना कर रहा है। विशेष रूप से हम वर्ष

[डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा]

1950 के बाद की अवधि के बारे में चिंतित है। अन्य सदस्यों ने असम राज्य के बारे चिंता व्यक्त की है। मैं उनका आभारी हूं। जब वे पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं तो मैं वास्तव में उनका आभार मानता हूं। कई सदस्य शायद यह भी नहीं जानते कि 1824 तक असम एक प्रभुत्तासंपन्न राज्य था। अंग्रेजों ने एक समझौते, जिसे संधि कहा जाता है, के माध्यम से असम का शेष भारत के साथ एकीकरण किया था। यह समझौता असम की भूमि पर नहीं किया गया अपितु बर्मा जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, में किया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि 1947 से बल्कि उससे भी पहले से अविभाजित असम घटनाओं की त्रासदी बन गया है।

अनेक घटनाएं हुई हैं और अधिकतर संसद सदस्यों को कुछेक घटनाओं के बारे में जानकारी है किंतु अधिकतर घटनाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।

जैसा कि श्री सत्यदेव सिंह द्वारा सही उल्लेख किया गया है कि 1947 में एक षडयंत्र रचा गया था कि एक समूह प्रणाली होगी और उस समूह प्रणाली में असम राज्य को विशेष 'ग' समूह में रखा जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कृपा और स्व॰ गोपीनाथ बारदोली और उनके सहयोगियों की दूरदर्शिता के कारण असम राज्य को बचाया जा सका था और इसका भारत में विलय किया गया था। उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं होती रहीं।

असम राज्य पर पहला हमला राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत और अनुमति से बंगलादेश पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थियों की घुसपैठ थी। आपको पता होगा कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व॰ जवाहर लाल नेहरू ने गोपीनाथ बारदोली को लताड़ा था जिन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि असम एक छोटा सा राज्य है और देश का यह छोटा सा भाग इतने अधिक बंगलादेशी (पूर्वी पाकिस्तानी) शरणार्थियों के भार को नहीं सह सकता है और उनसे अनुरोध किया था कि इन शरणार्थियों को देश के विभिन्न भागों में बांटा जाए। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया अपितु गोपीनाथ बारदोई को लताड़ा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब राज्य के उत्तरवर्ती मुख्यमंत्री श्री विष्णु राम मिधि ने इसका विरोध किया तो उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बनाकर तमिलनाडु भेज दिया गया ताकि बंगलादेश से आए इन शरणाथियों को बसाने के मार्ग की अड़चनों को दूर किया जा सके। उसी समय से बंगला देश से शरणार्थियों की यह घुसपैठ, आप्रवासन और प्रवाह जारी है।

श्री सत्य देव सिंह ने सही ही कहा है कि आज असम राज्य की संपूर्ण जनांकिकीय स्थिति पूर्णत: बदल गई है। हम अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित नहीं है किंतु हमारे मन में यह भय बैठ गया है कि हमें अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ सकती है अन्यथा हमें अपनी ही भूमि से बाहर खदेड़ दिया जाएगा जो कि 1824 तक प्रभुतासंपन्न राज्य था, किंतु किस बात के लिए ? यह निश्चित तौर पर सरकार के बारे में कोई अच्छी बात नहीं है। तत्कालीन सरकार यह नहीं समझ पाई कि समय के साथ भारत की एक छोटी उप-राष्ट्रीयता मिट जाएगी। हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

संविधान की छठी अनुसूची के कारण पूरे असम राज्य को हानि हुई है। अब वहां सात राज्य बन गए हैं पहले का असम राज्य आज के असम राज्य से सात गुणा बड़ा था संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का सहारा लेकर इस राज्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है। एक के बाद एक राज्य बनाकर असम का निरंतर विभाजन किया गया है क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है। संविधान का प्रयोजन क्या है, क्या इसका उद्देश्य जनता की तबाही करना है? क्या जनता का दमन करना है? क्या जनता को बांटकर उन पर शासन करना है? अगर ऐसा है तो अंग्रेजों और हमारी सरकार में कोई अंतर नहीं है।

सभापति महोदय : श्री शर्मा, कृपया एक मिनट रुकिये।

डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : महोदय, कृपया मुझे दो-तीन मिनट और बोलने दीजिये। मैं इतने समय में अपनी बात कह दूंगा।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपको भाषण समाप्त करने के लिये नहीं कह रहा हूं। आपका आबंटित समय समाप्त हो चुका है। इसलिये, हमको आधा घंटा समय बढ़ाना होगा अथवा भाषण समाप्त होने तक के लिए समय बढ़ाना होगा।

डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : महोदय, कृपया समय बढ़ा दीजिये।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आधा घंटा और एक्सटैंड कर दें।

सभापति महोदय : आप पहले भी तीन बार एक्सटैंड कर चुके हैं।

[अनुवाद]

आप तो अभी-अभी आए हैं। हमें किसी और संकल्प पर भी विचार करना है। इसलिये, कृपया जल्दी-जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : महोदय, संविधान के साथ धोखाधड़ी की गई है। मैं चाहता हूं कि देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाए परन्तु संविधान का उपयोग राज्यों का विभाजन करने के लिये और उन्हें और छोटे राज्य बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिये जिससे वहां आसानी से शासन किया जा सके और वहां विदेशियों को बसाया जा सके। अब असम में विदेशी लोग अधिक संख्या में बसते जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि क्या संसद सदस्यों को अवैध आप्रवासियों के आंकड़ों की जानकारी है। असम में अवैध आप्रवासियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 28 है। इनकी जनसंख्या 70 लाख है। इन सभी अवैध आप्रवासियों को शरण देना ही असम राज्य की समस्या है क्योंकि ये अवैध आप्रवासी राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी इसका एक और गंभीर दुष्परिणाम होगा कि ये विदेशी हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। ये लोग विधायक, सांसद, मंत्री अथवा राज्यपाल बन जायेंगे और हमारे ऊपर शासन करेंगे। विधि के उपबंधों के अंतर्गत इन अवैध आप्रवासियों की पहचान की जानी चाहिये थी। हमारे यहां अलग-अलग विधियां हैं। हमारे देश में विदेशियों विषयक अधिनियम और नागरिकता अधिनियम हैं, परन्तु भारत सरकार ने इनको

लागू नहीं किया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस माननीय सभा द्वारा अधिनियमित विधियों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये। अवैध आप्रवासियों का एक पक्ष यह है।

मेरा विश्वास है कि असम में एक और त्रासदी की तरफ नहीं ढकेला जायेगा। आपको याद होगा कि संसद की इस सभा में तत्कालीन अति सशक्त प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार विभाजन की बात कही थी। परन्तु, असम के लोग पुन: यह नहीं चाहते। हम भारत में बने रहना चाहते हैं। हम भारत का अभिन्न अंग बने रहना चाहते है। हम लोग देश के अन्य भागों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की तरह ही देश के अच्छे नागरिक हैं। हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न संसद को अच्छे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रोत्साहन और सहयोग देना चाहिये।

आपको स्मरण होगा कि वर्तमान सरकार ने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है और इसमें असम समझौता, जो कि असम राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है, सम्मिलित किया गया है। इस समझौते से असम राज्य के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी। परन्तु, इस समझौते को अभी लागू किया जाना है। इस समझौते के किसी भी खंड को अब तक लागू नहीं किया गया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस समझौते को गंभीरतापूर्वक ले ताकि वहां बहुत बड़ी संख्या में विदेशियों के आने की समस्या और उनके इतनी अधिक संख्या में आने की समस्या से जुड़े अन्य पहलुओं की तरफ ध्यान दिया जा सके।

मुझे अफसोस है कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया है अत: मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

चीनी आक्रमण की यादें अभी विस्मृत नहीं हुई हैं हम नहीं चाहते कि कोई अन्य देश असम राज्य अथवा संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र पर दूसरा आक्रमण करे। हम सुरक्षा चाहते हैं। हमारे संविधान में सुरक्षा की गारंटी दी गई है परन्तु सरकार ने असम के लोगों को इनकी गारंटी नहीं दी है। हमें आशा है कि वर्तमान सरकार हमें वह गारंटी देगी।

आपको श्री हीरालाल पटवारी, जो मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी थे, की मृत्यु स्मरण होगी। उनकी मृत्यु 1978 में हुई जब हमें यह पता चला कि असम की मतदाता सूची अवैध अप्रवासियों से भरी पड़ी है मात्र एक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में 50,000 अवैध अप्रवासियों के नाम थे। आप स्वयं ऐसे राज्य की व्यथा का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके मात्र एक निर्वाचन क्षेत्र में पचास हजार अवैध मतदाता हों।

हाल ही में इसी वर्ष 17 जुलाई को निर्वाचन आयोग ने मात्र असम राज्य की मतदाता सूचियों में गहन संशोधन हेतु एक परिपत्र जारी किया है। आपको संभवत: इसका ज्ञान होगा आप इसका पता कर सकते हैं। मेरे पास इसकी एक प्रति है। आप जानकर हैरान होंगे कि उस परिपत्र में उल्लिखित उपबंध में कहा गया है कि 1.7.1987 से पूर्व जन्में व्यक्ति, चाहे उनके माता पिता में से कोई एक भी भारत में जन्मा हो अथवा नहीं, को इस देश का नागरिक माना जाएगा। क्या यह माननीय सभा इस बात को मान सकती है? क्या हम इसका विरोध न करें। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से निश्चित ही इस उपबंध का विरोध करने का आग्रह करूंगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों अथवा नहीं, किन्तु उसका जन्म 1.7.1987 को अथवा उससे पूर्व हुआ हो, उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? मैं तो सहमत नहीं हूं। क्योंकि यदि ऐसा है तो असम को कभी भी भारत का अंग नहीं माना जाएगा। इसे भारत से अलग कर दिया जाएगा।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि वह संवेदी होकर इस उपबंध विशेष का विरोध करे ताकि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार इस बात के लिए दबाव डाला जा सके कि संविधान तथा नागरिकता अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अनुरूप इस उपबंध में संशोधन किया जाए।

आई० एम० डी० टी० अधिनियम का उल्लेख किया गया है। नागरिकता अधिनियम संपूर्ण देश पर लागू है। इसी प्रकार विदेशिकों विषयक अधिनियम तथा अन्य अधिनियम भी संपूर्ण देश पर लागू हैं। आई० एम० डी० टी० अधिनियम मात्र असम राज्य पर लागू है और इस अधिनियम की विशेष बात यह है कि अवैध अप्रवासियों की पहचान करने में प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो किसी व्यक्ति को विदेशी करार देता है न कि स्वयं विदेशी पर। यदि मैं कहूं कि फलां व्यक्ति विदेशी है तो इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है न कि उस विदेशी की। क्या ऐसा अधिनियम असम राज्य पर लागू किया जा सकता है? क्या इस अधिनियम को निरस्त अथवा संशोधित नहीं किया जाना चाहिए जिससे इसके क्रियान्वयन को प्रभावी और पक्षपात रहित बनाया जा सके?

हम असमवासियों, विशेषकर असम गण-परिषद के सदस्यों का विश्वास है कि हमारा समाज बहुलवादी है जहां कई धर्मों के और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं हम विदेशियों और अवैध अप्रवासियों में धर्म के आधार पर भेद नहीं करते हैं, इनमें से कुछ बंगलादेश के हैं, कुछ भूटान के, कुछ म्यानमार और नेपाल के हैं। निश्चित ही रूप से वे किसी एक धर्म विशेष से नहीं है, वे अलग-अलग धर्मों के हैं अत: इन विदेशियों की पहचान करते समय उनका पता लगाते समय सूचियों में से उनके नाम हटाते समय और उन्हें अपने-अपने देश वापस भेजते समय धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय बड़े अच्छे उदारव महानुभूतिपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे मात्र दो-तीन मिनट का और समय दिया है।

यदि इस सदन के किसी माननीय सदस्य ने 1991 की जनगणना रिपोर्ट देखी है तो वह उसे असम राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देखें और उसकी 1901 तथा 1951 की जनगणना रिपोर्टों से तुलना करें तो उसे पता चलेगा कि असम में कितने विदेशी राष्ट्रिक रहते हैं और असम की जनसंख्या वृद्धि दर को भी देखें जो देश में सबसे अधिक है, यदि असम में प्राकृतिक रूप में भी जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर हो, तो भी आप 1901, 1951 और 1994 की जनगणना रिपोर्टों की तुलना करे तो आपको पता चलेगा कि असम राज्य में कितने अवैध आप्रवासियों ने घुसपैठ की है? इसके आधार पर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं भारत सरकार, जिसका मैं भी अंग हूं, से तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह करूंगा।

[डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा]

मेरा इतना ही कहना है कि हमें राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान देना चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर हमें विशेषकर भारतीय सीमा से लगने वाले क्षेत्रों से विदेशी राष्ट्रिकों की हो रही घुसपैठ से राष्ट्र को बचाना होगा। श्री सत्य देव सिंह तथा अन्य लोगों ने कहा है कि दिल्ली में भी कई घुसपैठिए हैं। पर दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ है इसलिए यहां घुसपैठियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। मुम्बई जिसकी जनसंख्या श्री राम नाईक के अनुसार, उपनगरों सहित, लगभग 1.8 करोड़ है, वहां पांच लाख घुसपैठिए कोई विशेष मायने नहीं रखते। परन्तु यदि असम की मात्र 2.25 करोड की जनसंख्या में 70 लाख अवैध आप्रवासी हों तो वहां की जनसंख्या में पांच-दस वर्षों के भीतर आसानी से अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। हम भारत सरकार से आश्वासन चाहते हैं। मैं सभापति महोदय से इस बात को सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि भारत सरकार हमें बचाने की गारंटी दे।

समय की मांग है कि इसके लिये राजनैतिक इच्छाशक्ति हो। आज संयुक्त मोर्चा की सरकार है मेरा विश्वास है कि वह कुछ करेगी। मैं सत्ता में आने वाली किसी भी सरकार से आग्रह करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति का होना बहुत जरूरी है। हमें राष्ट्र की सार्वभौमिकता अथवा विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ के मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। असम भारत का अभिन्न अंग है हम चाहते हैं कि वह भारत का अभिन्न अंग बना रहे। इसकी स्थिति को और खराब न होने दिया जाए। असम अशांत राज्य है। इसलिए, महोदय मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का सदा के लिए स्थायी समाधान करने हेतु हमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, मैं श्री जगतवीर सिंह द्रोण को इस रिजोल्यूशन को लाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने देश की और सरकार की, दोनों की आंखें खोलने का काम किया है कि किस प्रकार से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए लोग इस देश के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं । यह बहुआयामी खतरा है। मेरे असम के मित्र जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने असम के बारे में जो पीड़ा व्यक्त की है, वह समूचे देश की पीड़ा है। उन्होंने जो आंखें चौंकाने वाली बात कही है, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देश में पूर्व और पश्चिम, दोनों ओर से सीमाओं को खतरा है। असम के खतरे के बारे में उन्होंने बता दिया, बिहार में भी खतरा है, उत्तर प्रदेश में भी खतरा है, पाकिस्तान की साइड से भी खतरा है, बंगलादेश की साइड से भी खतरा है, जैसा मैंने कहा। इस समय ऐसा लग रहा है कि कुछ विदेशियों के माध्यम से असैन्य रूप से देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और यह एक ऐसा आक्रमण है जो हथियार-विहीन है। इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे राजनैतिक नेता वोटों की गिनती और पोटली बांधने में लगे हुए हैं कि ये अप्रवासी सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाएंगे और ये वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए देश की एकता और अखंडता, जो लार्जर इनटरस्ट हैं, के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए सरकार को श्रीमती इंदिरा गांधी से सबक लेना चाहिए। वैसे संतोष मोहन देव जी बैठे हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री थी तो 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसके बाद बंगलादेश का सृजन हुआ था, वह इसी आधार पर हुआ था कि पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार करके एक-डेढ़ करोड़ पाकिस्तानियों को, जो पूर्वी बंगाल में रहते थे, भारत धकेल दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं इस समस्या का हल भी करूंगी, निराकरण भी करूंगी और एक-एक विस्थापित, जो पाकिस्तान से भारत में आया है, उस सबका बदला लूंगी, हिसाब चुकाऊंगी और उन्होंने वह करके भी दिखा दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार वही इच्छा शक्ति, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय प्रदर्शित की थी, प्रदर्शित करे और अप्रवासी भारतीयों को, जो अवैध रूप से आ रहे हैं, वोट बैंक न समझकर बल्कि देश की एकता, अखंडता की रक्षा करें और लार्जर इनटरस्ट में इस तरह का काम करे और इस पर रोक लगाए।

देश में आई॰ एस॰ आई॰ घुसपैठ कर रही है। भारत के गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वे अपनी पत्रावलियों को पलटकर देख लें। गुप्तचर संस्थान ने यह रिपोर्ट की है कि मेरठ, हापुड़ और ऐसे अनेक स्थान उन्होंने इंगित किए हैं, जहां पर आई॰ एस॰ आई॰ ने अपनी जड़े जमा ली हैं। अलीगढ़ भी एक ऐसा ही स्थान है, मुरादाबाद चौथा स्थान है जो मैं प्वाइंट आउट कर रहा हूं। यह तो मेरी जानकारी में है लेकिन उनके पास तो ओरिजनल जानकारी है आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां अप्रवासी भारतीय, जो अवैध रूप से छिपकर भारत में आ गए हैं। उनके माध्यम से देशभर में चल रही है। कश्मीर में भी वही लोग कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में वही कर रहे है। उन्हीं के माध्यम से बम्बई में इतना भारी रक्तपात हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मैं कहना चाहूंगा कि ये आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों को रोकें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि युनाइटेड फ्रंट में बैठे हुए कुछ राजनैतिक नेता ऐसे भी हैं जो आई॰ एस॰ आई॰ को संरक्षण प्रदान करते हैं, उनके परिवार के लोग उनसे मिले हुए हैं मैं कहना चाहूंगा कि वे राजनैतिक स्वार्थ छोड़कर, आई॰ एस॰ आई॰ से जो राजनैतिक दल वोटों के लालच में और एक विशेष संप्रदाय के लोगों का मसीहा बनने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, वे यह न करें। वे लोग स्थानीय लोगों को साथ लेकर षडयंत्र करते हैं, कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं, दंगे कराते हैं और इस प्रकार से समाज में ऐनार्की पैदा करते हैं। सरकार को यह बता देना चाहिए कि भारत कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहां कोई भी चाहे आ जाए। विश्व का कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जहां पर किसी अन्य देश का निवासी वहां जाकर बसना चाहे तो बिना सरकार की अनुमति के बस सके। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां कोई आए और कोई जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। इस तरह से नहीं चलना चाहिए।

लखनऊ में शिया-सुन्नी का जो दंगा हुआ, आगरा में जातीय दंगे कराने की साजिश की जा रही है और आगरा में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हिन्दू-मुसलमान का जो सांप्रदायिक दंगा हुआ। उसके पीछे भी आई॰ एस॰ आई॰ के एजेंट और एक राजनैतिक दल की मिली-जुली साजिश थी।

आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर हम यह देखें, एक बार माननीय अध्यक्ष बता रहे थे कि देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की

बढ़ोतरी की है। हम भी जानते हैं कि हर वर्ष हम एक करोड़ अस्सी लाख की जनसंख्या वृद्धि कर एक आस्ट्रेलिया की जनसंख्या पैदा करके इस देश में वृद्धि करते हैं। 50वीं वर्षगांठ पर संभवत: उसकी चर्चा भी होने जा रही है। जो आबादी बढ़ रही है, उसमें यदि हमारे यहां बच्चे पैदा हों, वह तो हमारी समझ में आता है लेकिन विदेशों से जो अवैध संतान आ रही है, कम से कम उसे रोका जाए। जैसा अभी मेरे मित्र शर्मा जी कह रहे थे कि जितने बच्चे पैदा नहीं होते, उससे ज्यादा असम के अन्दर विदेशी आ रहे हैं। इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है।

किसान ने हरित क्रांति की, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, अन्य मोर्चों पर उत्पादन बढ़ा, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव में जहां करोड़ों लोग इस तरह से अवैध रूप से प्रवेश करते हों तो फिर उत्पादन के साधन कहाँ तक बढ़ेंगे। साधन सीमित हैं, आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसलिए इन प्रवासी विदेशियों पर रोक लगाना आवश्यक है, जो इस तरह से घुसकर आ रहे हैं। यह तो आँखें चौंकाने वाली बात है कि इलैक्शन कमीशन ने यह कैसे निर्णय दे दिया कि जिसका बच्चा यहां पैदा हो जाये, वह भारतीय होगा, अगर माँ-बाप विदेशी भी हैं। इस तरह के कानून में सरकार देखे कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न कम पड़ रहा है। जनसंख्या की बढ़ोतरी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, इससे सामाजिक दृष्टि से, नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से हम लोग पिछड़ जाते हैं। इसी के कारण बेरोजगारी की समस्या है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि देश की एकता और अंखडता की रक्षा के लिए, भौगोलिक सुरक्षा के लिए, देश की सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने के लिये, उसका जो मूल स्वरूप है, उसको बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है। यहां की अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए इस तरह के अवैध लोगों का प्रवेश निषिद्ध किया जाये, जो लोग देश के अंदर आ गये हैं, उनको निष्कासित किया जाये और उसके लिये पूरी कार्रवाई की जाये। जैसे शर्मा जी बता रहे थे, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप है, एथेनिक स्वरूप हैं, उसको भी खतरा पैदा हो गया है।

पाकिस्तान जब बना था तो मौहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम आबादी बढ़ाकर ही असम का जो समूचा क्षेत्र है, उस समूचे क्षेत्र को हड़प लेंगे। उत्तर प्रदेश के अन्दर भी ऐसी घुसपैठ करेंगे कि एक नया पाकिस्तान बनाना पड़ जाये और इस तरह की जो गहरी साजिश उस समय मुस्लिम लीग ने बनाई थी, उस मुस्लिम लीग की साजिश को इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है। इसलिए देश की एकता और अखंडता खतरे में हैं इस खतरे से हमें सचेष्ट होना चाहिए, इसलिए मैं द्रोण जी को पुन: बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने एक अहम् मसले की ओर ध्यान दिलाया है। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि सरकार अपने क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों को नहीं देखे और इस समय इसमें प्रभावी कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, धन्यवाद। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जिसका कि हम हमेशा राजनीतिकरण करते हैं और यह कहने का प्रयास करते हैं कि यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए एक दल विशेष अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा उठाया गया मुद्दा है और ऐसे मुद्दों के राष्ट्रीय महत्व को अनदेखा करने का प्रयास करते हैं।

मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सम्मानीय मित्र श्री द्रोण ने संसद के समक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। मैं असम के दूसरे प्रतिष्ठित सदस्य डा॰ शर्मा का भी वास्तव में आभारी हूं। जिन्होंने दूसरा ऐसा महत्वपूण मुद्दा उठाया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य असम की सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा कर रहा है।

महोदय, मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, क्या हमें वास्तव में इन मुद्दों को उठाना चाहिए? यदि हम विश्व के किसी अन्य देश जैसे संयुक्त राज्य अमरीका को देखें तो पायेंगे कि वहां कुछ व्यक्तियों ने मैक्सिको से सीमा पार की। जिसको रोकने के लिए उन्होंने सारी सीमा पर तार-बाड़ लगाने का प्रयास किया और मैक्सिको से जो लोग आये उन्हें हटाने का प्रयास किया। वे उन्हें अपने देश में भी नहीं आने देते हैं। यहां हम लोगों को भारत में ऐसे आने देते हैं जैसे कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जिसकी सीमाएं नहीं है इसका अभिप्राय यह है कि कोई कभी भी सीमा पार कर सकता है, हथियार ला सकता है और ले जा सकता है और हम उन्हें बेरोक-टोक आने दे रहे हैं। हम मानते हैं कि यह हमारी संस्कृति है। किन्तु इस प्रक्रिया में सारे देश की पहचान दांव पर लगी है। मैं सोचता हूं यह उचित समय है कि सरकार ठोस नीति लेकर आये।

महोदय, जब विश्व व्यापार संगठन की वार्ताएं चल रही थीं भारत ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। हम चाहते थे कि यदि मुक्त पूंजी निर्बाध रूप से आती-जाती है, यदि कोई मुक्त व्यापार अथवा सेवाएं निर्बाध रूप से दी जाती हैं और यदि वस्तुएं बिना किसी बाधा के आती जाती हैं, तो जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है, जो आर्थिक क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण घटक हैं, के मामले में देशों के बीच बाधाएं क्यों होनी चाहिए? उन्हें एक देश से दूसरे देश में आने-जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? विश्व के सभी देशों ने, विशेष रूप से विकसित देशों ने इस अवधारणा का विरोध किया।

यदि हम इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते, तो भारतीय श्रमिक उसी तरह से अमरीका में जा सकते थे जैसे अमरीका का माल भारत में आता है। उस मामले में, हमने संभवत: इन अवैध आप्रवासियों को अलग संदर्भ में समझ लिया होगा। जब भारतीय श्रमिक दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो इसकी वास्तव में चिंता नहीं करता है और विश्व के अन्य भागों से लोग हमारे देश में आना चाहते हैं।

महोदय, मैं असम से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र राज्य से चुनकर आता हूं वह राज्य भी बड़े पैमाने पर इस समस्या का सामना कर रहा है। जब कभी महाराष्ट्र या देश के किसी भाग का कोई नागरिक ऐसे मुद्दों को उठाता है तो हमेशा यही कहा जाता

[श्री सुरेश प्रभु]

है कि यह सांप्रदायिक मामला है और वे धार्मिक आधार पर यह मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुत: यह पूर्णत: देशभक्ति का मामला है। इसलिए मैं उदाहरण के तौर पर असम राज्य को लूंगा।

महोदय, असम राज्य में स्थानीय असमवासियों की सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने के लिए 1970 के उत्तरार्द्ध में और 1980 के पूर्वार्द्ध में एक जन आंदोलन शुरू किया गया था। यदि हम उस समय जागरूकता से काम लेते तो आज संभवत: हमें इस समस्या, जो अब सारे देश में पैदा हो रही है, का सामना नहीं करना पड़ता। उस समय यहां तक सोचा गया कि यह राज्य में निर्वाचित सरकार का अस्थिर करने के लिए विपक्ष द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है और यह भी सोचा गया कि संभवत: यदि हम असम के नागरिकों की वास्तविक मांगों को ठुकराने का प्रयास करेंगे तो कुछ मत जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका नुकसान हो जायेगा। इस प्रक्रिया में हमने इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया है और आज वास्तव में असम राज्य की संस्कृति समाप्त होने के कगार पर है। मैं सोचता हूं कि हमें स्वयं और राजनैतिक दलों को एक रहना होगा, इस देश के सभी नागरिकों को एक रहना होगा और इसे धार्मिक आधार पर किसी दल विशेष द्वारा उठाए गये मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।

महोदय, मैं सीमा पार कर के आ रहे लोगों में विभेद करने का प्रयास नहीं करूंगा। एक बार सीमा पार कर लेने पर वे हमारे यहां विदेशियों के रूप में आते हैं। सीमा पार करने से पहले, उनका धर्म क्या है और उनकी राष्ट्रीय पहचान क्या है, ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बिना वैध दस्तावेजों के जिन्होंने सीमा पार कर ली है और वे अवैध आप्रवासी हैं।

महोदय, इसका आर्थिक पक्ष है, निस्संदेह जिसका उल्लेख कई मित्रों ने किया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि जब लोग सीमा पार करके देश में आते हैं, वे किस प्रयोजन के लिए आ रहे हैं। जब कभी भी शरणार्थियों ने विभिन्न देशों में सीमाएं पार की हैं, तो इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र को होती है और संयुक्त राष्ट्र के पास ऐसा संगठन है जो विशिष्ट रूप से शरणार्थियों की दुर्दशा पर विचार करता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन ने भी कहा है कि उन्हें अलग किया जायेगा और उन्हें स्थानीय लोगों के साथ नहीं मिलने देना चाहिये। किसी भी मामले में संयुक्त राष्ट्र भी ऐसे आप्रवासियों को नागरिकता का अधिकार देने की बात नहीं करता है। किंतु यहां किसी के द्वारा मांग किए बिना ही हम उन्हें नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं और हम उस सारी प्रक्रिया की जांच पड़ताल किए बिना ही कि कोई व्यक्ति कैसे नागरिक बन सकता है, उन्हें नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। हम जब तक इस मामले पर उस गंभीरता से विचार करने का प्रयास नहीं करेंगे जितनी कि आवश्यकता है, तो हम एक सुअवसर खो देंगे और शायद हमें असम राज्य को खोना पड़ेगा तथा बाद में कई अन्य राज्यों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा और यदि हम इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे तो यह माननीय सभा, जिसे प्रभुसत्ता संपन्न निकाय माना जाता है, जिसे सारे देश के हितो का संरक्षण करने वाला माना जाता है, अपना कार्य पूरा नहीं कर पायेगी।

महोदय, मुझे याद है कि जब तिब्बत के लोग सीमा पार करके भारत आये, हमने एक देश के रूप में उनकी दुर्दशा को महसूस किया और उन्हें समुचित आवास उपलब्ध कराये। हमने उन्हें अलग रखने का प्रयास भी किया और उन्हें अलग-अलग स्थानों में रखा। वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में है, वे कर्नाटक राज्य में हैं और वे देश के विभिन्न भागों में हैं। महोदय, इसी प्रकार विशेषतौर पर बंगला देश के लोग इतनी संख्या में हमारे देश के सभी भागों में आ रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जिस पर सरकार को सचेत हो जाने की आवश्यकता है। क्या देश में आ रहे ऐसे विदेशियों का पता लगाने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है? यदि हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है। तो यह एक गंभीर मामला है। सरकार ये आंकड़े देने में समर्थ नहीं है कि लगभग कितने आप्रवासी वास्तव में सीमा पार के देश में आये।

विशेष रूप से असम में कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में उस क्षेत्र की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यदि राष्ट्रीय जनसंख्या में एक या दो या तीन प्रतिशत की वृद्धि हो रही हैं लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो यह असाधारण बात है और इसे सामान्य तर्क से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी केवल यही व्याख्या हो सकती है कि देश में अवैध आप्रवासी आ रहे हैं और अब हम उन्हें नागरिकता का अधिकार देने के बारे में सोच रहे हैं।

महोदय, नागरिकता का अधिकार ऐसी चीज नहीं है जिसे इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके बांटा जा सकता है। ऐसा करके हम देश के शेष नागरिकों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश की संप्रभुता का अपमान कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमें नागरिकता अधिनियम में उल्लिखित समुचित प्रणाली का अनुपालन करना होगा और हम इस प्रकार नागरिकता देना जारी नहीं रख सकते है। मैं समझता हूं वस्तुत: हमें इस मुद्दे के प्रति सजग रहना होगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि समय की कमी को। आपने मुझे बोलने का समय दिया जिस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक और उन सदस्यों को जिन्होंने इस संकल्प पर बोला है, धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 4.45 बजे

(श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : माननीय सांसद श्री जगतवीर सिंह द्रोण जी जो इस रिजोल्यूशन के मूवर हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं और जिन माननीय सदस्यों ने इस रिजोल्यूशन के सिलसिले में बहस में हिस्सा लिया था, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं काफी जमीर ख्यालात का इज़हार किया और इसके अलावा मैं जाति तौर पर इस अवैध इमीग्रेशन को काफी अहमियत देता हूं। यह काफी गंभीर समस्या हैं। जो बंगलादेश से हमारा नार्थ-ईस्ट है और फिर वेस्ट बंगाल को कौरीडोर बनाकर गुजरात आदि रियासतों में अवैध रूप से जो घुसपैठ होती है, उसकी तरफ माननीय सदस्यों ने काफी कुछ

बोला। इस सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि यह सिलसिला आज ही का नहीं है बल्कि आजादी के पहले से भी उस रिसासत से यहां लोग आया करते थे और उसके क्या वजूहात है। यह हमारा जो बार्डर है, काफी लम्बा-चौड़ा बार्डर है। 4000 कि॰ मी॰ तक मुस्तमिल बार्डर है। अब बंगलादेश की शक्ल में हमारे उस तरफ का मुल्क हैं। यह बार्डर काफी लम्बा-चौड़ा बार्डर ही नहीं है बल्कि इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रैच जो है, कभी हमारे हिस्से में दरिया आते हैं, कभी पहाड़िया आती हैं, कभी उस हिस्से में आती है। मैं समझता हूं यह आड़ा तिरछा क्षेत्र है और उसके साथ-साथ कल तक ये तीनों मुल्क एक ही थे। एक ही जुबान रखते थे। एक ही कल्चर रखते थे और उसके अलावा बंगलादेश की आबादी जमीन के मुताबिक काफी ज्यादा है और वहां की जमीन इतनी उपजाऊ भी नहीं है। वहां आए दिन बाढ़ की वजह से तबाही भी होती है और इस तरफ के कई साथी कहते थे कि रिश्ते-नाते के सिलसिले में किसी का सर, किसी का धड़, किसी का कुछ यहां है और किसी का कुछ वहां हैं। उस ओर के लोगों के आकर्षण का यह भी एक कारण है। उसमें और भी एक वजह हो सकती है। जब हमारे पोलिटिकल लीडर्स इंडिविजुअली भी और पार्टी बेसिस पर भी जब उन्हें मैम्बर बनना होता है। उन्हें जब वोट हासिल करना होता है तो उस वक्त ये इल्लिगल इमीग्रेशन टालरेट करते हैं। बहरहाल जो कुछ भी है उसमें हमें पार्टी सियासत से बालातर होकर यह जो गंभीरता का मसला है इस पर विचार करना चाहिए। मैं भी कभी-कभी फिर स्टडी करता हूं तो काफी तादाद लगती है, फोरनर्स की, नार्थ-ईस्ट में भी, तो इसमें हमें सबसे बड़ा जो कदम उठाना है वह हमें पार्टी सियासत से बालातर होकर वेस्टेड इंटरस्ट वाला, वोट बनाने वाला मसला छोड़ना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमैंट की तरफ से मेज़र्स है उनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया इस मसले के बारे में बिलकुल चिन्तित है। हमने बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स का बार्डर्स पर इजाफा किया है, इसको कम्पलीट चैक करने के लिए, और जो हमारे बार्डर्स पर आउटपोस्ट हैं उनको हमने ज्यादा तादाद में कर दिया है। जो ओपी टावर्स है उनको हमने बढ़ाया है और सरवेलैंस का इक्विपमेंट्स का जो दायरा है उसको हमने वसीह कर दिया है। बार्डर रोड्स को हमने इस तरह चौकसी के साथ किया है हम कांफीडेंट हैं कि आए दिनों में कम्पलीट चैकअप हो जाएंगा। इसके अलावा जहां जरूरत है वहां हमने फैंसिंग का भी एहतमाम किया है और हर वक्त मोबाइल टास्क फोर्स चौकसी में रहा करती है, जिसके एक्सपेंसीस गवर्नमेंट आफ इंडिया बियर करती है। इसके अलावा होम सैक्रेट्री की सदारत में हमने एक कमेटी भी बनाई है और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट आफ बंगलादेश के साथ हमारे आफिसर्स वक्तन-फवक्तन इनिशिएट करते हैं। वहां अब जो नयी हुकूमत बनी है, शेख हसीना की प्रीमियरशिप में, हम बहुत मुतमईन हैं और काफी डिकलाइन हुआ है। कंपरेटिवली जो पहले वाला था उसकी थोड़ी-बहुत फीगर्स दे दूंगा। इस तरह का 1991 में इंटरसेप्शन हम एक्युरेट नहीं बता सकते हैं लेकिन जो हमारे बी एस एफ की आर्गनाइजेशन और दूसरे आर्गनाइजेशन ने इंटरसेप्शन यूस किए हैं वे 1991 में 83857 इंटरसेप्शनिस्ट थे, जिनको पकड़ा गया। यही इल्लिगल इमीग्रेंट्स को, और उन्हें वापस किया गया लेकिन उसके बाद यह काफी डिकलाइन हुआ है, उसके मद्दे मुकाबिल 1996 में 13745 तक आ गए हैं। इसलिए मैं ऐवान को गवर्नमेंट की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसका हम मुकम्मिल चैकअप करेंगे। जहां तक कई साथियों ने जम्मू-कश्मीर की तरफ इशारा किया, वाकई यह भी गंभीरता का मसला है लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने यह टच किया उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आई॰ एस॰ आई॰ की हरकत को, नापाक कोशिश को जम्मू-कश्मीर में जम्मू-कश्मीर के लोगों ने अपने मुल्क के महान पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने, मिलिट्री फोर्सेस ने शिकस्तफाश ही नहीं दी, मुझे लगता है कि कम हिम्मत ही नहीं की बल्कि अब वे भागने को हैं। हम पार्लियामेंट इलेक्शन में, राजनीतिक प्रोसेस की सूरत में पापुलर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए हैं और आज हालात ऐसे हैं कि जहां आई॰ एस॰ आई॰ का रोल बड़ा वहशियाना लगता था और हमारे वहां के लोग भी अपनी जिन्दगी से परेशान थे, इलेक्शन में मैं उनसे पूछता था कि आपको क्या चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, तो उनकी आवाज यही होती थी कि हमें कोई प्राब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी बवालेजान बन गयी है, हमारी जिन्दगी गैर-यकीनी बन गयी है और हम मरना चाहते हैं। लेकिन अभी पिछले दो महीने पहले जब मैं वहां गया। सरहद पर, गांव में, देहात में घूमा, तो मैंने देखा कि अब लोग पब्लिक मीटिंग्स में आते हैं और पानी की मांग करते हैं और इस तरह से अब एक कॉफिडेंस का माहौल बन गया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब घुसपैठ खत्म हो जाएगी। आई॰ एस॰ आई॰ की मेरठ और अलीगढ़ में जो घुसपैठ हो रही है उसकी ओर एक ऑनरेबल मैम्बर ने इशारा किया। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आई॰ एस॰ आई॰ की नापाक शक्ल कश्मीर में जैसे नमुदर हुई और उसको हमने खत्म किया है वैसे ही ओर जगहों पर ईंशा-अल्ला चाहेगा तो खत्म हो जाएगी। टूरिस्ट का आना-जाना जम्मू-कश्मीर में शुरू होगा और जिन जगहों को आई॰ एस॰ आई॰ ने जहन्नुम बनाया था वह जगह फिर से स्वर्ग बन जाएगी। आई॰ एस॰ आई॰ अगर मेरठ या अलीगढ़ में नमुदर होगा तो उसका वही हाल होगा। आपने आज यहां इजहार किया कि यहां नमुदार हुआ है, वहां नमुदार हुआ है। आपको फौरन हमारी जानकारी में लाना चाहिए। हम हर कुर्बानी देकर अपने महान मुल्क को इनके नापाक इरादों से बचाएंगे और घुसपैठ को रोकने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार है। मैंने अपने जाति जज्बात का इजहार किया है। मैं भारत सरकार की तरफ से आपको और सारे अवाम को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो इकदाम लिए हैं।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं अवैध आप्रवासन को पूरी तरह से रोकने के लिए ये उपाय पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

इन्हीं बुनियादों पर मैं ऑनरेबल मैम्बर जिन्होंने यह रेजोल्यूशन पेश किया है, श्री जगतवीर सिंह द्रोण से प्रार्थना करूंगा।

[अनुवाद]

कि इस संकल्प को स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, यह मेरा रेजोल्यूशन बड़ा स्पष्ट था और गृह मंत्री जी के जो उद्गार यहां प्रकट

[श्री जगतवीर सिंह द्रोण]

हुए है वह हमने बड़े ध्यान से सुने हैं । वे जितना बोले है मेरे प्रस्ताव के पक्ष में बोले हैं। लेकिन न मालूम उन्होंने किस बात से प्रेरणा प्राप्त की और मुझसे कहा कि मैं इसको प्रेस न करूं और इसको वापस ले लूं। यह तो कंट्राडिक्शन है। अगर उनकी प्रोसिडिंग को निकाला जाए तो उन्होंने इसका टोटल रूप से समर्थन किया है, मेरी भावना से अपनी बात को जोड़ा है। मेरा रेजोल्यूशन बिल्कुल स्पष्ट है कि :

अपराह्न 5.00 बजे

> "यह सभा 1975 से देश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध आप्रवासन पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और यह सिफारिश करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें मूल देश को विवासित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।"

इसमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, वह देश की सुरक्षा की चिंता करती है। जैसा कि आपने अपने भाषण में विचार रखे और उसमें से बात निकलकर आ रही है। मैं समझ रहा था कि आप मेरे इस प्रस्ताव की ताईद करेंगे और मुझे धन्यवाद देंगे कि मैंने कम से कम राष्ट्र की इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान खींचा।

इस प्रस्ताव पर बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। इस पर 29 वक्ताओं ने विचार रखे। आदरणीय गृह राज्य मंत्री ने अपने विचार प्रकट किए। मैं मूल समस्याओं की ओर अपने प्रारंभिक भाषण में पूरा जोर डाल चुका हूं। आज जिस देश की जनसंख्या 95 करोड़ हो, जिस के पास देशवासियों को खिलाने के लिए अनाज की कमी पड़े नौकरियों की कमी पड़े, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए साधनों की कमी पड़ जाए, उस गरीब देश में ढाई करोड़ के करीब और लोग आ जाएं तो यह देश के ऊपर अतिरिक्त भार होगा।

असम के बारे में डाक्टर शर्मा ने कहा कि उनका ऐस्टिमेट करीब 70 लाख इनफिल्ट्रेटर्स का है। इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं। मेरा अंदाजा 30-35 लाख के करीब था। मेरा अंदाजा जो ढाई करोड़ का था, निश्चित रूप से वह तीन करोड़ तक पहुंच जाएगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। वजह कुछ भी हो सकती है। इससे हमारे देश के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। अगर इन ढाई-तीन करोड़ लोगों के ऊपर हमारा देश दस रुपये प्रतिदिन खर्च करता है तो लगभग 25-30 करोड़ प्रतिदिन का खर्च उन लोगों के ऊपर होता है जिन का हमारे देश से कोई संबंध नहीं है। मुंशी जी ने कहा कि हमारी उनके साथ इमोशनल टाइज है। इसको नकारा नहीं जा सकता। 1947 में जब देश विभाजित हुआ तब हमारे पास यह विकल्प था कि हम भारतवर्ष में रहें या नए बने पाकिस्तान में रहे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे बीच आ गई। आज उसको पार करके अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति आ जाता है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या और कोई हो। इन्हें अवैध कहा जाएगा। कोई भी देश जो अपने देश की चिंता करता है, उनकी पहचान करना और उनको उनके मूल देश में वापस भेजना उसका प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए। इसमें जो ढिलाई बरती जा रही है, वह ठीक नहीं है। मैं गृह राज्य मंत्री जी के भाषण से सहमत हूं। एक करोड़ के करीब इस तरह के घुसपैठिए पश्चिम बंगाल मे हैं। वे वहां की सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। महाजीर संघ के नाम से होम लैंड की मांग करते हैं। कलकत्ता प्रेस क्लब के लान में बैठ कर कान्फ्रेंस करते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ बंगला देश की जो सीमा 2203 किलोमीटर की लगी हुई है, उसमें लगभग 160 मार्ग ऐसे हैं, जहां से घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की विधान सभा में 294 सदस्य हैं। वहां पर 60 के करीब इस तरह के अवैध प्रवासियों ने कब्जा कर लिया है। वे डीसाइडिंग फैक्टर हो गए हैं सीमा के ऊपर जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे कि इसके कारण विकास के अवसर सीमित होते चले जा रहे हैं। असम की 126 विधान सभा सीटों में से 40 के ऊपर ऐसे घुसपैठियों का कब्जा हो चुका है। सीमा के ऊपर जहां सुरक्षा होनी चाहिए, वहां अवैध प्रवासी आकर वहां की जनसंख्या के घनत्व को असंतुलित कर दें जो कि अपने देश से कोई संबंध नही रखते, ठीक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि मैं इससे सहमत हूं कि इससे नौकरी के अवसर कम हुए हैं। उन्होंने हमारे देश को कोई धर्मशाला समझ रखा है। अगर सरकार इनके साथ मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहती है तो इसमें किसी को अंतर नहीं पड़ता लेकिन अगर उनको इस तरह से स्वीकार करती चली जाएगी कि वे यहां आएंगे तो उनके वोटर लिस्ट में नाम आने से वे उनके लिए राजनैतिक रूप से सहायक होंगे जैसा कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है, असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में राजनैतिक सोच के कारण हम एक ऐसे घटनाक्रम को जन्म देते जा रहे हैं, और उसे ध्यान में नहीं लिया जा रहा है और उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके प्रतिकूल परिणाम हमारी सन्तति को झेलने पड़ेंगे। यह देश एक बार पहले विभाजित हो चुका है और अब दूसरी बार विभाजित होने की तैयारी कर रहा है। अभी हमारे साथी श्री सत्य देव सिंह जी ने श्री जिन्नाह के एक स्टेटमेंट का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने 1947 के विभाजन के समय असम को पूर्वी पाकिस्तान में न मिलाये जाने पर अफसोस प्रकट किया था। मैं भी श्री सत्यदेव की बात से सहमत हूं। एक योजनाबद्ध तरीके से कुचक्र चल रहा है जिसे मैं कोट करना चाहता हूं। श्री बलजीत राय, रिटायर्ड डी॰ जी॰ पी॰ पूर्वोत्तर राज्य में काफी समय तक सेवा कर चुके हैं, उनके अनुभव के आधार पर उनके पास पैक्ट्स थे जिस पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है :

[अनुवाद]

"डेमोग्राफिक अग्रैसन अगेन्स्ट इंडिया - मुस्लिम ऐवलांश फ्रॉम बंगलादेश"

[हिन्दी]

इसमें सीधा-सीधा जिक्र किया गया है कि किस तरह से असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा किया जा रहा है। उसमें बिहार के चार जिले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया तथा असम के दस जिले धुबरी, बारपेटा, बोंगईगांव, नलहारी, कोराघाट, लखीमपुर, दरांद, नौगांव तथा कामरूप आज बंगला देश के एक्सटेंशन मात्र बनकर रह गये हैं यह सत्य है कि इनकी पहचान कठिन है। उनकी फिजीकल टेंट्स हम लोगों से मिलती है। यह बात भी सत्य है कि इनका प्रवाह जब पूर्वी बंगाल था तब होता होगा लेकिन विभाजन के बाद पूर्वी

बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यह हमारा शत्रु देश था, मित्र देश तो कतई न था। उसके बाद आजाद हुआ। स्व० श्रीमती इन्दिरा के जमाने में 1971 की लड़ाई में ऐतिहासिक घटना हुई जब पाकिस्तानी फौज के 93000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उस समय शेख मुजीबुर्रहमान के साथ सद्भावना व्यक्त करते हुए वहां का सारा चार्ज उनको दे दिया था। तब हमने सोचा था कि जैसे भारत में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, यह भी सैकुलर स्टेट होगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ। बंगला देश भी एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया है और तभी से इस समस्या का प्रवाह बराबर बना हुआ है।

सभापति महोदय, मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय कम है लेकिन आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें गृह मंत्री या सरकार को क्या आपत्ति लगती है। सरकार की कैसी नीति होनी चाहिये, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मैंने कहा कि सरकार ने ऐसे उपाय कर लिये हैं जिसमें जाति तौर पर और सरकार भी कॉफिडेंट है कि इसका टोटल चैक-अप किया जायेगा। इसलिये यह प्राइवेट रिजोल्यूशन लाने की क्या जरूरत है? मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि इसको प्रेस मत कीजिये बल्कि इसको विदड्रा कीजिये।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : इसमें कोई चीज सरकार के विरुद्ध तो नहीं है, यह तो राष्ट्र के हित में है। हम सब लोग अपने भाषण में बोले हैं और सरकार की यह नीति भी होगी। आप गृह मंत्रालय में घुसपैठियों की फाईल देखें कि सरकार की क्या नीति है। जब श्री पायलट गृह राज्य मंत्री थे तो उनके समय में भी घुसपैठियों के बारे में कोई नीति होगी ही। उनकी पहचान की जानी चाहिये और उनको अपने देश में वापस भेजा जाना चाहिये।

सभापति जी, मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का निर्माण होना चाहिये और सम्मानपूर्वक उस देश में भेजा जाना चाहिये, जहां के वे हों। अगर किसी देश की सरकार का इस प्रस्ताव के विरोध में मत हो सकता है तो फिर उस सरकार से देशवासियों का विश्वास उठ जायेगा। मैंने सरकार को सेंसर नहीं किया है, मैंने तो केवल सुझाव दिया है। यदि सरकार और गृह मंत्रालय इससे असहमत है तो अपने रिकार्ड पर आये अन्यथा मैं विभाजन की मांग करूंगा। इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्वीकार करना चाहिये।

सभापति महोदय : क्या आप वापस नहीं ले रहे हैं?

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप इसको स्वीकार करें और कम से कम रिकार्ड पर लायें कि विदेशी घुसपैठियों की पहचान करके वापस भेजा जायेगा।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : उसके लिये मैंने कहा कि बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटी कार्ड इश्यू किये हैं और सब कुछ उपाय किये हैं तो फिर ऐसा क्या है? आप इसे पोलिटिकलाईज न करें।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : यह गलत नहीं है, आप जो कर रहे हैं, वहीं है।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : फिर आपको क्या जरूरत है?

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : इसलिये कि आप द्वारा उपाय करने के बावजूद भी मर्ज बढता गया, ज्यों-ज्यों दवा की।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : फिर क्यों प्रेस्टीज बना रखा है? मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि तीसरी बार फिर कह रहा हूं। इसके पहले दो बार रिक्वैस्ट कर चुका हूं।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : आप मुझे आश्वासन दे दीजिए।

श्री मोहम्मद मकबूल डार : दो बार मैंने आश्वासन दे दिया। तीसरी बार मैं फिर आश्वासन देता हूं कि हम इस इल्लीगल इम्मीग्रेशन पर कंप्लीट चैक लगाएंगे।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या यह सरकार की नीति है?.... *(व्यवधान)* सभापति जी, मैं प्रसन्न हूं कि सरकार ने मेरी बात को माना है और गृह मंत्री जी के स्पष्ट आश्वासन के बाद कि वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं, मैं सदन से अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री जगत वीर सिंह द्रोण द्वारा पेश किए गये संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

अपराह्न 5.12 बजे

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कार्यवाही

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

> "कि यह सभा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से इस बुराई का उन्मूलन करने हेतु कड़ी कार्यवाही करने का आग्रह करती है।"

माननीय सभापति जी, भ्रष्टाचार आज जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो गया है। चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कार्यपालिका हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। यह देश की ज्वलंत समस्या है। भ्रष्टाचार जब देश में बढ़ता है तो सारे देश के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, विकास की धारा एकदम बंद हो जाती है। इस देश में, इस संसद में बहुत सारी योजनाएं हम बनाते हैं, बहुत सारे बजट हम पास करते हैं लेकिन जब वह बजट गांवों की तरफ बढ़ता है, जिलों में जाता है तो कम होता जाता है। जहां से निकलता है वहीं से शुरू हो जाता है। घोटाले और भ्रष्टाचार के प्रवाह में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब लिप्त हो जाते हैं और इसी से विवश होकर भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपया जब हम यहां से भेजते हैं तो गांवों में पहुंचते-पहुंचते वह केवल 20 पैसे रह जाता है। बाकी के 80 पैसे कहां जाते हैं? निश्चित रूप से ये 80 पैसे भ्रष्टाचार की परिधि में किन्हीं न किन्हीं की जेबों में चले जाते हैं और इसलिए इस देश का जो समुचित विकास होना चाहिए, इस देश का जो उत्थान होना चाहिए, ग्रामीणों का जो आर्थिक जीवन ठीक होना चाहिए, यह ठीक नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह

[श्री श्रीराम चौहान]

बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या की तरफ सरकार सोचती है, विचारती है, घोषणाएं भी बहुत करती है, भाषण बहुत करती है लेकिन कोई सकारात्मक कदम उठाने की दिशा में कोई काम नहीं करती।

मान्यवर, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार का उल्लेख नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने भाषण में किया है। उनके इस भाषण को देश के लोगों ने ही नहीं, विदेशों के लोगों ने भी गंभीरता से सुना। माननीय प्रधान मंत्री जी का भाषण अभी कुछ दिन पहले हुआ था। इसी लोक सभा में उन्होंने भी कहा था कि भ्रष्टाचार की जड़े बहुत गहराई तक पहुंच गई है और इसको दूर करने के लिए जनता को आगे जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जो इस देश के सर्वप्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री जो इस देश को एक नई दिशा दे सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सकते हैं, वे जनता को आगे आने की बात करते हैं अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई ठोस कदम उठाने की घोषणा, कोई नीति, नीयत नहीं बनाते हैं। इसीलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं अधिक होती जा रही हैं और इन्हीं समस्याओं से एक महान राष्ट्र ग्रस्त होता जा रहा है। कहते हैं कि यह देश बड़ा महान था। इस देश की सीमाएं भी बहुत सुरक्षित थी। बहुत समुन्नत देश था। यहां की सभ्यता और संस्कृति भी बड़ी महान थी। यह एक ऐसा भारत देश है जिसको इतिहासकारों ने सोने की चिड़िया भी कहा है। इतिहासकारों ने कहा है कि यहां पर दूध और दही की नदियां बहती थी। आज आप विचार करें कि बहुत सारे दूधमुंहे बच्चे दूध के अभाव में कालकवलित हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अभी लगन और शादी-ब्याह के दिनों में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे गरीबों की बहनों और बेटियों की विदाई सोने के मंगलसूत्र के अभाव में हो जाती है। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की इतनी दुर्दशा हो गई है, इतनी हालत गिरती जा रही है और इसके पीछे यदि कोई कारण है तो भ्रष्टाचार ही इसका एक मूल कारण है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय इतिहास के छः स्वर्णिम पृष्ठ लिखें है और उसमें एक पृष्ठ चन्द्रगुप्त और चाणक्य का है। चन्द्रगुप्त और चाणक्य के काल में ये सारी चीजें थी, ये सारी व्यवस्थाएं थी कि लोग घरों पर ताले और कुंडी नहीं लगाते थे, दरवाजे बंद नहीं करते थे। क्योंकि कोई अभाव नहीं था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जब कमी रहती है तभी चोरियां और डकैतियां होती हैं। डकैती और चोरी के भय से लोग ताले और कुंडी लगाते हैं। इस देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हैं, कैसे इतना महान देश है, इसको देखने के लिए चीनी यात्री फाह्यान आता है। उसके मन में विचार आता है कि कितना समुन्नत देश है, जो इसके कर्ता हैं, जो इसके महामात्य हैं और प्रधान मंत्री हैं उनसे चलकर मिलें। वह भेंट करने के लिए आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो उनके मन में विचार आता है कि चाणक्य कोई बहुत ऊँची अट्टालिका में रहता होगा, राजपथ के किनारे रहता होगा। लेकिन जब लोगों से पूछता हुआ फाह्यान आगे बढ़ता है तो लोग उसको एक पगडंडी का रास्ता पकड़ा देते हैं कि इसी रास्ते पर आगे चाणक्य रहता है। उस पर बढ़ता हुआ जब वह जाता है तो लोग कहते हैं कि यह जो कुटिया है, वहीं चाणक्य का स्थान है। उस कुटिया के दरवाजे के सामने जब फाह्यान जाता है और आवाज लगाता है तो उस समय चाणक्य एक दीपक के प्रकाश में जो कुछ लिख रहे थे और फाह्यान ने जब आवाज लगायी तो चाणक्य ने एक क्रिया की। माननीय सभापति महोदय, मैं इस पर ध्यान चाहूंगा कि चाणक्य ने एक दीपक से बगल में रखे हुए दीपक को जलाया और जो पहला दीपक जल रहा था, उसको बुझा दिया। दूसरे दीपक के प्रकाश के तले पूरे राजकीय कार्य की संरचना, उसकी व्यवस्था, सुदृढ़ता सब चीजों की ठीक प्रकार से जानकारी उस समय के महामात्य से फाह्यान ने प्राप्त की। जब चलने की बारी आई तो फाह्यान ने कहा कि सब चीजें तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन मेरे आते-आते आपने जो क्रिया की, वह बात मेरी समझ में नहीं आई। चाणक्य ने पूछा कि मैंने कौन सी क्रिया की। तो उसने कहा कि आपने आते-आते एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया और पहले को बुझा दिया। जबकि दोनों की लौ और आकार-प्रकार समान हैं। दोनों का प्रकाश और प्रकार समान होने के बावजूद भी आपने यह क्रिया क्यों की। चाणक्य ने उत्तर दिया और यह उत्तर इस देश के सारे राजनीतिज्ञों ही नहीं, देश में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लूट-खसोट और भ्रष्टाचार करने में लिप्त है, उन सबके गाल पर एक जबरदस्त तमाचा मारता है। उन्होंने कहा कि जो पहला दीपक जलता है उसमें मैं जो भी तनख्वाह पाता हूं, राजकीय कोष से तेल आता है और इस पहले दीपक से जलाकर मैं राजकीय कार्य करता हूं। लेकिन यह जो दूसरा दीपक है इससे जो मैं तनख्वाह पाता हूं उस तनख्वाह से बाजार जाता हूं तेल खरीदकर लाता हूं और इसे दूसरे दीपक का प्रयोग करता हूं। आपने जब आवाज लगाई तो उस समय मैं राजकीय कार्य कर रहा था। इसलिए पहले दीपक को जला रहा था। लेकिन आवाज लगाने के बाद आपकी और मेरी व्यक्तिगत वार्ता होने वाली थी, इसलिए मैंने दूसरे दीपक का प्रयोग किया जिसके लिए मैं अपने द्वारा अपनी तनख्वाह से तेल लाता हूं। व्यक्तिगत वार्ता में, व्यक्तिगत कार्यों में राष्ट्र का एक बूंद भी तेल व्यर्थ न हो। जब इस प्रकार की श्रेष्ठ और उदात्त भावना होती है तभी राष्ट्र उन्नति के पथ पर आगे जाता है। तभी स्वर्णिम युग कहलाता है, तभी देश सोने की चिड़िया कहलाता है, भारत महान बनता है और उसकी सीमाएं आज की सीमाओं से ढाई-तीन गुना रहती हैं।

आज आप विचार करें, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले लोगों का दामन पाक और साफ नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, जैसे औरोती का पानी होता है वह हमेशा नीचे की तरफ चलता है उसी तरह भ्रष्टाचार की धारा कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती। जब सत्ता में बैठे प्रधान मंत्री का दामन साफ नहीं होगा, वह भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा तो उसके मंत्री भी उससे मुक्त नहीं रह पाएंगे। जब मंत्री भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होंगे तो उनके सचिव और विभागीय अधिकारी भी मुक्त नहीं होंगे। जब विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होंगे तो उसका असर प्रदेशों में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों पर पड़ेगा और वे भी भ्रष्टाचार करने से चूकेंगे नहीं। जब प्रदेशों में ऐसी स्थिति होगी, वहां के सारे आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो वह धारा नीचे तक चलती जाएगी तथा जिलों के एस० पी० और डी० एम० भी उसमें जुड़ जाएंगे, उनके नीचे बी० डी० ओ०, तहसीलदार और उसके

मातहत काम करने वाले बाबू, क्लर्क को भी कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए यदि हमें भ्रष्टाचार की धारा को इस देश की धरती से समाप्त करना है तो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले लोगों का दामन पाक और साफ होना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो सकता है।

आज बहुत से लोगों पर आरोप लग रहे हैं आज एक अखबार ने अपने संपादकीय में बोफोर्स धोखाधड़ी या बोफोर्स तोप दलाली कांड की चर्चा की। जब रक्षा के सौदों में इस तरह से घोटालें होंगे तो वह निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है कि देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, जिसे हम भारतमाता कहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कोई सम्मान की भावना नहीं है तभी हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाले यंत्रों की खरीद में भी धोखाधड़ी करते हैं या दलाली खाते हैं। यही कारण था कि उस समय यहां सत्ता का परिवर्तन हो गया। इस नारे को लेकर, एक सज्जन कुछ दिनों तक यहां प्रधानमंत्री हो गए लेकिन आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी बराबर मांग कर रहे हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए ताकि हम दोषियों के खिलाफ मुकदमें चला सकें, उनके नाम सामने आने चाहिए - यह देश जानना चाहता है, बोफोर्स कांड के कारण यहां सत्ता परिवर्तन हो गया लेकिन उसके बावजूद, दस साल बीत जाने के बावजूद, आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है, कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कुछ लोग सत्ता में बने रहें, प्रधान मंत्री बने रहें, इसीलिए दोषी लोगों के खिलाफ अनुमति मांगने के बावजूद, अनुमति नहीं दी जा रही है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि दस-दस वर्षों से स्थिति इसी प्रकार लटकती आ रही है।

हमारा देश खेती और किसानों का देश कहलाता है। यहां के 85 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं लेकिन किसानों का देश कहलाने वाले देश में यूरिया घोटाला होता है, गुड़ घोटाला होता है, चीनी घोटाला होता है। यह पशुओं का देश है और बहुत दिनों तक पशुपालन में नंबर एक पर रहा है लेकिन आज इस देश में पशु आय के साधन बन गए हैं और बड़ी तेजी के साथ विदेशों में भेजने के लिए गौवध होता है, पशु काटे जा रहे हैं। पशुओं का सबसे बड़ा देश कहलाने वाले भारत में आज चारा घोटाला होता है। इस घोटाले में शामिल लोगों की आज कितनी दुर्दशा है, हम उसके बारे में कह नहीं सकते। उसकी चर्चा इस सदन में बहुत बार हुई है। अभी दो-तीन दिन पहले तक चारा घोटाला यहां गूंजता रहा। इस प्रकार की स्थिति मन में पैदा क्यों होती है? जब एक राज्य का प्रमुख व्यक्ति इस घोटाले में शामिल हो तो उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी नैतिकता और चरित्र पर ऊंगली उठती है। जब तक इस देश का शैक्षिक और चारित्रिक उत्थान नहीं होगा, उस समय तक भ्रष्टाचार की गर्त में यह देश जाता रहेगा।

माननीय सभापति जी, इसी तरह से सैंट किट्स में धोखाधड़ी हुई और उसमें हमारे एकाध बड़े नेता, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले लोग जेल जाते-जाते बच गए हैं। हमारी सत्ता बनी रहे, हम प्रधान मंत्री बने रहें और इस नाते गरीब सांसदों को खरीदने का मामला इस सदन के संज्ञान में आया है। इसके लिए मुकदमा चल रहा है। बहुत सारे लोगों के गले पर फंदे लटक रहे हैं। कितनी नीचता और निम्नता का यह सबूत और उदाहरण है जिसकी कोई हद नहीं।

सभापति महोदय, जब यह सब कुछ अपनी कुर्सी के बचाने के प्रयास चल रहे थे, तभी उन्हीं के एक मंत्री द्वारा संचार सौदों में घोटाला कर लिया गया और मंत्री जी को जेल में भी जाना पड़ा। इस देश में इस प्रकार की स्थितियां अभी भी मौजूद हैं। इस देश में शेयर घोटाला हुआ अभी गुजरात में कागज का घोटाला हुआ। आज के अखबारों में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए कंप्यूटर खरीदने के बारे में घोटाले का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से 1994 की कीमत पर कंप्यूटर 1997 में खरीदे गए और केन्द्रीय विद्यालयों को सप्लाई किए गए। 1994 में कंप्यूटर की कीमत 84 हजार रुपये थी और अब 1997 में कंप्यूटर की कीमत मुश्किल से 30-35 हजार रुपये है, लेकिन 1994 की कीमत पर 1997 में कंप्यूटर खरीदे गए। अभी बम्बई हाई में मुक्ता और पन्ना क्षेत्र, जहां पर ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ ने 500 करोड़ रुपये लगाकर विस्तार किया, उसे कमीशन-खोरी और भ्रष्टाचार के कारण विदेशी कंपनियों को दे दिया गया। इस देश में आए दिन घोटाले प्रकाश में आते जा रहे हैं। इसलिए यह देश भ्रष्टाचार करने वाला देश कहलाने लगा है। विदेशों में जो हमारी साख थी, जो हमारी इज्जत थी, उस पर कहीं न कहीं धब्बा लग रहा है और यह देश भ्रष्टाचारियों का देश कहलाने लगा है।

माननीय सभापति जी, यदि इस देश को बचाना है तो इस स्थिति को सुधारना होगा। निश्चित रूप से यह देश चरित्रवानों और साधु संतों का देश रहा है। इस देश ने दुनिया में बहुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। "अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ देश का" ऐसा सोचने वाले लोगों ने इस देश पर राज किया है, लेकिन आज इस देश में ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोगों के चेहरे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ठीक प्रकार से और दृढ़ होकर, वज्र की तरह से, उच्च इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करते हुए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जो जड़ें नीचे तक चली गई हैं, उनके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।

सभापति महोदय, आज देखिए इंदिरा आवास योजना में पहले 10 हजार रुपये यहां से जाते थे उनकी लूट जिले और ब्लाक के अधिकारी कर लिया करते थे, लेकिन अब हम सब लोगों ने कह सुनकर इंदिरा आवास योजना में यहां से 20 हजार रुपये भिजवाने आरंभ कर दिए हैं, तो भी आज जिला और ब्लाक के अधिकारी इतनी लूट करते हैं कि मुश्किल से इस योजना के लाभार्थी को कहीं 10 हजार, कहीं सात हजार और कहीं पांच हजार रुपये ही मिलते हैं। बाकी धन की लूट जिले और ब्लाक के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा कर ली जाती है। जो ट्यूबवैल की फ्री बोरिंग का काम चल रहा है, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली होती है।

सभापति महोदय, आजकल हमारे देश के न्यायालय के लोग हमारे कुछ राजनीतिज्ञों के गले कसने के लिए आगे आ रहे हैं। वे वाहवाही लूटने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका भी क्या आज भ्रष्टाचार से मुक्त है, जब आप इस पर विचार करेंगे, तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि न्यायालय भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है। यह ठीक है कि जो दोषी हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि देशभर में बहुत से ऐसे न्यायालय हैं जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब तक आवाज लगाने वाले चपरासी को दो या

[श्री श्रीराम चौहान]

पांच रुपए नहीं मिल जाते हैं, तब तक वह मुवक्किल को अंदर नहीं घुसने देता है। इसी प्रकार से जब आगे की तारीख लेने का मामला होता है, तो पेशकार भी 10 या 15 रुपये लिए बिना अगली तारीख नहीं देता है। चूंकि अब मंहगाई बढ़ गई है इसलिए शायद 20 रुपए हो गए हैं। इस प्रकार से जिस न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने का, न्याय को संरक्षण देने का काम सौंपा गया है, आज वह भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रह गई। यह बहुत शर्मनाक बात है। यह बहुत ही लज्जा का विषय है। न्याय का जो दंभ भरते हैं वे सारे लोग देश की वाहवाही लूटने के लिए कई प्रकार के षडयंत्रकारी कार्य कर रहे हैं। उनको भी अपने गिरहबान में झांक कर देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। हमारे सामने 5-10 रुपये लेता है तो हम किस बात का न्याय करेंगे, किस तरह से बाकी लोगों को शिक्षा देंगे। आज न्याय बिक रहा है। जिसके पास पैसा है, वह न्याय को खरीदता है। बहुत सारे मुकदमों में गवाही हो जाती है, बहस हो जाती है लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि कहीं न कहीं इसमें गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप ठीक प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता। बहुत सारे बंदी 20-25 वर्ष से जेलों में बंद है। उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो निश्चित रूप से वे भी बहुत दिनों तक जेलों में बंद नहीं रह पाते। इसलिए इस प्रकार की बातें न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्नचिन्ह लगाती हैं।

यदि इस देश में सुधार लाना है तो जो भी व्यक्ति उच्च कुर्सी पर है, चाहे वह प्रधानमंत्री है, मंत्री है, राज्यपाल हैं, मुख्य मंत्री हैं, मुख्य सचिव, जेलों में एस॰ पी॰ हैं, ईमानदार होने चाहिए। यदि किसी जिले में ईमानदार एस॰ पी॰ आ जाता है तो थाने बिकने बंद हो जाते हैं। बेईमान एस॰ पी॰ आ जाता है तो थाना बिकता है, कहीं 5,000 रुपये में बिकता है तो कहीं 20,000 रुपये में थाना दे दिया जाता है। थाना जब बिकेगा तो उसे भी महीने में पैसा देना पड़ेगा तो निश्चित रूप से वह अपने सब-इंसपैक्टर, पुलिस वालों को कहेगा कि पैसा लाओ, मैं तो देकर आया हूं, कोई भी ऐप्लीकेशन पड़ जाती है तो वह इधर से भी पैसा लेता है और उधर से भी पैसा लेता है। सिपाही भी इस नाते बेईमानी करता है क्योंकि उसे दरोगा को, सब इंसपैक्टर को पैसा देना पड़ता है। दरोगा इसलिए बेईमानी करता है क्योंकि उसे अपने कप्तान को पैसा देकर अपनी थानागिरी बचानी पड़ती है। एस॰ पी॰ भी पैसा देकर ही बनता है। जिले का एस॰ पी॰ भी कहीं न कहीं अपने डी॰ जी॰ पी॰ को प्रोत्साहित करके और बाकी लोगों को प्रभावित करके ही जाता है। इसलिए यदि उसे कुर्सी बचानी है और पोस्टिंग करानी है तो पैसा देना पड़ता है। इसलिए यदि ऊपर की व्यवस्था चुस्त, दुरुस्त, ईमानदार, चरित्रवान, नैतिकवान हो तभी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा नहीं तो जो कोढ़ इस देश में बढ़ गया है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैल गया है, वह बढ़ता जाएगा।

शिक्षा का माध्यम ज्ञान के अर्जन का केन्द्र है। विद्यालयों में भी नकल कराने के नाम पर पैसे लिये जाते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में फर्स्ट क्लास, सैकिंड क्लास और केवल पास कराने के लिए अलग-अलग पैसा लिया जाता है। इस तरह से जहां पर नैतिकता और चरित्र की शिक्षा दी जाती है, वहां पर भी स्थिति बिगड़ रही है। इन चीजों को भी संभला जाना चाहिए। जो बालक विद्यालय में पढ़ता है, जो आने वाले दिनों में भारत का भाग्य विधाता होता है, उसी के ऊपर देश की सब चीजें अवलंबित होती है। जो श्रेष्ठ नागरिक बनने के नाम पर पैसा देकर पास होता है, वह डिग्री तो प्राप्त कर लेता है लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मारा-मारा फिरता है, भटकता है, बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ती है। ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, इनमें उच्च पदस्थ लोगों का हाथ होता है और उन्हीं के कारण ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस देश की बहुत गंभीर समस्या है। आए दिन किसी न किसी माध्यम से इस सदन में भी इसकी चर्चा होती रहती है। आये दिन कोई न कोई घोटाला, कोई न कोई बात, किसी न किसी माध्यम से, अखबारों में भी आया करती है, पत्र पत्रिकाओं में भी आया करती है, इसके कारण हमारे देश की जो छवि खराब हो रही है, वह हो ही रही है और विदेशों में भी आज हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गये हैं।.....(*व्यवधान*) हमारे चन्द्रभूषण सिंह जी कह रहे हैं कि दुनिया में भ्रष्टतम देशों में हमारा आठवां नंबर है। कभी ईमानदारी और चरित्र के मामले में विश्व का गुरु रहने वाले भारत देश की गणना आज भ्रष्टाचार में हो रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस सबसे बड़े सदन की है।

इस सदन को निश्चित रूप से इस संकल्प के ऊपर चर्चा करते हुए एक गंभीर निर्णय लेना चाहिए, जिसका कार्यान्वयन ऊपर से ही हो, तभी भ्रष्टाचार की धारा को हम समाप्त कर पायेंगे, नहीं तो ये चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं। जब तक माननीय प्रधान मंत्री जी इसका नेतृत्व नहीं करेंगे, अपने मंत्रियों से इस बात का निवेदन नहीं करेंगे और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति रखते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, सब को समभाव से देखते हुए और एक ही प्रकार की आचारसंहिता के द्वारा शासित करेंगे, तभी इस देश का भविष्य जो भ्रष्टाचार के कारण बिगड़ता जा रहा है, उसको हम संवारने में, उसको बचाने में, इस देश को समुन्नत करने में और विकास की जो धारा बंद पड़ गई है, इसकी गति को भी तेज करेंगे और करने में समर्थ तभी होंगे जब सत्ता के सर्वोच्च शिखर से हम इसकी शुरूआत करेंगे।

यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, मैं श्री श्रीराम चौहान को इस महत्वपूर्ण संकल्प को इस माननीय सभा के समक्ष लाने के लिए बधाई देता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं।

भ्रष्टाचार राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंगों को खोखला कर रहा है, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, या नौकरशाही के स्तर पर चाहे कारोबार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या राज्य के साथ आम नागरिकों के रोजमर्रा के कार्य हों, भ्रष्टाचार से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी समाई हुई हैं। किंतु भ्रष्टाचार के बारे में कितनी भी बहस क्यों न की जाए। इसका अंत नहीं होगा, इस मानीय निकाय, देश में सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में, हमें यदि स्थिति में बदलाव लाना है तो स्वाधीनता के 50वें वर्ष में इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनानी होगी।

कई सदियों तक हमारा समाज सामंतवादी समाज रहा है, हमारे यहां लोकतांत्रिक परंपरायें या पश्चिमी परम्परायें नहीं थी जो यूनान और रोम में थीं और उसके बाद हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों में प्रचलित लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया।

पचास वर्ष पूर्व जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तब हमारे संविधान निर्माताओं ने मिल बैठकर इस देश के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेहरू, गांधी, अम्बेडकर और राजेन्द्र बाबू जैसे महान लोग थे जिन्होंने हमारे देश के लिए वेस्टविंस्टर प्रकार का लोकतंत्र अपनाया, किंतु लोकतंत्र की जड़े गहरी नहीं जमी हैं।

भ्रष्टाचार के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके कारण जनता ने आम चुनावों में राजनीतिक दलों को उखाड़ फेंका, यदि आप 1977 के चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो पाएंगे कि उस समय भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था, 1989 में यह पुन: एक मुद्दा था और यहां तक कि हाल के चुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लोगों ने अपना जनादेश दिया, उन्होंने उन लोगों को जो या तो वास्तव में भ्रष्टाचारी थे या जिन्हें वे भ्रष्टाचारी मानते हुए थे या मीडिया के प्रचार के कारण अस्वीकार कर दिया। चाहे केन्द्र में हो या राज्यों में जब भी लोगों को महसूस हुआ कि कोई राजनीतिक दल भ्रष्ट है तो उन्होंने उस राजनीतिक दल को अस्वीकार कर दिया।

आर्थिक क्षेत्र में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई इस आशा से कि अन्य दो प्रणालियां -- समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह पूर्णतया नियोजित अर्थव्यवस्था या अमरीकी प्रणाली की तरह पूर्णतया मुक्त अर्थव्यवस्था से यह बेहतर होगी किंतु हम दोनों प्रणालियों की बुराइयों को ही लेते जा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था का केन्द्रीय रूप से नियोजित क्षेत्र बहुत ही अकुशल और भ्रष्ट बन गया है, इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र की भी अपनी बुराईयां है। यह क्षेत्र भी उतना ही भ्रष्ट है। इसलिए, अब हम चिन्तित हैं क्योंकि हमने बजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, अपनी अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण किया है, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया है और उनको बाजारोन्मुखी बनाया है। हम न चाहते हुए भी उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे यह केवल टेलीविजन के माध्यम से हो या देश में आ रही उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिये हो जो इस द्वारा देश में आ रही है और अपने साथ बहुराष्ट्रीय संस्कृति ला रही हैं या पॉप संगीत या फॉस्ट फूड के माध्यम से, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज पर तेज गति से हमला कर रही है।

भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था की समस्या यह है कि यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल बाजार की शक्तियां ही यह निर्णय करती हैं कि अर्थव्यवस्था को किस दिशा में जाना चाहिए। समाज में असमानता बढ़ेगी, और यह बढ़ रही है। आज योग्य, कुशल, पश्चिमी शिक्षित अंग्रेजी दां संभ्रान्त व्यक्ति भारी वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यह सुनना असमान्य बात नही है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिवर्ष 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक समेकित वेतन प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ग्रामीण, कम पढ़े-लिखे, अर्द्ध-शहरी लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। देश में शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी है जो 1000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी भी नहीं प्राप्त कर सकते। समाज में असमानता और तनाव बढ़ रहा है। ये सभी बातें सरल लोगों पर अतिरिक्त दबाव डालकर उन्हें आसान मार्ग और भ्रष्ट तरीके अपनाने के लिए बाध्य कर रही हैं।

जैसा मैंने कहा, इस मुद्दे पर मात्र चर्चा करना ही काफी नहीं होगा। आज यह खुशी का दिन है कि हम अपने देश में लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंच का ध्यान इस नाजुक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर पुन: आकर्षित कर रहे हैं। अब मैं कुछ बातों पर बल देना चाहता हूं। अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में हमें मिल-बैठकर आगामी पचास वर्षों के लिए कार्यसूत्री का प्रारूप तैयार करना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और विभिन्न संगठन संगोष्ठियां आयोजित करने और लेख लिखने के लिए बैठक कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अगले दस से पन्द्रह दिनों के भीतर हमारी पार्टी का कलकत्ता में महाधिवेशन होने जा रहा है जहां पर हम इस बारे में विचार, निर्णय और चर्चा करेंगे कि हमारी पार्टी किस दिशा को लेना चाहती है और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में हम अपने राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आगामी पचास वर्ष में जब हम भ्रष्टाचार के मुद्दे स्वच्छ सार्वजनिक जीवन, स्वच्छ नौकरशाही और व्यापार में स्वच्छ जीवन के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जाए। लोकतंत्र को सुदृढ़, सशक्त और सार्थक बनाने के लिए हमारा लक्ष्य नागरिकों को सुविज्ञ और सतर्क बनाना होना चाहिए।

जब हम अपने मतदाताओं, देश के नागरिकों के स्तर की बात करते हैं तो जो बात सबसे अधिक खटकती है वह है हमारे अपने लोगों की निरक्षरता का स्तर। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वाधीनता के पचास वर्ष बाद भी हमने अभी पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। 1991 की जनगणना से स्पष्ट है कि हमारे देश की आधी जनसंख्या भी साक्षर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 48 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। भारत सरकार के अनुसार 52 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। आज हमारे देश में निरक्षरों की संख्या स्वाधीनता प्राप्ति के समय से अधिक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निरक्षरता बढ़ी ही है। किंतु सत्य यह है कि निरक्षर नागरिक और निरक्षर जनसंख्या एक महान लोकतंत्र के निर्माण में वस्तुत: योगदान नहीं कर सकती है। जब तक लोकतंत्र की जड़ें गहरी न हों, जनता सतर्क न हो, जनता अपने मत की कीमत न जानती हो, जब तक जनता सभी स्तरों पर भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को अस्वीकार न करे तब तक भ्रष्टाचार की समस्या का उन्मूलन या शमन बहुत कठिन है।

जब हम इस मुद्दे पर विचार-विनिमय कर रहे हैं तो यथासंभव कम समय में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विकास के पक्षधर अर्थशास्त्रियों की अद्यतन विचारधारा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों में तीसरी दुनिया के विशेष रूप से इन की स्थिति बेहतर ज्वलन्त मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। साक्षर की स्थिति बेहतर होने से जनता को अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में अधिक जानकारी होगी। वे संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया - अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को अधिक गंभीरता से लेंगे।

[श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण]

भ्रष्टाचार पर सीधा हमला जानकारी के अधिकार के लिए विधान बनाकर किया जा सकता है। मुझे अति प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार ऐसे विधान को लाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने ऐसे विधान को लाने के लिए आधे मन से प्रयास किए हैं। राजस्थान ने ये प्रयास आरंभ किए थे किंतु उन्हें बीच में ही रोक दिया लोगों को कम से कम विकासात्मक परियोजनाओं, ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर व्यय किए गए धन और जिन लोगों के लिए धन व्यय किया गया है, के बारे में जानकारी का अधिकार होना चाहिए। भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में यह पहला कदम होगा। दूसरा कदम गोपनीयता संबंधी उन कानूनों में संशोधन करना है जो पुराने है तथा भ्रष्टाचार के लिए नौकरशाही इनकी आड़ लेती है और जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार पनपता है। जानकारी का अधिकार ऐसा मुद्दा है जिस पर सभा की सर्वसम्मत राय होनी चाहिए और सरकार को यथाशीघ्र विधान लाने के लिए बाध्य करना चाहिए।

नागरिकों को अधिक सुविज्ञ और सतर्क बनाने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को देखें कि भारत के संविधान, डा० अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए हमारे महान संविधान के अध्ययन को सभी स्तरों पर अनिवार्य बना दिया जाए। आज क्या स्थिति है? हमारी शिक्षा की संपूर्ण अवधि के दौरान नागरिक शास्त्र केवल पांचवीं या छठी कक्षा में अनिवार्य विषय है जिसमें भी संविधान के बारे में केवल एक अध्याय है उसके बाद किसी को भी भारतीय संविधान पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यह बात वकीलों के सिवाय सभी लोगों के बारे में सत्य है। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति उस देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में एक परीक्षा देनी होती है और उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में संविधान का अध्ययन अनिवार्य बना दिया जाए, विद्यालय और महाविद्यालय में संविधान की एक प्रति मौजूद होनी चाहिए। आज ऐसी स्थिति नहीं है। जब तक जनता को यह पता नहीं होगा कि भारतीय संविधान किस बात का प्रतीक है तो वे अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में सजग नहीं होंगे सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में कानूनी शिक्षा की विषय सामग्री को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

अब मैं न्यायिक और संवैधानिक सुधारों संबंधी अति महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। हमें मालूम है कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार संबंधी काफी मामले लम्बित हैं। कुछ विशेष न्यायालय इन मामलों की सुनवाई कर रहीं है। प्रतिदिन हमें राजनीतिज्ञों और अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में पता चलता है। परन्तु यह सच है कि न्यायालयों में करोड़ों मामले अथवा मुकदमें लंबित पड़े हैं। इन लंबित मामलों को या तो अधिक न्यायालय स्थापित करके अथवा संपूर्ण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करके निपटाया जाना चाहिये किसी भी स्थिति में ऐसा किया जाना आवश्यक है। समस्त भ्रष्टाचार के मामलों, चाहे वे राजनीतिक अथवा नौकरशाही से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले हों, की सुनवाई के लिये और अधिक संख्या में विशेष न्यायालय गठित किये जाने चाहिये।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात का उल्लेख किया था कि उनको प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है और सभा में इस पर चर्चा हो चुकी है। परन्तु, इससे क्या हुआ है? न्यायपालिका के शीर्ष स्तर के एक व्यक्ति द्वारा यह प्रयास किया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मामले से हट जाऐं। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई विशिष्ट न्यायाधीश हट जाता है तो उनका स्थान कोई ऐसा अन्य व्यक्ति ग्रहण करेगा जिसे प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार से, संकल्प पेश करने वाले व्यक्ति ने गंभीरता से विचार किये बिना एक बात कही कि न्यायपालिका, विशेषत: निचले स्तर पर, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है।

हमें स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन किये जाने पर आम राय बनानी चाहिये। पिछले कई वर्षो के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस भूमिका की बहुत अधिक आलोचना की गई है कि उसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को प्रचार मिलता है और अन्य लोगों के मामलों में वह धीमी गति से कार्य करती है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे गए मामलों को भी सी० बी० आई निपटा नहीं पाई है और वह लंबित पड़े हैं मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं पिछले वर्ष 23 जुलाई को महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसमें राजनीतिक संपर्क भी जुड़े हुए थे। पुणे में रमेश किनी नाम के एक व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई थी और उसकी विधवा ने आरोप लगाया है कि इसमें कतिपय उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति लिप्त है। महाराष्ट्र पुलिस ने प्रत्यक्षत: बहुत धीमी गति से जांच की थी। मुम्बई उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार यह आदेश दिया कि सी० बी० आई० मामले की जांच करे। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई, परन्तु उसने उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया, परन्तु सी० बी० आई० सुस्त पड़ी हुई है। कुछ नहीं हो रहा है। मामलों की ऐसी स्थिति है। मेरे विचार से सी० बी० आई० का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है। एक ऐसी स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन किए जाने की आवश्यकता है जो राजनीतिक और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन करे।

हम सभी ने लोकपाल के पद का सृजन करने की मांग की है। मेरे विचार से इस पर आम राय और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यह किस प्रकार किया जाए। इस पर विचार किया जाना चाहिये। कई संसदीय समितियों ने इस पर विचार किया है। इस बारे में जल्दी ही कानून बनाया जाना चाहिये।

दूसरा क्षेत्र जिसके बारे में अपनी बात करना चाहूंगा वह राजनीतिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्वाचित प्रतिनिधि और चुनाव सुधार है। मेरा यह दृढ़ मत है कि जब तक दलीय स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्णरूपेण कायम नहीं हो जाती है तब तक निम्नतम स्तर तक लोकतंत्र की जड़े नहीं फैलेगी। हमने देखा है कि किस प्रकार पूर्व में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जिसमें मेरा दल और जनता दल भी शामिल हैं, उन दलों के संविधान अनुसार चुनाव कराने के लिये कहा था। मेरे विचार से दलीय चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग को सीमित रूप से सम्मिलित करना एक अच्छा विचार है। अमरीका में ऐसा किया जा रहा है और मै कहना चाहता हूं कि यहां भी ऐसा करने पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरा पहलू निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर पंचायत स्तर पर उन्हें प्रशिक्षण देने का है। जब तक पंचायत स्तर पर निर्वाचित लाखों अधिकारियों को लोकतंत्र के कार्यकरण के बारे में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तब तक हम राजनीतिक स्तर पर समस्या को सुलझा नहीं पायेंगे। हमें गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना पड़ेगा और गैर-सरकारी संगठनों, जनता तथा प्रचार माध्यमों के द्वारा माहौल तैयार करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को मनोनीत करना चाहिये।

जहां तक चुनाव सुधारों का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने के लिये दिये जाने वाला धन ही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। इसलिये चुनाव लड़ने के लिये राज्य को धन देना चाहिये।

अब मैं व्यापार और उद्योग पर आता हूं। जब हम ऊर्जा, दूरसंचार, पेट्रोलियम और सड़क मार्गों जैसे आधारभूत ढांचागत क्षेत्रों का निजीकरण कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिये कि 'एनरॉन' के मामले में क्या हुआ था? हम सबने देखा कि दूरसंचार क्षेत्र में मूलभूत सेवाओं के निजीकरण के मामले में क्या हुआ था? हम सबको मालूम है कि सुखराम ने दूरसंचार के मामले में क्या घोटाला किया था? प्रस्ताव पेश करने वाले ने पेट्रोलियम, रिलाइन्स, एनरॉन और हर्षद मेहता 'फील्ड्स' घोटालों का हवाला दिया था। यह सभी चिंता के विषय हैं। जब हम आधारभूत ढांचे का निजीकरण कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उससे पूर्व विनियमाक प्राधिकरणों का गठन करके उसमें पारदर्शिता भी लायी जाये। आवश्यक मूल सेवाओं के लिए निविदाओं तक इनका गठन नहीं किया गया था। हम सभी को मालूम है कि उनका परिणाम क्या रहा।

'सेबी' (एस० ई० बी० आई०) का गठन प्रतिभूति घोटाले के पश्चात् ही किया गया था। अब हम बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। घोटाले के पश्चात् ही बैंकिंग विनियामक आयोग गठित किया गया था। निजीकरण किये जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता वाले विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिये। इसके पश्चात् ही आधारभूत ढांचे का निजीकरण, जो कि अत्यंत आवश्यक है, सफल होगा।

1991 में आर्थिक सुधारों के पश्चात् व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रणों के कम करने से एक सीमा तक भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है। परन्तु इस कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिये। अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों को हटाना होगा जबकि राज्य की भूमिका आवश्यक मूलभूत क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। परन्तु मेरा विचार है कि राज्य उत्पादन के कई क्षेत्र में अपने आपको अलग रख सकता है।

नौकरशाही भी भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में स्थानांतरण एक बड़ा उद्योग बन गया है। विकास और औद्योगिकीकरण महत्वपूर्ण नहीं है, परन्तु अफसरों का स्थानांतरण बड़ा उद्योग बन गया है। कुछ ईमानदार अफसर भी हैं। उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिये। उनको समर्थन दिया जाना चाहिये। नौकरशाही का पूरी तरह से राजनीतिकरण एक ऐसी खराब बीमारी हो गई है जिसका इस लोकतंत्र को सामना करना पड़ रहा है। यही सब कुछ हो रहा है। हमें राजनीतिक रूप से एक ऐसी आम राय कायम करनी होगी कि नौकरशाही का राजनीतिकरण न किया जाए। मेरे विचार से सरकारों के जल्दी जल्दी बदले जाने से नौकरशाही के इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में गठित साझा सरकारों से भी इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। परन्तु इस विषय पर आम सहमति कायम की जानी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषत: बड़े सौदों, रक्षा सौदों और आधारभूत ढांचे से संबंधित सौदों के मामलों में काफी भ्रष्टाचार है। अमरीका की सरकार ने एक कानून बनाया है जो संयुक्त राज्य विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम (यू० एस० फॉरन करप्शन एक्ट) के नाम से जाना जाता है। परन्तु यूरोप की कई सरकारों ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। इन विदेशी सरकारों के लिए तृतीय विश्व के देशों के नेताओं अथवा राजनीतिज्ञों अथवा नौकरशाही को घूस दिया जाना गैर कानूनी नहीं है। मेरे विचार से इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कार्य करना होगा। तृतीय विश्व के सभी देशों को मिलकर कार्य करना चाहिये ताकि ऐसा एक कानून बनाया जाये। दूसरे किसी देश में विदेशी सप्लायरों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने अथवा उनके द्वारा दूसरे देश के अधिकारियों को घूस देना उसी प्रकार एक अपराध माना जाए जैसा कि अमरीका में माना जाता है। भ्रष्टाचार एक बहुत संगीन और प्रमुख मामला है। मेरे विचार से सभा को इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिये। जब तक अर्थव्यवस्था के इन महत्वपूर्ण लाभों को भ्रष्टाचार के चंगुल से बचाया नहीं जाएगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर पाएगा। मैं, पुन: उस संकल्प को पेश करने वाले सदस्य के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। सभा को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिये और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिये एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मैं श्री चव्हाण जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं कि "यह सभा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से इस बुराई का उन्मूलन करने हेतु कड़ी कार्यवाही करने का आग्रह करती है।"

उर्दू के एक शायर की लाइनें मुझे याद आती है कि "गुलिस्तां बर्बाद होने को एक ही उल्लू काफी है, अंजामें गुलिस्ता क्या होगा, जहां हर शाख पर उल्लू बैठा है।" मान्यवर, जैसे अभी पूर्वक्ता ने कहा कि चाहे आर्थिक, राजनैतिक, न्यायिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, धार्मिक या कोई अन्य क्षेत्र हो, जहां भी नजर जाती है वहां हमें भ्रष्टाचार के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि भ्रष्टाचार हमारी रग-रग में व्याप्त हो गया है। महोदय, लोकतंत्र की पहली शर्त यह होती है कि वहां के राजनेताओं के चरित्र, आचरण और व्यक्तित्व में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस देश के अंदर "आचारा परमो: धर्म" कहा गया है आज उस देश के अदंर भ्रष्टाचार रग-रग में व्याप्त हो जाए, कैसी विडम्बना है। आज ही मुझे एक पत्रिका में पढ़ने को मिला जिसे देखकर मेरे कान खड़े हो गये कि संसार में सबसे भ्रष्ट देश कौनसा है और सबसे कम भ्रष्ट कौनसा है। इसके बारे में बर्लिन का एक संगठन है "ट्रांसपेरेंसी इंटनरनेशनल" उसने एक सर्वे किया।

अपराह्न 6.00 बजे

उसने एक सर्वे किया। सर्वे के नंबर दस थे। उसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार जहां कम से कम हो, वहां दस में से दस नंबर मिलेंगे। दुनिया का कोई भी देश दस में से दस नंबर तो ले नहीं पाया लेकिन सबसे कम जो भ्रष्टाचारी देश थे, उनमें नाम डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन का आया। स्वीडन का कैसे आया मुझे मालूम नहीं? बोफोर्स का मामला तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक जहां भ्रष्टाचार है, ऐसे दुनिया के दस लोगों को छांटा गया। सबसे पहला नाम नाईजीरिया का था, पाकिस्तान का पांचवां नंबर था और हिन्दुस्तान का आठवां नंबर था। यह सुनकर हमारा सिर शर्म से नीचे झुक गया। इसके अलावा जो अन्य देश थे, वे थे, बोलिविया, कोलम्बिया, रशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, वेन्जुएला और वियतनाम। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। उसके लिए कहा जाता था।

"एतदद्देशस्य प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मन,
स्व-स्व चरित्रे: शिक्षेरन् पृथिव्या: सर्वमानवा:।"

जिस देश में पैदा होने वाले सदाचारी, चरित्रवान, ईमानदार व्यक्तियों के चरणों में सारी दुनिया के लोग नत-मस्तक होकर, उनके चरणों की धूल को सिर पर लगाते हुए चरित्र और सदाचार की शिक्षा ग्रहण किया करते थे.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो॰ रासा सिंह रावत जी आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार, 4 अगस्त, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 अगस्त, 1997/13 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।